

इलाहाबाद बैंक ALLAHABAD BANK

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001
HEAD OFFICE: 2, NETAJI SUBHAS ROAD, KOLKATA 700 001

www.allahabadbank.in

विषय-सूची / contents वार्षिक प्रतिवेदन ANNUAL REPORT

पृ. सं. / Page No.	पृ. सं. / Page No.
● निदेशकों, लेखापरीक्षकों आदि की सूची List of Directors', Auditors' etc	02
● अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश Chairman & Managing Director's Message	03-06
● वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना, घोषणा पत्र, जीवन वृत्त एवं नामांकन पत्र Notice of Annual General Meeting, Declaration Form, Biodata Form & Nomination Form	07-31
● बैंक के निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report of the Bank	32-76
● कारपोरेट गवर्नेन्स पर रिपोर्ट Report on Corporate Governance	77-98
● कारपोरेट गवर्नेन्स पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र Auditors' Certificate on Corporate Governance	99
● बैंक के वित्तीय विवरण Financial Statements of the Bank	100-139
● बैंक के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report of the Bank	140-141
● समेकित वित्तीय विवरण Consolidated Financial Statement	142-165
● समेकित वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report on Consolidated Statement	166-167
● ऑल बैंक फाइनेन्स लि. के निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report of AllBank Finance Ltd.	168-170
● ऑल बैंक फाइनेन्स लि. का वित्तीय विवरण Financial Statements of AllBank Finance Ltd.	171-196
● ऑल बैंक फाइनेन्स लि. के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report of AllBank Finance Ltd.	197-201
● सूचीबद्धता करार के खंड 49V के अनुसरण में प्रमाणपत्र Certificate Pursuant to clause 49V of the Listing Agreement	202-203
● परोक्षी फार्म Proxy Form	204-205
● उपस्थिति पर्ची एवं प्रवेश पत्र Attendance Slip cum Entry Pass	206

महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं तिथियाँ / IMPORTANT PROGRAMMES & DATES

● लाभांश प्राप्त करने एवं चुनाव में भाग लेने के लिए शेयरधारकों की पात्रता को निर्धारित करने की अभिलिखित तारीख Record date for ascertaining the Shareholders eligibility to get dividend and participate in the election	20.5.2009	वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख, समय व स्थान Date, time & Venue of Annual General Meeting	15.06.2009 प्रातः 10.30 A.M.
● नामांकन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख Last date for submission of Nomination form	30.5.2009	पूर्वश्री ऑडिटोरियम, ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेन्टर, भारतीयम कल्चरल मल्टीप्लेक्स, आईबी-201, सेक्टर III, सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता - 700106 Purbashree Auditorium Eastern Zonal Cultural Centre, Bharatiyam Cultural Multiplex, IB-201, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700106	
● प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने संबंधी परोक्षी फार्म एवं संकल्प प्राप्ति की अंतिम तिथि Last date for receipt of proxy form and resolutions for appointing authorized representatives	10.6.2009		

इलाहाबाद बैंक
ALLAHABAD BANK

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001

HEAD OFFICE: 2, NETAJI SUBHAS ROAD, KOLKATA 700 001

निदेशक मंडल BOARD OF DIRECTORS (AS ON 31.03.2009)

- | | |
|---|--|
| 1. श्री के. आर. कामत
SHRI K. R. Kamath | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
<i>Chairman & Managing Director</i> |
| 2. श्री के. के. अग्रवाल
SHRI K. K. Agarwal | कार्यपालक निदेशक
<i>Executive Director</i> |
| 3. श्री जे. पी. दूआ
SHRI J. P. DUA | कार्यपालक निदेशक
<i>Executive Director</i> |
| 4. श्रीमती सुकृति लिखि
Smt. Sukriti Likhi | निदेशक
<i>Director</i> |
| 5. मोहम्मद ताहिर
MOHAMMAD TAHIR | निदेशक
<i>Director</i> |
| 6. श्री के. के. डोगरा
SHRI K. K. DOGRA | निदेशक
<i>Director</i> |
| 7. श्री वी. गुरुमूर्ति
SHRI V. GURUMURTHY | निदेशक
<i>Director</i> |
| 8. श्री अशोक जैन
SHRI AHSOK JAIN | निदेशक
<i>Director</i> |
| 9. श्रीमती जोगिन्दर कौर
SMT. JOGINDER KAUR | निदेशक
<i>Director</i> |
| 10. श्री पी. वी. गुडीरेड्डी
SHRI P. V. GUDIREDDY | निदेशक
<i>Director</i> |
| 11. डॉ. शकील-उज़्ज़मान अंसारी
DR. SHAKEEL-UZ- ZAMAN ANSARI | निदेशक
<i>Director</i> |
| 12. श्री देवेश्वर कुमार कपिला
SHRI DEVESHWER KUMAR KAPILA | निदेशक
<i>Director</i> |
| 13. श्री. ए. के. महापात्र
SHRI A. K. MOHAPATRA | निदेशक
<i>Director</i> |

लेखा-परीक्षक/AUDITORS

- | | |
|---|--|
| 1. मे० रसूल सिंहल एंड कं.
M/S RASOOL SINGHAL & CO. | सनदी लेखाकार
<i>Chartered Accountants</i> |
| 2. मे० दासगुप्ता एंड एसोसिएट्स
M/S DASS GUPTA & ASSOCIATES | सनदी लेखाकार
<i>Chartered Accountants</i> |
| 3. मे० आनन्द रंगटा एंड कं.
M/S ANAND RUNGTA & CO. | सनदी लेखाकार
<i>Chartered Accountants</i> |
| 4. मे० के. एस. बोथरा एंड कं.
M/S K. S. BOTHRA & COMPANY | सनदी लेखाकार
<i>Chartered Accountants</i> |
| 5. मे० वेंकट एंड रंगा
M/S VENKAT & RANGAA | सनदी लेखाकार
<i>Chartered Accountants</i> |
| 6. मे० सुदित कुमार पारीख एंड कं.
M/S SUDIT K. PAREKH & CO. | सनदी लेखाकार
<i>Chartered Accountants</i> |

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट /REGISTRAR & SHARE TRANSFER AGENT

मे. एमसीएस लिमिटेड
77/2A, हाजरा रोड
कोलकाता-700029
टेलीफोन - 033 24767350-54
फैक्स - 033-24541961, 24747674
ई-मेल : mcscal@cal2.vsnl.net.in
Website : www.mcscdel.com

M/S MCS LTD.
77/2A, Hazra Road,
Kolkata-700029
Tel : 033-24767350-54,
Fax : 033-24541961, 24747674
Email : mcscal@cal2.vsnl.net.in
Website : www.mcscdel.com

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

प्रिय शेयरधारको,

वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस प्रचीन गौरवशाली महान संस्था के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् आपको पहली बार संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत गर्व हो रहा है। सर्वप्रथम, मैं विनम्रता पूर्वक यह स्वीकार करता हूँ कि वैश्विक मंदी और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की पृष्ठभूमि में बैंक के व्यवसाय और लाभप्रदता दोनों में सतत वृद्धि करना हमारे लिए एक चुनौती थी। मुझे विश्वास है कि दिवस की समाप्ति पर आप इस बात को समझेंगे कि आपके बैंक ने 2008-09 के दौरान न केवल इन दोनों महत्वपूर्ण पैरामीटरों में अच्छा संतुलन बनाए रखा अपितु बैंक के तुलन पत्र में मूल्यवर्धन कर इसे मजबूत किया है जो भविष्य में आने वाले कठिन समय, यदि कोई हो, से निपटने में सहायक होगा। मैं देखता हूँ कि बाजार ने आपके बैंक के तुलनपत्र की बढ़ी हुई मजबूती को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। इस संबोधन में मैंने भारतीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में 2008-09 के दौरान आपके बैंक के कार्यनिष्पादन का विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत करने का पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है।

1. आर्थिक एवं बैंकिंग परिदृश्य

1.1 2008-09 के दौरान अनिश्चितता, अस्थिरता और प्रमुख बैंकों की विफलता वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर हावी रही जिसके परिणाम स्वरूप वैश्विक वास्तविक जीडीपी में तेज गिरावट हुई और उभरती बाजार की अर्थव्यवस्थाओं की सतत वृद्धि प्रभावित हुई। मजबूत वित्तीय क्षेत्र और सक्षम अर्थव्यवस्था के बावजूद वैश्विक मंदी ने भारत के बाह्य क्षेत्र, विशेष रूप से निर्यात, को प्रभावित किया, उपभोक्ता मांग में कमी के प्रभावस्वरूप औद्योगिक मंदी हुई। कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण जीडीपी वृद्धि 2008-09 के दौरान 6.5% से 6.7% तक रहने का अनुमान है जो 2007-08 के दौरान 9.0% थी। जबकि 2009-10 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की अनुमानित वृद्धि 6.0% है। अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाओं की लगभग शून्य जीडीपी वृद्धि दर की तुलना में यह उत्कृष्ट प्रदर्शन है।

1.2 2008-09 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबैंक) के मौद्रिक प्रबंधन पर वैश्विक वित्तीय संकट और घरेलू अर्थव्यवस्था में मंदी को सुधारने की आवश्यकता हावी रही। सितम्बर 08 से मार्च 09 के दौरान भारिबैंक ने रेपो रेट को 9.0% से 5.0%, रिवर्स रेपो रेट को 6.00% से 3.5% और आरक्षित नकदी अनुपात (सीआरआर) को 9.00% से 5.00% तक घटा कर आसान ब्याज दर व्यवस्था के संकेत दिए हैं। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की जमा और ऋण दर अक्टूबर 08 से अप्रैल 09 के दौरान 125-250 बेसिस प्वाइंट तक घटाई गई। बैंकिंग प्रणाली में जमा वृद्धि और ऋण वृद्धि क्रमशः 19.8% और 17.3% रही। अन्य गुणात्मक मुद्दों की बात करें तो, सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाने में और तेजी आई तथा पूंजी पर्याप्तता हेतु बासेल-II मानदंड भारतीय बैंकों की कार्यसूची का केंद्र बिंदु बने रहे। अनुपयोज्य आस्ति प्रबंधन बैंकों के लिए इन दो महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के कारण विशेष क्षेत्र बना रहा - क) केन्द्र सरकार की कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना तथा ख) ऋण पुनर्गठन योजना। 2008-09 के दौरान भारतीय बैंक और मजबूत हुए तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने के उद्देश्य से अपनी वित्तीय सुदृढ़ता और बढ़ाई। संक्षेप में, वैश्विक अनुभव के विपरीत, आर्थिक संकट के बावजूद, 2008-09 के दौरान भारतीय वित्तीय व्यवस्था मजबूत बनी रही।



Chairman and Managing Director's Message

Dear Shareholders,

It is my great pleasure to place before you the Annual Report of your Bank for the financial year 2008-09. I feel elated while making maiden address to you after assuming the position of Chairman & Managing Director of this great institution of pristine glory. At the outset, I humbly submit that it was a challenge to us to sustain the growth both in business and profitability of the Bank, particularly, in the backdrop of global slowdown and its impact on Indian economy. At the end of the day, I am sure, you will appreciate that your Bank has not only struck a good balance between both these important parameters during 2008-09 but also added values and strengthened the Balance Sheet of the Bank, conducive for pulling through rough weather, if any, in future. I observe that the market has already started recognizing the enhanced strength of the Balance Sheet of your Bank. In this address, I have honestly attempted to place before you an analysis of performance of your Bank during 2008-09 with a prelude on the Indian economic and banking scenario.

1. Economic & Banking Scenario

1.1 Uncertainties, volatility and major bank failures dominated global economic scenario during 2008-09, resulting in steep fall in global real GDP and affecting sustained growth of emerging market economies. Albeit strong financial sector and resilience of the economy, the global slow down affected Indian external sector, specifically exports and impacted industrial slow down due to reduction in consumption demand. In fine, Indian economy is estimated to slowdown with a GDP growth of 6.5% to 6.7% during 2008-09 as against 9.0% in 2007-08 while the projected GDP growth for 2009-10 stood at 6.0%. This is an excellent performance when compared with near zero GDP growth rate in most of the developed economies.

1.2 During 2008-09, monetary management of Reserve Bank of India (RBI) was dominated by the response to the spill over effects of global financial crisis and the need to address slackening of domestic conditions. During Sept'08 to Mar'09, the RBI reduced Repo Rate from 9.0% to 5.0%, Reverse Repo Rate from 6.00% to 3.50% and Cash Reserve Ratio (CRR) from 9.00% to 5.00%, indicating a softer interest rate regime. In response to this, the deposit rates and lending rates of the public sector banks reduced by 125-250 basis points during October'08 to April'09. The deposit and credit growth of the banking system were 19.8% and 17.3% respectively. Turning to other qualitative issues, adoption of information technology gained further momentum and Basel II norms for capital adequacy continued to be a focal agenda for Indian banks. Non-performing asset management also continued to be a critical area for banks with two significant developments namely, a) Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme of Union Government and b) Scheme for Restructuring of Debts. During 2008-09, Indian banks consolidated further and enhanced financial strength with an objective to align into international standards. In short, as opposed to global experience, despite economic crisis Indian financial system stood strong during 2008-09.

2. बैंक का कार्यनिष्पादन

2.1 उपर्युक्त आर्थिक और बैंकिंग पृष्ठभूमि में, आपके बैंक ने लाभ का समग्र व्यवसाय से मिलान करते हुए तुलन पत्र प्रबंधन की नीति अपनाई है। इस प्रकार, बोर्ड की कार्यनीतियों में ये विषय शामिल थे क) विभेदक ब्याज दर के अंतर्गत जमा राशि की निर्भरता कम करते हुए कोर जमा राशि पर ध्यान केंद्रित करना, ख) कासा जमा संग्रहण पर बल देना, ग) कम आय वाले थोक ऋण (बल्क क्रेडिट) को कम करना, घ) ऋण आस्तियों का पुनर्मूल्यन ङ) शुल्क आधारित आय पर बल देना और च) एनपीए की वसूली पर नए सिरे से बल देना। इन प्रयासों के परिणाम दिखाई दिए हैं जिसने एक ओर तो बैंक के तुलन पत्र को मजबूती दी है और दूसरी ओर वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रतिकूल प्रभाव को झेलते हुए लभप्रदता के सामान्य स्तर को बनाए रखा। आइए अब बैंक की लभप्रदता के मुद्दे पर बात करें।

2.2 बैंक का परिचालन लाभ 28.50% की वृद्धि दर्शाते हुए पिछले वर्ष के रु.1,480 करोड़ से बढ़ कर 2008-09 के दौरान रु. 1,901 करोड़ हो गया। ब्याज आय में 19.34% की वृद्धि हुई जब कि ब्याज व्यय में 15.72% की वृद्धि हुई। अतः, निवल ब्याज आय (स्प्रेड) में 29.08% की वृद्धि हुई। ऋण आस्तियों की री-प्राइसिंग और थोक ऋण से परहेज ने ब्याज आय बढ़ाने में मदद की जबकि डीआरआई के अंतर्गत जमा अंश को कम करने तथा खुदरा ऋण/कासा पर विशेष ध्यान देने से जमा राशि पर ब्याज व्यय कम करने में मदद मिली। वर्ष 2008-09 के दौरान कुल आय में अग्रिम से प्राप्त ब्याज आय का अंश 2007-08 के 62.50% से बढ़ कर 64.59% हो गया।

2.3 चतुर्थ तिमाही में बैंक का निवल लाभ ने 55.80% की वृद्धि दर्शाते हुए पिछले वर्ष के रु.170 करोड़ से बढ़ कर रु.264 करोड़ हो गया। तथापि, निवल लाभ रु. 975 करोड़ से घट कर रु.769 करोड़ हो गया। निवल लाभ में गिरावट का कारण वर्ष 2008-09 के दौरान किया गया रु.1,133 करोड़ का प्रावधान है जबकि 2007-08 में यह प्रावधान रु. 505 करोड़ था। इस उच्चतर प्रावधान में अशोध और संदिग्ध ऋण (रु. 313 करोड़), आयकर (रु. 307 करोड़), निवेश में मूल्य ह्रास (रु. 357 करोड़) का वर्धित प्रावधान शामिल है।

2.4 2008-09 के दौरान शुल्क-आधारित व्यवसाय से आय 2007-08 के रु. 438 करोड़ से बढ़ कर रु. 524 करोड़ हो गई। बढ़ी हुई शुल्क आधारित आय का श्रेय ऋण से संबद्ध गतिविधियों यथा एलसी/बीजी कमीशन और ऋण प्रोसेसिंग शुल्क को जाता है। कुल आय में शुल्क आधारित आय का अंश 6.14% से थोड़ा सा बढ़कर 6.16% हो गया। ट्रेजरी (ट्रेडिंग) लाभ रु.471 करोड़ से बढ़ कर रु.573 करोड़ हो गया।

2.5 परिचालन व्यय जो 2007-08 के दौरान रु.1,158 करोड़ थे 2008-09 के दौरान बढ़कर रु.1,399 करोड़ हो गए इसका मुख्य कारण आगामी वेतन संशोधन प्रभावी कारक था। अन्य परिचालन व्यय रु.468 करोड़ से बढ़कर रु. 526 करोड़ हो गया जो 12.36% की वृद्धि दर्शाता है।

3. लागत एवं आय

3.1 बैंक की जमा लागत जो 2007-08 के दौरान 6.67 थी 2008-09 के दौरान घट कर 6.62 रह गई जबकि अग्रिमों पर आय में 2007-08 के 10.76% के सापेक्ष 2008-09 के दौरान 10.88% की वृद्धि हुई। 2008-09 के दौरान निवेश पर आय में 7.57% की वृद्धि हुई जबकि 2007-08 के दौरान यह वृद्धि 7.43% थी। निधि लागत 6.66% के सापेक्ष 6.67% पर समान ही रही जबकि इस अवधि के दौरान निधियों पर आय में वृद्धि 9.26% के सापेक्ष 9.62% रही। इस प्रकार, निधियों पर आय में 36 बेसिस प्वाइंट की वृद्धि हुई जबकि निधि लागत में केवल 1 बेसिस प्वाइंट की गिरावट आई है। इसके परिणाम स्वरूप निवल ब्याज मार्जिन जो 2007-08 में 2.61% था 2008-09 में बढ़ कर 2.88% हो गया।

4. लाभप्रदता अनुपात

4.1 आय पर प्रतिफल जो 31.03.2008 को यथास्थिति 1.32% था 31.03.2009 को 0.90% इस अवधि के दौरान रहा जबकि इस अवधि के दौरान औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ 2.00% से बढ़कर 2.24% हो गया। लागत आय अनुपात 43.90% घट कर 42.40% रह गया जो परिचालन दक्षता में हुए सुधार को दर्शाता है।

2. Performance of the Bank

2.1 In the above economic and banking backdrop, your Bank adopted the policy of balance sheet management by aligning bottom line with top line. Thus, the broad strategies were, a) focus on core deposit, reducing dependence on deposit under Differential Rate of Interest (DRI); b) emphasis on CASA deposit mobilization; c) reducing the share of low yielding bulk credit, d) re-pricing of loan assets; d) emphasis on fee-based income and e) reinvigorating recovery of NPAs. All these efforts appeared to yield result, helping the Bank to strengthen its balance sheet on the one hand and maintain moderate level of profitability weathering the adverse impact of global slow down on the other. Let us now turn to the issues of profitability of the Bank.

2.2 Operating profit of the Bank went up to Rs.1,901 crore during 2008-09 from Rs.1,480 crore in the previous year, showing a growth of 28.50%. Interest income went up by 19.34% while interest expenses grew by 15.72%. Thus, net interest income (spread) increased by 29.08%. The re-pricing of loan assets and abstinence from bulk credit helped increase in interest income while reducing share of deposit under DRI and focus on retail deposit / CASA helped reduction in interest expenses on deposit. The share of interest income from advances in total income improved to 64.59% during 2008-09 from 62.50% in 2007-08.

2.3 The net profit of the Bank showed a growth of 55.80% in Q4 to reach Rs.264 crore from Rs.170 crore in the preceding year. However, net profit declined from Rs.975 crore to Rs.769 crore during 2008-09. The decline in net profit is on account of higher provisioning at Rs. 1,133 crore in 2008-09 as against Rs. 505 crore in 2007-08. The higher provisioning may be attributed to increased provision for bad and doubtful assets (Rs. 313 crore), income tax (Rs.307 crore) and higher depreciation in investment (Rs. 357 crore).

2.4 Income from fee-based business increased to Rs.524 crore during 2008-09 from Rs.438 crore during 2007-08. The increased fee-based income came through credit related activities like, LC/ BG commission and loan processing fees. The share of fee-based income in total income went up marginally to 6.16% from 6.14%. The treasury (trading) profit increased from Rs.471 crore to Rs.573 crore.

2.5 Operating expenses went up to Rs.1,399 crore during 2008-09 from Rs.1,158 crore in 2007-08 mainly to factor ensuing wage revision impact. Other operating expenses grew to Rs.526 crore from Rs.468 crore, recording a growth of 12.36%.

3. Cost and Yield

3.1 Cost of deposits of the Bank declined to 6.62% during 2008-09 from 6.67% during 2007-08 while yield on advances increased to 10.88% during 2008-09 from 10.76% during 2007-08. Yield on investment improved to 7.57% during 2008-09 from 7.43% during 2007-08. Cost of fund remained flat at 6.67% as against 6.66% while yield on funds improved to 9.62% from 9.26% during the period. Thus, while the yield on fund improved by 36 basis points cost of fund went up by only 1 basis point. As a consequence net interest margin went up to 2.88% during 2008-09 as compared to 2.61% during 2007-08.

4. Profitability Ratios

4.1 Return on Assets of the Bank stood at 0.90% as on 31.3.2009 as against 1.32% as on 31.03.2008 while operating profit as percentage to average working fund improved to 2.24% from 2.00% during the period, cost to income ratio declined to 42.40% from 43.90%, depicting improved operational efficiency.

4.2 प्रति शेयर आय जो 2007-08 में रु. 021.82 थी 2008-09 में रु.17.21 रही जबकि इस अवधि के दौरान प्रति शेयर बही मूल्य रु. 116.88 से बढ़ कर रु.131.00 हो गया।

5. व्यवसाय

5.1 बैंक का व्यवसाय 31.03.2009 को यथास्थिति 18.44% बढ़ कर 31.03.2008 के 1,21,929 करोड़ के सापेक्ष 31.03.2009 का यथास्थिति रु.1,44,415 करोड़ हो गया। कुल जमा राशियां रु. 71,616 करोड़ के सापेक्ष 18.65% बढ़ कर रु. 84,972 करोड़ हो गई। बैंक का सकल ऋण 31.03.2008 के रु. 50,312 करोड़ के सापेक्ष 18.15% बढ़ कर 31.03.2009 को यथास्थिति रु. 59,443 करोड़ हो गया। 31.03.2009 को यथास्थिति ऋण जमा अनुपात 69.96% रहा।

5.2 बैंक ने कोर जमाराशि पर ध्यान केंद्रित करते हुए थोक व्यवसाय से दूर रहने का विवेकपूर्ण निर्णय लिया। इस प्रकार कोर जमा राशि में (डीआरआई और सीडी के अंतर्गत जमाराशि को छोड़कर) 2008-09 के दौरान 32.33% की वृद्धि हुई और मार्च 2009 में कुल जमाराशि में इसका अंश बढ़ कर 80.42% हो गया जो मार्च 2008 में 72.11% था। यह उल्लेखनीय है कि, 31.03.2009 को यथास्थिति डीआरआई के अंतर्गत जमा राशि कुल जमा राशि का मात्र 8.16% है जबकि एक वर्ष पूर्व यह 27.89% थी।

5.3 31.03.2009 को यथास्थिति बैंक की बचत बैंक जमाराशियां 13.71% बढ़ कर रु. 22,774 करोड़ हो गई तथा 31.03.2009 को यथास्थिति बैंक की चालू खाता जमा राशियां रु. 6,623 करोड़ तक पहुँच गई जो 14.58% की वृद्धि दर्शाती है। कुल जमाराशि में कासा जमा राशि का अंश 35.08% रहा।

5.4 31.03.2009 में जमा और अग्रिम का बाजार अंश क्रमशः 2.11% और 2.00% रहा। प्रति कर्मचारी व्यवसाय जो 31.03.2008 को यथास्थिति रु. 6.04 करोड़ था 31.03.2009 को यथास्थिति बढ़कर रु.7.06 करोड़ हो गया। जबकि प्रतिशाखा व्यवसाय रु.56.61 करोड़ से बढ़कर रु.63.90 करोड़ हो गया।

5.5 31.03.2009 को यथास्थिति बैंक का प्राथमिकता क्षेत्र ऋण 8.60% बढ़ कर रु. 20,435 करोड़ हो गया जबकि कृषि ऋण 4.60% बढ़कर रु. 9,146 करोड़ तक पहुँच गया। 31.03.2009 को यथास्थिति प्राथमिकता क्षेत्र ऋण और कृषि ऋण समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के क्रमशः 41.10% और 19.20% थे। कमजोर वर्ग को ऋण निर्धारित 10% के मानदंड के सापेक्ष एएनबीसी का 10.77% था।

5.6 बैंक का सकल निवेश 31.03.2009 को यथास्थिति 26.81% बढ़ कर रु. 30,081 करोड़ पहुँच गया जो 31.03.2008 को यथास्थिति रु. 23,722 करोड़ था। बैंक ने एसएलआर को पिछले वर्ष के 25.02% के सापेक्ष 26.41% के स्तर पर बनाए रखा। मार्च 09 में एसएलआर प्रतिभूतियों में परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) प्रतिभूतियों का अनुपात मार्च 08 के 70.38% के सापेक्ष बढ़ कर 75.93% हो गया।

6. अनर्जक आस्तियां (एन पी ए)

6.1 बैंक की सकल अनर्जक आस्तियां 31.03.2009 को यथास्थिति रु.1,078 करोड़ थीं जो सकल ऋण का 1.81% है जबकि इसकी तुलना में 31.03.2008 को यथास्थिति यह 2.00% थी। निवल एनपीए रु.422 करोड़ था जो निवल बैंक ऋण का 0.72% है जबकि 31.03.2008 को यथास्थिति यह 0.80% था। प्रावधान कवरेज अनुपात में मामूली सुधार हुआ है और यह 58.55% से बढ़ कर 59.51% हो गया। 31.03.2009 को यथास्थिति वसूली और स्लिपेज अनुपात क्रमशः 38.40% और 1.72% रहा। बैंक ने बट्टे खाते डाले गए ऋणों से रु.124 करोड़ की वसूली की।

7. पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर)

7.1 31.03.2009 को यथास्थिति बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 31.03.2008 को यथास्थिति 11.99% के सापेक्ष 13.11% रहा। बैंक ने बेसेल-II मानदंड को अपना लिया है और 2008-09 हेतु पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) की गणना इस संबंध में भारिबैं के निर्धारण के अनुसार की गई है। बैंक बेसेल-II के उन्नत दृष्टिकोण को अपनाने हेतु प्रौद्योगिकी आधारित एमआईएस प्रणाली कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है। बैंक ने रु.1,050 करोड़ की नई पूंजी उगाही है जिसमें रु.150 करोड़ के इनोवेटिव परपिच्युअल बांड और रु. 900 करोड़ के अपर टियर-II बांड शामिल हैं जिसमें सहायक ऋण रु.400 करोड़ का है। आपके बैंक के पास पूंजी (अनुमानित रु. 2,450 करोड़) परपिच्युअल

4.2 Earnings per share stood at Rs.17.21 during 2008-09 as against Rs.21.82 in 2007-08 while book value per share improved to Rs.131.00 from Rs.116.88 during the period.

5. Business

5.1 Total business of the Bank went up by 18.44% to reach the level of Rs.1,44,415 crore as on 31.3.2009 from Rs.1,21,929 crore as on 31.3.2008. Total Deposits grew by 18.65% to Rs.84,972 crore from Rs.71,616 crore. Gross credit of the Bank went up by 18.15% to Rs.59,443 crore as on 31.3.2009 from Rs.50,312 crore as on 31.3.2008. Credit-deposit ratio stood at 69.96% as on 31.3.2009.

5.2 The Bank consciously decided to refrain from bulk business. Thus, core deposit (excluding deposit under DRI and CD) went up by 32.33% during 2008-09, raising its share in total deposit to 80.42% as at March 2009 from 72.11% as at March 2008. Notably, bulk deposit under DRI formed only 8.16% of total deposit as on 31.3.2009 as compared to 27.89% a year ago.

5.3 Savings bank deposits of the Bank went up by 13.71% to Rs.22,774 crore as on 31.3.2009 and current account deposits of the Bank reached to Rs.6,623 crore as on 31.3.2009, showing a growth of 14.58%. The share of CASA deposit in aggregate deposits was at 35.08%.

5.4 Market share of deposits and advances was at 2.11% and 2.00% respectively as on 31.3.2009. Business per Employee augmented to Rs.7.06 crore as on 31.3.2009 from Rs.6.04 crore as on 31.3.2008 while business per branch went up to Rs.63.90 crore from Rs.56.61 crore.

5.5 Priority sector credit of the Bank grew by 8.60% to Rs.20,435 crore as on 31.3.2009 while agriculture credit went up by 4.60% to Rs.9,146 crore. The priority sector credit and agriculture credit formed 41.10% and 19.20% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) respectively as on 31.3.2009. Credit to weaker section was 10.77% of ANBC as against stipulated norms of 10%.

5.6 Gross investment of the Bank went up by 26.81% to Rs.30,081 crore as on 31.3.2009 from Rs.23,722 crore as on 31.3.2008. The Bank maintained SLR at 26.41% as against 25.02% a year ago. The ratio of Held to Maturity (HTM) security to SLR securities improved to 75.93% as at Mar'09 as against 70.38% as at Mar'08.

6. Non-Performing Assets (NPAs)

6.1 The gross NPAs of the Bank stood at Rs.1,078 crore, forming 1.81% of gross credit as on 31.3.2009 as compared to 2.00% as on 31.3.2008. The net NPAs were at Rs.422 crore, forming 0.72% of net bank credit as compared to 0.80% as on 31.3.2008. The provision coverage ratio improved marginally to 59.51% from 58.55%. The recovery & slippage ratio were at 38.40% & 1.72% respectively as on 31.3.2009. The Bank recovered Rs.124 crore from written off debts.

7. Capital Adequacy Ratio (CAR)

7.1 Capital adequacy ratio of the Bank stood at 13.11% as on 31.3.2009 as against 11.99% as on 31.3.2008. Bank has migrated to Basel-II norms and the calculation of capital adequacy ratio (CAR) for 2008-09 has been done as per RBI prescription in this regard. The Bank is in the process of implementation of a technology-based MIS system to embrace the advanced approaches of Basel II. The Bank has raised Rs.1,050 crore fresh capital comprising Innovative perpetual bond - Rs.150 crore and Upper Tier II - Rs.900 crore, of which subordinated debt Rs.400 crore. Your Bank has enough headroom (estimated Rs.2,450 crore)

ऋण रु.600 करोड़ और अपर टियर-II बांड -रु.1850 करोड़ उगाहने की पर्याप्त गुंजाइश है।

8. शाखा नेटवर्क

8.1 संपूर्ण भारत में उपस्थिति दर्श कराने के उद्देश्य से बैंक ने 2008-09 में 105 शाखाएं खोली जिससे इसकी कुल शाखाएं 31.03.2009 को यथास्थिति बढ़ कर 2,260 हो गईं जबकि 31.03.2008 को यथास्थिति बैंक की कुल शाखाएं 2,155 करोड़ थीं। उल्लेखनीय है कि नई शाखाएं देश के संभाव्य क्षेत्रों में और वहां खोली गई हैं जहां बैंक की उपस्थिति कम थी।

9. कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस)

9.1 बैंक ने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) के कार्यान्वयन को युद्ध स्तर पर लिया है। मार्च 2009 तक बैंक की 906 शाखाएं सीबीएस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आ गई हैं जिनसे बैंक का 80% से अधिक का कारोबार संचालित होता है। बैंक की योजना मार्च 2010 तक 1800 शाखाओं को सीबीएस प्लेटफॉर्म पर लाने की है। अन्य सेवाओं के साथ-साथ आपके बैंक ने अनेक प्रौद्योगिकी समर्थित उत्पाद शुरू किए हैं जैसे इंटरनेट बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग, ई-बैंकिंग आदि। 886 शाखाओं में रियल टाइम ग्रांस् सेटलमेंट (आरटीजीएस) सेवा लाइव है और 167 नामोदिदष्ट शाखाओं में ऑनलाइन टेक्स एकाउंटिंग सिस्टम (ओलटास) को कार्यान्वित किया गया है। अब बैंक के ग्राहक बिना किसी प्रकार का भुगतान किए देश भर में फैले 38,000 वीसा एवं एनएफएस एटीएम की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

10. मानव संसाधन विकास

10.1 मानव पूंजी के विकास पर बल देते हुए जिससे वे व्यवसाय का तीव्र विकास कर सकें, अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय का संचालन कर सकें और त्वरित निर्णय ले सकें, बैंक ने 2008-09 में पर्याप्त उत्तराधिकार योजना के साथ 11828 कर्मचारियों/अधिकारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित किया है। अपनी शाखाओं में सीबीएस के तीव्र कार्यक्रम में सहायता हेतु बैंक ने अपने समस्त कार्यबल को सीबीएस- एंड यूजर कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्रदान किया है। 2008-09 के दौरान बैंक ने विभिन्न संवर्गों में 1037 कर्मचारियों की भर्ती की है जिसमें 139 विशेषज्ञ अधिकारी हैं। कर्मचारियों की कुल सं. 20,457 रही।

11. अनुषंगी

11.1 बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी आल बैंक फाइनेंस लि., जो सेबी में श्रेणी-I मर्चेन्ट बैंकर और अंडरराइटर के रूप में पंजीकृत है, ने 2008-09 में रु.3.95 करोड़ का कर पश्चात् लाभ (पीएटी) अर्जित किया है जबकि 2007-08 में यह लाभ रु.9.42 करोड़ था।


12. पहल

12.1 बैंक ने व्यवसाय के तेजी से विकास और त्वरित निर्णय लेने हेतु क्षेत्र में 9 महाप्रबंधकों की पदस्थापना की है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन और प्रौद्योगिकी समर्थित उत्पादों के परिप्रेक्ष्य में आपके बैंक ने प्रणाली और प्रक्रियाविधियों में सुधार हेतु प्रधान कार्यालय में बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग (बीपीआर) कक्ष भी स्थापित किया है। वर्ष 2008-09 के संतोषजनक कार्यनिष्पादन से उत्साहित हो कर आपके बैंक ने मार्च 2010 तक रु.1,75,000 करोड़ के व्यवसाय स्तर का लक्ष्य रखा है जिसका उद्देश्य दिसम्बर 2010 तक रु. 2,00,000 करोड़ के व्यवसाय स्तर तक पहुंचना है। आपके बैंक का लक्ष्य दिसम्बर 2010 तक अपनी समस्त शाखाओं को सीबीएस प्लेटफॉर्म पर लाने का है। इस क्षेत्र में सुधार के लिए हमने अनेक कदम उठाए हैं।

अंत में, बैंक ग्राहक सेवा पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रहा है। मैं, आपको आश्वस्त करता हूँ कि ग्राहक महत्वपूर्ण रहेगा। मुझे विश्वास है कि शेयरधारकों, हितधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों और शुभचिंतकों के सतत् समर्थन और संरक्षण तथा भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शन से आपका बैंक सफलता के पथ पर अग्रसर होगा और भविष्य में नई ऊँचाइयां छुएगा।

आपका

सादर



4 मई, 2009

कोलकाता

(के. आर. कामत)

अध्यक्ष एवं प्रबंध
निदेशक

for raising capital, perpetual debt – Rs.600 crore and upper tier II – Rs.1,850 crore.

8. Branch Network

8.1 In order to create a pan-India presence, the bank has opened 105 branches in 2008-09 with the total number of branches moving up to 2,260 as on 31.3.2009 from 2,155 as on 31.3.2008. Notably, the new branches are opened in the potential centres of the country and where we have scanty presence.

9. Core Banking Solution (CBS)

9.1 The Bank took up the implementation of Core Banking Solution (CBS) on war footing. 906 branches have been rolled out under CBS platform, covering 436 centres and more than 80% of business of the Bank as at Mar'09. The bank aims at implementing CBS in 1,800 branches by March 2010. Among others, your bank has introduced a number of technology-backed products namely, internet banking, SMS banking, e-banking etc. Real Time Gross Settlement (RTGS) facility is live in 886 branches and Online Tax Accounting System (OLTAS) implemented in 167 designated branches. The customers of the bank can now access over 38,000 VISA and NFS ATMs across the country free of any charges.

10. Human Resources Development

10.1 Emphasizing on developing the human capital capable of faster business expansion, handling international business & quick decision making with adequate succession plan, the Bank exposed 11,828 employees/officers to various training programmes during 2008-09. To supplement Bank's efforts for speedy implementation of CBS at its branches, thrust has been given for imparting training on CBS-end users programme to all its workforce. During 2008-09, the Bank recruited 1,037 employees in different cadre including 139 specialist officers. The total number of employees stood at 20,457.

11. Subsidiary

11.1 All Bank Finance Ltd., a fully owned subsidiary of the Bank and registered with SEBI as category-I merchant bankers and underwriters, earned a Profit After Tax (PAT) of Rs.9.42 crore in 2008-09 as compared to Rs.3.95 crore in 2007-08.

12. Initiatives

12.1 The Bank has posted 9 General Managers in the field for faster business development and quick decision making. Your Bank has also formed a Business Process Re-engineering (BPR) cell in Head Office in order to improve upon systems and procedures in the backdrop of core banking solution and introduction of technology-backed products. Enthused by the satisfactory performance in 2008-09, your Bank has projected a business level of Rs.1,75,000 crore as at March 2010 with an objective of reaching the milestone business level of Rs.2,00,000 crore by December 2010. Your Bank has also targeted to cover all its branches under CBS platform by 2010. We have initiated a lot of measures to bring improvements in this area.

Finally, customer service is at the focus of attention of the Bank. Let me assure you that customers will be at the centre stage. As your Bank enters the 145th year of purposeful existence, I am confident that with the continued support and patronage of the shareholders, stakeholders, customers, employees, well-wishers and the guidance of Government of India and RBI, your Bank will continue to take strides on the profitable growth path and scale newer heights in future.

With regards,

Yours sincerely,



4th May 2009
Kolkata

(K. R. KAMATH)
Chairman & Managing Director

इलाहाबाद बैंक

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इलाहाबाद बैंक के शेयरधारकों की सातवीं वार्षिक आम बैठक सोमवार, 15 जून, 2009 को पूर्वाह्न 10.30 बजे, पूर्वश्री ऑडिटोरियम, ईस्टर्न ज़ोनल कल्चरल सेन्टर, भारतीयम कल्चरल मल्टीप्लेक्स, आईबी-201, सेक्टर - III, सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता - 700106, में आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर कार्यवाही की जाएगी :

1. यथास्थिति 31.03.2009 के बैंक के तुलन-पत्र तथा 31.03.2009 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ-हानि लेखा, इस अवधि हेतु बैंक के कारोबार और गतिविधियों के सम्बन्ध में निदेशक मंडल के प्रतिवेदन और तुलन-पत्र तथा लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन एवं आत्मसातीकरण।
2. इक्विटी शेयर पर लाभांश की घोषणा।
3. कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड (सीएसई) से इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध करने का अनुमोदन और संशोधन(नों) सहित अथवा रहित निम्नलिखित संकल्प पारित करना :-

“यह संकल्प लिया जाता है कि बैंक के निदेशक मंडल को कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड (सीएसई) से इक्विटी शेयरों को स्वेच्छिक रूप से असूचीबद्ध करने की मांग करने और इस मामले में कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड और/अथवा किसी अन्य संबंधित प्राधिकारी(रियों) से यथापेक्षित सहमति, अनुमति अथवा संस्वीकृति हेतु संपर्क करने के लिए प्राधिकृत किया जाए एवं एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है जिससे उपर्युक्त स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी शेयरों को स्वेच्छिक रूप से असूचीबद्ध किया जा सके।”

“यह भी संकल्प लिया जाता है कि बैंक के निदेशक मंडल को इक्विटी शेयरों की उपर्युक्त स्वेच्छिक असूचीबद्धता के संबंध में उत्पन्न प्रश्नों, कठिनाइयों अथवा शंकाओं के निवारण के लिए जैसा वे अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अंतर्गत उचित समझें, निपटान करने हेतु प्राधिकृत किया जाए एवं एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है और इसके लिए इसे अपने सदस्यों अथवा अन्य से किसी अतिरिक्त अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी और इस संकल्प के प्राधिकार से सदस्यों द्वारा इसका प्रकट रूप से अनुमोदन किया गया समझा जाएगा।”

“यह भी संकल्प लिया जाता है कि बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और/अथवा कार्यपालक निदेशक को सभी विधिक और प्रक्रियाजन्य औपचारिकताओं का अनुपालन करने के उद्देश्य से इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्राधिकृत किया जाए एवं एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है और उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने हेतु किए जाने वाले ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों हेतु बैंक के अधिकारियों में से किसी को प्राधिकृत किया जाता है।”

4. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “योजना” कहा गया है) तथा इलाहाबाद बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन 1999 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “विनियमन” कहा गया है) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “अधिनियम”

ALLAHABAD BANK

Head Office : 2, N.S.Road, Kolkata-700 001

NOTICE

Notice is hereby given that the Seventh Annual General Meeting of the shareholders of Allahabad Bank will be held on Monday, the 15th June, 2009 at 10.30 A.M. at Purbashree Auditorium, Eastern Zonal Cultural Center, Bharatiyam Cultural Multiplex, IB-201, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700106 to transact the following business (es) :-

1. “To discuss, approve and adopt the Balance Sheet, Profit & Loss Account of the Bank as at and for the year ended 31st March, 2009, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor’s Report on the Balance Sheet and Accounts.”
2. To Declare Dividend on Equity Shares.
3. To approve delisting of Equity Shares from The Calcutta Stock Exchange Association Limited (CSE) and to pass the following special resolution with or without modification(s):-

“**RESOLVED** that the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorized to seek voluntary delisting of Bank’s Equity Shares listed at the Calcutta Stock Exchange Association Ltd and for that matter to approach the Calcutta Stock Exchange Association Ltd. and/or any other concerned authority (ies) for seeking its (their) consents, permissions, or sanction as may be required for giving effect to the voluntary delisting of the Equity Shares from the aforesaid Stock Exchange”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorized to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the aforesaid voluntary delisting of Equity Shares as it may in its absolute discretion deem fit without being required to seek any further approval of its members or otherwise to the end and intent that the members shall be deemed to have given their approval expressly by the authority of this resolution”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the Chairman and Managing Director and/or Executive Director of the Bank be and are hereby individually authorized to take all necessary steps in this regard in order to comply with all the legal and procedural formalities and further to authorize any of the Officers of the Bank to do all such acts, deeds to give effect to the above said resolution”

4. To elect one shareholders’ Directors to fill the casual vacancy caused by the cessation of directorship of Shri Yash Paul Mahajan, from amongst the shareholders of the Bank (other than Central Government) in terms of Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the “Act”) read with The Banking Regulation Act, 1949 and

कहा गया है) की धारा 9(3)(i) की शर्तों के अनुसार अधिनियम की धारा 19 के अनुसरण में श्री यशपाल महाजन की डायरेक्टरशिप समाप्त होने के कारण रिक्ति हुई आकस्मिक रिक्ति को बैंक के शेयरधारकों (केन्द्र सरकार से भिन्न) में से भरने हेतु एक शेयरधारक निदेशक को निर्वाचित करना तथा संशोधन सहित या रहित निम्नलिखित संकल्प पारित करना :

“यह संकल्प लिया जाता है कि श्री यशपाल महाजन की डायरेक्टरशिप समाप्त होने के कारण रिक्ति हुई आकस्मिक रिक्ति के सापेक्ष शेयरधारकों (केन्द्र सरकार से भिन्न) में से श्री _____ को बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित किया जाए और एतद्वारा निर्वाचित किया जाता है जो इस बैठक की तारीख के बाद की तारीख अर्थात् 16 जून, 2009 से पद धारण करेंगे और 29 जून 2011 तक पद पर बने रहेंगे।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान: कोलकाता
तारीख: 04.05.2009

(के.आर. कामत)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

महत्वपूर्ण तथ्यों को विनिर्दिष्ट करने वाला व्याख्यात्मक विवरण (सूचना की मद सं. 3 और 4)

मद सं.3

वर्तमान में हमारे बैंक के इक्विटी शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसई), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई) एवं कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (सीएसई) में सूचीबद्ध हैं।

भारत के सभी शहरों में एनएसई और बीएसई टर्मिनलों की व्यापक नेटवर्किंग होने से निवेशकगण देशभर में बैंक के इक्विटी शेयरों की ऑन लाइन डीलिंग कर रहे हैं। बैंक के इक्विटी शेयरों की थोक ट्रेडिंग बीएसई और एनएसई में होती है और वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान सीएसई में कोई पण्यवर्त नहीं हुई।

बैंक के इक्विटी शेयर उन स्क्रिप्स में से हैं जिनका निपटान भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने सभी निवेशकों द्वारा डिमेटिरियलाइज्ड फार्म में किए जाने हेतु निर्दिष्ट किया है। सीएसई में बैंक के इक्विटी शेयरों के लगातार सूचीबद्ध रहने से बैंक को कोई खास लाभ नहीं होता है और इसे असूचीबद्ध करने से बैंक की लागत में कमी होने का लाभ मिलेगा जिसका भुगतान सीएसई की वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क और विभिन्न सांविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन के रूप में करना पड़ता है।

लागत में कमी करने के रूप में बैंक इस संकल्प का प्रस्ताव करता है जिससे इसके इक्विटी शेयर सीएसई से असूचीबद्ध हो पाएंगे।

सेबी (डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज) गाइडलाइंस 2003 के अनुरूप विशेष संकल्प के द्वारा सदस्यों का अनुमोदन लिया जा रहा है जिससे इसके इक्विटी शेयर कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड से स्वैच्छिक रूप से असूचीबद्ध किए जा सकेंगे।

बैंक उक्त असूचीबद्धता हेतु प्रस्तावित संकल्प की विशेष सूचना संपूर्ण भारत अथवा भारत के अधिकांश भाग में परिचालित एक राष्ट्रीय समाचार पत्र तथा कोलकाता के एक क्षेत्रीय समाचार पत्र में भी दे रहा है। बैंक के इक्विटी शेयरों की प्रस्तावित असूचीबद्धता जैसे ही पूरी हो जाती है तो इसका निवेशकों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। बैंक के इक्विटी शेयर बीएसई और एनएसई में सूचीबद्ध रहेंगे। यथापेक्षित समस्त अनुमोदन, अनुमतियों और संस्वीकृतियों के प्राप्त होने के बाद इक्विटी शेयरों को

Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 (hereinafter referred to as the “Scheme”) and Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999 (hereinafter referred to as the “Regulations”) made pursuant to Section 19 of the Act and to pass the following resolution with or without modification(s):-

“RESOLVED THAT Shri _____ be and is hereby elected as director of the Bank from amongst shareholders (other than Central Government) of the Bank against the casual vacancy caused by the cessation of directorship of Shri Yash Paul Mahajan and to assume office from the date following the date of this meeting i.e. Tuesday ,16th June,2009 and to hold office until 29 June 2011.

By order of the Board

Place : Kolkata

Date : 04-05-2009

(K.R. Kamath)

Chairman & Managing Director

Explanatory Statements setting out the material facts (Item No. 3 and 4 of the Notice)

Item No. 3

Presently the Equity Shares of our Bank are listed at the National Stock Exchange Limited (NSE), Bombay Stock Exchange Limited (BSE) and the Calcutta Stock Exchange Association Limited (CSE).

With the extensive networking of NSE & BSE terminals to the cities throughout India, the investors have access to online dealings in the Bank's Equity Shares across the country. The bulk of the trading in the Bank's Equity Shares takes place on the NSE and BSE and there was no turnover on CSE during the years 2007-08 & 2008-09.

The Bank's Equity Shares are one of the scrips, which the Security and Exchange Board of India (SEBI) has specified for settlement only in dematerialized form by all investors. Continued Listing of Bank's Equity Shares with CSE does not provide any significant tangible benefit to the shareholders of our Bank and the subject delisting will add advantage of cost reduction to the Bank which is being incurred in the nature of payment of annual listing fees to CSE and for compliance of various statutory requirements.

As part of its cost reduction the Bank proposes this resolution, which will enable it to de-list its Equity Shares from CSE.

In line with the SEBI (delisting of securities) Guidelines 2003 members approval is being sought by way of Special Resolution for enabling voluntary de-listing of its Equity Shares from the Calcutta Stock Exchange Association Ltd.

The Bank is also giving Special Notice to the proposed enabling resolution for the said de-listing in one National News Paper circulating in the whole or substantially whole of India and one regional newspaper of Kolkata. The proposed de-listing of the bank's Equity Shares as and when take place will not adversely affect the investors. The Bank's Equity Shares will continue to be listed on BSE and NSE. The de-listing will take effect after all approvals, permissions and sanctions as required are

असूचीबद्ध किया जाएगा। असूचीबद्ध किए जाने की सही तिथि उस समय समुचित रूप से अधिसूचित की जाएगी।

आपके निदेशकगण सदस्यों के अनुमोदन हेतु विशेष संकल्प की अनुशंसा करते हैं। बैंक के किसी भी निदेशक का इस संकल्प से कोई सरोकार अथवा किसी प्रकार का हित नहीं है।

मद सं. 4

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) तथा वित्तीय संस्थाएँ (संशोधन) कानून 2006 जो 25 सितम्बर 2006 से प्रभावी है, में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि उन बैंकों के मामले में जहाँ शेयरधारकों (केन्द्र सरकार से इतर) द्वारा धारित पूँजी चुकता पूँजी 32 प्रतिशत से अधिक है तो बैंक के शेयरधारक (केन्द्र सरकार से इतर) शेयरधारकों में से तीन निदेशकों का निर्वाचन करेंगे। तदनुसार, योजना के अनुरूप शेयरधारक निदेशकों की तीन रिक्तियाँ 30 जून 2008 से श्री देवेश्वर कुमार कपिला, श्री अशोक कुमार महापात्र और श्री यशपाल महाजन को शेयरधारक निदेशकों के रूप में निर्वाचित कर तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 29 जून 2011 तक के लिए भरी गई। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अनुसार श्री यशपाल महाजन की डायरेक्टरशिप समाप्त हो जाने के कारण शेयरधारक निदेशक की एक आकस्मिक रिक्ति हो गई है। चूँकि बैंक की कुल चुकता शेयर पूँजी में केन्द्र सरकार से इतर शेयरधारकों की होल्डिंग 44.77 प्रतिशत (अर्थात् 32% से अधिक) बनी हुई है, बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 04.05.2009 को आयोजित बैठक में शेयरधारक निदेशक की उपर्युक्त आकस्मिक रिक्ति को भरने का निर्णय लिया है।

इस आकस्मिक रिक्ति हेतु निर्वाचित निदेशक को इस वार्षिक आम बैठक की तिथि से अगली तिथि अर्थात् 16 जून, 2009 से कार्यभार ग्रहण किया गया माना जाएगा और वे 29 जून 2011 तक पद पर बने रहेंगे।

नोट्स

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति :

बैंक में उपस्थित होने और मतदान करने के हकदार शेयरधारक को प्रॉक्सी नियुक्त करने का भी हक है जो उसकी ओर से बैंक में उपस्थित हो और मतदान करे और ऐसे प्रॉक्सी का बैंक का शेयर-धारक होना आवश्यक नहीं है। प्रॉक्सी फार्म को प्रभावी बनाने हेतु यह बैंक के शेयर विभाग प्रधान कार्यालय, 2, एन. एस. रोड, कोलकाता - 700 001 में बैठक की तिथि से **चार दिन** से अधिक विलम्ब से नहीं अर्थात् बुधवार, 10 जून, 2009 को कार्य समाप्ति या उससे पूर्व अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए। कृपया नोट करें कि इलाहाबाद बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन 1999 के अनुसार बैंक के किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

कोई भी व्यक्ति, किसी निगमित निकाय, जो बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक बैंक में उपस्थित नहीं हो सकेगा अथवा मतदान नहीं कर सकेगा जब तक कि विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसकी नियुक्ति करने वाले संकल्प की प्रति उस बैंक, जिसमें उसे पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा सत्यप्रति के रूप में प्रमाणित किया गया है, बैंक के प्रधान कार्यालय के शेयर विभाग, 2, नेताजी सुभाष रोड,

received. The exact date on which de-listing will take effect will be suitably notified at that time.

Your Directors recommend the Special Resolution for approval of members. None of the directors of the Bank are, in any way concerned or interested in the Resolution.

Item No. 4

The Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertaking and Financial Institutions (Amendment) Laws 2006, which came into force w.e.f. 25th September 2006, inter alia provides that in case of Banks where the capital held by Shareholders (other than Central Government) is more than 32 per cent of the paid up capital, the shareholders of the Bank (other than the Central Government) would elect three Directors from amongst the shareholders. Accordingly In terms of Scheme, three vacancies in the posts of Shareholders' Directors were filled effective from 30th June, 2008 by electing Shri. Deveshwar Kumar Kapila, Shri Ashok Kumar Mohapatra and Shri Yash Paul Mahajan as shareholders' directors for a term of three years i.e. upto 29 June 2011. A casual vacancy of the shareholders' director has been caused due to cessation of directorship of Shri Yash Paul Mahajan in terms of Banking Regulation Act, 1949. As the holding of the shareholders other than the Central Government, in the total paid up share capital of the Bank continues to be 44.77 percent (i.e. above 32%), the Board of Directors of the Bank at its meeting held on 4th May, 2009 has decided to fill up the aforesaid casual vacancy of shareholders' director.

A Director so elected in the casual vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following the date of this Annual General Meeting i.e. from Tuesday, 16th June, 2009 and shall hold office until 29 June 2011.

NOTES:

1. APPOINTMENT OF PROXY

A Shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is also entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/ herself, and such a proxy need not be a Shareholder of the Bank. The proxy form in order to be effective must be received by the Bank at its Share Department, Head Office, 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001 not later than **FOUR DAYS** before the date of the Meeting i.e. on or before the closing business hours of Wednesday, 10th June, 2009. Please note that any employee or officer of Allahabad Bank cannot be appointed as proxy as per provisions of Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVES

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed had been deposited at the Head Office of the Bank with Share Department, Allahabad Bank, 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001 not later than **FOUR DAYS** before the

कोलकाता - 700001 में बैठक की तिथि से अधिकतम चार दिन पहले अर्थात् बुधवार, 10 जून, 2009 को कार्यसमाप्ति या उससे पूर्व प्राप्त हो जाए। कृपया नोट करें कि इलाहाबाद बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन, 1999 के अनुसार बैंक के किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी को प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता।

3. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र :

शेयरधारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश-पत्र वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है। शेयरधारकों / प्रॉक्सी धारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इसे भरें और इसमें दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर कर इसे बैंक स्थल पर प्रस्तुत कर दें। शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि को चाहिए कि वह अपनी उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र पर यथास्थिति "प्रॉक्सी" अथवा "प्राधिकृत प्रतिनिधि" का उल्लेख करें।

4. (क) शेयरधारकों के रजिस्टर का बन्द किया जाना :

सातवीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में और बैंक द्वारा घोषित लाभांश, यदि कोई हो, प्राप्त करने के हकदार शेयरधारकों का निर्धारण करने के प्रयोजन से बैंक के शेयर धारकों का रजिस्टर और शेयर अन्तरण बहियाँ शनिवार, 21 मई, 2009 से सोमवार 15 जून 2009 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगी।

(ख) निर्वाचन में भाग लेने के हकदार शेयरधारकों के अभिनिश्चय के प्रयोजनार्थ अभिलिखित तारीख

शेयरधारकों (केन्द्र सरकार से भिन्न) में से ऐसे शेयरधारक निदेशकों के निर्वाचन में भाग लेने के हकदार होंगे जिनके नाम बुधवार, 20 मई, 2009 को कार्यसमाप्ति पर एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा यथा प्रस्तुत बैंक के शेयरधारकों/हिताधिकारी स्वामिल के रजिस्टर में हैं।

5. लाभांश का भुगतान :

वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा घोषित लाभांश का भुगतान, यदि कोई हो, उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके नाम:

- क) बुधवार 20 मई, 2009 को यथास्थिति कार्य समाप्ति पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे शेयरों के संबंध में एन.एस.डी.एल./सी.डी.एस.एल. द्वारा तैयार किए गए बैंक के शेयरधारकों / हिताधिकारी स्वामियों के रजिस्टर में और
 - ख) भौतिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से 20.05.2009 को कार्य समय की समाप्ति से पूर्व प्राप्त वैध अंतरण अनुरोध को प्रभावी करने के बाद बुधवार 20 मई 2009 को शेयरधारकों के रजिस्टर में शामिल होंगे।
- ऐसे शेयरधारकों को लाभांश वारंट वार्षिक आम बैंक की तारीख से 30 दिनों के अंदर शेयर अंतरण एजेन्ट अर्थात् मे० एमसीएस लि. के माध्यम से भेजे जाएंगे।

6. अदत्त/अदावाकृत लाभांश

बैंककारी कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार अदत्त लाभांश खाते में अंतरित की गई कोई भी धनराशि जब ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्षों की अवधि हेतु अदत्त/अदावाकृत रहती है तो इसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205सी(1) के अंतर्गत स्थापित "निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि" में अंतरित किया जाएगा।

date of the Meeting i.e on or before the closing business hours of Wednesday, 10th June, 2009. Please note that an employee or officer of Allahabad Bank cannot be appointed as authorized representative as per provisions of Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999.

3. ATTENDANCE SLIP-CUM ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum entry pass is annexed to the Annual Report. Shareholders/ Proxy holders/Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representatives of shareholders should state on their attendance slip-cum entry pass as 'Proxy' or 'Authorised Representatives' as the case may be.

4. (a) CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders and the Transfer Books of the Bank will remain close from Thursday, 21st May, 2009 to Monday, 15th June, 2009(both days inclusive) in connection with the Seventh Annual General Meeting and for the purpose of determining the shareholders entitled to receive the dividend, declared by the Bank.

(b) RECORD DATE FOR THE PURPOSE OF ASCERTAINMENT OF SHAREHOLDERS ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE ELECTION

Those shareholders whose names appear on the Bank's Register of Shareholders/Beneficial owners as furnished by NSDL/CDSL at the close of business hours on Wednesday, 20th May, 2009 shall be entitled to participate in the election of Directors from amongst the shareholders (other than the Central Government).

5. PAYMENT OF DIVIDEND

Payment of dividend, if declared by the Shareholders in the Annual General Meeting, will be paid to those shareholders whose names appear:

- a) as Beneficial Owners as at the close of business hours on Wednesday, 20th May, 2009. as per the lists to be furnished by NSDL/CDSL in respect of the Shares held in electronic form and
- b) in the Register of shareholders as on Wednesday, 20th May, 2009 after giving effect to the valid transfer requests received from the shareholders holding shares in physical form, before close of business hour as on 20-05-2009.

Dividend warrants to such shareholders would be sent by the Bank through Registrar and Share Transfer Agents viz. MCS Limited, within 30 days from the date of declaration of dividend on their registered addresses.

6. UNPAID/UNCLAIMED DIVIDEND

As per section 10B of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act,1970 any money which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid/unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" established under section 205C (1) of the Companies Act,1956.

तदनुसार वर्ष 2002-03 और उसके बाद के लाभांश इन्हें अदत्त लाभांश खाते में अंतरित किए जाने की तारीख से सात वर्षों के बाद “निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि” में अंतरित किए जाएंगे।

जिन शेयरधारकों ने वित्त वर्ष 2007-08 तक अपने लाभांश का दावा नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट मै. एमसीएस लिमिटेड के पास वैध दावा(दावे) दाखिल करें।

7. लाभांश अथवा इलैक्ट्रानिक क्लियरिंग सर्विस : (ईसीएस) हेतु बैंक का अधिदेश

7.1 वारंटों के कपट-पूर्ण नकदीकरण से निवेशकों की रक्षा करने के उद्देश्य से सदस्यों से अनुरोध है कि जब कभी बैंक द्वारा लाभांश घोषित किया जाता है तो वे जहाँ पर नकदीकरण हेतु डिविडेन्ड वारंट जमा करना चाहते हैं वहाँ के बैंक खाता संख्या (चालू/बचत), बैंक का नाम और शाखा का उल्लेख करें।

इन विवरणों को लाभांश वारंट के चेक वाले हिस्से पर नाम के साथ-साथ मुद्रित किया जाएगा ताकि इन वारंटों को शेयर धारक से इतर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न भुनाया जा सके।

उपरोक्त विवरण प्रथम / एकल धारक द्वारा सीधे कोलकाता स्थित शेयर अंतरण एजेंट को प्रस्तुत किये जाएंगे जिसमें फोलियो संख्या, रखे गए शेयरों की संख्या, होल्डिंग का विवरण आदि दिया जाएगा।

7.2 बैंक विनिर्दिष्ट शहरों में रह रहे शेयरधारकों हेतु ईसीएस सुविधा भी मुहैया करा रहा है। जब कभी बैंक द्वारा लाभांश घोषित किया जाता है तो लाभांश को खाते में जमा करने हेतु शेयरधारकों द्वारा इस सुविधा का लाभ भी, बैंक अधिदेश के बावजूद, उठाया जा सकता है।

8. शेयरधारक निदेशकों का निर्वाचन

8.1 बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए अपेक्षित अर्हताएँ

अधिनियम की धारा 9(3ए) की शर्तों के अनुसार किसी ऐसे उम्मीदवार को जो बैंक का शेयरधारक हो और जो बैंक का निदेशक होना चाहता हो-

- (क) निम्नलिखित विषय में से किसी एक या अधिक से संबंधित विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होना चाहिए, यथा:
कृषि एवं ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, विधि, लघु उद्योग, कोई अन्य विषय जिसमें विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी है।
- (ख) जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करना चाहिए : या
- (ग) किसानों, कामगारों एवं शिल्पियों के हित का प्रतिनिधित्व करना चाहिए।

अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार किसी ऐसे उम्मीदवार, जो बैंक का शेयरधारक बनने की इच्छा करता हो, को, ईमानदारी एवं इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाने वाले ऐसे अन्य मानदंड के आधार पर “पात्र एवं समुचित हैसियत” प्राप्त होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, निर्वाचित निदेशक को प्रतिज्ञापत्र का विलेख निष्पादित किया जाना चाहिए तथा उन्हें इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित वार्षिक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

8.2 बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए अनर्हताएं

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना, 1970 के खंड 10 की शर्तों के अनुसार कोई व्यक्ति निदेशक होने एवं निदेशक के रूप में

Accordingly the dividend for the year 2002-03 and onward will be transferred to “Investor Education and Protection Fund” after seven years from the date on which it has been transferred to unpaid dividend account.

Shareholders who have not claimed their dividend upto the financial year 2007-08 are requested to lodge valid claim(s) with Registrar and Transfer Agent M/s MCS Ltd.

7. BANK MANDATE FOR DIVIDEND OR ELECTRONIC CLEARING SERVICE (ECS)

7.1 In order to protect the investors from fraudulent encashment of warrants, the members are requested to furnish their Bank Account Number (Current/Savings), the name of the Bank and Branch where they would like to deposit the dividend warrants for encashment, whenever dividend is declared by the Bank.

These particulars will be printed on the cheque portion of the Dividend Warrant besides the name of the shareholders, so that these warrants cannot be encashed by anyone other than the shareholder.

The above mentioned details should be furnished by the first/sole holder, directly to the Share Transfer Agents at Kolkata, quoting the folio number, number of Shares held, details of the holdings etc.

7.2 The Bank is offering the facility of ECS for shareholders residing in specified cities. The shareholders instead of Bank mandate system for receiving the credit of dividends, whenever the Bank declares dividend can also use this facility.

8. ELECTION OF SHAREHOLDERS' DIRECTOR

8.1 QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be a Director of the Bank shall:-

- (A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely:-
agriculture and rural economy, Banking, Co-operation, Economics, Finance, Law, Small scale industry, Any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank of India is useful to the Bank.
- (B) represents the interest of depositors; or
- (C) represents the interest of farmers, workers and artisans

In terms of Section 9(3AA) of the Act a candidate being a shareholder of the Bank and who desires to be a Director of the Bank should possess 'fit and proper status' based upon track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank may notify from time to time in this regard. Further the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

8.2 DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. a persons shall

नियुक्त होने के लिए अनर्ह होगा :

- (क) यदि किसी भी समय वह दिवालिया न्यायनिर्णीत हुआ हो या उसने ऋण अदा न किया हो या लेनदारों के साथ समझौता किया हो, अथवा
- (ख) यदि वह विकृत चित्त का पाया गया हो और सक्षम न्यायालय द्वारा उसे ऐसा घोषित किया गया हो, अथवा
- (ग) यदि उसे दंड न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अंतर्गस्त हो, अथवा
- (घ) यदि वह किसी पूर्णकालिक निदेशक, प्रबंध निदेशक और अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) खंड (ड) एवं (च) के अधीन बैंक के कर्मचारियों में से नामित निदेशक के पद के सिवाय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में यथापरिभाषित किसी अनुषंगी बैंक में कोई लाभ का पद धारित करता हो एवं

यदि वह, भारतीय रिजर्व बैंक - डीपीओडी सं. बीसी सं. 46/29.39.001/2007-08 एवं डीबीओडी सं. 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 की अधिसूचना की शर्तों के अनुसार "पात्र एवं समुचित" नहीं पाया जाता हो।

8.3 निदेशकों की पदावधि

इस योजना के खंड 11बी(2) के अनुसरण में आकस्मिक रिक्ति को भरने हेतु अपने पूर्ववर्ती के कार्यकाल की असमाप्त अवधि तक पद धारण करेगा और तदनुसार इस बैंक में निर्वाचित निदेशक 29 जून, 2011 तक के लिए पदधारित करेगा और पुनर्निर्वाचन के लिए हकदार होगा।

परन्तु, यह कि ऐसे निदेशक छह वर्ष से अनधिक अवधि के लिए लगातार पद धारित करेंगे।

शेयरधारकों का ध्यान अधिनियम की धारा 9(3आ) की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक को यह अधिकार है कि वह उक्त अधिनियम की धारा 9(3अ) एवं 9(3अअ) में उल्लिखित अपेक्षाओं को पूरा नहीं करने वाले निर्वाचित किसी निदेशक को उक्त अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अधीन अपने पद से हटा सकता है।

8.4 निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों का नामांकन

- (i) किसी निदेशक के निर्वाचन के लिए किसी उम्मीदवार का कोई नामांकन तब तक वैध नहीं होगा जब तक-
- (क) वह एक ऐसा शेयरधारक है जो बुधवार 20 मई, 2009 यानी निर्वाचन में भाग लेने की अभिलिखित तारीख को बैंक के न्यूनतम 100 शेयर धारित करता है;
- (ख) बुधवार, 20 मई, 2009 को वह बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 या राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 के अधीन निदेशक बनने के लिए अनर्ह है;
- (ग) नामांकन लिखित रूप में नहीं है और उस पर कम से कम एक सौ ऐसे शेयरधारकों के हस्ताक्षर नहीं हैं जो इस अधिनियम के अधीन स्वयं या सम्यक रूप से नियत अपने अटर्नियों द्वारा निदेशकों का निर्वाचन करने के हकदार हैं, परन्तु यह कि यदि शेयरधारक कोई कंपनी हो तो उसके द्वारा नामांकन उक्त कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा किया जा सकेगा और यदि ऐसा किया जाता है तो उक्त संकल्प की एक ऐसी सत्य प्रति महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा),

be disqualified for being appointed, as and for being a Director :

- a) if he has at any time being adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
- b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
- d) if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act 1955 or any subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Bank) Act 1959 except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank and,

If he is not found to be 'fit and proper' person in terms of Notification of Reserve Bank of India-DPOD. No. BC. No. 46/29.39.001/2007-08 and DBOD No. 47/29.39.001/2007-08 dated 1.11.2007.

8.3 TENURE OF DIRECTOR

Pursuant to Clause 11B(2) of the Scheme, a Director elected to fill the casual vacancy shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor and accordingly the director elected in this meeting shall hold office upto 29 Jun 2011 and shall be eligible for re-election.

Provided that such Directors shall not hold office continuously for a period exceeding six years.

Attention of shareholders is invited to Section 9(3B) of the Act, on the right of Reserve Bank of India to remove a Director so elected under Section 9(3)(i) of the said Act, who does not fulfill the requirements of Section 9 (3A) and 9 (3AA) of the said Act.

8.4 NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION

- (i) No nomination of a candidate for election as a Director shall be valid unless:
- (a) He is a shareholders holding not less than 100 Shares of the Bank as on Wednesday, 20th May, 2009 being the Record Date for participating in the election.
- (b) As on Wednesday, 20th May, 2009 he is not disqualified to be Director under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 or under the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970;
- (c) The nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorneys, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched/ deposited to the Head

इलाहाबाद बैंक, शेयर विभाग और निवेशक शिकायत कक्ष, 2, एन.एस. रोड, कोलकाता-700 001 को संबोधित कर बैंक के प्रधान कार्यालय के पास प्रेषित की जाएगी जो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित की गई हो जिसमें संकल्प पारित किया गया था तथा ऐसी प्रति को कंपनी की ओर से नामांकन समझा जाएगा,

- (घ) नामांकन के साथ किसी न्यायाधीश, दंडाधिकारी, बीमा रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय की घोषणा संलग्न या अंतर्विष्ट नहीं है कि उसे नामांकन स्वीकार है और वह निर्वाचन में खड़ा होने को इच्छुक है तथा वह उक्त अधिनियम या उक्त योजना या उक्त विनियम के अधीन निदेशक होने के लिए अनर्ह नहीं है। उनके द्वारा प्रस्तुत विधिवत हस्ताक्षरित उनका व्यक्तिगत विवरण (जीवनवृत्त) तथा इस संबंधी पुष्टीकरण, कि, प्रस्तुत किए गए विवरण उनकी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं एवं साथ ही, इस संबंधी उनकी घोषणा कि वह जहां तक संभव है, ऐसी घोषणा के बाद भी दी हुई जानकारी के संबंध में बैंक को पूर्णतः सूचित करता रहेगा।

8.5 शेयरधारकों की सूची

शेयरधारकों को निर्वाचन लड़ने में समर्थ बनाने के लिए इलाहाबाद बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन 1999 के विनियमन 64 में यथाउल्लिखित शेयरधारकों की एक सूची (इलेक्ट्रॉनिक रूप यानी सीडी में) कोलकाता में इलाहाबाद बैंक के पक्ष में आहरित मांग ड्राफ्ट द्वारा रु.50,000/- का भुगतान करके शेयरधारकों द्वारा खरीदे जाने के लिए शनिवार दिनांक 23 मई, 2009 से इलाहाबाद बैंक, 2, प्रधान कार्यालय, शेयर विभाग और निवेशक शिकायत कक्ष में उपलब्ध रहेगी।

शेयरधारकों के रजिस्टर निरीक्षण हेतु इलाहाबाद बैंक, शेयर विभाग और निवेशक शिकायत कक्ष, प्रधान कार्यालय 2, एन.एस. रोड, कोलकाता-700 001 में सभी कार्य-दिवस को शनिवार 23 मई, 2009 से खुले रहेंगे। यदि कोई शेयरधारक रजिस्टर या उसके किसी भाग की एक प्रति या कंप्यूटर प्रिंट की अपेक्षा करता है तो अपेक्षित प्रति के प्रत्येक 1000 शब्द या उसके भाग के लिए रु.5/- की दर से पूर्व भुगतान करने पर उसकी आपूर्ति उसे की जाएगी।

8.6 नामांकन फॉर्म का प्रस्तुतीकरण

केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से बैंक के निदेशक का निर्वाचन लड़ने के इच्छुक शेयरधारकों को इस नोटिस के साथ संलग्न फॉर्मेट में अपने नामांकन फॉर्म (न्यूनतम 100) तथा घोषणा एवं संबंधित दस्तावेज अर्थात् शंसापत्र यथा - जीवनवृत्त, प्रमाणपत्र आदि महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), शेयर विभाग और निवेशक शिकायत कक्ष, इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय 2, एन.एस. रोड, कोलकाता-700001 के पास असाधारण सामान्य बैठक के लिए नियत तारीख से कम से कम चौदह दिन पूर्व किसी भी कार्य-दिवस को यानी, शनिवार, 30 मई, 2009 को या उसके पूर्व कार्य-समय की समाप्ति के पहले प्रस्तुत करने चाहिए। उक्त नामांकन फॉर्म सभी तरह से पूर्ण होने चाहिए और इस सूचना के साथ संलग्न फॉर्मेट में न्यूनतम 100 शेयरधारकों द्वारा सम्यक् रूप से भरे जाने चाहिए तथा इसमें चूक होने पर नामांकन रद्द किए जाने के दायित्व के अधीन है।

8.7 नामांकन की संवीक्षा

- (i) नामांकन की संवीक्षा सोमवार, 1 जून, 2009 को यानी नामांकन की प्राप्ति के लिए नियत तारीख के बाद के प्रथम कार्य-दिवस को की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है तो कारण अभिलिखित करने के बाद उसे रद्द कर दिया जाएगा।

Office of the Bank addressed to the General Manager (F&A), Allahabad Bank, Share Department & Investors Grievance cell, Head Office 2, Netaji Subhas Road Kolkata – 700 001 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.

- (d) The nomination is accompanied or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any other Nationalized Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election and that he is not disqualified under the said act or the said scheme or the said regulation from being a director. His/Her personal details (bio data) duly signed and affirming that details furnished are true to the best of his knowledge and belief and also his/her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.

8.5 LIST OF SHAREHOLDERS

To enable the Shareholders to contest the election, a copy of the List of Shareholders (in electronic form i.e., C.D.) as mentioned in Regulation 64 of the Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations 1999 will be available at Share Department & Investors Grievance cell, Head Office, Allahabad Bank 2, Netaji Subhas Road Kolkata – 700 001 from Saturday, 23rd May, 2009 onwards for purchase by Shareholders on payment of Rs. 50,000/- by demand draft in favour of Allahabad Bank payable at Kolkata.

The Register of Shareholders will remain open for inspection at the Allahabad Bank, Share Department & Investors Grievance cell, Head Office 2, Netaji Subhas Road Kolkata – 700 001 on all working days commencing from Saturday 23rd May, 2009. If any shareholders requires a copy or computer prints of the register or part thereof, the same shall be supplied to him on pre-payment of Rs. 5/- for every 1000 words or part thereof required to be copied/printed.

8.6 SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

Shareholders desirous of contesting the election of the Directors of the Bank from amongst the shareholders, (other than the Central Government) should submit their Nomination Forms (a minimum of 100) in the format annexed to this Notice along with the declaration form and connected documents such as testimonials viz., Bio data, certificates etc., to the General Manager (F&A), Allahabad Bank, Share Department & Investors Grievance cell, Head Office, at 2, Netaji Subhas Road Kolkata – 700 001 on any working day but not less than fourteen days before the date fixed for the Annual General Meeting i.e., on or before the close of Business hours of the bank on Saturday, 30th May, 2009. The said nomination forms should be complete in all respects and should be duly filled in by a minimum of 100 shareholders in the format annexed to this notice, failing which, the nominations are liable to be rejected.

8.7 SCRUTINY OF NOMINATIONS

- (i) Nominations shall be scrutinized on Monday, 1st June, 2009 the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons there for.

- (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 01 नवम्बर, 2007 को जारी किए गए "फिट एंड प्रॉपर" मार्गनिर्देशों के अनुसार, बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा नामांकनों की संवीक्षा भी की जाएगी।
- (iii) यदि निर्वाचन से भरी जाने वाली आकस्मिक रिक्ति हेतु केवल 1(एक) वैध नामांकन हो तो इस प्रकार नामित उम्मीदवार तत्काल निर्वाचित समझा जाएगा और इस प्रकार निर्वाचित होने पर उनके नाम एवं पते प्रकाशित किए जाएंगे। ऐसी दशा में इस प्रयोजनार्थ आयोजित बैठक में कोई निर्वाचन नहीं होगा।
- (iv) कोई निर्वाचन होने की दशा में अथवा यदि निर्वाचित किए जाने वाले निदेशकों की संख्या से वैध नामांकन की संख्या अधिक हो तो उम्मीदवारों के नाम समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे और जिन उम्मीदवारों के पक्ष में बहुमत होगा, वे निर्वाचित होंगे।
- (v) निर्वाचित निदेशक के बारे में यह माना जाएगा कि उसने मंगलवार, 16 जून, 2009 को पदग्रहण कर लिया है।
- (vi) कोई विवाद होने पर उसका निपटान इलाहाबाद बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन 1999 के विनियमन 67 के अनुसार किया जाएगा।

8.8 नामांकन को वापस लिया जाना

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है तो वह गुरुवार, 11 जून, 2009 को बैंक के कार्य-समय की समाप्ति के पूर्व किसी भी समय ऐसा करने का हकदार होगा।

8.9 मतदान का अधिकार

अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2ई) की शर्तों के अनुसार केन्द्र सरकार से भिन्न बैंक का कोई शेयरधारक अपने द्वारा धारित किन्हीं शेयरों की बाबत बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के एक प्रतिशत से अधिक मतदान अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

8.10 प्रासंगिक अधिनियमों, योजना और विनियमों आदि से उद्धरण

प्रासंगिक अधिनियमों, योजना और विनियमों आदि से उद्धरण संलग्न किए गए हैं और इस सूचना का भाग हैं।

9. बैंक के शेयरों का लेनदेन अनिवार्यतः डिमैटीरियलाइज्ड (डिमैट) रूप में किया जाना :

सेबी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसरण में हमारे बैंक के शेयरों का लेनदेन डिमैट रूप में करना सभी निवेशकों के लिए अनिवार्य है।

बैंक के शेयरों के डिमैटीरियलाइजेशन हेतु बैंक ने नेशनल सिक्यूरिटी डिपोजिटरी लि. (एन.एस.डी.एल.) और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सी.डी.एस.एल.) के साथ जारीकर्ता कम्पनी के रूप में करार किया है।

डिमैटीरियलाइजेशन हेतु अनुरोध संबंधित डिपोजिटरी सहभागी के माध्यम से हमारे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंटों को भेजे जा सकते हैं।

10. अदावी शेयर

अदावी शेयरों का विवरण निम्नानुसार है:

- i) 01.04.2008 को यथास्थिति बकाया/अदावी शेयर - 14153
- ii) वर्ष 2008-09 के दौरान लाभार्थी के खाते में अंतरित शेयर - 7467
- iii) 31.03.2009 को यथास्थिति बकाया/अदावी शेयर - 6686

- (ii) Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination Committee of the Board in terms of the Fit and Proper Guidelines dated 1st November 2007 issued by the Reserve Bank of India.
- (iii) If there is only one (1) valid nomination for the casual vacancy to be filled by the election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting.
- (iv) In the event of an election being held or if valid nominations are more than the number of Director to be elected, the names of the candidates shall be published in the newspapers and the candidate polling the majority of the votes at the meeting, shall be elected.
- (v) Director so elected shall be deemed to have assumed office from Tuesday, 16th June, 2009.
- (vi) If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations 1999.

8.8 WITHDRAWAL OF NOMINATIONS

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do at any time prior to close of Business hours of the Bank on Thursday, 11th June, 2009.

8.9. VOTING RIGHTS

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Act no shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any Shares held by him/her in excess of one per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

8.10 EXTRACT OF RELEVANT ACTS, SCHEME AND REGULATIONS

The extract of relevant Acts, Scheme, and Regulations are annexed to and form part of this Notice.

9. COMPULSORY TRADING OF SHARES OF THE BANK IN DEMATERIALISED (DEMAT) FORM

Pursuant to the directive given by SEBI, trading of our Bank Shares in Dematerialized form has been made compulsory for all investors.

The bank has entered into an agreement with National Securities Depository Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) as an issuer Company for dematerialisation of Bank's Shares.

Request for dematerialization may be sent through respective depository participants to our Registrars and Share Transfer Agents.

10. UNCLAIMED SHARES

The details of unclaimed shares are as under:

- i) Shares outstanding/unclaimed as on 01-04-2008 - 14153
- ii) Shares transferred to Beneficiary account during the year 2008-09 - 7467
- iii) Shares outstanding/unclaimed as on 31-03-2009 - 6686

बकाया/अदावी शेषों के संबंध में मताधिकार पर जायज स्वामी द्वारा दावा किए जाने तक रोक लगी रहेगी।

11. तुलनपत्र की प्रतियाँ :

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ वार्षिक आम बैठक स्थल पर वितरित नहीं की जाएंगी अतः शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रतियाँ अपने साथ लेकर आएँ जो उन्हें बैंक द्वारा उनके पंजीकृत पते पर भेजी गई हैं।

12. शेयरधारकों की शंकाएँ :

हमें प्रसन्नता होगी यदि शेयर धारक समय रहते अपनी शंकाएँ प्रस्तुत करें ताकि बैंक को उनका प्रभावी उत्तर देने में आसानी हो।

13. शेयर अंतरण एजेंट के साथ पत्राचार :

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पंजीकृत पते में किसी प्रकार के परिवर्तन होने, अंतरण/ट्रांसमिशन हेतु अनुरोध करने और लाभांश भुगतान से संबंधित मामलों के लिए बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता को निम्न पते पर संपर्क करें।

एमसीएस लिमिटेड
77/2ए, हाज़रा रोड
कोलकाता - 700029
दूरभाष : 033-24767350-54
फैक्स : 033-24541961, 24747674
ई-मेल : mcscal@cal2.vsnl.net.in

14. ऑनलाइन जानकारी /शिकायतों के लिए बैंक के शेयर धारक में एमसीएस लिमिटेड की वेबसाइट www.mcscdel.com पर लॉगिन कर सकते हैं तथा अपनी जानकारी /शिकायतों के पंजीकरण हेतु इन्वेस्टर सर्विसेस पर क्लिक कर सकते हैं।

15. शेयरधारकों को त्वरित और प्रभावी सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से इलाहाबाद बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, कोलकाता में एक निवेशक शिकायत कक्ष की स्थापना की है। शेयरधारक और निवेशक किसी भी प्रकार की सहायता हेतु निम्नलिखित पते पर इस कक्ष से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं:

महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय
2, एन.एस.रोड, कोलकाता - 700 001
दूरभाष : 033-22420899
फैक्स : 033-22107424
ई-मेल : gmfa@allahabadbank.in

कंपनी सचिव
शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष
प्रधान कार्यालय
2, एन.एस.रोड, कोलकाता - 700 001
दूरभाष : 033-22420878
फैक्स : 033-22107424
ई मेल - investors.grievance@allahabadbank.in

16. अन्य सूचना :

शेयर धारक कृपया नोट करें कि बैठक में कोई उपहार/कूपन वितरित नहीं किया जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान : कोलकाता

(के. आर. कामत)

दिनांक : 04-05-2009

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

The voting rights in respect of the unclaimed/outstanding shares will remain frozen till the claim by the rightful owner.

11. COPIES OF BALANCE SHEET

Shareholders are advised that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting and hence shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report, which are mailed by the Bank to them at their registered addresses.

12. SHAREHOLDERS' QUERIES

It will be appreciated if shareholders submit their queries, if any, sufficiently in advance to facilitate effective response from the Bank.

13. COMMUNICATION WITH SHARE TRANSFER AGENTS

Shareholders are requested to approach the Registrar and Share Transfer Agents of the Bank, to intimate changes, if any, in their registered address, lodge transfer/transmission request (s) and the matters related to payment of dividends at the following address:-

MCS Limited
77/2A, Hazra Road
Kolkata-700029
Tel : 033-24767350-54
Fax: 033-24541961, 24747674
E-mail: mcscal@cal2.vsnl.net.in

14. For on line queries/grievance, shareholders of the Bank may login on the website of M/S MCS Limited i.e www.mcscdel.com and click on investor services to register their queries/grievance, if any.

15. In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, Allahabad Bank has set up Investors' Grievances Cell at its Head Office, Kolkata. Shareholders and investors may contact this Cell at the under mentioned addresses for any assistance:

The General Manager (F&A)
Allahabad Bank, Head Office
2, Netaji Subhas Road,
Kolkata- 700 001
Telephone No. 033-22420899
Fax No. 033- 22107424
E-mail - gmfa@allahabadbank.in
The Company Secretary
Share Deptt. & Investors' Grievance Cell
Head Office
2, Netaji Subhas Road, Kolkata- 700 001
Telephone No.033-22420878
Fax No. 033- 22107424
Email-investors.grievance@allahabadbank.in

16. OTHER INFORMATION

Shareholders may kindly note that no gift/coupon will be distributed at the meeting.

By order of the Board

Place : Kolkata

(K.R. Kamath)

Date : 04-05-2009

Chairman & Managing Director

सुसंगत अधिनियमों, योजना एवं विनियमों आदि से उद्धरण-निदेशकों का निर्वाचन

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) की शर्तों के अनुसार शेयरधारक निदेशकों की नियुक्ति धारा 3 की उप-धारा (2आ) के अधीन जारी पूंजी के परिमाण के आधार पर की जाएगी। इस संबंध में क्रमशः बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की सुसंगत धाराओं तथा इलाहाबाद बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन 1999 के सुसंगत विनियमों को शेयरधारकों की जानकारी के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है-

1. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 सामान्य निदेशकों का प्रतिषेध - धारा 16(1)

भारत में निगमित किसी बैंककारी कंपनी के निदेशक मंडल में कोई ऐसा व्यक्ति निदेशक नहीं होगा जो किसी अन्य बैंककारी कंपनी का निदेशक हो।

ऋण एवं अग्रिम पर निर्बंधन - धारा 20

- (1) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कोई बैंककारी कंपनी -
 - (क) अपने शेयर की प्रतिभूति पर कोई ऋण या अग्रिम मंजूर नहीं करेगी, या
 - (ख) निम्नलिखित को या उसकी ओर से कोई ऋण या अग्रिम मंजूर करने के लिए कोई अभिबंधन नहीं करेगी -
 - i) अपने किसी निदेशक को,
 - ii) किसी ऐसी फर्म को जिसमें उसके किसी निदेशक का हित भागीदार, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटीकर्ता के रूप में हो, या
 - iii) किसी ऐसी कंपनी को जो किसी बैंककारी कंपनी या कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत कंपनी की अनुषंगी न हो या किसी ऐसी सरकारी कंपनी को (या धारक कंपनी की अनुषंगी को) जिसका कोई निदेशक किसी बैंककारी कंपनी का निदेशक, कर्मचारी या गारंटीकर्ता हो या जिसमें उसका पर्याप्त हित हो, अथवा
 - iv) किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी बाबत इसका कोई निदेशक भागीदार या गारंटीकर्ता हो।
- (2) यदि किसी बैंककारी कंपनी द्वारा मंजूर किया गया कोई ऋण या अग्रिम ऐसा हो कि जिस तारीख को ऋण या अग्रिम दिया गया था उस तारीख को उप-धारा (1) का खंड (ख) प्रवृत्त रहता तो उक्त ऋण या अग्रिम मंजूर करने के लिए अभिबंधन हुआ रहता (या बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम 1968 (1968 का 58) की धारा 5 के प्रारंभ होने के बाद परंतु ऐसे प्रारंभ के पूर्व किए गए अभिबंधन के अनुसरण में बैंककारी कंपनी द्वारा मंजूर किया जाता है तो बैंककारी कंपनी को देय उक्त ऋण या अग्रिम एवं उस पर देय ब्याज की, यदि कोई हो, वसूली ऋण या अग्रिम की मंजूरी के समय निर्धारित अवधि के भीतर या यदि कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई हो तो उक्त धारा 5 के प्रारंभ से एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व करने के लिए कार्रवाई की जाएगी; परन्तु यह कि भारतीय रिज़र्व बैंक को यदि बैंककारी कंपनी से लिखित रूप में इस संबंध में कोई आवेदन प्राप्त होता है तो वह ऋण या अग्रिम की वसूली की अवधि को एक निश्चित तारीख तक बढ़ा सकेगा परंतु ऐसी तारीख उपर्युक्त धारा 5 के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि से परे की कोई तारीख नहीं होगी और वह ऐसे निबंधन एवं शर्तों के अधीन होगी जैसा भारतीय रिज़र्व बैंक उचित समझे; परन्तु यह और कि यदि संबंधित निदेशक का पद उसकी मृत्यु, सेवानिवृत्ति, पदत्याग के कारण या अन्यथा खाली होता है तो यह उप-धारा लागू नहीं होगी।

EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME AND REGULATIONS ETC - ELECTION OF DIRECTORS

In terms of Sections 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, shareholder Directors shall have to be appointed depending upon the extent of capital issued under clause c of sub-section (2B) of Section 3. The relevant Sections of the Banking Regulations Act 1949. The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1970, Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and the relevant regulations of Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations 1999 respectively in this regard, are reproduced below for the information of the shareholders.

1. THE BANKING REGULATION ACT 1949

Prohibition of Common Directors - Section 16(1)

No Banking Company incorporated in India shall have as a Director on its Board of Directors any person who is a Director of any other Banking Company.

Restrictions on Loans and Advances - Section 20

- (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act 1956 (1 of 1956), no Banking Company shall -
 - (a) grant any loans or advances on the security of its own share, or
 - (b) enter into any commitment for granting any loan or advance or advance to or on behalf of -
 - (i) any of its Directors
 - (ii) any firm in which any of its Directors is interested as partner, manager, employee or guarantor or
 - (iii) any company not being a subsidiary of the Banking Company or a Company registered under Section 25 of the Companies Act 1956 (1 of 1956), or a Government Company of which (or the subsidiary of the holding company of which) any of the Directors of the Banking Company is a Director, Manager, Employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or
 - (iv) any individual in respect of whom any of its Directors is a partner or guarantor
- (2) Where any loan or advance granted by a Banking Company is such that a commitment for granting it could not have been made if Clause (b) of sub-section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made (or is granted by Banking Company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement, steps shall be taken to recover the amounts due to the Banking Company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5; Provided that the Reserve Bank of India may, in any case on application made in writing made to it by the Banking Company in this behalf, extend the period of the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5 and subject to such terms and conditions, as the Reserve Bank of India may deem fit: Provided further that this sub-section shall not apply if and when the Director concerned vacates the office of the Director of the Banking Company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.

- (3) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट कोई ऋण या अग्रिम या उसका कोई भाग भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना विप्रेषित नहीं किया जाएगा और ऐसे अनुमोदन के बिना कोई विप्रेषण शून्य एवं अप्रभावी होगा।
- (4) जब उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा देय किसी ऋण या अग्रिम का भुगतान उस उप-धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर बैंककारी कंपनी को नहीं किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति द्वारा, यदि यह उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख को ऐसी बैंककारी कंपनी का निदेशक हो, उक्त तारीख को उसका पद रिक्त किया गया समझा जाएगा।

इस धारा से संबंधित स्पष्टीकरण

- (क) "ऋण या अग्रिम" पद में ऐसा कोई लेनदेन शामिल नहीं होगा जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक लेनदेन के स्वरूप को, उस अवधि को जिसके भीतर और उस रीति एवं परिस्थितियों को जिनमें लेनदेन के कारण देय किसी राशि की उगाही की जाने की संभावना हो तथा जमाकर्ताओं के हित एवं अन्य सुसंगत प्रतिफल को ध्यान में रखते हुए सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस धारा के प्रयोजनार्थ ऋण या अग्रिम के रूप में विनिर्दिष्ट न करें:
- (ख) "निदेशक" पद में प्रबंध के प्रयोजनार्थ या उसके सभी या किन्हीं मामलों में सलाह देने के प्रयोजनार्थ किसी बैंककारी कंपनी द्वारा गठित भारत में किसी बोर्ड या समिति का कोई सदस्य शामिल है।
- (5) यदि इस संबंध में कोई प्रश्न उठता है कि इस धारा के प्रयोजनार्थ कोई लेनदेन ऋण है या अग्रिम तो उसे भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजा जाएगा और तत्संबंधी उनका निर्णय ही अंतिम होगा।

2. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970

मतदान अधिकार का निर्बन्धन

- 3(2उ) केन्द्र सरकार से भिन्न समरूपी नए बैंक का कोई शेयरधारक अपने द्वारा धारित किन्हीं शेयरों की बाबत समरूपी नए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के एक प्रतिशत से अधिक मतदान अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

निदेशक मंडल का गठन

- 9(3) यदि धारा 3 की उप-धारा (2आ) के खंड (ग) के अधीन जारी पूंजी-
- कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अनधिक है तो एक निदेशक से अनधिक,
 - कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक परंतु बत्तीस प्रतिशत से अनधिक है तो दो निदेशक से अनधिक,
 - कुल प्रदत्त पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक है तो तीन निदेशक से अनधिक का निर्वाचन केन्द्र सरकार से भिन्न निदेशकों द्वारा अपने में से किया जाए।

परन्तु यह है कि यदि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) एवं वित्तीय संस्था विधि (संशोधित) अधिनियम 2006 की शुरुआत को या उससे पूर्व समरूप नए बैंक में निर्वाचित निदेशकों की संख्या, उप खंड (I) या उप खंड (II) या उप खंड (III), जैसा कि मामला हो, में विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक हो तो ऐसी शुरुआत के पहले निर्वाचित अधिक संख्या के निदेशक योजना में यथानिर्धारित प्रकार के अनुसार सेवानिवृत्त होंगे तथा वे कार्यालय अवधि से इस समयपूर्व सेवानिवृत्ति के लिए कोई क्षतिपूर्ति दावा करने के पात्र नहीं होंगे।

- (3) No loan or advance, referred to in sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank of India, and any remission without such approval shall be void and of no effect.
- (4) Where any loan or advance referred to in sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the Banking Company within the period specified in that sub-section, then such period shall, if he is a Director of such Banking Company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

Explanation in this Section –

- (a) "Loan or advance" shall not include any transaction which the Reserve Bank of India may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realized, the interest of the depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this Section;
- (b) "Director" includes a member of any Board or Committee in India constituted by a Banking Company for the purpose of managing, or for the purpose of advising it in regard to the management of, all or any of its affairs.
- (5) If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this Section, it shall be referred to the Reserve Bank of India, whose decision thereon shall be final.

2. THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT 1970

Restrictions on voting rights

- 3(2E) No shareholder of the corresponding new Bank other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of one per cent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new Bank.

Composition of the Board of Directors

- 9(3) Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is :-
- not more than sixteen per cent of the total paid up capital, not more than one Director
 - more than sixteen per cent of the total paid up capital, not more than thirty two per cent of the total paid up capital, not more than two Directors
 - more than thirty two per cent of the total paid-up capital, not more than three Directors to be elected by the shareholders other than the Central Government from amongst themselves.

Provided that in case the number of directors elected, on or before the commencement of the Banking companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) & Financial institutions Laws (Amendment) Act 2006, in corresponding new Bank exceed the number of directors specified in sub clause (I) or sub clause (II), or sub clause (III), as the case may be, such excess number of directors elected before such commencement shall retire in such manner as may be specified in the scheme and such directors shall not be entitled to claim any compensation for premature retirement of their term of office.

9(3अ) उक्त खंड (i) के अधीन निर्वाचित निदेशक को -

- (अ) निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक की बाबत विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होना चाहिए यथा- कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, विधि, लघु उद्योग, कोई अन्य विषय जिसका विशेष ज्ञान और जिसमें व्यावहारिक अनुभव भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में समरूप नये बैंक के लिए उपयोगी हो।
- (आ) जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करे : अथवा
- (इ) कृषकों, कामगारों, एवं शिल्पियों के हित का प्रतिनिधित्व करे।

9(3अअ) उप धारा 3(अ) के बिना पूर्वाग्रह के एवं अधिनियम या वर्तमान में प्रचलित अन्य कानूनों में निहित किसी विपरीत बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति उप धारा (3) के खंड (i) के अनुसार तब तक निदेशक के रूप में निर्वाचित नहीं किया जा सकेगा जब तक वह अपने पूर्ववृत्त, सत्यनिष्ठा तथा रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाने वाले ऐसे अन्य मानदंड के आधार पर 'पात्र एवं समुचित हैसियत' प्राप्त व्यक्ति न हो।

9(3अआ) भारतीय रिज़र्व बैंक उप धारा (3अअ) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में 'पात्र एवं समुचित हैसियत' निर्धारित करने के प्राधिकार, ऐसे प्राधिकार का स्वरूप, ऐसे प्राधिकार के लिए अपनाये जाने वाली प्रक्रिया तथा अन्य ऐसे मामले जैसा कि आवश्यक समझे गए हों या उससे प्रासंगिक हों विनिर्दिष्ट भी कर सकता है।

9(3आ) : जब भारतीय रिज़र्व बैंक की यह राय हो कि धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (i) के अधीन निर्वाचित किसी समरूपी नए बैंक का कोई निदेशक उप-धारा (3अ) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है तो वह ऐसे निदेशक एवं बैंक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद आदेश द्वारा ऐसे निदेशक को उसके पद से हटा सकता है और इस प्रकार उसे पद से हटाने के बाद उसके स्थान पर किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जो निदेशक के रूप में उप-धारा (3अ) की अपेक्षाओं को पूरा करता हो, तब तक सहयोजित करेगा जब तक अगली वार्षिक सामान्य बैठक के समरूपी नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा सम्यक् रूप से निदेशक का निर्वाचन नहीं किया जाता है तथा इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति को समरूपी नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित किया गया समझा जाएगा।

विश्वसनीयता एवं गोपनीयता के संबंध में बाध्यता :

13(2) प्रत्येक निदेशक, किसी स्थानीय बोर्ड या समिति का सदस्य, या लेखा-परीक्षक, सलाहकार समरूपी नए बैंक का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी कार्यभार संभालने के पूर्व तृतीय अनुसूची में उपवर्णित फॉर्म में विश्वसनीयता एवं गोपनीयता के संबंध में घोषणा करेगा।

3. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970

निर्वाचित निदेशक की पदावधि

खंड 9 (4) :

कोई निर्वाचित निदेशक तीन वर्षों के लिए पद धारित करेगा और पुनर्निर्वाचित किए जाने का हकदार होगा : परन्तु ऐसा कोई निदेशक छह वर्षों से अधिक अवधि के लिए लगातार पद धारित नहीं करेगा।

9(3A) The Directors to be elected under the said clause (i) shall-

- (A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following namely - agriculture and rural economy, Banking, Co-operation, Economics, Finance, Law, Small scale industry, Any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank of India is useful to the corresponding new Bank.
- (B) represents the interest of depositors; or
- (C) represent the interest of farmers, workers and artisans

9(3AA) Without prejudice to the provision of sub-section 3(A) and notwithstanding anything to the contrary contained in the Act or in other laws for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as a Director under Clause (i) of Sub-Section (3) unless he is a person having 'fit and proper status' based upon the track record, integrity and such other criteria as Reserve Bank of India may notify from time to time in this regard.

9(3AB) The Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub section (3AA), the authority to determine the fit and proper status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

9(3B) Where the Reserve Bank is of the opinion that any Director of a corresponding new Bank elected under clause (i) of sub-section (3) of section (9) does not fulfill the requirements of sub-section (3A) it may after giving to such Director and the Bank a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such Directors and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person fulfilling the requirement of sub-section (3A) as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank in the next annual general meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank as a Director.

Obligation as to Fidelity and Secrecy

13(2) Every Director, member of a local Board or a Committee, or Auditor, Adviser, Officer or other Employee of a corresponding new Bank shall before entering upon his duties, make a declaration of fidelity as secrecy in the form set out in the Third Schedule.

3. THE NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME 1970

Terms of office of elected Director

Clause 9 (4) :

An elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years

निदेशकों की अनर्हता :

खंड 10 :

कोई व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने और निदेशक बनने के लिए अनर्ह होगा -

- (क) यदि वह किसी भी समय दिवालिया न्यायनिर्णीत हुआ हो या उसने ऋण अदा न किया हो या अपने लेनदारों के साथ समझौता किया हो: अथवा
- (ख) यदि वह विकृत चित्त का हो या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो: अथवा
- (ग) यदि वह किसी दंड न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष उहाराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अंतर्गस्त हो:
- (घ) यदि वह किसी पूर्णकालिक, निदेशक, प्रबंध निदेशक और अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ड) एवं (च) के अधीन बैंक के कर्मचारियों में से नामित निदेशक के पद के सिवाय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक में कोई लाभ का पद धारित करता हो।

निदेशक के पद का परित्याग

खंड 11 :

1. यदि कोई निदेशक खंड 10 में विनिर्दिष्ट किसी अनर्हता के अधीन होता है या निदेशक मंडल की लगातार तीन बैठकों से अधिक में छुट्टी के बिना अनुपस्थित रहता है तो यह समझा जाएगा कि उसने अपने पद का परित्याग कर दिया है और तत्पश्चात् उसका पद खाली हो जाएगा।
2. अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 3 के खंड (ख) या खंड (ग) अथवा खंड (घ) में संदर्भित प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक सहित अध्यक्ष अथवा कोई पूर्णकालिक निदेशक केंद्र सरकार को लिखित नोटिस देकर अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है तथा सरकार द्वारा ऐसे पदत्याग को स्वीकार कर लिए जाने पर यह समझा जाएगा कि उसने अपने पद का परित्याग कर दिया है, तथा कोई अन्य निदेशक केन्द्र सरकार को लिखित रूप से नोटिस देकर अपने पद का परित्याग कर सकता है और ऐसा पदत्याग केन्द्र सरकार द्वारा पदत्याग संबंधी पत्र की पावती पर प्रभावी होगा।
3. यदि निर्वाचित निदेशक से भिन्न किसी निदेशक का पद खाली होता है तो वह अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के अनुसार भरा जाएगा।

किसी निर्वाचित निदेशक को पद से हटाया जाना

खंड 11 अ :

केन्द्र सरकार के भिन्न आधे से अधिक शेयर पूंजी धारित करने वाले शेयरधारक बहुमत से पारित संकल्प द्वारा धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (1) के अधीन निर्वाचित किसी निदेशक को उसके पद से हटा सकते हैं और उक्त रिक्ति को भरने के लिए उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को निर्वाचित कर सकते हैं।

निर्वाचित निदेशक के खाली पद को भरा जाना

खंड 11 आ :

- (1) किसी निर्वाचित निदेशक के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व कोई रिक्ति होने पर उक्त रिक्ति निर्वाचन द्वारा भरी जाएगी :

Disqualification of Directors

Clause 10

A person shall be disqualified for being appointed as, and for being a Director :-

- (a) if he has at any time being adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors or
- (b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- (c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
- (d) if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act 1955 or any subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act 1959, except for holding the post of a whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from amongst the employees of the Bank.

Vacation of office of Directors

Clause 11

1. If a Director becomes subject to any of disqualification specified in clause 10 or is absent without leave of the board for more than three consecutive meetings thereof, he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.
2. The Chairman or a whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in clause (b) or clause (c) or clause (d) of sub section 3 of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.
3. Where any vacancy occurs in the office of a Director other than an elected Director, it shall be filled in accordance with sub-section (3) of Section 9 of the Act.

Removal from office of an elected Director

Clause 11A :

The shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by a majority of the votes of such shareholders holding in the aggregate, not less than one half of the share capital held by all such shareholders, remove any Director elected under Clause (i) of the sub-section (3) of Section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.

Filling of vacancy in the office of elected Director

Clause 11B

- (1) Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected Director, the vacancy shall be filled by election

परन्तु यह कि यदि रिक्ति की अवधि छह माह से कम होने की संभावना है तो उक्त रिक्ति शेष निदेशकों से भरी जा सकती है।

- (2) उप-खंड (1) के अधीन, यथास्थिति, निर्वाचित या सहयोजित कोई व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती के कार्यकाल के असमाप्त अंश के लिए पद धारित करेगा।

निदेशकों द्वारा अपने हित का प्रकटीकरण

खंड 12 (8) :

यदि कोई निदेशक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा या उसकी ओर से की जाने वाली या किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी संविदा, ऋण, ठहराव या प्रस्ताव से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संबंध रखता है या उसमें उसका हित है तो सुसंगत परिस्थितियों के उसकी जानकारी में आने के बाद यथासंभव शीघ्र वह अपने हित के स्वरूप का प्रकटीकरण निदेशक मंडल के समक्ष करेगा तथा वह निदेशक मंडल की उस बैठक में जिसमें ऐसी किसी संविदा, ऋण, ठहराव या प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया जाता है, तब तक उपस्थित नहीं होगा जब तक उससे जानकारी प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ अन्य निदेशकों द्वारा उसकी उपस्थिति की अपेक्षा न की जाए तथा जिस निदेशक की उपस्थिति की इस प्रकार अपेक्षा की जाती है वह किसी ऐसी संविदा, ऋण, ठहराव या प्रस्ताव पर अपना मत नहीं देगा

परन्तु, यह कि इस उप-खंड में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे निदेशक पर लागू नहीं होगी यदि वह केवल :

- i) कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) में यथापरिभाषित किसी ऐसी सार्वजनिक कंपनी या भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित किसी निगम या किसी सहकारी समिति में दो प्रतिशत से अनधिक प्रदत्त पूंजी धारित करने वाला कोई शेयरधारक (निदेशक से भिन्न) हो जिसके साथ या जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक ने कोई संविदा, ऋण, ठहराव या प्रस्ताव किया हो या करने का प्रस्ताव रखता हो, अथवा
- ii) राष्ट्रीयकृत बैंक का कोई ऐसा अधिकारी या अन्य कर्मचारी हो जो निदेशक (अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ड) या खंड (च) में यथाविनिर्दिष्ट) हो।

इलाहाबाद बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन 1999

संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग करना/ सामान्य बैठकों में मतदान

अधिनियम 10 :

यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पर हो तो जहाँ तक मतदान करना, लाभांश की प्राप्ति, नोटिस जारी करना, बैंक से संबंधित किसी भी अन्य मामलों में, शेयरों के अंतरण को छोड़कर, रजिस्टर में अंकित प्रथम व्यक्ति को उसका एकमात्र धारक माना जाए।

सामान्य बैठकों में निर्वाचित किए जाने वाले निदेशक

विनियमन 63 :

- i) धारा 9 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अधीन किसी बैंक की सामान्य बैठक में किसी निदेशक का निर्वाचन केन्द्र सरकार से भिन्न ऐसे शेयरधारकों द्वारा अपने बीच में से किया जाएगा जिनका नाम रजिस्टर में दर्ज है।
- ii) यदि किसी सामान्य बैठक में किसी निदेशक का निर्वाचन किया जाना हो तो उसकी सूचना बैठक के

Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled in by the remaining Directors

- (2) A person elected or co-opted, as the case may be, under sub clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

Disclosure of interest by Directors

Clause 12(8)

A Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement of proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the nationalized Bank, shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal :

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such Director by reason only of his being :

- i) a shareholder (other than a Director) holding not more than two percent of the paid up capital in any public Company as defined in the Companies Act 1956 (1 of 1956), or any corporation established by or under any law for the time being in force in India or any co-operative society, with which or to which the nationalized Bank has entered into or made, or proposed to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal; or
- ii) an officer or other employee of the nationalized Bank, if he is a Director (referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act)

ALLAHABAD BANK (SHARES & MEETINGS) REGULATIONS 1999

Exercise of rights of joint holders / Voting at general meetings

Regulation 10 :

If any share stands in the names of two or more persons, the first named in the register shall as regards voting, receipt of dividend, service of notices and all or any other matters connected with the Bank except the transfer of shares be deemed to be the sole holder thereof.

Directors to be elected at General meeting

Regulation 63

- i) A Director under clause (i) of sub-section 3 of Section 9 shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government from amongst themselves in the general meeting to the Bank.
- ii) Where an election of Directors to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included

आयोजन संबंधी सूचना में शामिल की जाएगी, ऐसी प्रत्येक सूचना में निर्वाचित किए जाने वाले निदेशकों की संख्या एवं उन रिक्तियों के विवरण विनिर्दिष्ट किए जाएंगे जिनकी बाबत निर्वाचन किया जाना है।

शेयरधारकों की सूची

विनियमन 64 :

- i) इन विनियमों के विनियमन 63 के उप-विनियमन (i) के अधीन किसी निदेशक के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ रजिस्टर में उल्लिखित ऐसे शेयरधारकों की सूची तैयार की जाएगी जिनके द्वारा निदेशक निर्वाचित किया जाना है।
- ii) उक्त सूची में शेयरधारकों के नाम, उनके रजिस्ट्रीकृत पते, उनके द्वारा धारित एवं द्योतित शेयरों की संख्या, शेयरों के रजिस्ट्रीकरण की तारीख और ऐसे मतों की संख्या अंतर्विष्ट रहेगी जिन्हें वे निर्वाचन के लिए नियत तारीख को बैठक में देने के हकदार होंगे तथा उक्त सूची की प्रतियाँ बैठक के लिए नियत तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व निदेशक मंडल या प्रबंध समिति द्वारा नियत मूल्य पर प्रधान कार्यालय में आवेदन पर विक्रय के लिए उपलब्ध होंगी।

निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों का नामांकन

विनियमन 65 :

- i) निदेशक के निर्वाचन हेतु किसी उम्मीदवार का नामांकन तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि -
 - (क) वह बैंक के 100 शेयर धारित करने वाला कोई शेयरधारक न हो,
 - (ख) वह नामांकन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को इस अधिनियम या इस योजना के अधीन निदेशक होने के लिए निरहित न होता हो :
 - (ग) उसने शेयर मांग की राशि के भुगतान के लिए नियत अंतिम तारीख को या उससे पूर्व अपने द्वारा धारित बैंक के शेयरों की बाबत शेयर मांग की सभी राशि का भुगतान अकेले या अन्य के साथ संयुक्त रूप से नहीं कर दिया है :
 - (घ) नामांकन लिखित रूप से नहीं है और उस पर इस अधिनियम के अधीन निदेशकों को निर्वाचित करने के लिए हकदार कम से कम एक सौ शेयरधारकों या उनके द्वारा सम्यक रूप से नियत अटर्नी के हस्ताक्षर नहीं है : परंतु यह कि यदि शेयर धारक कोई कंपनी हो तो उक्त कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा नामांकन किया जा सकता है और जहाँ ऐसा किया जाता है वहाँ जिस बैठक में यह पारित किया गया है उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित संकल्प की एक सत्य प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय के पास प्रेषित की जाएगी तथा उक्त प्रति को ऐसी कंपनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाएगा:
 - (ङ) किसी न्यायाधीश, दंडाधिकारी, बीमा रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी अथवा भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का कोई घोषणा-पत्र नामांकन के साथ संलग्न नहीं किया जाता है या उसमें अंतर्विष्ट नहीं रहता है कि उसे नामांकन स्वीकार है और वह निर्वाचन के लिए खड़ा होने का इच्छुक है तथा या तो इस अधिनियम के अधीन या इस योजना या इन विनियमों के अधीन निदेशक होने से अनर्ह नहीं है।

in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of Directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

List of shareholders

Regulation 64

- (i) For the purpose of election of a Director under sub-regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the Director is to be elected.
- (ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the share are registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

Nomination of candidates for election

Regulation 65 :

- (i) No nomination of a candidate for election as a Director shall be valid unless,
 - (a) he is a shareholder holding not less than 100 shares in the Bank
 - (b) he is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a Director under the Act or under the Scheme
 - (c) he has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;
 - (d) the nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect the Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a Company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of the Bank and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.
 - (e) the nomination accompanied or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar or Assurance or other Gazetted Officer or an Officer of the Reserve Bank of India or any other nationalized Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a Director.

- ii) कोई भी नामांकन तब तक वैध नहीं होगा जब तक वह सभी संबद्ध दस्तावेजों सहित सभी तरह से पूर्ण रूप में बैंक के प्रधान कार्यालय में किसी कार्य-दिवस को बैठक के लिए नियत तारीख से कम से कम 14 दिन पूर्व प्राप्त न हो।

नामांकन की संवीक्षा

विनियमन 66

- i) नामांकन की संवीक्षा प्राप्ति के लिए नियत तारीख के प्रथम कार्यदिवस को की जाएगी और यदि कोई सूचना वैध नहीं पाई जाती है तो कारण अभिलिखित करते हुए उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। यदि निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली किसी विशेष रिक्ति के लिए केवल एक ही वैध नामांकन हो तो इस प्रकार नामांकित उम्मीदवार तत्काल निर्वाचित माना जाएगा और इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति का नाम एवं पता प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी दशा में इस प्रयोजनार्थ बुलाई गई बैठक में कोई निर्वाचन नहीं होगा और यदि बैठक एक मात्र उपर्युक्त निर्वाचन के प्रयोजनार्थ बुलाई गई हो तो वह रद्द हो जाएगी।
- ii) निर्वाचन होने की दशा में यदि वैध नामांकन निर्वाचित किए जाने वाले निदेशकों की संख्या से अधिक हो तो जिस उम्मीदवार के पक्ष में सबसे अधिक मत पड़े हों उसे निर्वाचित माना जाएगा।
- iii) किसी विद्यमान रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित किसी निदेशक को उस तारीख के बाद की तारीख को पद ग्रहण किया गया समझा जाएगा जिस तारीख को वह निर्वाचित किया जाता है या किया गया समझा जाता है।

निर्वाचन संबंधी विवाद

विनियमन 67 :

- i) यदि निदेशक के रूप में निर्वाचित समझे गए या घोषित किसी व्यक्ति की अर्हता या अनर्हता के संबंध में या निदेशक के निर्वाचन की वैधता के संबंध में कोई संदेह या विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे निर्वाचन में मतदान करने के लिए हकदार एवं हितबद्ध कोई उम्मीदवार या शेयरधारक ऐसे निर्वाचन का परिणाम घोषित होने की तारीख से सात दिन के भीतर बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को लिखित रूप में उसकी सूचना दे सकेगा/सकेगी और उक्त सूचना में निर्वाचन की वैधता पर संदेह या विवाद करने के आधार पर पूरा ब्योरा देगा/देगी।
- ii) उप विनियम (i) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर बैंक का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उसकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक ऐसे संदेह या विवाद को एक ऐसी समिति को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट करेगा जो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उसकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक और अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ख) एवं (ग) के अधीन नामित किन्हीं दो निदेशक से मिलकर बनेगी।
- iii) उप विनियम (ii) में निर्दिष्ट समिति ऐसी जांच करेगी जैसा वह आवश्यक समझे और यदि वह पाती है कि निर्वाचन वैध था तो वह निर्वाचन के घोषित परिणाम की पुष्टि करेगी, अथवा यदि वह पाती है कि निर्वाचन वैध नहीं था तो वह जांच प्रारंभ होने के तीस दिन के भीतर नया निर्वाचन कराने सहित ऐसा आदेश पारित करेगी एवं ऐसे निदेश देगी जैसा उन परिस्थितियों में समिति को उचित लगे।
- iv) इस विनियमन के अनुसरण में ऐसी समिति के आदेश एवं निदेश निश्चायक होंगे।

- (ii) No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head office of the Bank on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

Scrutiny of nominations

Regulation 66 :

- (i) Nominations shall be scrutinized on the first working day following the date fixed for the receipt of nomination and in case any information is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason thereof. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election it shall stand cancelled.
- (ii) In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of Directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.
- (iii) A Director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is or is deemed to be elected.

Election disputes

Regulation 67

- (i) if any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed or declared to be elected, or as to the validity of the election of a Director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of the Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he/she doubts or disputes the validity of the election.
- (ii) On receipt of an intimation under sub-regulation (i) the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of the Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section 3 of section 9 of the Act.
- (iii) The committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was valid election, it shall confirm the declared results of the election, or if it finds that the election was not valid election, it shall, within thirty days of the commencement of the enquiry make such order and given such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.
- (iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

अध्याय VI

शेयर धारकों के मत देने के अधिकार मत देने के अधिकार का निर्धारण

विनियमन 68 :

- (i) अधिनियम की धारा 3 (2उ) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्याधीन किसी सामान्य बैठक की तारीख के पूर्व रजिस्टर बंद किए जाने की तारीख को ऐसे शेयरधारक को, जिसका नाम रजिस्टर में दर्ज किया गया हो, ऐसी बैठक में हाथ उठाकर एक मत देने का अधिकार होगा और मतदान होने की स्थिति में उसके द्वारा धारित किए जाने वाले प्रत्येक शेयर के लिए उसे एक मत देने का अधिकार होगा।
- (ii) अधिनियम की धारा 3 (2उ) दिन के उपबंधों के अध्याधीन यथापूर्वोक्त रूप में मतदान करने के लिए हकदार प्रत्येक ऐसे शेयरधारक को, जो कंपनी न हो और व्यक्तिगत रूप से या परोक्षी द्वारा उपस्थित हो या जो कंपनी हो और सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा या परोक्षी द्वारा उपस्थित हो, उपविनियमन (i) में जैसा इसके ऊपर कथित है, हाथ उठाकर एक मत देने का अधिकार होगा तथा मतदान होने की स्थिति में उसके द्वारा धारित किए जाने वाले प्रत्येक शेयर के लिए उसे एक मत देने का अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण - इस अध्याय में “कंपनी” से तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है

- (iii) किसी सामान्य बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान होने एवं मतदान करने के हकदार बैंक के शेयरधारकों को अपने स्थान पर अपने परोक्षी के रूप में उपस्थित होने एवं मतदान करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को (चाहे वह कोई शेयरधारक हो या नहीं) नियुक्त करने का हक होगा परंतु इस प्रकार किसी परोक्षी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान

विनियमन 69 :

- i) कोई शेयरधारक चाहे वह केन्द्र सरकार या कोई कंपनी हो, संकल्प द्वारा यथास्थिति अपने किन्हीं अधिकारी अन्य व्यक्ति को शेयरधारकों की किसी सामान्य बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति को (इन विनियमों में “सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि” के रूप में विनिर्दिष्ट) केन्द्र सरकार या कंपनी की ओर से जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, इस प्रकार शक्तियों का प्रयोग करने का हकदार होगा मानो वह बैंक का व्यक्तिगत शेयरधारक हो। इस प्रकार का प्राधिकार अनुकल्पतः दो व्यक्तियों के पक्ष में दिया जा सकता है और ऐसी दशा में उनमें से कोई व्यक्ति केन्द्र सरकार कंपनी के सम्यक प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकेगा।
- ii) कोई व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी बैठक में कंपनी के सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक उपस्थित नहीं होगा या मतदान नहीं करेगा जब तक सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसकी नियुक्ति संबंधी संकल्प की एक प्रति, जो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्यप्रति हो जिसमें संकल्प पारित किया गया था, बैंक के प्रधान कार्यालय के पास बैठक के लिए नियत तारीख से कम चार दिन पूर्व जमा न की गई हो।

भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना डीबीओडी सं. बीसी सं 46/29.39.001/2007-08 एवं डीबीओडी सं. 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवंबर 2007

भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नवत अधिसूचित किया है :-

बैंक के निदेशक मंडल द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त की गई नामांकन समिति द्वारा प्रदान की जाने वाली “फिट एंड प्रॉपर” हैसियत पत्र के बिना कोई भी नामांकन वैध नहीं होगा। नामांकन के उम्मीदवार से संबंधित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा विशेषज्ञता क्षेत्र, पूर्ववृत्त व सत्यनिष्ठता संबंधी अतिरिक्त जानकारीयों संलग्न की जानी चाहिए ताकि नामांकन समिति उम्मीदवार के “फिट एंड प्रॉपर” की हैसियत पर निर्णय ले सके। किसी भी प्राधिकारी / विनियामक एजेंसी की प्रतिकूल नोटिस या दिवालियापन या किसी बैंक या वित्तीय संस्था से लिए गए ऋण चुकौती में चूक, संबंधित उम्मीदवार को बोर्ड के निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जाने में अयोग्य एवं अनुपयुक्त बना देंगे।

Chapter VI

Voting Rights of Shareholders Determination of voting rights

Regulation 68 :

- (i) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of the closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.
- (ii) Subject to the provision in Section 3 (2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who not being a Company is present in person or by proxy or who being a Company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation (i)

Explanation – for this chapter, “Company” means any body corporate

- (iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

Voting by duly authorized representative

Regulation 69

- (i) A shareholder, being the Central Government or a Company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of its officers or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorized (referred to as a “duly authorized representatives” in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government of the Company which he represents as if he was an individual shareholder of the Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as a duly authorized representative of the Central Government /Company.
- (ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank as the duly authorized representative of the Company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

Notification of Reserve Bank of India-DBOD No. BCNo.46/29.39.001/2007-08 and DBOD No. 47/29.39.001/2007-08 dated 1st November 2007

The Reserve Bank of India has notified as under :-

No nomination shall be valid unless ‘Fit and Proper’ status is accorded by the Nomination Committee appointed by the Board of Directors of the Bank for this purpose. The Nominations should accompany additional information about the candidates to enable the Nomination Committee to decide on the Fit and Proper status with regard to educational qualification, experience and field of expertise, track record and integrity of the candidates. Adverse notice of any authority / regulatory agency or insolvency or default of any loan from any bank or financial institution would make the respective candidate unfit and improper to be elected as a director on the Board.



इलाहाबाद बैंक

प्रधान कार्यालय : 2 एन. एस. रोड, कोलकाता 700001

घोषणा

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री/श्रीमती

निवासी.....एतद्वारा पुष्टि करता हूँ/करती हूँ कि,

क. मैं दिनांक 20 मई, 2009 को यानी निर्वाचन में भाग लेने की अभिलिखित तारीख को बैंक के
इक्विटी शेयर धारित करने वाला/वाली शेयर धारक हूँ और

ख. मुझे (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहकारिता (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग, या का (जिसका विशेष ज्ञान एवं जिसमें व्यावहारिक अनुभव भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी है) विशेष ज्ञान है या व्यावहारिक अनुभव है और मैं अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 3अ की शर्तों के अनुसार जमाकर्ताओं या कृषकों, कामगारों एवं शिल्पियों के हित का प्रतिनिधित्व करता/करती हूँ जिसके प्रमाण स्वरूप में एतद्वारा संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता/करती हूँ और

ग. मैं(संख्या) नामांकन स्वीकार करता/करती हूँ तथा

घ. मैं इलाहाबाद बैंक के निदेशक के निर्वाचन के लिए इच्छुक हूँ, एवं

ङ. मैं बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 इलाहाबाद बैंक (शेयर और बैठक) विनियम 1999 के उपबंधों के अधीन बैंक का निदेशक होने के लिए अनर्ह नहीं हूँ

च. मैं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में यथापरिभाषित किसी अनुषंगी बैंक में न तो कोई लाभ का पद धारित करता/करती हूँ और न ही उसका कोई कर्मचारी हूँ।

छ. मैं अपना व्यक्तिगत विवरण संलग्न करता/करती हूँ जो मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं पूर्ण हैं।

ज. मैं वचन देता/देती हूँ कि मैं बैंक को घटनाओं से, यदि कोई हो, जो इस घोषणा के तदनंतर घटित हों, जो यहाँ दी गई सूचनाओं तथा बैंक के निदेशक के रूप में मेरे निर्वाचन संबंधी प्रतिज्ञा-पत्र विलेख को निष्पादित करने हेतु संगत हों, के बारे में यथाशीघ्र पूर्णतया सूचित करता रहूँगा / करती रहूँगी।

हस्ताक्षर	
नाम	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो सं. (यदि इलेक्ट्रॉनिक रूप में नहीं हो)	
डी पी आईडी सं. (यदि इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो)	
ग्राहक की आईडी सं. (यदि इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो)	
स्थान	
तारीख	

* किसी न्यायाधीश, दंडाधिकारी, बीमा रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या इलाहाबाद बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी की मुहर सहित हस्ताक्षर (जो लागू न हो उसे काट दें।)

उपर्युक्त घोषणा मेरे समक्ष हस्ताक्षरित की गई।

* दिनांक सहित हस्ताक्षर एवं मुहर



ALLAHABAD BANK

HEAD OFFICE : 2 NETAJI SUBHAS ROAD , KOLKATA - 700 001

Declaration

I,.....son/daughter/wife of Shri/Smt.
.....resident of hereby confirm that :

- I am a shareholder holding.....equity shares of the Bank on 20th May, 2009 i.e. the record date for participating in the elections, and
- "I have special knowledge or practical experience in (i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance (vi) law, (vii) small scale industry, or.....(special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials, and
- I accept the nominations numbering.....and
- I am willing to contest for the election of Director of Allahabad Bank, and
- I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, the Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations 1999.
- I neither hold any office of profit nor am an employee of any Nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act 1959.
- I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete; and
- I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.

Signature	
Name	
No. of shares	
Regd. Folio No. (if not dematerialized)	
DP ID No. (if dematerialized)	
Client ID No. (if dematerialized)	
Place	
Date	

***Signature with Seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or Allahabad Bank or any nationalized Bank.**
(Delete whichever is not applicable.)

The above declaration signed before me

*Signature & Seal with date

उम्मीदवार के जीवनवृत्त हेतु प्रारूप

क्रम सं.	विवरण	
I	उम्मीदवार का व्यक्तिगत विवरण	
1	उम्मीदवार का पूरा नाम	
2	पिता का पूरा नाम	
3	जन्म तिथि	
4	स्थायी पता	
5	वर्तमान पता	
6	टेलीफोन एवं फैक्स नंबर ई मेल आईडी	
7	स्थायी खाता संख्या (पैन) तथा उस आयकर परिमंडल का नाम व पता जहाँ व्यक्तिगत कर विवरणी दायर की जाती है (पैन एवं दायर की गई आयकर विवरणी की प्रतिलिपि संलग्न करें)	
8	शैक्षणिक योग्यताएँ (कृपया अर्हता के प्रमाणस्वरूप स्वसत्यापित प्रमाणपत्र संलग्न करें)	
9	संगत पृष्ठभूमि एवं अनुभव (कृपया पृष्ठभूमि / एवं अनुभव के प्रमाणस्वरूप स्वसत्यापित प्रमाणपत्र संलग्न करें)	
10	संगत ज्ञान एवं अनुभव (कृपया बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण अधिनियम,1970) की धारा 9 (3-अ) का संदर्भ लें) कृपया ज्ञान एवं अनुभव के प्रमाणस्वरूप स्वसत्यापित प्रमाणपत्र संलग्न करें	
11	अन्य कोई सूचना, जो उम्मीदवार प्रस्तुत करना चाहता हो	
II	उम्मीदवार के संगत रिश्ते	
12	उम्मीदवार के उन रिश्तेदारों, यदि कोई हो, की सूची जो बैंक से संबंध रखते हों (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 एवं अनुसूची 1 ए के अनुसार)	
13	उन कंपनियों की सूची जिनमें उम्मीदवार रुचि रखता हो (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 299(3)(क); धारा 300 एवं बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 20 का संदर्भ लें)	
14	कंपनियों की सूची जिनमें उम्मीदवार बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 5 (एनई) की परिभाषा के अंतर्गत पर्याप्त रुचि धारित करता हो	
15	बैंक(कों) का नाम जिनमें उम्मीदवार बोर्ड का सदस्य है या रहा है (धारित पद की अवधि का विवरण दें)	
16	बैंक से उम्मीदवार या उपर्युक्त कॉलम 12 व 13 में दी गई किसी कंपनी द्वारा वर्तमान में उपभुक्त निधि एवं गैर-निधि सुविधाएँ ,यदि कोई हो	
17	ऐसे मामले ,यदि कोई हो, जिनमें उम्मीदवार या कॉलम 12 व 13 में दी गई कंपनियों, हमारे बैंक या अन्य किसी बैंक/वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त की गई ऋण सुविधाओं के संबंध में पूर्व में चूककर्ता रहे हैं /चूककर्ता हैं	

FORMAT FOR BIODATA OF THE CANDIDATE

Sl. No.	Particulars	
I.	Personal Details of the Candidate	
1	Full Name of the Candidate	
2	Father's Name in Full	
3	Date of Birth	
4	Permanent Address	
5	Present Address	
6	Telephone, Fax Number Email id	
7	Permanent Account Number (PAN) and name and address of the Income Tax Circle where personal tax returns are filed (Copy of PAN and acknowledged copy of the latest IT return filed to be attached)	
8	Educational Qualifications (please attach self attested certificates evidencing the qualification)	
9	Relevant Background and Experience (Please attach self attested certificates evidencing background and experience)	
10	Relevant Knowledge experiences (Please refer Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of undertaking Act, 1970). Please attach self attested certificates evidencing knowledge / and experience.	
11	Any other information which the candidate desires to furnish	
II	Relevant Relationships of the Candidate	
12	List of relatives of the Candidate, if any, who are connected with the Bank (In terms of Section 6 and Schedule 1A of the Companies Act, 1956)	
13	List of entities in which the candidate is considered as being interested {Refer section 299(3)(a); Section 300 of the Companies Act, 1956 and Section 20 of the Banking Regulations Act 1949}	
14	List of entities in which the candidate is considered as holding substantial interest within the meaning of section 5 (ne) of the Banking Regulation Act 1949	
15	Name of Bank(s) in which the candidate is or has been a member of the Board (provide details of period during which such office was held)	
16	Fund and Non Fund Facilities if any presently availed by the candidate or any of the entities listed in 12 and 13 above from the Bank	
17	Cases, if any, where the candidate or entities listed in 12 and 13 above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the Bank or any other Bank/Financial Institution	

III	व्यावसायिक उपलब्धियों का रिकार्ड	
18	उम्मीदवार की व्यावसायिक योग्यताएँ	
IV	उम्मीदवार के विरुद्ध की गई कार्रवाई, यदि कोई हो	
19	यदि उम्मीदवार किसी व्यावसायिक संगठन/निकाय का सदस्य हो तो कृपया उम्मीदवार के विरुद्ध लंबित या शुरू की गई या पूर्व में दोषसिद्ध में परिणत अनुशासनिक कार्रवाई, यदि कोई हो का विवरण या क्या उम्मीदवार को कभी किसी व्यवसाय / रोजगार में प्रवेश लेने से रोका गया है ।	
20	आर्थिक विधि एवं विनियम का उल्लंघन करने हेतु उम्मीदवार के विरुद्ध एवं /या कॉलम 12 व 13 में दी गई कंपनियों में से किसी के विरुद्ध लंबित या शुरू किए गए या दोषसिद्ध में परिणत अभियोग,यदि कोई हो का विवरण	
21	निदेशक के विरुद्ध पूर्व में शुरू किए गए या लंबित या दोषसिद्ध में परिणत आपराधिक अभियोग का विवरण ।	
22	क्या उम्मीदवार को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 के अंतर्गत अयोग्य करार दिया जा सकता है	
23	क्या उम्मीदवार या उक्त कॉलम 12 व 13 में दी गई कंपनियों में से किसी के विरुद्ध सरकारी विभाग या एजेंसी के अनुरोध पर कोई जाँच की गई ?	
24	क्या उम्मीदवार कभी नियमों/ विनियमों / सीमा / उत्पाद/ आयकर/विदेशी विनियम / अन्य राजस्व प्राधिकारियों की वैधानिक अपेक्षाओं का उल्लंघन करते हुए दोषी पाया गया है? यदि ऐसा है तो कृपया विवरण दें ।	
25	क्या उम्मीदवार या उक्त कॉलम 12 एवं 13 में उल्लिखित कंपनियों ने कभी सेबी,भारिबैंक,इरडा,एमसीए,फेमा इत्यादि जैसे रेगुलेटर से प्रतिकूल नोटिस प्राप्त की है ?	
V	मद I से III के संबंध में अन्य कोई स्पष्टीकरण / सूचना एवं ऐसी अन्य जानकारी जो फिट एवं प्रापर संबंधी निर्णय लेने में संगत समझी जाती हो ।	

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर

टिप्पणी - समस्त कॉलम अवश्य भरे जाएँ ,ऐसा न करने पर उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।

III	Records of professional achievements	
18	Professional achievements of the candidate, if any	
IV	Proceedings, if any, against the Candidate	
19	If the candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate or whether the candidate has been banned from entry of any profession/occupation at any time.	
20	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate and/or against any of the entities listed in 12 and 13 above for violation of economic laws and regulations.	
21	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced resulting in conviction in the past against the Director.	
22	Whether the candidate attracts any of the disqualification envisaged under section 274 of the Companies Act 1956	
23	Has the candidate or any of the entities listed in 12 and 13 above been subject to any investigation at the instance of Government Department or Agency?	
24	Has the Candidate at any time been found guilty of violation of rules / regulations / legislative requirements by Customs / Excise /Income tax / Foreign exchange / other revenue authorities? If so, please furnish particulars.	
25	Whether the Candidate or entities listed in 12 and 13 above has at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, RBI, IRDA, MCA, FEMA etc.,	
V	Any other explanation / information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging fit and proper	

Date :

Signature :

Place :

Note : All the columns must be filled in failing which the candidature may be rejected



इलाहाबाद बैंक

प्रधान कार्यालय : 2 एन. एस. रोड, कोलकाता 700001

नामांकन फार्म

सेवा में,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
इलाहाबाद बैंक,
2, एन. एस. रोड,
कोलकाता - 700001

प्रिय महोदय,

निदेशकों का निर्वाचन

आपकी सूचना दिनांक.....के संदर्भ में मैं,

इलाहाबाद बैंक का एक शेयरधारक, जो बुधवार, दिनांक 20 मई, 2009 यानी निर्वाचन में भाग लेने के लिए अभिलिखित तारीख को रु. 10/-प्रत्येकके इक्विटी शेयर धारित करता/करती हूँ, एतद्वारा श्री/श्रीमती

पुत्र/पुत्री/पत्नी.....निवासी

को दिनांक 15 जून 2009 को आयोजित होनेवाली बैंक के शेयरधारकों की वार्षिक सामान्य बैठक में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) () में यथाउपबंधित बैंक के शेयर धारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले इलाहाबाद बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जाने हेतु नामित करता/करती हूँ।

हस्ताक्षर	
नाम	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो सं. (यदि इलेक्ट्रॉनिक रूप में नहीं हो)	
डीपी आई डी सं. (यदि इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो)	
ग्राहक की आई डी सं. (यदि इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो)	
स्थान	
तारीख	

टिप्पणियाँ :

- 1) यदि किसी निगमित निकाय द्वारा नामांकन किया जाता है तो नामांकन फार्म के साथ उस बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर से निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की एक प्रमाणित सत्य प्रति संलग्न की जानी चाहिए जिसमें यह पारित किया गया है।
- 2) उम्मीदवार का नामांकन करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर से मिलने चाहिए।



ALLAHABAD BANK

HEAD OFFICE : 2 NETAJI SUBHAS ROAD , KOLKATA - 700 001

NOMINATION FORM

To
The Chairman & Managing Director,
Allahabad Bank,
2, Netaji Subhas Road,
Kolkata-700 001

Dear Sir,

ELECTION OF DIRECTORS

With reference to your Notice Dated,I,..... a shareholder of Allahabad Bank holding.....equity shares of Rs. 10/- each as on Wednesday, the 20th May,2009 i.e., the Record Date for participating in the election, do hereby nominate.

Shri/Smt.....son/daughter./wife of Residing at for being elected as a Director of Allahabad Bank representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 at the Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on 15th June 2009.

Signature	
Name	
No. of shares	
Regd. Folio No. (if not dematerialized)	
DP ID No. (if dematerialized)	
Client ID No. (if dematerialized)	
Place	
Date	

Notes :

- (1) In case nomination is made by a body corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
- (2) Signature of the shareholders nominating the candidature should match with the specimen signature available with the Share Transfer Agent of the Bank.

इलाहाबाद बैंक

निदेशकों की रिपोर्ट

अप्रैल 2008 से मार्च 2009

ALLAHABAD BANK

DIRECTORS' REPORT

APRIL 2008 TO MARCH 2009

निदेशक मंडल को 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षित विवरणों सहित निदेशकों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

आर्थिक परिदृश्य

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य निराशाजनक बना रहा जिसमें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्वानुमान के अनुसार वैश्विक वास्तविक जीडीपी वृद्धि जो वर्ष 2008 में 3.2% थी उसकी तुलना में वर्ष 2009 में 0.5% से 1.0% तक संकुचित होने का अनुमान है। सब-प्राइम संकट के प्रभाव और विश्व के प्रमुख बैंकों की विफलता के परिणामस्वरूप पिछले दो वर्षों के दौरान देखी गई निर्बाध वृद्धि बाधित हुई है। विश्व बैंक का अनुमान है कि 2008-09 में वैश्विक जीडीपी 1.7% तक संकुचित होगी। सभी विकसित बाजार अर्थव्यवस्थाओं के साथ-साथ ईएमई (उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं) में तेजी से गिरावट आई है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि ईएमई की जीडीपी वृद्धि जो 2008 में 6.1% थी 2009 में घट कर 1.5% से 2.5% के बीच रहेगी। भारत काफी हद तक वैश्विक संकट के प्रभाव से अछूता रहा इसका मुख्य कारण था विवेकसम्मत सुदृढ़ वित्तीय क्षेत्र, नियंत्रणीय मुद्रा स्थिति, विदेशी मुद्रा भंडार, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का जारी रहना और कम मात्रा में विदेशी व्यापार। तथापि इस संकट का असर मांग में कमी के रूप में हुआ जो निवेश में कमी, पर्याप्त तरलता के बावजूद ऋण वितरण में कमी और निर्यात में कमी से प्रकट होता है।

वर्ष 2008-09 के दौरान उच्चतर वृद्धि सुनिश्चित करते हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने जो चुनौतियां होंगी वे हैं, तेल और प्रमुख खाद्य पदार्थों की कीमतों में वैश्विक वृद्धि, बिजली की कमी, अवसंरचनात्मक बाधाएं और 2007-08 की तुलना में 2008-09 में प्रमुख क्षेत्रों अर्थात् कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में मंदी की आशंका।

वर्ष 2008-09 के दौरान खाद्यान्न का कुल अनुमानित उत्पादन 227.9 मिलियन टन है जो 2007-08 के 230.8 मिलियन टन के उत्पादन से कम है। तथापि, रबी की अच्छी बुआई से हम आशा कर सकते हैं कि भारतीय कृषि की स्थिति 2009-10 के दौरान भी अच्छी रहेगी।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) 2.8% घट गया (अप्रैल 08-फरवरी 09) पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान इसमें 8.8% की वृद्धि हुई थी। जबकि 2008-09 के पूर्वार्ध में आईआईपी में 5% वृद्धि रही जबकि इसका औसत अगले पांच महीनों में 0.2% रहा। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सेवाओं में 8.6% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र ने 2008-09 के प्रथम तिमाही में 10.2% की वृद्धि के साथ समग्र वृद्धि दर को 9.8% (अप्रैल 08 - दिसम्बर 08) बनाए रखा। इस प्रकार देश की सतत आर्थिक वृद्धि व्यापक रही।

भारत के भुगतान संतुलन के विभिन्न घटकों के माध्यम से तीव्र प्रसार के कारण व्यापारिक निर्यात और आयात में अत्यधिक संकुचन हुआ जिसे अधिकांशतः नीतिगत कार्रवाई के द्वारा नियंत्रित किया जा सका। विश्व के साथ-साथ भारत में हुआ तीव्र संकुचन तीसरी तिमाही के दौरान नकारात्मक वृद्धि के रूप में प्रतिबिंबित हुआ था। अप्रैल 08-फरवरी 09 के दौरान मर्केडाइज व्यापार घाटा 113.8 बिलियन यूएस डॉलर था जबकि इसी अवधि के दौरान चालू खाता घाटा बढ़ कर 36.5 बिलियन यूएस डॉलर हो गया।

The Board of Directors has great pleasure in presenting the Directors' Report along with the audited Statement of Accounts of the Bank for the year ended 31st March 2009.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

ECONOMIC SCENE

The global economic outlook remained gloomy with the IMF forecast for global real GDP growth is projected to shrink by 0.5% to 1.0% in 2009 as compared to an expansion of 3.2% in 2008. The impact of sub-prime crisis and the consequent failure of major banks of the world thwarted the smooth growth experienced during the last couple of years. The World Bank estimates the global GDP to contract by 1.7% in 2008-09. There is a sharp decline in the economic activity in all developed market economies as well as the EMEs (Emerging Market Economies). The IMF projects that the GDP growth of EMEs will decelerate to a range of 1.5% to 2.5% in 2009, down from 6.1% in 2008. India, to a large extent remained aloof from the impact of global crisis mainly because of prudentially strong financial sector, manageable inflation, foreign exchange reserves, social safety programmes in continuation and small volume of external trade. However, the crisis did impact in form of lower demand as evident from lower investment, lower credit off-take despite comfortable liquidity situation and decrease in quantum of exports.

While ensuring higher growth during 2008-09, the challenges before the Indian economy would be soaring global oil and primary food prices, power shortages, infrastructural bottlenecks and an apprehension of slowdown in all the major sectors viz. agriculture, industry and services in 2008-09 as compared to 2007-08.

The total food grain production during 2008-09 is estimated at 227.9 million tones lower than the production of 230.8 million tones in 2007-08. However with good rabi sowing, we may expect Indian agriculture situation to continue comfortable during 2009-10 as well.

The Index of Industrial Production (IIP) declined by 2.8% (April'08-Feb'09) as compared with an increase of 8.8% during the corresponding period last year. While IIP growth was 5% in the first half of 2008-09, it averaged 0.2% during the next five months. Services growth during tenth five-year plan stood at 8.6%. The services sector maintained the growth rate of overall 9.8% (April'08-Dec'08) with 10.2% in Q1 2008-09. Thus, the sustained economic growth of the country was broad-based.

Merchandise exports and imports contracted heavily on account of the contagion spreading fast through different components of India's BOP and could largely be controlled by policy actions. The rapid contraction in global as well as India's trade was reflected in the negative growth during the third quarter. The merchandise trade deficit was at US\$ 113.8 billion during Apr'08-Feb'09 while current account deficit widened to US\$ 36.5 billion during the same period.

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित सुर्खियों में आई मुद्रास्फीति 02.08.2008 के 12.91% से घट कर मार्च 2009 के अंत में 0.26% और 04.04.2009 को पुनः घट कर 0.18% हो गई। उपभोक्ता मूल्य वर्ष दर वर्ष विवधिता पर आधारित मुद्रास्फीति डब्ल्यूपीआई के विपरीत खाद्य और तेल की कीमतों में वृद्धि होने के कारण बढ़ी थी जिसमें हाल ही में कुछ कमी आई है। फरवरी/मार्च 09 के दौरान यह मार्च 2008 के 5.2%-6.4% की तुलना में 9.6%-10.8% की रेंज में थी।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में 25 आधार पाइन्ट की कटौती से रेपो और रीवर्स रेपो दर क्रमशः 4.75% एवं 3.25% हो गई जो प्रणाली में तरलता बढ़ाते हुए अर्थव्यवस्था में तेजी लाने की दिशा में एक और कदम है।

समग्रतः भारतीय आर्थिक परिदृश्य ने 2008-09 की तीसरी तिमाही के अंत में मंदी के दौर से धीमी वापसी के संकेत दिए हैं जो यह दर्शाता है कि 2009-10 में अर्थव्यवस्था में मामूली विकास होगा।

बैंकिंग परिदृश्य

आसन्न मंदी और तरलता प्रबंधन जैसी दो प्रमुख चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 2008-09 की मौद्रिक नीति में निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया है;

क) समुचित तरलता बनाए रखते हुए और इसके द्वारा ऋण वृद्धि को प्रोत्साहित करके और निर्यात संवर्धन तथा निवेश हेतु अनुकूल वातावरण तैयार कर वैश्विक संकट के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने पर मुख्यतः ध्यान केंद्रित करना।

ख) मेक्रो इकोनामिक और कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करते हुए अपेक्षाकृत घटी ब्याज दर व्यवस्था का अनुसरण करना।

ग) मध्यावधि में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना।

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का जो सरोकार 2008-09 के पूर्वार्ध में मुद्रास्फीति से संबंधित विषयों से था वह उत्तरार्ध के दौरान बदल कर वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने और विकास पर केन्द्रित हो गया।

2008-09 के दौरान वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल के संक्रमित प्रभाव ने तरलता की स्थिति को प्रभावित करना जारी रखा। भारतीय रिजर्व बैंक ने नकद आरक्षी अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) की मुख्य नीतिगत दरों में और रेपो तथा रीवर्स रेपो जैसी बाजार दरों में समुचित रूप से और समय पर कटौती करके तथा आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) और एनबीएफसी को पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करके सक्रिय तरलता प्रबंधन की नीति को जारी रखा है। 2008-09 की तीसरी तिमाही में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था के बाजार में तरलता समाप्त हो रही थी और ऋण बाजार लगभग रुके पड़े थे तब घरेलू मुद्रा और विदेशी मुद्रा बाजार पर गहरा प्रभाव पड़ा जिसने भारतीय रिजर्व बैंक को रुपए का पर्याप्त प्रावधान और विदेशी मुद्रा तरलता सुनिश्चित करने के उपाय करने के लिए प्रेरित किया।

वैश्विक वित्तीय संकट के प्रभाव में भारतीय वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल थी। विदेशी मुद्रा बाजार में विशेष रूप से 2008-09 के उत्तरार्ध में अत्यधिक अस्थिरता देखी गई जब विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) से विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन हुआ। मौद्रिक प्रबंधन मुख्यतः वैश्विक वित्तीय संकट के प्रभाव की प्रतिक्रिया पर आधारित था। चूंकि एफआईआई के माध्यम से पूंजी के साथ-साथ निकल जाने से पूंजी के आगमन में तीव्र गिरावट आई और विदेशी मुद्रा भंडार जो मार्च 08 में 309.7 बिलियन यूएस डालर था दिसम्बर 08 में घटकर 256.0 बिलियन यूएस डालर रह गया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 10 अप्रैल, 2009 को 253.0 बिलियन यू एस डालर था।

Headline Inflation based on the wholesale price index (WPI) softened from 12.91% as on 02.08.2008 to a low of 0.26% on end-March 2009 and further to 0.18% as on 04.04.2009. Inflation based on year to year variation in consumer prices unlike the WPI, subsequently went up mainly on account of rise in food and oil prices and recently showed modest moderation. It was placed in range of 9.6%-10.8% during Feb/March'09 as compared to 5.2%-6.4% in March 2008.

The recent cut in the repo and reverse repo rate by the Reserve Bank by 25 basis points to 4.75% and 3.25% respectively is another step in the direction of boosting the economy by increasing the liquidity in the system.

The overall Indian economic scenario hints at a gradual recovery of the recessionary phase towards the end of the third quarter of 2008-09 which indicates a modest performance of the economy in 2009-10.

BANKING SCENE

In order to address two major challenges, impending recession and liquidity management, stance of monetary policy of Reserve Bank of India during 2008-09 focused on;

- Concentrate largely on mitigation of adverse impact of global crisis by maintaining appropriate liquidity thereby promoting credit growth and creating a conducive environment for export promotion and investment;
- Pursuing a softer interest rate regime ensuring macroeconomic and price stability
- Containment of inflation in the medium term.

The monetary policy stance of the Reserve Bank shifted from concerns relating to inflation during the first half of 2008-09 to maintenance of financial stability and growth during the second half.

Liquidity conditions during 2008-09 continued to be influenced by the contagion impact of the global financial turmoil. The Reserve Bank continued with the policy of active management of liquidity through appropriate and timely reduction in the key policy rates of cash reserve ratio (CRR) and statutory liquidity ratio (SLR) and market rates like the repo and the reverse repo rates and refinance facilities provided to the Housing Finance Companies (HFCs) and the NBFCs. In the third quarter of 2008-09, when liquidity dried down in the global economy markets and credit markets almost froze, there were knock-on effects on domestic money and foreign exchange market which prompted the Reserve Bank to initiate measures to ensure adequate provision of rupee and foreign exchange liquidity.

The Indian financial markets were in turmoil under the impact of the global financial crisis. The foreign exchange market witnessed bouts of volatility, especially during the second half of 2008-09 due to the outflow of foreign exchange from Foreign Institutional Investors (FIIs). Monetary management was largely dictated by the response to the spillover effects of the global financial crisis. As capital inflows reduced sharply with simultaneous drainage of capital through FIIs, the foreign exchange reserves declined to US\$ 256.0 billion by Dec'08 from US\$ 309.7 billion as at Mar'08. India's foreign exchange reserves were US\$ 253.0 billion as at April 10, 2009.

2008-09 में प्रमुख मौद्रिक घटकों-रिजर्व मनी (आरएम) और मनी सप्लाई (एम 3) में वृद्धि ने घरेलू और वैश्विक वित्तीय परिस्थितियों तथा मौद्रिक नीति की प्रतिक्रिया से उत्पन्न बदलती तरलता स्थिति को प्रतिबिंबित किया। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल जमाराशि में वृद्धि पिछले वर्ष के 22.4% के सापेक्ष 2008-09 के दौर 19.8% रही। इस अवधि के दौरान निवल बैंक ऋण में वृद्धि मामूली रही और इसने पिछले वर्ष के 22.3% के सापेक्ष 17.3% की वृद्धि दर्ज की। गैर खाद्य ऋण मार्च 2009 के अंत में घटकर 17.5% हो गया जबकि इसने अक्टूबर 08 के दौरान 29.4% की वृद्धि दर्ज की थी। 27.03.2009 को यथास्थिति ऋण-जमा अनुपात (निवल) 72.32% रहा जबकि 31.03.2008 को यह 74.0% था। निवेश (सरकारी प्रतिभूतियों तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में) 13.03.2009 को यथास्थिति 20.5% बढ़ा जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह वृद्धि 25.8% थी। 10.04.2009 को यह रु.10,48,526.15 करोड़ था।

Growth in key monetary aggregates-reserve money (RM) and money supply (M3) in 2008-09 reflected the changing liquidity positions arising from domestic and global financial conditions and the monetary policy response. The aggregate deposits of SCBs went up by 19.8% during 2008-09 as against 22.4% in the previous year. The growth in net bank credit moderated during the same period, posting a growth of 17.3% as against 22.3% during the preceding year. Non-food credit decelerated to 17.5% as at March-end 2009 as compared to a growth of 29.4% registered during Oct'08. The credit-deposit ratio (net) stood at 72.32% as on 27.3.2009 as against 74.0% as on 31.03.2008. Investments (in Government securities & other approved securities) grew by 20.5% as on 13.03.2009 as compared to a growth of 25.8% in the corresponding period last year. It was at Rs.10,48,526.15 crores as on 10.04.2009.

कठोर जोखिम प्रबंधन तकनीकों को अपनाने पर भारतीय बैंकों द्वारा मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जाता रहा तथा कुछ और बैंकों द्वारा बेसेल-1। अनुपालन आरंभ कर दिया गया। एनपीए की मात्रा में कमी दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र था जिस पर भारतीय बैंकों द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। प्राथमिकता क्षेत्र और कृषि ऋण बढ़ा है तथा और अधिक बैंक लगातार सीबीएस प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। सीबीएस में माइग्रेशन और अधिक ग्राहक हितैषी सिद्ध हुआ है जिससे इंटरनेट बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग जैसी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली की समुत्थानशीलता साबित हो गई, जब प्रमुख वैश्विक धुरंधर विफल हो गए, उस समय उनके भारतीय प्रतिपक्ष अपने गौरवशाली पथ पर निर्बाध रूप से अग्रसर थे।

Adoption of stringent risk management techniques continued to be the focus area of Indian banks with more banks switching over to Basel-II compliance. Reduction in the volume of NPAs was another focus area where the Indian Banks continued their performance. Priority sector and agricultural lending improved and more banks continued to switch over to CBS platform. Migration to CBS proved to be more customer friendly with services as internet banking, SMS banking services to name a few. The resilience of the Indian Banking system was proved with the failure of major global players while their Indian counterparts continued their uninhibited march to glory.

इलाहाबाद बैंक का कार्यनिष्पादन / PERFORMANCE OF ALLAHABAD BANK

परिचालनगत परिणाम

मुख्य व्यवसाय मानदंडों में बैंक का कार्यनिष्पादन निम्नांकित सारणी में प्रस्तुत है :

OPERATING RESULTS

Bank's performance in key business parameters is presented below.

(रु. करोड़ में)

(Rs. in crores)

मानदंड /Parameter	मार्च '07 Mar'07	मार्च '08 Mar'08	वृद्धि (%) Growth(%)	मार्च '09 Mar'09	वृद्धि (%) Growth(%)
परिचालनगत लाभ / Operating Profit	1099.91	1479.51	34.51	1901.15	28.50
निवल लाभ / Net Profit	750.14	974.74	29.94	768.60	-21.15
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies	349.77	504.77	12.69	1132.55	
कुल आय/Total Income	5260.26	7135.97	35.66	8506.65	19.21
कुल व्यय (प्रावधान को छोड़कर) Total Expenditure (Excl. Prov.)	4160.35	5656.46	35.96	6605.50	16.78
ब्याज स्प्रेड / Interest Spread	1645.19	1672.34	1.65	2158.67	29.08
कुल जमाराशियां /Total Deposits	59544	71616	20.28	84971.79	18.65
कुल अग्रिम /Total Advances	41914	50312	20.04	59443.40	18.15
कुल व्यवसाय /Total Business	101458	121929	20.18	144415.00	18.44
सकल निवेश / Gross Investments	19050	23722	24.53	30081.00	26.81

पूँजी एवं आरक्षित निधि

यथास्थिति 31.03.2009 को बैंक की प्रदत्त पूँजी रु. 446.70 करोड़ रही। आरक्षित निधि और अधिशेष यथास्थिति 31.03.2008 को रु. 4774.35 करोड़ से बढ़कर रु. 5405.25 करोड़ हो गए।

लाभप्रदता

परिचालनगत लाभ

बैंक का परिचालनगत लाभ विगतवर्ष के रु.1479.51 करोड़ से 28.50% बढ़कर 2008-09 के दौरान रु. 1901.15 करोड़ हो गया।

निवल लाभ

बैंक का निवल लाभ विगत वर्ष के रु.974.74 करोड़ के सापेक्ष 2008-09 के दौरान रु.768.60 करोड़ रहा। बैंक की लाभप्रदता में मुख्यतः अग्रिमों से ब्याज आय की वर्धित मात्रा, वर्धित शुल्क आधारित आय, अल्प लागत जमा के बड़े अंश के कारण निधि की लागत में कमी और वृहद जमाशायियों से बचने का योगदान रहा।

लाभांश

बैंक के निदेशक मंडल ने 2008-09 के दौरान इक्विटी के 25% की दर से लाभांश की अनुशंसा की है।

वित्तीय परिणाम / FINANCIALS

बैंक के महत्वपूर्ण अनुपात नीचे दर्शाए गए हैं / Important ratios of the Bank are depicted below;

मानदंड / Parameters	31.3.07	31.3.08	31.3.09
पूँजी पर्याप्तता अनुपात / Capital Adequacy Ratio (%)	12.52	11.99	13.11
जिसमें से / Of which	8.10	7.71	8.01
टीयर I / Tier I (%) टीयर II / Tier II (%)	4.42	4.28	5.10
Net Interest Margin (%)	2.79	2.61	2.88
जमाशायियों की औसत लागत (%)			
Average Cost of Funds (%)	5.69	6.66	6.67
निधियों पर औसत आय (%)			
Average Yield on Funds (%)	8.11	9.26	9.62
जमाशायियों की औसत लागत (%)			
Average Cost of Deposits (%)	5.67	6.67	6.62
अग्रिमों पर औसत आय (%)			
Average Yield on Advances (%)	9.22	10.76	10.88
प्रति शेयर अर्जन (रु.) / Earnings per Share (Rs.)	16.79	21.82	17.21
प्रति शेयर बही मूल्य (रु.)			
Book Value per Share (Rs.)	100.22	116.88	131.00
आस्तियों पर प्रतिफल (%)			
Return on Assets (%)	1.26	1.32	0.90
औसत नेटवर्थ पर प्रतिफल (%)			
Return on Average Net Worth (%)	22.58	24.56	16.49
प्रावधान कवरेज अनुपात (%)			
Provision Coverage Ratio (%)	57.01	58.55	59.51
निवल एनपीए / Net NPAs (%)	1.07	0.80	0.72
प्रति कर्मचारी लाभ (रु.करोड़ में)			
Profit per Employee (Rs. in crore)			
प्रति कर्मचारी उत्पादकता (रु.करोड़ में)	3.68	4.85	3.76
Productivity per Employee (Rs. in crore)	4.95	6.04	7.06

CAPITAL AND RESERVES

The paid-up capital of the Bank remained at Rs.446.70 crores as on 31.3.2009. The reserves & surplus went up to Rs.5405.25 crores from Rs.4774.35 crores as on 31.03.2008.

PROFITABILITY

Operating Profit

The Operating Profit of the Bank grew by 28.50% to Rs.1901.15 crores during 2008-09 from Rs.1479.51 crores during the preceding year.

Net Profit

The net profit of the Bank stood at Rs.768.60 crore during 2008-09 as against Rs.974.74 crore during the preceding year. The profitability of the Bank was mainly contributed by increased volume of interest income from advances, enhanced fee-based income, reduction in cost of fund due to larger share of low cost deposits and refraining from bulk deposits.

Dividend

The Board of Directors of the Bank has recommended a dividend @25% of equity for 2008-09.

कार्यालय एवं शाखाएं

बैंक ने वर्ष 2008-09 के दौरान 105 शाखाएं खोलीं जिनमें से 17 शाखाएं विस्तार पटलों का उन्नयन करके खोली गईं जिससे शाखाओं की कुल संख्या दिनांक 31.03.2009 को यथास्थिति 2260 हो गई इनमें 968 ग्रामीण, 406 अर्धशहरी, 464 शहरी, 421 महानगरीय शाखाएं एवं एक विदेश स्थित शाखा हैं।

बैंक ने बहराइच, बेंगलोर और गोण्डा मण्डलों का 2008-09 के दौरान पुनर्गठन किया है जिससे मण्डलों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है। बैंक के बेहतर प्रबंधन के लिए समस्त 44 मण्डलों को देश के विभिन्न स्थानों में पदस्थ 9 क्षेत्र महाप्रबंधकों के बीच बाँटा गया है।

जमा संग्रहण

बैंक की कुल जमा राशियाँ यथास्थिति 31.03.2009 को 18.65% की उल्लेखनीय वृद्धि दिखाते हुए रु.84,972 करोड़ हो गई। कम लागतवाली जमा राशियाँ यथास्थिति 31.03.2009 को 13.91% बढ़कर रु.29,398 करोड़ हो गई जो वर्ष पूर्व की 36.41% की तुलना में सकल जमा राशियों का 35.08 % हैं। इस अवधि के दौरान जमा राशियों की लागत 6.67% से घटकर 6.62% हो गई।

बैंक ने उच्च विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) को कोर जमा और अल्पलागत जमा पर विशेष ध्यान देते हुए प्रतिस्थापित करने पर बल दिया है। परिणामस्वरूप, कोर जमा 2008-09 के दौरान 32.33% बढ़कर रु. 68,337 करोड़ हो गया। इस अवधि में कुल जमा में कोर जमा का अंश 72.11% से बढ़कर 80.42% हो गया। बैंक ने 1 सितंबर, 2009 से 31 दिसंबर 2009, तक बचत बैंक जमा संग्रहण अभियान और खुदरा मीयादी जमा संग्रहण अभियान चलाया। अभियान के दौरान 7.94 लाख नए बचत खातों में रु. 652.34 करोड़ जमा संग्रह किया गया और 3.73 लाख खातों में रु.3,781 करोड़ खुदरा मीयादी जमा संग्रह किया गया। बैंक ने 15.01.2009 से 31.03.2009 तक चालू खाता जमा संग्रहण अभियान भी चलाया और 15,204 खातों में रु.106,88 करोड़ चालू खाता जमा संग्रहण किया गया।

ऋण अभिनियोजन

बैंक का कुल अग्रिम यथास्थिति 31.03.2009 को 18.15% बढ़कर रु.59,443 करोड़ हो गया। ऋण - जमा अनुपात (सकल) विगत वर्ष के 69.96% के सापेक्ष 70.25% रहा। यद्यपि अग्रिम पोर्टफोलियो में धीमी वृद्धि हुई, फिर भी बैंक ने प्रणाली में अपना बाजार अंश 2.00% बनाए रखा। बैंक की बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) 12.50% यथास्थिति 31.03.2009 रही। अल्प आय वाले वृहद ऋण से बचने के बैंक के विवेकपूर्ण निर्णय के अनुरूप अग्रिमों पर आय 2007-08 के 10.76% से बढ़कर 2008-09 के दौरान 10.87% रही।

अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का प्रबंधन

बैंक ने अनर्जक आस्तियों की वसूली पर बल देना जारी रखा। बैंक ने सजीव एनपीए और अपलेखित खातों में वसूली के लिए सितंबर 2008 को विशेष वसूली अभियान चलाया। अभियान की अवधि में रु. 47.48 करोड़ की संचयी वसूली हुई।

देशभर में मण्डलीय कार्यालयों के वसूली कक्ष अनर्जक आस्तियों की प्रभावी निगरानी एवं वसूली कर रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में शाखाओं में वसूली में गति प्रदान करने और समन्वय हेतु मंडल स्तर पर वसूली टीमों गठित की जाएंगी। रु.10.00 लाख से अधिक की दबाव वाली समस्त आस्तियों की देखरेख के लिए प्रारंभ में तीन स्थलों कोलकाता, मुम्बई और नई दिल्ली में वसूली शाखाओं का पुनर्गठन खासतौर पर प्रक्रियाधीन है।

OFFICES & BRANCHES

The Bank opened 105 branches out of which 17 branches were opened by way of up-gradation of extension counters during 2008-09, taking total branches to 2260 as on 31.3.2009, with 968 rural, 406 semi-urban, 464 urban, 421 metropolitan branches and one foreign branch.

The Bank has reconstituted the Bahraich, Bangalore and Gonda Zone during 2008-09 leading to an increase in the number of zones to 44. For better management of the Bank, all the 44 zones have been distributed among the 9 Field General Managers posted across the country.

DEPOSIT MOBILISATION

Total deposits of the Bank showed a significant growth of 18.65% to Rs.84,972 crores as on 31.3.2009. Low cost deposits grew by 13.91% to Rs.29,398 crores as on 31.3.2009, constituting 35.08% of aggregate deposits as compared to 36.41% a year ago. Cost of deposits declined to 6.62% from 6.67% during the period.

The Bank emphasized on replacing high cost Differential Rate of Deposit (DRI) with core deposit and that with special focus on low cost deposit. Consequently, the core deposits grew by 32.33% to Rs.68,337 crores during 2008-09. The share of core deposit in total deposit increased from 72.11% to 80.42% during the period. The Bank observed Saving Bank deposit mobilization campaign and Retail Term deposit mobilization campaign from 1st September'2009 to 31st December'2009. During the campaign, SB deposits of Rs.652.34 crores were mobilized in 7.94 lacs fresh SB accounts and Retail Term deposit mobilized to the tune of Rs.3,781 crores in 3.73 lacs account. The Bank also observed Current Account Deposit Mobilisation campaign from 15.01.09 to 31.03.09 and CA deposits of Rs.106.88 crores were mobilized in 15,204 accounts.

CREDIT DEPLOYMENT

Total advances of the Bank went up by 18.15% to Rs.59,443 crores as on 31.3.2009. Credit-deposit ratio (gross) stood at 69.96% as against 70.25% last year. Even though there was moderation in growth of the advances portfolio, the Bank maintained its market share over 2.00% in the system during the period. The Benchmark Prime Lending Rate (BPLR) of the Bank stood at 12.50% as on 31.03.2009. Yield on advances increased to 10.87% during 2008-09 from 10.76% during 2007-08 in line with the Bank's conscious decision to refrain from low yield bulk credit.

NON-PERFORMING ASSETS (NPAs) MANAGEMENT

The Bank continued its emphatic thrust on recovery of non-performing assets. The Bank launched special Recovery Campaign from September, 2008 for recovery in live NPA and written-off accounts. Cumulative recovery made during the campaign period was Rs.47.48 crores.

The recovery cell at various Zonal Offices through out the country is performing well in effective monitoring and recovery of Non-performing Assets. Re-constitution of Recovery Branches for dealing all stressed assets of above Rs.10.00 lacs in focused manner is under process, initially at three locations, viz. Kolkata, Mumbai & New Delhi.

अन्य के साथ प्रमुख क्षेत्रों में शामिल है :

- ❑ सघन निगरानी एवं अन्य नियंत्रक उपायों द्वारा नया एनपीए पनपने से रोकना।
- ❑ सरफेसी अधिनियम और अन्य विधिक उपायों का सहारा लेकर एनपीए में कमी लाना।
- ❑ अपलेखित ऋण खातों में वसूली के माध्यम से डी-रेकग्नाइज्ड ब्याज द्वारा आय में बढ़ोतरी।
- ❑ ऋण जोखिम प्रबंधन को मजबूत करना।
- ❑ नए एनपीए खातों एवं पुनर्गठन/सीडीआर के अधीन खातों के उन्नयन पर जोर।
- ❑ उधारकर्ताओं के विभिन्न वर्गों यथा- लघु एवं सीमांत किसानों, सरकार द्वारा प्रायोजित ऋणों, कृषि ऋण इत्यादि हेतु निपटान योजना।
- ❑ लघु एवं क्लस्टर ऋणों की वसूली (निपटान शिविरों/वसूली शिविरों एवं लोक अदालत के माध्यम से अपलेखित ऋणों सहित)

बैंक की सकल अनुपयोज्य आस्तियां 31.03.2008 को यथास्थिति रु.1010.51 करोड़ के सापेक्ष 31.03.2009 को यथास्थिति रु.1078.25 करोड़ थीं जबकि निवल अनुपयोज्य आस्तियां रु. 399.81 करोड़ की तुलना में 422.11 करोड़ रहीं। सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत 2.00% से घटकर 1.81% रह गया। निवल अग्रिम की तुलना में निवल एनपीए का अनुपात 0.80% से घटकर 0.72% रह गया। बैंक का प्रॉविजन कवरेज अनुपात 59.51% रहा जबकि स्लिपेज अनुपात 1.72% रहा।

सामाजिक बैंकिंग

बैंक ने नए नीतिगत निर्णयों और कृषक समुदाय के लिए उपयोगी नए उत्पादों की श्रृंखला द्वारा अपने कृषि ऋण को नया रूप प्रदान किया। प्राथमिकता क्षेत्र एवं कमजोर वर्गों के मामले में बैंक का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है:

The thrust areas included, among others;

- ❑ Arrest of Fresh addition of NPAs by ensuring close monitoring and other control measures,
- ❑ Reduction in NPA through invocation of SARFAESI Act and application of other legal measures for logical conclusion,
- ❑ Increase in income from derecognised interest through recovery in written-off debt accounts,
- ❑ Strengthening credit risk management,
- ❑ Thrust on upgradation of fresh NPAs A/cs and accounts under restructuring/CDR,
- ❑ Settlement scheme for different segment of borrowers like; small & marginal farmers, Govt. sponsored loans, agricultural credit etc,
- ❑ Recovery of small & cluster loans (including written off debts through settlement camps/recovery camps and Lokadalats),

Gross non-performing assets of the Bank was at Rs.1078.25 crore as on 31.3.2009 as against Rs.1010.51 crores as on 31.3.2008 while net non-performing assets stood at Rs.422.11 crores as compared to Rs.399.81 crores. The gross NPAs as percentage to gross advances declined to 1.81% from 2.00%. The ratio of net NPAs to net advances reduced to 0.72% from 0.80%. The provision coverage ratio of the Bank stood at 59.51% while the slippage ratio was at 1.72%.

SOCIAL BANKING

The Bank revamped its agriculture lending by adopting fresh policy decisions and formulating new product lines, suitable to the farming community. The Bank's performance under Priority Sectors and Weaker Sections is presented below.

क्षेत्र/योजनाएँ / Sector/Schemes	मार्च / March 2008		मार्च / March 2009	
	खातों की सं. (लाख में) Number of Accounts (in lacs)	राशि (रु.करोड़ में) Amount (Rs. crores)	खातों की सं. (लाख में) Number of Accounts (in lacs)	राशि (रु. करोड़ में) Amount (Rs. crores)
1. प्राथमिकता क्षेत्र / Priority Sector	16.60	18,774	15.02	20,435
जिसमें से / Of which				
i) कृषि / Agriculture	11.26	9,146	10.43	9,568
- प्रत्यक्ष / Direct	11.11	6,571	10.21	7,306
- अप्रत्यक्ष / Indirect	0.15	2,575	0.22	2,262
ii) एम एस ई / MSE	1.77	3,530	1.80	4,593
iii) अन्य / Others	3.57	6,098	2.85	6,275
2. अजा/अजजा को ऋण (कुल प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में से) SC/ST Credit (Out of total Priority Sector Credit)	4.06	1835	3.42	2,237
3. कमजोर वर्ग /Weaker Sections	9.29	4,455	9.25	5,010

महत्वपूर्ण अनुपात / Important Ratios	राष्ट्रीय लक्ष्य National Goal	मार्च / March 2008	मार्च / March 2009
समायोजित निवल बैंक ऋण में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण PSC to Adjusted Net Bank Credit	40	45.47	41.10
समायोजित निवल बैंक ऋण में कृषि ऋण / Agri Credit to Adjusted Net Bank Credit	18	20.41	19.20
समायोजित निवल बैंक ऋण में कमजोर वर्ग को ऋण / Weaker Sec. Credit to Adjust. Net Bank Credit	10	10.79	10.07

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)

2008-09 के दौरान बैंक ने 1.91 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जिसमें रु.1089.25 करोड़ की ऋण राशि शामिल थी। 31.03.2009 को यथास्थिति कुल रु. 5266.01 करोड़ की ऋण सीमा के साथ केसीसी की संचित संख्या 12.76 लाख थी।

किसान शक्ति योजना (केएसवाई)

किसान शक्ति योजना के अंतर्गत बैंक ने 2008-09 के दौरान 1999 किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को रु. 32.73 करोड़ की ऋण सुविधा प्रदान की। 31.03.2009 को यथास्थिति योजना के अंतर्गत वित्तपोषित किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की संचयी संख्या 1,46,785 थी जिसमें रु.1,935.09 करोड़ की राशि शामिल है।

एमएसएमई क्षेत्र का वित्तपोषण

माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को अग्रिम 31.03.2009 को यथास्थिति रु. 5508.06 करोड़ हो गया जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित रु. 5,350 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष में 19.49% की वृद्धि दर्शाता है। बैंक ने भोपाल, लुधियाना, राँची, कोलकाता, कानपुर और नई दिल्ली में 6 क्षेत्रीय एम एस एम ई केयर सेंटर स्थापित किए हैं।

स्वयं सहायता समूह

बैंक ने स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों को आर्थिक गतिविधियां करने और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने यथा आवास, स्वास्थ्य, विवाह, शिक्षा और अनौपचारिक ऋणदाताओं से लिए गए ऋणों के उपभोग एवं स्वेपिंग हेतु एक योजना आरंभ की है। योजना के तहत कुल वित्तीय सहायता प्रति एसएचजी रु. 5.00 लाख की अधिकतम सीमा के साथ एसएचजी के प्रति सदस्य को रु. 50,000 तक है।

कृषकों और बेरोजगार युवकों हेतु प्रशिक्षण सुविधाएँ

बैंक के पास चार प्रशिक्षण संस्थान हैं जिसमें एक रायबरेली, उ.प्र. में, एक हजारीबाग, झारखंड में, एक बोलपुर, पश्चिम बंगाल में और एक संस्थान डेबरा, पश्चिम मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में स्थापित है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), भारत सरकार ने पिछले दिनों सेंट्रल लेवल को-आर्डिनेशन कमेटी (सीएलसीसी) की लगातार कई बैठकें बुलाई थीं, ऐसी पिछली बैठक दिनांक 05.12.2008 को आयोजित हुई। इस प्रकार के संस्थान देश के सभी जिलों में स्थापित करने के दृष्टिकोण से, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ भारत सरकार से अनुदान सहायता हेतु प्रावधान को कवर करते हुए दिनांक 07.01.09 को "ग्रामीण स्वरोजगार संस्थानों हेतु दिशानिर्देश" (आरएसईटीआई) जारी किए हैं। बैंक ने 17 आरएसईटीआई (वर्तमान 4 आरयूडीएसईटीआई सहित) खोलने हेतु कार्रवाई की है। ऐसे संस्थान बैंक द्वारा निर्देशित संस्थान होने चाहिए और आरएसईटीआई की स्पॉन्सरशिप एक जिले में एक ही बैंक की होगी। ऐसे संस्थान आवासीय सुविधाओं के साथ चलाए जाएंगे।

बैंक ने 2008-09 के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र हेतु ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए कृषि उप-क्षेत्र पर विशेष बल सहित जिन प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की

Kisan Credit Card (KCC)

The Bank issued 1.91 lacs Kisan Credit Cards involving a credit amount of Rs.1089.25 crores during 2008-09. The cumulative KCC numbered 12.76 lacs with a credit line of Rs.5266.01 crores as on 31.3.2009.

Kisan Shakti Yojana (KSY)

The Bank extended credit facility under KSY to 1999 Kisan Credit Card holders involving a credit limit of Rs.32.73 crores during 2008-09. Cumulative number of Kisan Credit Card holders financed under the scheme was 1,46,785 involving Rs.1935.09 crores as on 31.03.2009.

MSME Sector financing

Advances to Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) increased to Rs.5508.06 crores as on 31.3.2009, showing a growth of 19.49% as against the target of Rs.5,350 crores (16%) stipulated by the Govt. of India. The Bank has setup 6 Regional MSME Care Centres at Bhopal, Ludhiana, Ranchi, Kolkata and New Delhi.

Self Help Group

The Bank has launched a scheme to meet the total financial requirement of self help groups (SHGs) members for taking up economic activities and meeting social needs such as Housing, Health, Marriage, Educations and Consumption and Swapping of debts to informal lenders. Total financial assistance under the scheme is to the extent of Rs. 50,000/- per member of SHG with a maximum ceiling of Rs. 5.00 lacs per SHG.

Training Facilities to Farmers & Unemployed Youths

The Bank has four training institutes one each in Rae Bareilly, U.P., Hazaribagh in Jharkhand, Bolpur in W.B. and Debra, Paschim Medinipore in West Bengal.

The Ministry of Rural Development (MORD), Govt. of India had in the recent past conducted series of meetings of Central Level Co-ordination Committee (CLCC), the last being on 05.12.08. With a view to establish such institutes at all Districts of the country, the MoRD has come out with "Guidelines for Rural Self Employment Institutes (RSETIs)" on 07.01.09 covering inter alia the provision for grant assistance from Govt. of India. Bank has taken steps to open 17 RSETIs (including existing 4 RUDSETIs). Such institutes should be bank led institutions and there shall be single bank's sponsorship of RSETIs in a District. Such institutes to operate with residential facilities.

The Bank has identified the thrust areas such as financing of supply chains for Agri Business development, Plantation &

है, वे हैं कृषि व्यवसाय विकास हेतु आपूर्ति श्रृंखला, पौध-रोपण एवं बागवानी, लघु सिंचाई विकास, फसल कटाई के बाद उसके स्टोरेज हेतु आधारभूत सुविधाओं का वित्तपोषण और एसएचजी/जेएलजी को माइक्रो वित्त संस्थाओं आदि के माध्यम से ऋण प्रदान करना।

गैर-परम्परागत ग्रामीण आधारभूत ढाँचा विकसित करने हेतु बैंक ने ग्रामीण टूरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण शिक्षा, ग्रामीण टेलीफोनी एवं इंटरनेट कियोस्क तथा ग्रामीण स्वास्थ्य इकाइयों के वित्तपोषण की योजना बनाई है।

31.03.2009 तक 519 कार्यक्रम संचालित किये गये जिनमें 13,623 कृषकों/बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण दिया गया और 5,295 प्रशिक्षणार्थियों को रु. 36.34 करोड़ की ऋण सुविधाओं से जोड़ा गया।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी)

झारखंड राज्य के एसएलबीसी का संयोजक होने के नाते बैंक ने राज्य के आर्थिक उत्थान हेतु बल देना जारी रखा। हजारीबाग, झारखंड में बैंक द्वारा पूर्णतया प्रबंधित एवं प्रायोजित संस्थान, बिरसा मुण्डा उद्यमिता विकास संस्थान (बीएमआईडी) ने 3,048 बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण प्रदान किया है, जिनमें से 633 प्रशिक्षित व्यक्तियों ने अब तक विभिन्न बैंकों से रु. 7.21 करोड़ की वित्तीय सहायता प्राप्त की है।

अग्रणी बैंक योजना

उत्तर प्रदेश में 13, झारखंड में 2 तथा मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में 1-1 जिले सहित 17 जिलों में अग्रणी बैंक के दायित्वों को निभाते हुए जिला ऋण योजना 2008-09 के अंतर्गत बैंक ने रु.1378.58 करोड़ का ऋण संवितरित किया जो लक्ष्य की 98% उपलब्धि है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

बैंक द्वारा प्रायोजित 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश में तथा एक मध्य प्रदेश में कार्यरत है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अपने कार्यनिष्पादन में और सुधार कर विगत वर्ष के रु.43.01 करोड़ के सापेक्ष 2008-09 के दौरान रु.45.85 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया। संचित लाभ विगत वर्ष के रु. 340.77 करोड़ के सापेक्ष रु. 386.62 करोड़ रहा।

बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने सेवा क्षेत्र ऋण योजना के अंतर्गत 2007-08 के दौरान किए गए रु.864.98 करोड़ के संवितरण के सापेक्ष 2008-09 के दौरान रु.1033.02 करोड़ का संवितरण किया। 2007-08 के दौरान जारी किए गए 87,129 कार्डों के सापेक्ष 2008-09 के दौरान 1,52,825 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए।

गरीबी उन्मूलन योजनाएं

भारत सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 23.05.2008 को **कृषि ऋण छूट एवं ऋण राहत योजना 2008** घोषित की गई। योजना के तहत लघु और सीमांत कृषकों (5 एकड़ जमीन वाले) को दिनांक 31.12.2007 को यथास्थिति अतिदेय कृषि ऋण की पूरी छूट मिली और बाकी ऋण 29.02.2008 तक अदा न करने की छूट मिली और अन्य कृषकों (5 एकड़ से अधिक जमीन वाले) को दिनांक 31.12.2007 को यथास्थिति अतिदेय ऋण के 25% की छूट मिली और बाकी ऋण 29.02.2008 तक अदा न करने की छूट मिली यदि वे ऋण राशि का 75% तीन किस्तों में दिनांक 30.09.2008, 31.03.2009 और 30.06.2009 को अदा कर दें। ऋण छूट के लिए बैंक का लेखापरीक्षापूर्व दावा रु.1040.80 करोड़ है जिसमें से रु. 426.73 करोड़ की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अब तक प्रतिपूर्ति की जा चुकी है। ऋण राहत के दावे का अंतिम निपटान जून 2009 के बाद किया जाएगा।

Horticulture, Minor Irrigation development, Post harvest storage infrastructures, lending to SHGs/JLGs through Micro Finance Institutions etc. to accelerate credit flow to priority sector with special emphasis to Agriculture sub- sector during 2008-09.

For developing non-conventional rural infrastructures, the Bank has formulated the schemes for financing of Rural Tourism Infrastructure, Rural Education, Rural Telephony & Internet Kiosk and Rural Health Care Unit.

Up to 31.03.2009, 519 programmes were conducted extended training to 13,623 farmers/unemployed youths, out of which 5,295 trainees were credit linked involving an amount of Rs.36.94 crores.

State Level Bankers' Committee (SLBC)

The Bank continued thrust for economic upliftment of the State of Jharkhand as SLBC convenor. The Bank's wholly managed and sponsored institute, *Birsa Munda Institute of Entrepreneurship Development (BMIED)* at Hazaribagh, Jharkhand, imparted training to 3,048 unemployed youths of which 633 trained persons received financial assistance amounting to Rs.7.21 crores from various banks so far.

Lead Bank Scheme

Under Lead Bank responsibilities in 17 districts, 13 in Uttar Pradesh, 2 in Jharkhand and one each in Madhya Pradesh & West Bengal, the Bank disbursed Rs.1378.58 crores under the District Credit Plan 2008-09, achieving 98% of the target.

Regional Rural Banks (RRBs)

Out of the three Regional Rural Banks (RRBs) sponsored by the Bank, two RRBs operating in Uttar Pradesh one in Madhya Pradesh. These RRBs further improved their performance with an aggregate profit of Rs.45.85 crores during 2008-09 as against Rs.43.01 crores last year. The accumulated profit stood at Rs.386.62 crores as against Rs.340.77 crores last year.

The Bank-sponsored RRBs disbursed Rs.1033.02 crores during 2008-09 under the Service Area Credit Plan as against disbursement figure of Rs.864.98 crores made during 2007-08. A total of 1,52,825 Kisan Credit Cards were issued during 2008-09 as against 87,129 cards issued during 2007-08.

Poverty Alleviation Schemes

In line with the direction of Government on India, *Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme 2008* was declared on 23.05.2008. Under The scheme, the Small and Marginal Farmers (land holding upto 5 acres) had got total waiver of the overdue agricultural loan as on 31.12.2007 and remaining unpaid up to 29.02.2008 and the other farmers (land holding above 5 acres) had got 25% relief of their overdue loan as on 31.12.2007 and remaining unpaid till 29.02.2008 if they pay 75% of the amount by three installments on 30.09.2008, 31.03.2009 and 30.06.2009. The pre-audit claim of the Bank for debt waiver is Rs.1040.80 crore of which Rs.426.73 crore has so far been reimbursed by RBI. The claim of debt relief will be crystallised after June 2009.

अल्पावधि कृषि ऋण हेतु ब्याज परिदान योजना, रु. 3.00 लाख तक की ऋण सीमा वाले अल्पावधि फसल ऋण पर लागू है, के अंतर्गत यदि बैंक कृषक के खाते में 7% ब्याज प्रभारित करता है तो बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से 3% ब्याज परिदान उपलब्ध है। किसी खाते में ब्याज परिदान एक वर्ष में अधिकतम 9 माह हेतु उपलब्ध है। 2008-09 में बैंक रु. 18.64 करोड़ का ब्याज परिदान प्राप्त कर चुका है।

वित्तीय समावेशन

बैंक ने उत्तर प्रदेश के 3 अग्रणी जिलों में और झारखंड के एक अग्रणी जिले में 100% वित्तीय समावेशन प्राप्त कर लिया है। उ.प्र. के जिले हैं - हमीरपुर, सोनभद्र और बलरामपुर तथा झारखंड का जिला है दुमका। भारत सरकार ने संघ के बजट 2008-09 में बैंकों से प्रतिवर्ष कम से कम 250 ग्रामीण परिवारों के नए खाते अपनी प्रत्येक ग्रामीण और अर्धशहरी शाखा में खोलने के लिए कहा है। बैंक मई 2009 में कोलकाता में प्रायोगिक आधार पर अपना पहला फाइनेंशियल लिटरेसी एंड क्रेडिट काउंसलिंग सेन्टर (एफएलसीसी) स्थापित करने के लिए तैयार है। बैंक ने और अधिक लोगों को संस्थागत बैंक सेवा से जोड़ने के उद्देश्य से 31.03.2009 तक 10,65,954 नो-फ्रिल खाते खोले।

उत्पाद विकास एवं विपणन

बैंक के पास समाज के सभी वर्गों की व्यक्तिगत, उपभोक्ता और व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए खुदरा ऋण उत्पादों का खूबसूरत संग्रह है। बैंक के देशभर में फैले 126 रिटेल बैंकिंग बुटीक (आरबीबी) के माध्यम से खुदरा ऋण वितरण हेतु समर्पित डिलीवरी चैनल हैं। शिक्षा ऋण योजना आकर्षक संवर्धित विशेषताओं और आईआईटी/आईआईएम/आईएसबी, हैदराबाद के विद्यार्थियों के लिए ब्याज दर, प्रतिभूति मानदण्डों में विशेष प्रोत्साहन के साथ प्रस्तुत की गई है। शिक्षा ऋण हेतु बैंक की अनूठी ऑनलाइन अनुमोदन सुविधा है। ऑल बैंक प्रॉपर्टी एवं ऑल बैंक रेंट स्कीम को वर्तमान बाजार परिदृश्य के अनुकूल बनाने के लिए समीक्षा की गई है। बैंक ने 2008-09 के दौरान कार के वित्त पोषण के लिए मे. मारुति सुजुकी के साथ और दुपहिया वाहन के वित्त पोषण के लिए मे. सुजुकी मोटरसाइकिल्स के साथ गठबंधन किया है। बैंक ने रु. 20.00 लाख तक के समस्त नए गृह ऋणों के लिए विशेष पैकेज दिया है। इस पैकेज के अंतर्गत, निशुल्क बीमा कवर के साथ ब्याज दर, मार्जिन को कम किया गया है तथा प्रक्रिया शुल्क और पूर्व भुगतान पेनाल्टी से राहत प्रदान की गई है। खुदरा ऋण के अंतर्गत बकाया मार्च 2008 को यथास्थिति रु.7394.25 करोड़ के सापेक्ष मार्च 2009 को यथास्थिति रु.8406.48 करोड़ था। खुदरा ऋण के अंतर्गत संवितरण पिछले वित्तीय वर्ष के रु.1292.69 करोड़ के सापेक्ष 38.90% की वृद्धि दर्ज करते हुए मार्च 2009 को यथास्थिति 1795.60 करोड़ था।

शुल्क आधारित आय

बैंक ने थर्ड पार्टी उत्पादों के प्रमोशन एवं अन्य शुल्क आधारित गतिविधियों पर विशेष बल दिया। 2008-09 के दौरान टीपीपी व्यवसाय से कुल आय विगत वर्ष के रु.10.29 करोड़ से 22% बढ़कर रु.12.56 करोड़ हो गई। टीपीपी के प्रमोशन हेतु बैंक का पहले से ही यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमि. (यूएसजीआईसीएल) एवं भारतीय जीवन बीमा निगम एवं (एलआईसीआई) के साथ क्रमशः गैर-जीवन बीमा एवं जीवन बीमा व्यवसाय हेतु गठजोड़ है। म्युचुअल फंड उत्पादों के प्रमोशन हेतु बैंक का देश की पाँच अग्रणी एएमसी नामतः युटीआई, प्रिंसिपल पीएनबी, कोटक महिन्द्रा, फ्रैंकलिन टेम्पलटन और रिलायंस म्युचुअल फंड के साथ बहुविध गठजोड़ है ताकि अपने ग्राहकों, जो अपनी अधिशेष निधि को म्युचुअल फंड में लगाना चाहते हैं, को विभिन्न प्रकार के उत्पाद उपलब्ध कराये जा सकें। सीबीएस में माइग्रेट होने के उपरांत नकदी

The Interest Subvention Scheme for Short Term Crop Loan, which is applicable for short term crop loan upto a loan limit of Rs.3.00 lakh, 3% Interest Sub-vention is available to the Banks from Reserve Bank of India if Bank charges 7% interest to farmer's account. The interest sub-vention is available for an account for a maximum period of 9 months in a year. In 2008-09, Bank has availed Interest subvention of Rs.18.64 Crore.

Financial Inclusion

The Bank has achieved 100% Financial Inclusion in 3 Lead Districts of U.P. and one Lead District of Jharkhand. The districts are Hamirpur, Sonbhadra and Balarampur in U.P. and Dumka in Jharkhand. Govt of India has advised the Banks in the Union Budget 2008-09 to add at least 250 rural household accounts every year at each of their rural and semi-urban branch. The Bank is ready to setup its first Financial Literacy and Credit Counselling Centre (FLCC) on pilot basis in Kolkata in month of May' 2009. In order to bring more people into the fold of institutional bank services, the bank has opened 10,65,954 no-frill accounts up to 31.03.2009.

RETAIL PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING

The Bank has bouquet of Retail Credit Products to cater to the personal, consumer and business needs of all sections of the society. The Bank has dedicated delivery channel for Retail Lending through its 126 Retail Banking Boutiques (RBBs) across the country. Education Loan Scheme has been revamped with added attractive features and special incentives for students of IITs/ IIMs/ ISB, Hyderabad in rate of interest, security norms. The Bank has unique online approval facility for educational loans. AllBank Property & AllBank Rent Scheme has been reviewed to suit the present market scenario. The Bank has entered into tie-up with M/s Maruti Suzuki for Car Finance and with M/s Suzuki Motorcycles for Two Wheeler Finance during 2008-09. The Bank has offered special package to all new Housing Loans upto Rs. 20.00 Lacs. Under this package Rate of Interest, Margin stands reduced and Processing Fee and Prepayment Penalty has been waived with free insurance cover. Total outstanding under Retail Credit as on Mar' 2009 was Rs.8406.48 crores as against Rs.7394.25 Crores as on Mar'2008. Disbursement under Retail Credit as on Mar'2009 was Rs.1795.60 Crores as against Rs. 1292.69 Crores during the last financial year registering a growth of 38.90%.

FEE BASED INCOME

The Bank has given a thrust towards promotion of third party products and other fee based activities. The income from TPP business grew by 22% to reach at Rs.12.56 Crores during 2008-09 from Rs.10.29 Crores last year. Under promotion of TPP, Bank is already having tie-up with Universal Sampo General Insurance Company Ltd. (USGICL) and Life Insurance Corporation of India (LIC) in the respective fields of non-life insurance and life insurance business respectively. For promotion of MF products, the Bank has multiple tie-ups with country's five leading AMC's namely UTI, Principal Pnb, Kotak Mahindra, Franklin Templeton & Reliance Mutual Fund providing wide range of products to its customers who intended to park their surplus fund in Mutual Funds. Under Cash Management Services (CMS), new avenues have emerged post migration to CBS and the Bank has plans to fully exploit

प्रबंधन सेवाओं (सीएमएस) के अंतर्गत नए अवसर सामने आये हैं और बैंक की योजना है कि वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान विभिन्न प्रकार के नये सीएमएस उत्पादों के माध्यम से मौके का पूरा लाभ लिया जाए। बैंक की चुनिंदा शाखाओं के माध्यम से स्वर्ण मुद्राओं/छड़ों की खुदरा बिक्री के लिए आल बैंक स्वर्ण योजना अनुमोदित की गई तथा पॉइला बैशाख (15 अप्रैल, 09) को इसका शुभारंभ किया गया।

निवेश

दिनांक 31.03.2009 को यथास्थिति बैंक का सकल निवेश रु. 30,081 करोड़ था जो दिनांक 31.03.2008 को यथास्थिति रु. 23,722 करोड़ था। निवेश पर आय 2007-08 के दौरान 7.43% से बढ़कर बाजार प्रवृत्ति के अनुरूप 2008-09 के दौरान 7.57% हो गई।

जोखिम प्रबंधन

बैंक ने उद्योग के सर्वोत्तम व्यवहार के अनुरूप एक व्यापक जोखिम निर्धारण और प्रबंधन प्रक्रिया स्थापित की है। तदनुसार, बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति और विविध कार्यपालक स्तरीय समितियों को मिलाकर एक उपयुक्त जोखिम प्रबंधन संरचना बनाई गई है ऋण, बाजार और परिचालन क्षेत्रों के जोखिम तत्वों को चिह्नित करने, अनुमान लगाने और उनका शमन करने की प्रक्रिया को और मजबूत करने के दृष्टिकोण से एक समन्वित जोखिम प्रबंधन विभाग बैंक में गठित कर दिया गया है।

बैंक ने बेसेल - II को कार्यान्वित किया है और भा.रि.बैं. के निर्देशानुरूप, बैंक ने ऋण जोखिम के तहत जोखिम भार की गणना के लिए स्टैंडर्डाइज्ड एप्रोच प्रणाली, परिचालन जोखिम हेतु बेसिक इंडिकेटर एप्रोच और बाजार जोखिम के लिए स्टैंडर्डाइज्ड एप्रोच - अवधि आधारित एप्रोच को अपनाया है।

बाजार अनुशासन के पालन के लिए, बैंक वार्षिक रिपोर्ट और अपनी वेबसाइट में भी सभी अपेक्षित प्रकटीकरण प्रकाशित कर रहा है। उन्नत दृष्टिकोण अपनाने की तैयारी हेतु तकनीक आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली का कार्यान्वयन पूरे जोरों पर है।

बेसेल-II मानकों के अन्तर्गत प्रकटीकरण अनुबंध के रूप में अलग से दिए गए हैं (पृष्ठ 51 से 76 तक)।

ग्राहक सेवा

“बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति” बैंक में ग्राहक सेवा में सुधार हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित लोक सेवाओं संबंधी प्रक्रिया एवं कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा समिति (सीपीपीएपीएस) के सुझावों के कार्यान्वयन को बैंक द्वारा उच्च प्राथमिकता दी गई है। ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति को तीन लोक प्रतिष्ठित हस्तियों को गैर-कार्यपालक सदस्यों के रूप में शामिल करते हुए ग्राहक सेवा के विविध पहलुओं पर बेहतर विचार-विमर्श के लिए पुनर्गठित किया गया है। समिति की बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित होती हैं। समिति के सुझावों के अनुसार ग्राहक सेवा में सुधार हेतु कदम उठाए जाते हैं। बैंक ने व्यक्तिगत ग्राहकों के प्रति उचित और पारदर्शी व्यवहार सुनिश्चित करने हेतु कोड ऑफ कमिटमेंट को अपनाते हुए बैंकिंग कोड्स एवं स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इण्डिया (बीसीएसबीआई) की सदस्यता ग्रहण की है। इसके अलावा, एक क्रोनिकल “कस्टमर्स वॉयस” का सभी स्तरों पर ग्राहक सेवा में सुधार के आशय से उद्घाटन किया गया है।

अपने ग्राहक को जानिए और एंटी मनी लाउन्डरिंग उपाय

बैंक ने अपने ग्राहक को जानिए/एंटी मनी लाउन्डरिंग उपाय से संबंधित विस्तृत नीतिगत दिशानिर्देश तैयार किये हैं। बैंक द्वारा खाता खोलते

the situation after switching over to new software with varied new CMS products during FY 2009-10. All Bank Gold Scheme for retail selling of Gold coins/bars through selected CBS branches was approved and launched from Poila Baishakh (15th April, 2009).

INVESTMENTS

Gross investments of the Bank was at Rs.30,081 crores as on 31.3.2009 as against Rs.23,722 crores as on 31.3.2008. The yield on investments increased to 7.57% during 2008-09 from 7.43% during 2007-08, in line with the market trend.

RISK MANAGEMENT

The Bank has established a comprehensive Risk Assessment and Management System in line with the best practices in the industry. Accordingly, a suitable Risk Management Architecture has been set up comprising Board level Risk Management Committee and various Executive level committees. With a view to strengthen further the process of identifying, measuring and mitigating risk elements of Credit, Market and Operational areas, an Integrated Risk Management Department has since been set up in the Bank.

The Bank has implemented BASEL-II and in line with the RBI direction, the Bank has adopted Standardised Approach methodology for calculation of Risk weight under Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational risk and Standardised Approach-duration based approach for market risk.

Towards observance of Market Discipline, the Bank is publishing all the required disclosures in the Annual Report as well as in its website. Towards preparedness to migrate to advanced approaches, the process of implementation of a technology based Management Information System is in full swing.

Disclosures under BASEL - II norms is provided in a separate Annexure (Pg. No.51-76).

CUSTOMER SERVICE

The Bank's "Customer Service Committee of the Board" is committed towards improvement in customer service. The suggestions of the Committee on Procedures and Performance Audit on Public Services (CPPAPS), constituted by Reserve Bank of India, are accorded top priority for implementation in the Bank. The Standing Committee on Customer Service has been reconstituted with the induction of three personalities of public eminence as non-executive members for better interaction on various aspects of customer service. The meetings of the committee are held on quarterly basis. Steps are taken as per the suggestions of the Committee towards improvement of customer service. Bank has taken the membership of the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) adopting a code of commitment for ensuring fair and transparent treatment to individual customers. Besides a chronicle "Customers' Voice" has been launched with an intention to improve customer service at all levels.

KNOW YOUR CUSTOMER & ANTI MONEY LAUNDERING MEASURES

Bank has formulated the comprehensive policy guidelines on Know Your Customer/ Anti Money Laundering Measures.

समय पर्याप्त सावधानी बरती जाती है ताकि किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के साथ व्यवसाय करते समय जोखिम से बैंक की रक्षा की जा सके जिसकी पहचान निर्धारित नहीं की जा सकती या जो सूचना प्रदान करने से इंकार करता है अथवा जिसने ऐसी सूचना प्रदान की है जिसमें ऐसी असंगतियाँ हैं, जिन्हें उचित जाँच के बाद भी ठीक नहीं किया जा सकता। शाखाएँ/कार्यालय सावधानी बरतती हैं ताकि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी बेईमान व्यक्ति के साथ व्यावसायिक संबंध न बन सके और सूचीबद्ध संगठनों के लेनदेन पर नजर रखी जाती है ताकि धोखाधड़ी और मनी लाउंडरिंग को रोका जा सके।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(1) के अनुरूप बैंक ने प्रधान कार्यालय हेतु केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी और मंडलीय प्रमुखों के नियंत्रणाधीन शाखाओं/कार्यालयों हेतु संबंधित मंडलीय कार्यालय स्तर पर केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को नामोद्दिष्ट किया है ताकि अधिनियम के तहत सूचना मांगने वाले ग्राहकों/जनता को सूचना प्रदान की जा सके।

सूचना प्रौद्योगिकी

शाखा कम्प्यूटरीकरण

बैंक ने यथास्थिति 31.03.2009 को अपनी समस्त 2260 शाखाओं (विदेशी शाखा सहित), 69 विस्तार पटलों एवं विभिन्न मंडलीय/क्षेत्र कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत कर शत-प्रतिशत कम्प्यूटरीकरण हासिल कर लिया है। बैंक ने 2008-09 के दौरान समस्त मुद्रा तिजोरियों (41) को भी कम्प्यूटरीकृत कर दिया है।

केन्द्रीयकृत बैंकिंग समाधान (सीबीएस)

बैंक काफी तेज रफ्तार से सीबीएस को कार्यान्वित कर रहा है।

- ☐ 916 शाखाओं और कार्यालयों को सीबीएस के दायरे में लाया जा चुका है।
- ☐ परियोजना की निगरानी हेतु वाशी, नवी मुम्बई में सीबीएस परियोजना कार्यालय स्थापित किया गया है।
- ☐ रिलायंस डाटा सेन्टर, नवी मुम्बई में डाटा सेंटर स्थापित किया गया है।
- ☐ लखनऊ में डिजास्टर रिकवरी केंद्र (डीआरसी) स्थापित किया गया है।
- ☐ सीबीएस शाखाओं को सहायता प्रदान करने और दिन-प्रतिदिन के प्रचालनों में आने वाली दिक्कतों के समाधान हेतु सीबीएस परियोजना कार्यालय में हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है।

इंटरनेट बैंकिंग

सीबीएस शाखाओं के ग्राहकों हेतु इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग और ई-भुगतान सुविधाएं पूरी तरह परिचालन में हैं। सीबीएस शाखाओं के ग्राहक बैंक की निम्नांकित इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग और ई-भुगतान सुविधा का लाभ उठा सकते हैं:

<https://www.allahabadbank.in>.

स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम)

बैंक ने 211 एटीएम स्थापित किये हैं और 884 शाखाओं को इनके नेटवर्क से जोड़ा है। अपने ग्राहक आधार का विस्तार करने और सेवा कवरेज को व्यापक बनाने हेतु बैंक ने 28 सदस्य बैंकों के साथ एटीएम नेटवर्क शेयर करने के लिए नेशनल फाइनेंसियल स्विच (एनएफएस) को ज्वाइन किया है जो मैसर्स आईडीआरबीटी, हैदराबाद की परियोजना है। बैंक के ग्राहक 01.12.2008 से बिना किसी प्रभार के सभी प्रकार के लेनदेन हेतु देशभर में सभी वीसा और एन.एफ.एस.एटीएम (38,000 से अधिक) का उपयोग कर सकते हैं।

Adequate precautions/measures in the process of opening of account are taken by the Bank to protect the bank from the risks of doing business with any individual or entity whose identity cannot be determined or who refused to provide information, or who have provided information that contains significant inconsistencies which cannot be resolved after due investigation. Branches/offices exercise caution so as not to enter into any business relationship with unscrupulous entities notified by Govt. of India and keep a watchful eye on the transaction of listed organisations so as to avoid occurrence of fraud and money laundering.

RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

In terms of section 5(1) of the Right to Information Act, 2005 Bank has designated Central Public Information Officer for Head Office & Central Public Information Officers at Zonal Offices for the branches/offices under the control of respective Zonal Heads for the purpose of delivering information to the customers/public seeking information under the Act.

INFORMATION TECHNOLOGY

Branch Computerisation

The Bank has achieved 100% computerisation as on 31.03.2009 by computerising all its 2260 branches (including Foreign Branch), 69 Extension counters and various Zonal Offices. The Bank has also computerised all its Currency Chests (41) during 2008-09.

Centralized Banking Solution (CBS)

The Bank has been implementing CBS at a very rapid pace.

- ❖ 916 branches and zonal office Mumbai has been covered under CBS.
- ❖ The CBS Project Office has been established at Vashi, Navi Mumbai for monitoring the project.
- ❖ Data centre has been set up at Reliance Data Centre, Navi Mumbai.
- ❖ Disaster Recovery Centre (DRC) has been set up at Lucknow.
- ❖ Help Desk has been set up at CBS Project Office for assisting the CBS branches and trouble shooting for daily operations.

Internet Banking

Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking and e-Payment facilities for customers of CBS branches are fully operational. The customers of CBS branches can avail the facility of Internet Banking and e-payment facility through Bank's Internet Banking website :

<https://www.allahabadbank.in>.

Automated Teller Machines (ATMs)

The Bank has installed 211 ATMs and added 884 branches on its network. In order to broaden the customer base and facilitate wider service coverage, Bank has joined National Financial Switch(NFS), a project by M/S IDRBT Hyderabad, an institute set up by RBI, for sharing ATM network across 28 member Banks. The Bank customers can access all VISA & NFS ATM (over 38,000 in number) across the country for all sorts of transaction without any charges from 01.12.2008.

बैंक ने एटीएम-सह-डेबिट कार्ड जारी करने हेतु वीजा की प्रमुख सदस्यता प्राप्त की है और अपने ग्राहकों को 3.96 लाख से अधिक फोटो और हस्ताक्षर इंटरनेशनल एटीएम-सह-डेबिट कार्ड जारी किये हैं।

The Bank is also having principal membership of VISA for issue of ATM-cum-Debit card and has issued more than 3.96 Lacs photo and signature International ATM-cum-Debit card to its customers.

क्र.सं. SL.NO	विवरण Particulars	प्रशासनिक कार्यालय Administrative Offices	शाखाएँ Branches
1	इंट्रानेट कनेक्टिविटी / Intranet Connectivity	44	906
2	वीसेट (एटीएम) / VSAT(ATM)	0	178
3	लीज्ड लाइन / Leased Line	11	55

नेटवर्किंग

शाखाओं को ईमेल, आरटीजीएस, आईसीसीओएम सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु देश भर में 66 लीज्ड लाइन और 200 से ज्यादा आईएसडीएन लाइन परिचालित हैं।

बैंक ने 906 शाखाओं और 44 प्रशासनिक कार्यालयों को इंट्रानेट से जोड़ा है। बैंक की इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट (www.allahabadbank.in) है इसे नई विशेषताओं और अद्यतन सूचना के साथ पुनर्गठित किया जाता है। आंतरिक संप्रेषण हेतु एक इंट्रानेट वेबसाइट भी विकसित की गई है जिससे कर्मचारियों को अपने ऋण खातों, भविष्य निधि खातों को देखने और अन्य सूचनाएं प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

परियोजना कार्यालय, मुंबई में केंद्रीयकृत मेल मेसेजिंग प्रणाली कार्यान्वित की गई है। बैंक ने सीबीएस नेटवर्क के लिए नई मेसेजिंग प्रणाली अथिति. लोटस नोट्स को अपनाया है।

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान/निपटान प्रणाली

बैंक में रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली कार्यान्वित है और 01.07.2004 से लाइव है। बैंक में आरटीजीएस हेतु पेमेंट गेटवे फोर्ट शाखा मुम्बई में स्थापित किया गया है और आरटीजीएस इंटरबैंक भुगतान निपटान हेतु भारिबैं खाता फोर्ट शाखा मुम्बई में रखा जा रहा है। सीबीएस में आरटीजीएस/एनईएफटी इंटरफेस को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है। सभी मौजूदा सीबीएस शाखाओं को चरणबद्ध रूप में आरटीजीएस सुविधा प्रदान की जा रही है। 877 सीबीएस शाखाओं को आरटीजीएस हेतु तैयार किया जा रहा है जिससे आरटीजीएस शाखाओं की कुल संख्या बढ़ कर 886 हो जाएगी। शाखाओं से आरटीजीएस लेनदेन हेतु एसएफएमएस का प्रयोग किया जा रहा है और अंतर शाखा लेनदेन हेतु भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। 886 शाखाओं में एनईएफटी को लाइव किया गया है। 64 केंद्रों में 606 शाखाओं में ईसीएस सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

अप्रत्यक्ष करों हेतु उत्पाद एवं सेवा कर में इलेक्ट्रॉनिक एकाउंटिंग (ईएसआईएसटी)

सीबीईसी/आरबीआई/आईबीए से प्राप्त दिशानिर्देशों के ईएसआईएसटी को संपूर्ण भारत में लागू किया है। बैंक ने अपनी सभी 183 प्राधिकृत शाखाओं को उत्पाद एवं सेवा कर में इलेक्ट्रॉनिक एकाउंटिंग (ईएसआईएसटी) में सहभागिता हेतु सक्षम बना दिया गया है। अप्रत्यक्ष करों (सीबीईसी-ईएसआईएसटी) के लिए करदाताओं हेतु ई-भुगतान सुविधा भी शुरू की जा चुकी है।

प्रत्यक्ष करों हेतु ऑनलाइन कर लेखा प्रणाली (ओएलटीएस)

सीबीडीटी/आरबीआई/आईबीए से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने अपनी 167 नामोदिष्ट शाखाओं को ओएलटीएस में सहभागिता हेतु सक्षम बना दिया गया है। प्रत्यक्ष करों (सीबीडीटी-ओएलटीएस) के लिए करदाताओं हेतु ई-भुगतान सुविधा भी शुरू की जा चुकी है।

Networking

66 Leased Lines and more than 200 ISDN lines are operational across the country to provide E-mail, RTGS, ICCOMs facilities to branches.

The Bank has connected 906 Branches and 44 administrative offices to the intranet. The Bank has its website (www.allahabadbank.in) on the Internet which is restructured with new features and latest information. An intranet website has also been developed for internal communication which helps the employees to view their PF accounts including loan accounts, as also other information. All Head Office Circulars are hosted at this website.

Centralized Mail messaging system has been implemented at Project Office, Mumbai. The Bank has migrated to the new messaging system in CBS network i.e. Lotus Notes.

Electronic Payment/Settlement System

The Real Time Gross Settlement (RTGS) system has been implemented in the Bank and has gone live since 01.07.2004. The Payment Gateway for RTGS in the Bank has been installed at Fort Mumbai and the RBI account for RTGS inter bank payment settlement is being maintained at Fort Branch Mumbai. An interface for RTGS/NEFT in CBS has been implemented successfully. All existing CBS branches are being provided with RTGS facility in phased manner. 877 CBS branches are being proliferated to RTGS increasing the total RTGS branches to 886. SFMS is being used for doing the RTGS transactions from the branch and the same is being used for Inter branch transactions too. NEFT has been made live in 886 branches. ECS facility has been provided at 606 branches in 64 centres.

Electronic Accounting in Excise and Service Tax (EASIST) for Indirect Taxes

In line with the directives of CBEC/RBI/IBA, EASIST has been rolled out in entire India. The Bank has made all of its 183 authorised branches enabled for participating in Electronic Accounting in Excise and Service Tax (EASIST). e-Payment facility for Indirect Taxes (CBEC-EASIST) has been launched for Tax payers.

Online Tax Accounting System(OLTAS) for Direct Taxes

In line with the directives of CBDT/RBI/IBA, The Bank has made all its 167 designated branches enabled for participating in OLTAS system. e-Payment facility for Direct Taxes(CBDT-OLTAS) has been launched for Tax payers.

चेक ट्रंकेशन पद्धति

बैंक ने भा.रि. बैंक की अपेक्षा के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर दिल्ली के अंतर्गत चेक ट्रंकेशन सिस्टम का कार्यान्वयन किया है। शाखाएं आर बी आई सीटीएस प्रणाली के लाइव ऑपरेशन में सेवाशाखा नई दिल्ली बैंक माध्यम से दिनांक 27.06.2008 से सहभागी हैं।

वीडियोकांफ्रेंसिंग सिस्टम

16 चुनिंदा स्थलों पर वीडियो कांफ्रेंसिंग सिस्टम को सफलतापूर्वक चालू किया जा चुका है ताकि कार्यपालकों को बैठक करने, समूह चर्चा और बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने में सुविधा हो सके।

अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपलब्धियाँ

अपने कर्मचारियों को उच्च कोटि की तकनीकी शिक्षा प्रदान करने और बैंकिंग प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास हेतु बैंक ने पंचकुला, हरियाणा में अनुसंधान और प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना की है। संस्थान में लैन, वैन कनेक्टिविटी और वीसेट जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। देश में फैली शाखाओं को सहायक सेवा उपलब्ध कराने हेतु आईआरटी पंचकुला में टालफ्री नम्बर सहित एक हेल्प डेस्क सुविधा चालू की गई है।

नई गतिविधि

ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सेवाएं 17.12.2008 से आरंभ की गई हैं जिससे ग्राहकों को अपने खाते से मर्चेन्ट डेबिट कर बिलर साइट पर ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा मिलेगी

अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग :

बैंक अपना अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय 55 प्राधिकृत/नामोदित शाखाओं के माध्यम से संचालित करता है जिनमें 6 अन्तरराष्ट्रीय शाखाएँ एवं 1 अन्तरराष्ट्रीय-सह-औद्योगिक वित्त शाखा शामिल है। 31.03.2009 को यथास्थिति बैंक निर्यात ऋण रु. 2051.22 करोड़ था। बैंक निर्यातकों को और अधिक ऋण प्रदान करने हेतु कदम उठा रहा है। विभिन्न केन्द्रों पर निर्यातकों के साथ संगोष्ठियाँ आयोजित की जाएंगी ताकि उन्हें उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जा सके। बैंक विदेशों में प्रमुख बैंकों के साथ प्रतिनिधि संबंध बनाए रखता है और 15 विदेशी बैंकों के साथ विभिन्न मुद्राओं में मानक समाधान अनुदेशों को कार्यान्वित करता है। बैंक अपनी शाखाओं के माध्यम से अनिवासी भारतीयों की जरूरतों का ख्याल रख रहा है और संभाव्य एनआरआई जमाकर्ताओं से जमा संग्रहीत करने हेतु नए प्रयास किए जा रहे हैं।

निरीक्षण एवं हाउसकीपिंग

निरीक्षण और लेखापरीक्षा प्रणाली में आंतरिक निरीक्षण, समवर्ती लेखापरीक्षा, राजस्व लेखापरीक्षा, ईडीपी लेखापरीक्षा, जोखिम आधारित लेखापरीक्षा और प्रणाली लेखापरीक्षा की जाती है। शाखाओं के नियमित निरीक्षण के साथ-साथ जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए), ईडीपी लेखापरीक्षा और प्रणाली लेखापरीक्षा की जाती है।

बड़ी शाखाओं, बहुत बड़ी शाखाओं, असाधारण रूप से बड़ी शाखाओं, फोरेक्स कम ट्रेजरी शाखा और डीलिंग रूम आदि की समवर्ती लेखापरीक्षा होती है अर्थात् सनदी लेखाकारों की बाहरी फर्म द्वारा “लेनदेनों की साथ-साथ जांच”।

वर्ष 2008-09 के दौरान 1541 शाखाओं, 41 करेंसी चेस्ट, 26 मंडलीय कार्यालयों, प्रधान कार्यालय के 11 विभागों, 6 स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्रों और

Cheque Truncation System

The Bank has implemented Cheque Truncation System under NCR (National Capital Region) of Delhi as per RBI requirement. Branches are participating in live operation of RBI CTS system from Service Branch New Delhi since 27.06.2008.

Video Conferencing System

Video Conferencing System has been successfully commissioned at 16 selected locations facilitating Executives in holding meetings, group discussions, conducting training programmes etc for officers/employees of the Bank.

Achievements in the Field of Research & Technology

Institute for Research & Technology at Panchkula, Haryana has been set up by the Bank to impart high quality technical education to its employees and to conduct research and development in banking technology. Latest technology has been provided at the Institute such as wireless LANs, WAN connectivity and VSAT facilities. A help desk facility with toll free number has already been made operational at IRT Panchkula for rendering necessary support services for the branches spread across the country.

New Development

Online Payment Gateway Services has been soft launched on 17.12.2008 facilitating customers to make online payments at the billers site with merchant debit from their accounts.

INTERNATIONAL BANKING

The Bank carries out its International business through its 55 authorised / designated branches, which includes 6 International branches and 1 International cum Industrial Finance branch. Export Credit of the Bank as on 31.03.2009 stood at Rs.2051.22 crore. The Bank is taking steps to increase the credit flow to exporters. Exporters meet are to be conducted at various centres to explain various facilities available to them. The bank maintains correspondent relationship with prime banks abroad and Standard Settlement instructions in various currencies with 15 foreign banks. The Bank is also catering to the need of Non-Resident Indians through its branches and fresh steps have been taken to mobilize deposits from prospective NRI depositors.

INSPECTION AND HOUSE-KEEPING

The Bank has a comprehensive Inspection & Audit Policy for undertaking Internal Inspection, Concurrent Audit, Revenue Audit, EDP Audit, Risk Based Internal Audit, Management Audit, Human Resource Audit and System Audit. Risk Based Internal Audit (RBIA), EDP Audit and System Audit are carried out concurrently with regular inspection of Branches.

Branches including Large Branches, Very Large, Exceptionally Large, Forex cum Treasury Branch and Dealing Rooms etc. are subjected to Concurrent Audit, that is, “simultaneous checking of transactions”, by outside Chartered Accountant Firms.

During the year 2008-09, regular inspection was carried out in 1541 branches, 41 Currency Chests, 26 Zonal Offices, 11 Head

8 क्षेत्र निरीक्षण कार्यालयों का नियमित निरीक्षण किया गया। 16 मंडलीय कार्यालयों में प्रबंधन लेखापरीक्षा भी की गई जबकि 43 मंडलीय कार्यालयों, 2 एफआईओ और 03 एसटीसी में नियमित निरीक्षण (राजस्व भाग) के संदर्भ में किया गया।

आंतरिक नियंत्रण की कारगर मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने, अनयमितताओं के परिशोधन में हुई प्रगति, निरीक्षण रिपोर्ट फाइल बंद करने पर विचार करने हेतु मंडलीय कार्यालय स्तर पर मंडलीय निरीक्षण समिति (जेडआईसी) गठित हैं जिसमें मंडल प्रमुख समन्वयक तथा क्षेत्र निरीक्षण कार्यालय (एफआईओ) प्रमुख सदस्य होता है। मंडलीय निरीक्षण समिति की बैठकें द्विमासिक अंतराल पर आयोजित की जाती हैं।

सतर्कता

बैंक एक नीति के रूप में केन्द्रीय सतर्कता आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक और वित्तीय मंत्रालय के विभिन्न दिशानिर्देशों का अनुसरण कर रहा है। धोखाधड़ी का तुरंत पता लगाने हेतु तथा धोखाधड़ी और जालसाजियों, कदाचार पर नियंत्रण करने और ऐसी घटनाओं से होने वाली हानि को कम करने के लिए समुचित उपाय किए जाते हैं। धोखाधड़ी की संभावना वाली शाखाओं का नियमित आधार पर आकस्मिक सतर्कता निरीक्षण किया जाता है। निदेशक मंडल/कपट निगरानी समिति द्वारा दिए गए निर्देशों का समुचित अनुपालन किया जाता है। आंतरिक नियंत्रण और निवारक सतर्कता हेतु बने उपायों जिसमें केवाईसी मानकों का सभी स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन करना शामिल है, का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। प्रशिक्षण सत्रों, सेमिनारों, कार्यशालाओं आदि में आंतरिक नियंत्रण और निवारक सतर्कता के विभिन्न उपायों के अनुपालन पर बल दिया जाता है। चूककर्ता अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के माध्यम से दंडात्मक कार्रवाई भी की जाती है जिससे अन्य लोगों को भी चेतावनी मिलती है। आंतरिक नियंत्रण तंत्र में सुधार लाने हेतु जब भी आवश्यक हो, प्रणालीगत सुधार किया जाता है।

राजभाषा

वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से राजभाषा नीति के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया। तदनुसार, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अंतर्गत द्विभाषिक रूप में दस्तावेज जारी करने, हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में देने, मैनुअल और कोड का द्विभाषिक प्रकाशन, लेखन सामग्री मदों के द्विभाषीकरण से संबंधित सांविधिक अपेक्षाओं का पालन किया गया। वर्ष के दौरान, हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले अनेक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न हिन्दी पाठ्यक्रमों में नामित किया गया। 101 हिन्दी कार्यशालाएं (1560 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया) एवं 83 डेस्क प्रशिक्षण कार्यक्रम (652 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया) वर्ष के दौरान आयोजित किए गए।

संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप समिति ने दिनांक 17.11.2008 को नराकास के माध्यम से मण्डलीय कार्यालय, लखनऊ के साथ विचार-विमर्श कार्यक्रम किया। समिति के सदस्यों ने बैंक द्वारा राजभाषा के प्रयोग की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

बैंक ने दिनांक 01.09.2008-02.09.2008 को औरंगाबाद में भारतीय रिजर्व बैंक की शब्दावली स्थायी समिति की बैठक की मेजबानी की।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 07.10.2008 को आयोजित 29वें राजभाषा सम्मेलन में “सीबीएस वातावरण में राजभाषा की चुनौतियां” विषय पर एक सत्र हमारे महाप्रबंधक, राजभाषा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।

Office Departments, 6 Staff Training Centers (STCs) and 8 Field Inspection Offices (FIOs). Management Audit was also conducted in 16 Zonal Offices whereas Regular Inspection (Revenue Part) was covered at all the 43 Zonal Offices, 02 FIOs and 03 STCs.

At Zonal Office level, Zonal Inspection Committees (ZIC) are formed with Zonal Head as convener and Field Inspection Office (FIO) Head as member to ensure effective monitoring of internal control system, progress in rectification and considering closure of inspection report files. The meetings of ZIC are conducted at bi-monthly interval.

VIGILANCE

The Bank, as a policy, is following the various guidelines of the *Central Vigilance Commission, Reserve Bank of India* and *Ministry of Finance*. Appropriate steps are taken for quick detection of frauds as also in controlling and containing fraud, forgery, malpractice etc, through effective monitoring of branch functioning. Directions given by the Board of Directors/Fraud Monitoring Committee are duly complied with. Surprise Vigilance Inspection of fraud-prone Branches is conducted on regular basis. Compliance of measures meant for internal control and preventive vigilance, including strict observance of KYC norms at all levels, is ensured. Stress is also given on educative vigilance through training sessions, seminars & workshops. Punitive action is also taken through disciplinary proceedings against the erring officials, which acts as a deterrent to others. Again, systems improvement is taken up, whenever felt necessary, to improve internal control mechanism.

OFFICIAL LANGUAGE

Compliance of various provisions under the Official Language Policy was ensured in order to achieve the targets stipulated in the Annual Programme. Accordingly, statutory requirements in regard to bilingual issuance of documents under Section 3 (3) of Official Language Act, reply of Hindi letters in Hindi, bilingual publication of manuals & codes, bilingualisation of stationery items have been ensured. During the year, a large number of Officers & employees, not having working knowledge of Hindi, were nominated for various Hindi courses conducted by the Government of India. During the year, 101 Hindi workshops (1560 officers/employees participated) and 83 Desk Training programmes (652 officers/employees participated) were organized.

The Drafting and Evidence sub-Committee of the Committee of Parliament on Official Language held a discussion programme with Zonal Office, Lucknow on 17.11.2008 through the Town Official Language Implementation Committee. The members of the Committee appreciated the efforts being made by our Bank in regard to use of Official Language.

The Bank hosted the meeting of Standing Committee on Glossary of Reserve Bank of India on 01.09.2008-02.09.2008 at Aurangabad.

The session on the topic “Challenges regarding Official Language in CBS environment” in the 29th Conference on Official Language organized by RBI on 07.10.2008 was held under the chairmanship of our General Manager, Official Language.

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 18.06.2008 को हमारे राँची मण्डलीय कार्यालय और दिनांक 11.07.2008 को अहमदाबाद मण्डलीय कार्यालय का निरीक्षण किया और हमारे बैंक द्वारा राजभाषा प्रयोग के संबंध में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

सहायक निदेशक (राजभाषा) वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 14.06.2008 को हमारे प्रधान कार्यालय का हिन्दी प्रयोग संबंधी निरीक्षण किया और हमारे बैंक द्वारा राजभाषा प्रयोग के संबंध में किए जा रहे प्रयासों को बहुत संतोषजनक पाया।

बैंक ने सितंबर माह को देशभर में “हिन्दी माह” के रूप में मनाया। इस अवसर पर हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय ने हिन्दी के प्रगामी प्रयोग हेतु एक अपील के माध्यम से समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आह्वान किया। हिन्दी माह के दौरान “अखिल भारतीय हिन्दी निबंध लेखन” सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

बैंक ने हिन्दी प्रयोग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु कई राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार प्राप्त किए- “रिजर्व बैंक राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता” 2006-07 हेतु बैंक ने भाषा क्षेत्र “क” में “द्वितीय स्थान” और भाषा क्षेत्र “ख” में “चतुर्थ स्थान” प्राप्त किया। “रिजर्व बैंक राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता” 2007-08 के अंतर्गत बैंक को भाषा क्षेत्र “क” में “तृतीय स्थान” प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, मण्डलीय कार्यालय गुवाहाटी को पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्यान्वयन राजभाषा पुरस्कार योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, भारत सरकार, गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

हमारे बैंक की द्विभाषिक गृह पत्रिका “त्रिवेणी धारा” को वर्ष 2006-07 हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समस्त सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के बीच “द्वितीय पुरस्कार” प्राप्त हुआ और वर्ष 2007-08 हेतु द्विभाषिक गृह पत्रिका प्रतियोगिता के अंतर्गत “त्रिवेणी धारा” के लिए प्रथम पुरस्कार की घोषणा की गई।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति पुरस्कारों के अंतर्गत, बैंक के प्रधान कार्यालय, मंगलोर शाखा, मं.का. मेरठ, मं.का. भुवनेश्वर और मं.का. डिब्रूगढ़ को द्वितीय पुरस्कार, मं.का. पटना, मं.का. देहरादून और एर्नाकुलम शाखा को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुए, मं.का. झांसी को शील्ड प्राप्त हुई तथा मं.का. भोपाल और स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र, हैदराबाद को राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए विशेष पुरस्कार प्राप्त हुए।

वर्ष के दौरान हमारे मंडलीय कार्यालय, राँची को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), राँची का संयोजक नियुक्त किया गया और समिति की नियमित बैठकें आयोजित की गईं।

वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए मं.का. अहमदाबाद द्वारा दिनांक 12.07.2008 को एक सेमीनार आयोजित किया गया। प्रधान कार्यालय, राजभाषा विभाग ने दिनांक 23.12.2008 को वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए एक अंतरबैंक प्रतियोगिता का आयोजन किया। मं.का. देहरादून ने दिनांक 28.03.2009 को राजभाषा पर एक उद्बोधन कार्यक्रम का आयोजन किया।

मानव संसाधन विकास

बैंक की व्यावसायिक आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से बैंक अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को आंतरिक, बाह्य और विदेशी प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इनके अतिरिक्त, क्षेत्र विशेष की व्यावसायिक मांग को पूरा करने हेतु लोकेशनल प्रशिक्षण कार्यक्रम, इन-कंपनी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

Reserve Bank of India inspected our Zonal Office, Ranchi on 18.06.2008 and Zonal Office, Ahmedabad on 11.07.2008 and appreciated the efforts being made by our Bank in regard to use of Official Language.

Assistant Director, Financial Services Department, Ministry of Finance, Government of India inspected our Head Office on 14.06.2008 and found the efforts being made by our Bank in regard to use of Official Language, very satisfactory.

The Bank observed the month of September as “Hindi Month” throughout the country. On this occasion, our Hon’ble Chairman & Managing Director called upon all the officers and employees for progressive use of Hindi, through an appeal. During the month, various competitions including “All India Essay Writing in Hindi” were organized.

The Bank received several national level prizes for outstanding performance in the area of implementation of official language; “Second Position” in linguistic region “A” and “Fourth Position” in linguistic region “B” under “Reserve Bank Rajbhasha Shield Competition” for the year 2006-07. The Bank has been awarded “Third Position” in linguistic region “A” for year 2007-08 under “Reserve Bank Rajbhasha Shield Competition.” Also, Zonal Office Guwahati was awarded “Second Prize” by Regional Implementation Office, Govt. of India, Ministry of Home Affairs, Deptt. of Official Language under Regional Implementation Rajbhasha Puraskar Scheme in North-East region.

Our Bank’s bilingual House Magazine “Triveni Dhara” received “Second Prize” by the Reserve Bank of India among all the public sector banks and financial institutions for the year 2006-07 and the “First Prize” has been announced for “Triveni Dhara” for the year 2007-08 under bilingual House Magazine Competition.

Under the Town Official Language Implementation Committee prizes, Bank’s Head Office, Mangalore Branch, Z.O. Meerut, Z.O. Bhubaneswar and Z.O. Dibrugarh received “Second Prize”, Z.O. Patna, Z.O. Dehradun and Ernakulam Branch received the “Third Prize”, Z.O. Jhansi received a Shield and Zonal Office, Bhopal and Staff Training Centre, Hyderabad received “The Special Prize” for excellent implementation of Official Language.

During the year, our Zonal Office, Ranchi was selected as the convenor of the Town Official Language Implementation Committee (Banks), Ranchi and regular meetings of the committee were held.

A seminar for senior executives was organized by Zonal Office, Ahmedabad on 12.07.2008. Head Office, Official Language Deptt. organized an inter-bank competition for the senior executives on 23.12.2008. Zonal Office, Dehradun organized an Awareness Programme on Official Language on 28.03.2009.

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

In order to align training to business needs of the Bank, the Bank has been exposing the officers and employees to different internal, external and overseas training programmes. Besides these, locational training programmes, in – company Training programmes are also conducted on a regular basis to meet the area specific demands of business.

वर्ष 2008-09 के दौरान बैंक ने विभिन्न स्रोतों के माध्यम से 11,828 कार्मिकों (9,200 अधिकारी और 2,628 अवार्ड स्टाफ) को प्रशिक्षण प्रदान किया। बैंक द्वारा क्रेडिट पर बल देने हेतु अधिक संख्या में अधिकारियों को ऋण प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। बैंक ने ऐसे 202 कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें 2,799 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों को भी नियमित आधार पर स्टाफ कालेज, लखनऊ द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

बैंक की 900 से अधिक शाखाओं में सीबीएस लागू होने के बाद अपने सभी कर्मचारियों हेतु सीबीएस एंड यूजर प्रशिक्षण की आवश्यकता को चार कालेजों/केन्द्रों के चार चैनलों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है हैदराबाद प्रशिक्षण केन्द्र में अलग से एक अतिरिक्त आईटी प्रशिक्षण चैनल स्थापित किया गया है। साफ्ट स्किल के विकास पर विशेष बल दिया गया है और तदनुसार, अधिकांश कार्यक्रमों में मानव संसाधन का सत्र शामिल किया जाता है और कभी-कभी बाहरी स्रोतों से भी इस संबंध में सत्र लिया जाता है। हमारे स्टाफ कालेज/केन्द्र में आयोजित समस्त कार्यक्रमों में निरोधक सतर्कता पर एक अनिवार्य सत्र होता है और जोखिम प्रबंधन के अंतर्गत सभी कार्यक्रमों में परिचालनगत जोखिम का अभिनिर्धारण और उपशमन पर विस्तार से चर्चा की जाती है जिससे सहभागियों को अपने संबंधित कार्यक्षेत्र में इससे मदद मिले।

अधिकारियों और कार्यपालकों को भारत में विभिन्न बाहरी प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रतिनियुक्त किया जाता है जैसे राष्ट्रीय बैंकिंग प्रबंधन संस्थान, पुणे, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, पुणे, बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, लखनऊ, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद, प्रबंधन विकास संस्थान, गुडगांव, राष्ट्रीय बैंकिंग अध्ययन एवं कारपोरेट प्रबंधन संस्थान, नोएडा, भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान, गुवाहाटी आदि। इसके अतिरिक्त कार्यपालकों को अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण/सेमिनारों में भी सहभागिता हेतु भेजा जाता है।

सभी आंतरिक प्रशिक्षण संस्थानों को विडिओ कॉन्फ्रेंसिंग हेतु संबद्ध किया गया है।

जनशक्ति

बैंक की जनशक्ति स्थिति निम्नानुसार प्रदर्शित है :

संवर्ग / Category	31.3.2008	31.3.2009
अधिकारी / Officer	8,125	8,202
लिपिक / Clerk	7,372	7,631
अधीनस्थ कर्मचारी / Sub-staff	4,582	4,624
कुल स्टाफ / Total Staff	20,079	20,457
जिसमें से / Of which		
अनुसूचित जाति / Scheduled Castes	5,024	5,130
अनुसूचित जनजाति / Scheduled Tribes	1,111	1,041
अन्य पिछड़ी जाति / Other Backward Castes	526	700
महिलाएँ / Women	2,045	2,260
अन्य (असं, शावि, भूपूसै,) / Others (MC, PH, & XSM)	1,914	1,779

भर्ती एवं पदोन्नति

बैंक ने 2008-09 में विभिन्न संवर्गों में 1,037 कर्मचारियों की भर्ती की जिसमें 139 विशेष अधिकारी, 340 परीवीक्षाधीन अधिकारी और 558 लिपिक संवर्ग के कर्मचारी शामिल हैं। वर्ष के दौरान बैंक ने 1,277 अधिकारियों/कर्मचारियों को अगले उच्च संवर्ग में प्रोन्नत किया। बैंक अजा/अजजा/अपिव/शा.वि/भूपूसै के मामले में समय-समय पर प्राप्त सरकार के दिशानिर्देशानुरूप आरक्षण नीति को लागू करने हेतु आवश्यक कदम उठाता है।

During the period 2008-09, the Bank has imparted training through various sources totaling 11,828 personnel (Officers 9,200 & Award Staff 2,628). With emphasis on credit off take by the Bank, more number of officers are being exposed to training programmes on credit management. The Bank conducted 202 of such programmes and have imparted training to 2,799 officers. Officers from the Regional Rural Banks sponsored by us are also being exposed to various training programmes conducted by Staff College, Lucknow on regular basis.

After rolling out CBS in more than 900 branches of the Bank, the need for focused CBS End User Training for all its employees are being fulfilled in four channels of four Colleges/ Centres and a separate additional Channel for IT training has also been set up in Hyderabad Training Centre. Special emphasis has been laid to developing Soft Skills and accordingly in most of the programmes, sessions on Human Resource are being included sometimes with external resources also. In all programmes conducted by our Staff Colleges/ Training Centres a mandatory session on Preventive Vigilance is taken and in all programmes under "Risk Management" the issues relating to identification and mitigation of Operational Risks are discussed at length for the benefit of participants in their respective areas of operations.

Officers and Executives are deputed to various external Training Institutes in India like, National Institute of Bank Management, Pune; College of Agricultural Banking, Reserve Bank of India, Pune; Bankers Institute of Rural Development, Lucknow; National Institute of Rural Development, Hyderabad; Management Development Institute, Gurgaon; National Institute of Banking Studies and Corporate Management, Noida; Indian Institute of Bank Management, Guwahati etc. Besides, exposure to international training / seminars is given to executives / officers.

All internal training Institutes have been linked for video conferencing.

Manpower

The manpower complement of the Bank is depicted hereunder:

Recruitment & Promotion

During 2008-09, the Bank recruited 1,037 employees in different cadres including 139 specialist officers, 340 probationary officers and 558 clerical cadre employees. The Bank also promoted 1,277 officers/employees to the next higher cadre during the year. The Bank takes necessary steps for implementation of reservation policy in respect of SC/ST/OBC/PH/XSM as per Govt. guidelines received from time to time.

औद्योगिक संबंध

वर्ष भर सौहार्दपूर्ण एवं सद्भावपूर्ण औद्योगिक संबंध कायम रहे। सामूहिक शिकायतों और पारस्परिक हितों के मुद्दे को समय-समय पर मान्यता प्राप्त अधिकारी एसोसिएशन और कर्मकार यूनियन के साथ द्विपक्षीय मंचों पर चर्चा कर निपटाया गया।

कल्याण

बैंक ने विभिन्न मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखा। 50 वर्ष से अधिक के कर्मचारियों हेतु जनरल हेल्थ चेक की मौजूदा योजना में सुधार कर इसका विस्तार 45-50 वर्ष के बीच के अधिकारियों/कर्मचारियों तक किया गया जो इस सुविधा का लाभ पांच वर्ष में एक बार उठा सकते हैं। बैंक ने ऊटी में एक होलीडे होम खोला है जिससे होलीडे होम की संख्या चौदह हो गई है। समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ उन पर पूर्ण रूप से आश्रित उनके परिवार के सदस्यों को सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना कवरेज सहित मेडिकलेम बीमा पालिसी जारी रही और बैंक द्वारा प्रीमियम की पूरी राशि वहन की गई।

विदेश में उपस्थिति

हांग कांग स्थित पहली विदेशी शाखा ने कामकाज शुरू किया और पिछले दो वर्षों के दौरान परिचालनगत लाभ अर्जित किया है। शेनझेन, चीन स्थित प्रतिनिधि कार्यालय पूर्ण शाखा के रूप में उन्नयित होने का पात्र हो गया है।

आलबैंक फाइनेन्स लि.

आलबैंक फाइनेन्स लि. इलाहाबाद बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है जिसका पूँजी आधार रु.15 करोड़ है। कंपनी सेबी में श्रेणी-I मर्चेन्ट बैंकिंग और अंडरराइटिंग के रूप में पंजीकृत है। आलबैंक फाइनेन्स लिमिटेड कारपोरेट सलाहकार सेवा, परियोजना मूल्यांकन, इश्यू प्रबंधन, ऋण समूहन, और अंडरराइटिंग के काम में लगी हुई है। कंपनी ने 2007-08 के रु.3.95 करोड़ के लाभ के सापेक्ष 2008-09 के दौरान रु.9.42 करोड़ का परिचालन लाभ दर्ज किया।

भावी लक्ष्य

- ❖ बैंक ने मार्च 2010 के अंत तक रु.1,75,000 करोड़ एवं दिसम्बर 2010 तक रु. 2,00,000 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया है।

निदेशक मंडल

2008-09 के दौरान निदेशक मंडल, बोर्ड की प्रबंधन एवं लेखा परीक्षा समिति ने क्रमशः 14, 15 एवं 10 बैठकें कीं। 2008-09 के दौरान निदेशक पदोन्नति समिति, शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायत(निवारण) समिति, सूचना प्रौद्योगिकी उप समिति, धोखाधड़ी निगरानी समिति, ग्राहक सेवा समिति, मानव संबंध समिति, परिलब्धि समिति एवं जोखिम प्रबंधन समिति ने क्रमशः 5,2,4,4,1,1 एवं 4 बैठकें की।

श्री के.आर. कामत ने 02.02.2008 से बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया। इससे पूर्व श्री कामत 19.05.2006 से बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक थे। श्री कामत ने अपने बैंकिंग कैरियर की शुरुआत 17 जनवरी 1977 को कारपोरेशन बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में की। मजबूत टीम के निर्माण और कलेक्शन एंड पेमेंट सर्विसेज (सीएपीएस), जैसी मार्केटिंग गतिविधि में अग्रणी बने रहने और सीएपीएस को बैंक के फ्लैग शिप उत्पाद के रूप में स्थापित करने में अपने योगदान के लिए वे विशेष रूप से जाने जाते हैं। कारपोरेशन बैंक में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में अपने कार्यकाल के दौरान श्री कामत ने

Industrial Relations

Cordial and harmonious industrial relations prevailed throughout the year. The issues of mutual interest and the collective grievances were discussed from time to time and settled in the bilateral forums with the recognized Officers' Association and Workmen Union.

Welfare

The Bank continued to extend various existing welfare schemes. The existing scheme for General Health Check covering the employees of above 50 years of age has been improved and extended to the employees/officers between 45-50 years., who are eligible to avail the same once during the 5 years period. The Bank has opened one Holiday Home at Ooty raising the total number of Holiday Homes to fourteen. Mediclaim insurance policy with Group Personal Accident coverage for all officers and employees with their wholly dependent family members has also been continued and the entire amount of premium is borne by the Bank.

OVERSEAS PRESENCE

The first overseas branch at Hong Kong has since stabilized and has earned operational profit during the last two years. The representative Office at Shenzhen, China is eligible for upgradation into a full-fledged branch.

ALLBANK FINANCE LTD.

AllBank Finance Ltd. a wholly owned subsidiary of Allahabad Bank with a capital base of Rs.15 crores. The company has obtained Category-I Merchant Banking and Underwriting registration from SEBI. AllBank Finance Ltd. is engaged in Issue Management, Project Appraisal, Loan Syndication, Corporate Advisory Services and Underwriting. The subsidiary posted a profit of Rs.9.42 crores during 2008-09 as against Rs.3.95 crores during 2007-08.

FUTURE GOAL

- ❖ The Bank has projected a business level of Rs.1,75,000 crores at March-end 2010, and Rs. 2,00,000 crores as at December 2010.

BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors, the Management Committee and the Audit Committee of the Board met 14, 15 and 10 times respectively during 2008-09. The Director's Promotion Committee, Shareholders'/Investors' Grievance Committee, IT Sub-Committee, Fraud Monitoring Committee, Customer Service Committee, HR committee, Remuneration Committee and Risk Management Committee of the Board met 5, 2, 4, 4, 1, 1 and 4 during 2008-09.

Shri K R Kamath assumed the office of Chairman and Managing Director of the Bank on 02.08.2008. Prior to his present assignment he was the Executive Director of Bank of India since 19.5.2006. He started his Banking Career on 17th January, 1977 as Probationary Officer in Corporation Bank. His contribution in building a strong team, spearheading the marketing activities of Collection And Payment Services (CAPS) and positioning CAPS as the flag ship product of the Bank, has earned him special recognition. He was responsible for 100% automation of the branches, migration of about 88%

शाखाओं का 100% ऑटोमेशन कराया, बैंक के 88% व्यवसाय को कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में माइग्रेट किया और बैंक में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में की गई प्रगति हेतु आईडीआरबीटी तथा आईबीए से विभिन्न पुरस्कार प्राप्त किए जैसे सुपर प्रोडक्टिविटी अवार्ड, सोगिएन अवार्ड, चेयरमैन क्लब मेम्बरशिप और रीजनल लीडरशिप अवार्ड। उन्हें वित्तीय वर्ष 1997-98 और 2000 में संयुक्त आयकर आयुक्त, कालिकट रेंज, कालिकट द्वारा सम्मान अवार्ड भी प्रदान किया गया। श्री कामत एक मेधावी शिक्षाविद् हैं और संकल्पनात्मक स्पष्टता, सम्प्रेषण कौशल तथा सुदृढ़ परिणामोन्मुखी टीम बनाने की योग्यता के बारे में जाने जाते हैं।

श्रीमती सुकृति लिखी सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में दिनांक 10.06.2008 को बैंक के बोर्ड में शामिल हुईं। लिखी 1993 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में निदेशक(आईएफ एंड सीपी) के रूप में कार्यरत हैं। उनका लोक प्रशासन में 14 वर्षों का अनुभव है।

श्री पी.वी. गुडिरेड्डी अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में दिनांक 28.04.2008 को बैंक के बोर्ड में शामिल हुए। श्री गुडिरेड्डी एक एडवोकेट और कृषक हैं। उनका विभिन्न न्यायालयों में 25 वर्षों से अधिक का विविधतापूर्ण कैरियर रहा और कृषि क्षेत्र में उनका व्यापक अनुभव है। वे पद-दलितों की भलाई के लिए भी कार्य कर रहे हैं और 20 वर्षों से अधिक समय से सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं।

डा. शकील-उज-जमान अंसारी, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में 08.05.2008 को बैंक के बोर्ड में शामिल हुए। डा. अंसारी एस.जी.जी.एस. कालेज, पटना, बिहार (मगध विश्वविद्यालय, बोध गया, बिहार) में लेक्चरर हैं। वह विधि स्नातक सहित स्नातकोत्तर हैं और आपके पास पोस्ट डॉक्टरल डिग्री भी है। वह बिहार सरकार में उप मंत्री रहे हैं। वह मुख्यतः सहकारिता क्षेत्र के विकास और विधि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं।

श्री यशपाल महाजन, शेयरधारक निदेशक के रूप में 30.06.2008 को बैंक के बोर्ड में शामिल हुए। श्री महाजन पंजाब विश्वविद्यालय से वाणिज्यिक स्नातक और यूके से प्रशिक्षित और योग्यता प्राप्त सनदी लेखाकार हैं। वह इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स(इंग्लैंड एंड वेल्स) के फेलो सदस्य तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के एसोसिएट सदस्य भी हैं। इन वर्षों में श्री महाजन की असाधारण व्यावसायिक उपलब्धियों की उद्योग द्वारा व्यापक सराहना की गई है। उन्हें 1979 में "मार्केटिंग मैन ऑफ दि इयर अवार्ड" जीता और वह वर्ष 2000 में अर्नस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्यूर ऑफ दि इयर अवार्ड हेतु चुने गए तीस असाधारण उद्यमियों में से एक थे। श्री महाजन की प्रबंधकीय क्षमता, रणनीतिक विजन, टिकाऊ संबंध स्थापित करने के जज्बे, स्पष्टवादिता, पारदर्शिता तथा नैतिक मूल्यों के संबंध में उद्योग में अच्छी साख है। तथापि, अब वे बैंक के निदेशक नहीं हैं।

श्री अशोक कुमार महापात्र, शेयरधारक निदेशक के रूप में 30.06.2008 को बैंक के बोर्ड में शामिल हुए। श्री महापात्र उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर से स्नातकोत्तर हैं और उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली से एम.फिल. की डिग्री प्राप्त की है। श्री महापात्र 1971 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में आए। वे हिमाचल प्रदेश राज्य और भारत सरकार में विभिन्न वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर रहे। श्री महापात्र 1993 में टोंगा में कामनवेल्थ कंसलटेंट्स थे और 2000-2001 में श्रीलंका सरकार के यूनआईसीओ कंसलटेंट्स थे। उन्होंने कामनवेल्थ और यूनिडो हेतु विभिन्न पेपर तैयार किए जिनमें सामाजिक दार्शनिक विषय शामिल थे इसके अतिरिक्त उन्होंने एसएमई, संयुक्त उद्यम और अनुषंगी उद्योगों के विकास आदि के विषय में भी लिखा है

of business to Core Banking Solution and the Bank received various awards from IDRBT & IBA for the technology lead of the Bank. Shri Kamath has secured various Corporate Awards instituted by the Bank such as, Super Productivity Award, SOGian Award, Chairman's Club Membership and Regional Leadership Award. He was also conferred with "Sanman Award" by Joint Commissioner of Income Tax, Calicut Range, Calicut for the financial year 1997-98 in 2000. Shri Kamath has been brilliant academician and is known for his conceptual clarity, communication skills and ability to build strong result oriented teams.

Mrs. Sukriti Likhi joined the Board of the Bank as Government Nominee Director on 10.06.2008. Smt. Likhi is an IAS officer of 1993 batch and at present she is working as Director (IF & CP) Department of Financial Services, Ministry of Finance, GOI. She is having 14 years of experience in Public Administration.

Shri P. V. Gudireddy, joined the Board as Part-Time Non- Official Director on 28.04.2008. Shri Gudireddy is an Advocate and an Agriculturist. He has a chequered career of legal practice in various courts for over 25 years and has wide experience in the field of agriculture. He is also working for the betterment of downtrodden and also associated with social organizations for more than 20 years.

Dr. Shakeel -Uz- Zaman Ansari, joined the Board as Part-Time Non- Official Director on 08.05.2008. Shri Ansari is a lecturer in S. G. G. S. College, Patna, Bihar (Magadh University, Bodh Gaya, Bihar). He is Post Graduate with Bachelor of Law & has a post Doctoral Degree. He has been a Deputy Minister, with Government of Bihar. He is mainly associated with development in Co-operative sector and in the field of Law.

Shri Yash Paul Mahajan, joined the Board as Shareholders' Director on 30.06.2008. Shri Mahajan, a Commerce graduate from Panjab University is a UK trained and qualified Chartered Accountant. Over the years, Mr. Mahajan's outstanding professionals achievements have been widely acknowledged in the industry. He won "Marketing Man of the Year Award" in 1979 and was selected as one of the thirty outstanding entrepreneurs for Ernst & Young Entrepreneur of the year Award in the year 2000. He enjoys great credibility in Industry for his managerial competence, strategic vision, passion for building durable relationships, candour, transparency and ethical values. However, he has ceased to be the director of the Bank.

Shri Asok Kumar Mohapatra, joined the Board as Shareholders' Director on 30.06.2008. Shri Mohapatra is a Post Graduate from Utkal University, Bhubaneswar and has M. Phil degree from Indian Institute of Public administration, New Delhi. Shri Mohapatra joined the Indian Administrative Service in 1971 and has held various Senior Administrative positions in the State of Himanchal Pradesh and also with the Government of India. Shri Mohapatra was Commonwealth Consultant in Tonga in 1993 and UNIDO Consultant for Government of Sri Lanka in 2000-01. He has written various papers for Commonwealth and UNIDO covering Socio- Philosophical subjects besides writing on SME's, Joint Ventures, Development of Ancillary Industries etc.

श्री देवेश्वर कुमार कपिला, शेयरधारक निदेशक के रूप में 30.06.2008 को बैंक के बोर्ड में पुनः निर्वाचित हुए। श्री कपिला श्रीराम कालेज ऑफ कामर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से आनर्स में वाणिज्यिक स्नातक हैं और योग्यता प्राप्त सनदी लेखाकार हैं। वह चार्टर्ड एकाउंटेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वर्तमान में वे नेशनल इंड्योरेंस कंपनी लि. में केन्द्र सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं, मैसर्स जे.के. काटन स्पिनिंग एंड वेविंग मिल्स कं. लि., कानपुर और मैसर्स नेपा लि., नेपा नगर, मध्य प्रदेश (पीएसयू) में बीआईएफआर के नामित निदेशक हैं। वह मैसर्स श्री शक्ति पेपर मिल्स लि. कोचीन के बोर्ड में स्वतंत्र सदस्य हैं। उन्होंने विभिन्न राज्य/केन्द्र सरकार के संगठनों अर्थात् दिल्ली बिक्री कर विभाग, भारतीय रेल वित्त निगम लि., कृषि मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की अध्ययन रिपोर्ट तैयार की हैं।

आभार

निदेशक मंडल बैंक के शेयरधारकों/निवेशकों को उनके सतत समर्थन और संरक्षण हेतु धन्यवाद ज्ञापित करता है। निदेशक मंडल भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार तथा अन्य नियामक एजेंसियों के प्रति उनकी बहुमूल्य एवं सामयिक सलाह, मार्गदर्शन तथा समर्थन के लिए अपना आभार व्यक्त करता है एवं उनके सतत समर्थन एवं सहयोग की कामना करता है। बैंक के प्रति ग्राहकों द्वारा व्यक्त किए गए सतत विश्वास और भरोसे के लिए निदेशक मंडल उनको धन्यवाद ज्ञापित करता है।

निदेशक मंडल सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के बहुमूल्य योगदान की सराहना करता है और नए सदस्यों का स्वागत करता है।

निदेशक मंडल बैंक कर्मियों के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं के लिए सहर्ष सराहना ज्ञापित करता है।

निदेशक मंडल के लिए लिए और उनकी ओर से,

दिनांक : 04 मई, 2009
कोलकाता

(के. आर. कामत)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Shri Deveshwer Kumar Kapila, re-elected as the Board as Shareholders' Director on 30.06.2008. Shri Kapila is a Commerce Graduate with Honours from Shri Ram College of Commerce, Delhi University and qualified Chartered Accountant from Institute of Chartered Accountants of India. He is a practicing Chartered Accountant. Presently he is a Central Govt. of India Nominee Director in National Insurance Company Ltd., BIFR Nominee Director on the Board of M/s. J. K. Cotton Spg. & Wvg. Mills Co. Ltd., Kanpur and M/s. Nepa Ltd., Nepa Nagar, M.P. (PSU). He is an Independent Director on the Board of M/s. Sree Sakthi Paper Mills Ltd. – Cochin. He has prepared study reports on behalf of various State / Central Govt. Organizations viz. Delhi Sales Tax Department, Indian Railways Finance Corporation Ltd, Ministry of Agriculture, Govt. of India and Reserve Bank of India.

Acknowledgements

The Board of Directors records its appreciation for continued support and patronage of the shareholders/investors of the Bank. The Board of Directors gratefully acknowledges the valuable and timely advice, guidance and support from the Reserve Bank of India, Government of India and other regulatory agencies and look forward to their continued support and co-operation. The Board of Directors is thankful to the customers for their continued trust & confidence on the Bank.

The Board records its appreciation for valuable contributions of the outgoing members and welcomes the new incumbents.

The Board of Directors is pleased to place on record their appreciation of the committed services of the Bank's employees.

For and on behalf of the Board of Directors,

Date : May 4, 2009
Kolkata

(K.R.Kamath)
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

यथास्थिति 31.03.2009 को नई पूँजी पर्याप्तता संरचना के अंतर्गत (बेसेल-II) बाजार प्रकटीकरण

जोखिम प्रबंधन

1. वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप, दुनियां भर के बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के सामने विभिन्न प्रकार के जोखिम मौजूद हैं। बेसेल-II समझौते के अस्तित्व में आने और दुनिया भर में इसकी बढ़ती प्रयोज्यता के चलते जोखिम प्रबंधन के बारे में सशक्त तंत्र की आवश्यकता महसूस की गई। चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप विभिन्न प्रकार की जोखिम प्रबंधन प्रणालियां बनाई हैं।
2. बैंक के जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य प्रमुखतः समुचित पहचान, मापन, निगरानी/ नियंत्रण और जोखिम उपशमन द्वारा प्रत्याशित आगम और संभावित जोखिमों के बीच समुचित सामन्जस्य बैठते हुए शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाना है।
3. बैंक ने अपने यहाँ जोखिम प्रबंधन का समुचित संगठनात्मक ढाँचा गठित किया है। जोखिम प्रबंधन प्रणाली पर भारिबैंक के मार्गदर्शी नोट के अनुसरण में “बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति” नामक एक बोर्ड स्तरीय उप-समिति का गठन किया गया है। समिति बैंक द्वारा सामना किए गए सभी जोखिमों का मूल्यांकन करती है और जोखिम की पहचान, मापन, निगरानी तथा नियंत्रण हेतु प्रभावी प्रणाली विकसित करती है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड समिति शीर्ष स्तर पर विभिन्न जोखिम प्रबंधन कार्यों का समेकन करती है अर्थात् ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) और आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) के माध्यम से समेकन।
4. महाप्रबंधक (एकीकृत जोखिम प्रबंधन) बैंक के प्रधान कार्यालय में एकीकृत रूप में जोखिम प्रबंधन के कार्य को देख रहे हैं, जो बैंक में उत्तम जोखिम प्रबंधन प्रणालियों और प्रथाओं के कार्यान्वयन हेतु व्यवसाय विभागों से स्वतंत्र है।
5. भारिबैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक ने 31 मार्च, 2008 से नई पूँजी पर्याप्तता संरचना (बेसेल-II) कार्यान्वित की है। यथासंदर्भित बेसेल-II संरचना, तीन परस्पर संबद्ध स्तम्भों पर आधारित है। संशोधित संरचना का **स्तम्भ -1** ऋण जोखिम, बाजार जोखिम एवं परिचालन जोखिम हेतु आवश्यक न्यूनतम पूँजी आवश्यकता की देखभाल करता है। **स्तम्भ -2** (पर्यवेक्षण समीक्षा प्रक्रिया) यह सुनिश्चित करने के लिए है कि क्या बैंक के पास उसके व्यवसाय से जुड़े समस्त जोखिमों हेतु जोखिम प्रोफाइल एवं नियंत्रण प्रणाली के अनुरूप पर्याप्त पूँजी है। बैंक के पास यथापेक्षित, आंतरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है।
6. बेसेल-II फ्रेमवर्क का **स्तम्भ -3 बाजार अनुशासन** से संबंधित है। भारिबैंक द्वारा जैसा निर्देशित किया गया है, बैंक में जोखिम प्रबंधन के संबंध में प्रकटीकरण (दोनों मात्रात्मक एवं परिमाणात्मक) का एक सेट सारणी **डीएफ 1 से डीएफ 10 (संलग्न है)** तक प्रकाशित किया गया है जिससे बाजार के सहभागियों को क्रियान्वयन, पूँजी जोखिम एक्सपोजर, जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया, बैंक के जोखिम प्रोफाइल एवं पूँजीकरण के स्तर आदि से संबंधित प्रमुख सूचनाओं का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। इससे बाजार के सहभागियों को विभिन्न मानदंडों पर बैंक के कार्यानिष्ठादन के बारे में आवश्यक आंकड़े भी मिल सकेंगे।

MARKET DISCLOSURE UNDER NEW CAPITAL ADEQUACY FRAMEWORK (BASEL-II) AS ON 31.03.2009

RISK MANAGEMENT

1. Consequent upon globalization, Banks and other financial institutions all over the world are exposed to different types of risks. The emergence of Basel-II accord and its increasing applicability throughout the world calls for sound practices in risk management. To cope with the challenges, the Bank has put in place various risk management practices and processes in line with the guidelines of the Reserve Bank of India issued from time to time.
2. The Bank's risk management objectives broadly covers proper identification, measurement, monitoring / control and mitigation of the risks towards enhancing and maximizing the shareholders' value by addressing appropriate trade off between an expected reward and potential risk.
3. The Bank has set up appropriate risk management organization structure. Board Level Sub-Committee known as "Risk Management Committee" has been constituted in terms of RBI guidance note on Risk Management System. The Committee evaluates overall risks faced by the Bank and put in place effective system to identify measure, monitor and control risk. The committee further integrates various risk management functions at committee level. i.e. integration through Credit Risk Management Committee (CRMC), Operational Risk Management Committee (ORMC) and Asset Liability Committee (ALCO).
4. A General Manager (Integrated Risk Management) is looking after functioning of risk management aspect in integrated manner at bank's Head Office, who is independent of business departments, for implementing best risk management systems and practices in the Bank.
5. In line with the guidelines issued by the RBI, the bank has implemented New Capital Adequacy Framework (Basel-II) with effect from March 31, 2008. The Basel-II framework, as referred, is based on three mutually reinforcing pillars. While **Pillar-1** of the revised framework addresses minimum capital requirement for Credit, Market and Operational risk, Pillar-2 (Supervisory Review Process) intends to ensure that the banks have adequate capital to address all the risks in their business commensurate with Bank's risk profile and control environment. As required, the bank has put in place a Board approved policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP).
6. **Pillar-3** refers to **market discipline**. As directed by the RBI, a set of disclosures (both qualitative & quantitative) are published in **Tables DF 1 to DF 10 (annexed)** with regard to risk management in the bank, which will enable market participants to access key information on the scope of application, capital risk exposures, risk assessment processes, bank's risk profile and level of capitalization etc. This would also provide the market participants with the necessary data to evaluate the performance of the bank in various parameters.

सारणी डीएफ - 1

प्रयोज्यता

गुणात्मक प्रकटीकरण																										
1. समूह में शीर्ष बैंक का नाम,जिस पर संरचना लागू है।	प्रकटीकरण का ढांचा इलाहाबाद बैंक पर प्रयोज्य है जो समूह में शीर्ष बैंक है।																									
2. लेखा एवं विनियामक प्रयोजन हेतु समेकन आधार पर विसंगतियों की रूपरेखा, समूह के अंतर्गत कंपनियों का संक्षिप्त विवरण (i) जो पूर्णतः समेकित हैं (ii) जो समानुपातिक आधार पर समेकित हैं (iii) जो घटाई गई हैं (iv) जो न तो समेकित हैं न ही घटाई गई हैं (अर्थात जहाँ निवेश जोखिम आधारित है)	<p>बैंक की अनुषंगी/सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम निम्नानुसार हैं</p> <p>क) अनुषंगी कंपनी: बैंक की एक निम्नलिखित अनुषंगी कंपनी है:</p> <table><tr><th>अनुषंगी कंपनी का नाम</th><th>देश में निगमन</th><th>स्वामित्व (%)</th></tr><tr><td>आल बैंक फाइनेन्स</td><td>भारत</td><td>100%</td></tr></table> <p>ख) सहायक संस्था: बैंक द्वारा निम्नलिखित तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित किया जाता है।</p> <table><tr><th>बैंक का नाम</th><th>देश में निगमन</th><th>स्वामित्व (%)</th></tr><tr><td>लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक</td><td>भारत</td><td>35%</td></tr><tr><td>त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक</td><td>भारत</td><td>35%</td></tr><tr><td>शारदा ग्रामीण बैंक</td><td>भारत</td><td>35%</td></tr></table> <p>ग) संयुक्त उद्यम : बैंक बीमा गतिविधियों में संलिप्त नहीं है। तथापि, बैंक ने निम्नलिखित संयुक्त उद्यम बीमा कंपनी में निवेश किया है:</p> <table><tr><th>बैंक का नाम</th><th>देश में निगमन</th><th>स्वामित्व (%)</th></tr><tr><td>मैसर्स यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड</td><td>भारत</td><td>35%</td></tr></table> <p>अनुषंगी, सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यमों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान(आईसीएआई) के लेखा मानकों क्रमशः 21,23 और 27 के अनुसार लेखा विवरण में समेकित किया गया है।</p> <p>बैंक की सीआरएआर की गणना हेतु अनुषंगी और सहायक कंपनी में किए गए निवेश को टियर-1 और टियर-1। पूँजी में से समान रूप से घटाया गया है और संयुक्त उद्यम बीमा कंपनी में निवेश को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश की मद मानते हुए भारित जोखिम माना गया है।</p>		अनुषंगी कंपनी का नाम	देश में निगमन	स्वामित्व (%)	आल बैंक फाइनेन्स	भारत	100%	बैंक का नाम	देश में निगमन	स्वामित्व (%)	लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	भारत	35%	त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	भारत	35%	शारदा ग्रामीण बैंक	भारत	35%	बैंक का नाम	देश में निगमन	स्वामित्व (%)	मैसर्स यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	35%
अनुषंगी कंपनी का नाम	देश में निगमन	स्वामित्व (%)																								
आल बैंक फाइनेन्स	भारत	100%																								
बैंक का नाम	देश में निगमन	स्वामित्व (%)																								
लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	भारत	35%																								
त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	भारत	35%																								
शारदा ग्रामीण बैंक	भारत	35%																								
बैंक का नाम	देश में निगमन	स्वामित्व (%)																								
मैसर्स यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	35%																								

क्रम सं.	परिमाणात्मक प्रकटीकरण	
1.	समेकन में शामिल न की गई सभी अनुषंगियों में पूँजीगत कमी की कुल मात्रा अर्थात् जो घटाई गई हैं और ऐसी अनुषंगियों के नाम।	किसी अनुषंगी के संबद्ध में पूँजी का कोई आभाव नहीं है।
2.	बीमा कंपनियां जो जोखिम भारित है, के नाम के साथ-साथ उनमें बैंक के कुल निवेश की सकल राशि (अर्थात् चालू बही मूल्य), उनके निवास या निगमन का देश, मालिकाना हक का अंश और यदि भिन्न हो, तो इन कंपनियों में मताधिकार शक्ति का अनुपात। इसके अतिरिक्त, कटौती प्रणाली के सापेक्ष इस प्रणाली का प्रयोग करने पर विनियामक पूँजी पर मात्रात्मक प्रभाव।	बैंक ने बीमा संयुक्त उद्यम अर्थात् यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो भारत में निगमित है, में इक्विटी सब्सक्रिप्शन के माध्यम से रु. 45.00 करोड़ की राशि निवेश की है जो इसकी कुल निर्गमित पूँजी का 30% है जिसे भारिबैंक के दिशानिर्देशानुसार जोखिम भार प्रदान किया गया है।

Table DF – 1
SCOPE OF APPLICATION

Qualitative Disclosures																										
1.	The name of the top bank in the group to which the Framework applies	The framework of disclosures applies to Allahabad bank, which is the top bank in the group. The Bank's subsidiary /Associates and Joint venture are as under:: a) Subsidiary: The Bank has one subsidiary as under: <table><tr><th>Name of Subsidiary</th><th>Country of Incorporation</th><th>Ownership (%)</th></tr><tr><td>All Bank Finance</td><td>India</td><td>100%</td></tr></table> b) Associates: Three Regional Rural Banks sponsored by the Bank are as under. <table><tr><th>Name of Banks</th><th>Country of Incorporation</th><th>Ownership (%)</th></tr><tr><td>Lucknow Kshetriya Gramin Bank</td><td>India</td><td>35%</td></tr><tr><td>Triveni Kshetriya Gramin Bank</td><td>India</td><td>35%</td></tr><tr><td>Sharda Gramin Bank</td><td>India</td><td>35%</td></tr></table> c) Joint Venture: The Bank is not involved in the insurance activity. However, the bank has invested in Joint Venture Insurance company as under: <table><tr><th>Name of Company</th><th>Country of Incorporation</th><th>Ownership (%)</th></tr><tr><td>M/S Universal Sompo General insurance Company Limited</td><td>India</td><td>30%</td></tr></table> The Subsidiary, Associates and Joint Ventures are consolidated in the Statement of Accounts as per Accounting Standard 21,23 and 27 respectively of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). For computation of CRAR of the Bank, investment in subsidiary and associates are deducted from Tier-I and Tier-II capital equally and investment in joint venture insurance company is risk weighted as per RBI guidelines, treating the same as an item of investment.	Name of Subsidiary	Country of Incorporation	Ownership (%)	All Bank Finance	India	100%	Name of Banks	Country of Incorporation	Ownership (%)	Lucknow Kshetriya Gramin Bank	India	35%	Triveni Kshetriya Gramin Bank	India	35%	Sharda Gramin Bank	India	35%	Name of Company	Country of Incorporation	Ownership (%)	M/S Universal Sompo General insurance Company Limited	India	30%
Name of Subsidiary	Country of Incorporation		Ownership (%)																							
All Bank Finance	India	100%																								
Name of Banks	Country of Incorporation	Ownership (%)																								
Lucknow Kshetriya Gramin Bank	India	35%																								
Triveni Kshetriya Gramin Bank	India	35%																								
Sharda Gramin Bank	India	35%																								
Name of Company	Country of Incorporation	Ownership (%)																								
M/S Universal Sompo General insurance Company Limited	India	30%																								
2.	An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and regulatory purposes, with a brief description of the entities within the group (i) that are fully consolidated (ii) that are pro-rata consolidated (iii) that are given a deduction treatment; and (iv) that are neither consolidated nor deducted (e.g. where the investment is risk - weighted)																									

QUANTITATIVE DISCLOSURES

1	The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and name(s) of such subsidiaries	There is no deficiency of Capital in respect of any subsidiary
2	The aggregate amounts (e.g. current book value) of the Bank's total interests in insurance entities which are risk weighted as well as their name ,their country of incorporation or residence ,the proportion of ownership interest and ,if different ,the proportion of voting power in these entities. In addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction.	The Bank has made investment amounting to Rs 45.00 Crores by way of equity subscription in an nsurance joint venture i.e Universal Sompo General Insurance Company Limited, incorporated in India representing 30% of its total issued capital and investment in joint venture insurance company is risk weighted as per RBI guidelines, treating the same as an item of investment.

सारणी डीएफ - 2

पूँजी संरचना

गुणात्मक प्रकटीकरण	
1) सभी पूँजी लिखतों विशेषकर, टियर I या अपर टियर 2) में शामिल होने के पात्र पूँजी लिखतों की मुख्य विशिष्टताओं के निबंधनों एवं शर्तों का सार	बैंक द्वारा समय-समय पर जारी टियर- I, टियर- II बांडों की शर्तें, इस संबंध में भारिबैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में हैं।

2. पूँजी संरचना: टियर-I

क्रम सं.	परिमाणात्मक प्रकटीकरण	(राशि रु. करोड़ में)
2.1	टियर I पूँजी की राशि :	5106.69
	2.1 प्रदत्त शेयर पूँजी;	446.70
	2.2 आरक्षितियाँ;	4531.30
	2.3 नवोन्मेषी लिखत	150.00
	2.4 अन्य पूँजी लिखत;	शून्य
	2.5 साख एवं निवेश सहित टियर I पूँजी से कटौती की गई राशियाँ (50%)	21.31

* नवोन्मेषी लिखतों के बारे में सूचना

क. नवोन्मेष शाश्वत ऋण लिखत:

क्र.सं.	आबंटन की तिथि	बांड (राशि रु. करोड़ में)	कूपन दर *	अवधि	काल ऑप्शन*	पुट ऑप्शन
1	30.03.2009	150	प्रथम 10 वर्षों हेतु 9.20%। यदि आबंटन की तिथि से 10 वर्ष की समाप्ति पर काल ऑप्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है तो परवर्ती सभी वर्षों में 9.70% की वार्षिक स्टेप अप कूपन दर	शाश्वत	आबंटन की तिथि से 10 वर्ष की समाप्ति पर सम मूल्य पर उसके बाद प्रत्येक वार्षिक तिथि को भारिबैंक की पूर्व अनुमति से।	कोई नहीं

* भारिबैं. के दिशानिर्देशानुसार

3. पूँजी संरचना: टियर-II

3.1	टियर II पूँजी की कुल राशि (टियर पूँजी में से कटौतियाँ घटाकर)	रु. 3252.15 करोड़
-----	--	-------------------

अपर टियर II पूँजी* में शामिल करने हेतु पात्र ऋण पूँजी लिखत।		राशि (रु. करोड़ में)
3.2	कुल बकाया राशि	500.00
3.3	इसमें से चालू वर्ष के दौरान उगाही गई राशि	500.00
3.4	पूँजीगत निधि के रूप में गणना हेतु पात्र राशि	500.00

अपर टियर- II के अंतर्गत नवोन्मेषी लिखतों के बारे में सूचना :

क. अपर टियर - II लिखत:

क्र.सं.	आबंटन की तिथि	(बांड राशि रु. करोड़ में)	कूपन दर *	अवधि	काल ऑप्शन*	पुट ऑप्शन	परिपक्वता
1	19.03.2009	500	प्रथम 10 वर्षों हेतु 9.28%। यदि आबंटन की तिथि से 10 वर्ष की समाप्ति पर काल ऑप्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है तो पिछले पाँच वर्षों अर्थात् 11वें से 15वें वर्ष हेतु बांड 9.78% की दर से वार्षिक रूप से देय होगा।	15 वर्ष	आबंटन की तिथि से 10 वर्ष की समाप्ति पर सम मूल्य पर भारिबैंक की पूर्व अनुमति से।	कोई नहीं	आबंटन की तिथि से 15 वर्ष की समाप्ति पर सम मूल्य पर यदि 10वें वर्ष की समाप्ति पर काल ऑप्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है।

4	लोअर टियर - II पूंजी* में शामिल करने हेतु पात्र गौण ऋण।	राशि (रु. करोड़ में)
	4.1 कुल बकाया राशि	2261.90
	4.2 इसमें से चालू वर्ष के दौरान उगाही गई राशि	400.00
	4.3 पूंजीगत निधि के रूप में गणना हेतु पात्र राशि	2261.90

लोअर टियर- II के अंतर्गत पात्र गौण ऋण :

क. गौण ऋण टियर - II लिखत:

क्रम सं.	आबंटन की तिथि	राशि (रु. करोड़ में)	कूपन दर	अवधि (महीनों में)	परिपक्वता की तिथि
1	31.03.2003	100.00	7.00%	85	30.04.2010
2	31.03.2004	200.00	5.90%	99	30.06.2012
3	13.03.2006	500.00	8.00%	120	13.03.2016
4	29.09.2006	561.90	8.80%	120	29.09.2016
5	25.09.2007	500.00	10.00%	120	25.09.2017
6	26.03.2009	400.00	9.23%	120	26.03.2019
कुल		2261.90			

5	साख एवं निवेश सहित टियर- II पूंजी में से कटौती की गई राशि (50%)	रु. 21.31 करोड़
6.	कुल पात्र पूंजी (टियर I + टियर II)	रु. 8358.84 करोड़

Table DF – 2

CAPITAL STRUCTURE

Qualitative Disclosures	
1) Summary information on the terms and conditions of the main features of all capital instruments, especially in the case of capital instruments eligible for inclusion in Tier I or in upper Tier II.	The terms and conditions of Tier-I & Tier II Bonds issued by the Bank from time to time adhere to applicable RBI guidelines in this respect.

2. CAPITAL STRUCTURE: TIER-I

SL No	Quantitative Disclosures	(Amount Rs in Crores)
2.1	The amount of Tier I capital:	5106.69
	2.1 paid-up share capital;	446.70
	2.2 reserves;	4531.30
	2.3 innovative instruments;*	150.00
	2.4 other capital instruments;	Nil
	2.5 amounts deducted from Tier I capital, including goodwill and investments. (50%)	21.31

Information about Innovative instruments:*a. Innovative Perpetual Debt Instruments:**

S.N.	DATE OF ALLOTMENT	BOND (AMT. in Rs. Crores)	COUPON RATE*	TENOR	CALL OPTION*	PUT OPTION
1	30.03.2009	150.00	9.20% for first 10 years. Step up coupon rate of 9.70% annual in all subsequent years if call option is not exercised at the end of 10 th year from the date of allotment	PERPETUAL	At par at the end of 10 th year from the date of allotment and thereafter on each anniversary date with prior permission from RBI.	None

* Subject to RBI guidelines

3. CAPITAL STRUCTURE: TIER-II

3.1	The total amount of Tier II capital (net of deductions from Tier II capital)	Rs. 3252.15 Crores
Debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier II capital*		Amount (Rs. in Crores)
3.2	Total amount outstanding	500.00
3.3	Of which amount raised during the current year	500.00
3.4	Amount eligible to be reckoned as capital funds	500.00

***Information about Innovative instruments eligible under Upper Tier-II :**

a. Upper Tier-II instruments

S.N.	DATE OF ALLOTMENT	BOND (AMT. in Rs. Crores)	COUPON RATE*	TENOR	CALL OPTION*	PUT OPTION	MATURITY
1	19.03.2009	500.00	9.28% for first 10 years. If the call option is not exercised at the end of 10 th year from date of allotment then the bonds shall carry the interest of 9.78% payable annually for the last five years i.e 11 th to 15 th year	15 Years	At par at the end of 10 th year from date of allotment with prior permission from RBI.	None	At par at the end of 15 th year from the date of allotment , if call option is not exercised at the end of 10 th year

4	Subordinated debt eligible for inclusion in Lower Tier- II capital*	(Rs. in Crores)
	4.1 Total amount outstanding	2261.90
	4.2 Of which amount raised during the current year	400.00
	4.3 Amount eligible to be reckoned as Capital funds	2261.90

***Information about Subordinated debt eligible under lower Tier-II:**

a. Subordinate Debt- Tier-II instruments

S.N.	Date of Allotment	Amount (Rs. in Crore)	Coupon Rate	Tenor (in months)	Date of maturity
1	31.03.2003	100.00	7.00%	85	30.04.2010
2	31.03.2004	200.00	5.90%	99	30.06.2012
3	13.03.2006	500.00	8.00%	120	13.03.2016
4	29.09.2006	561.90	8.85%	120	29.09.2016
5	25.09.2007	500.00	10.00%	120	25.09.2017
6	26.03.2009	400.00	9.23%	120	26.03.2019
	TOTAL	2261.90			

5	Amounts deducted from Tier II capital, including goodwill and investments. (50%)	Rs. 21.31 Crores
6	Total eligible capital (Tier I + Tier II)	Rs. 8358.84 Crores

सारणी डीएफ - 3

पूँजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण

1. भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल, 1992 में भारत के बैंकों के लिए पूँजी पर्याप्तता उपाय के रूप में जोखिम आस्ति अनुपात प्रणाली लागू की जिसमें ऋण जोखिम के घटक शामिल थे। तुलन पत्र आस्तियों, गैर निधिक मदों और अन्य तुलनपत्र बाह्य निवेशों को निर्धारित जोखिम भारिता समनुदेशित की जाती है और बैंक को सतत् आधार पर सकल जोखिम भारित आस्तियों पर निर्धारित अनुपात के समतुल्य न्यूनतम अक्षुण्ण पूँजीगत निधियाँ बनाए रखनी होंगी। बैंकों को सलाह दी गई थी कि वे निधि आधारित और गैर निधि आधारित निवेश सहित सकल जोखिम भारित आस्तियों पर 31 मार्च 1993 तक पूँजी पर्याप्तता के 4% के न्यूनतम स्तर को और 31 मार्च 1996 तक 8% के न्यूनतम स्तर को बनाए रखें। तदनन्तर पूँजी पर्याप्तता अनुपात के न्यूनतम स्तर को 9% तक बढ़ाया गया। ये दिशानिर्देश बेसेल-1 दिशानिर्देश के रूप में जाने जाते हैं।
2. 27 अप्रैल, 2007 को भारिबैंक ने बेसेल- II के अंतर्गत “नई पूँजी पर्याप्तता संरचना पर अंतिम दिशानिर्देश” जारी किए। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक ने इस विषय से संबंधित कुछ बातों के बारे में 31 मार्च 2008 को स्पष्टीकरण जारी किए हैं। कुछ आवधिक परिवर्तनों को समाविष्ट करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जुलाई 2008 को नई पूँजी पर्याप्तता संरचना के कार्यान्वयन के संबंध में एक मास्टर परिपत्र जारी किया है। इन दिशानिर्देशों में ऋण मार्केट और परिचालन जोखिम में स्पष्ट भेद किया गया है।
3. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक ने दिनांक 31.03.2008 से नई पूँजी पर्याप्तता संरचना को अपना लिया है। बैंक ने लगातार एक्सपोजर का अनुसरण करते हुए बेसेल-II संरचना की समानांतर प्रक्रिया को जारी रखा और विवेकपूर्ण धरातल दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से त्रैमासिक आधार पर बैंक के सीआरएआर पर प्रभाव का अध्ययन किया।
4. बेसेल-II संरचना ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनगत जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता सुनिश्चित करने हेतु अनेक विकल्प उपलब्ध कराती है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार बैंक ने 31 मार्च 2008 की भांति यथास्थिति 31 मार्च 2009 को पूँजी की संगणना हेतु ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए) और परिचालनगत जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) को अपनाया है। बैंक बाजार जोखिम के लिए पूँजी अपेक्षा की संगणना हेतु 31 मार्च 2006 से मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (एसडीए) को अपना रहा है। वस्तुतः, अब तक ऋण जोखिम और बाजार जोखिम के लिए पूँजी बनाए रखने के अतिरिक्त, बैंक दिनांक 31.03.2008 से परिचालनगत जोखिम के लिए पूँजी बनाए रखता है।
5. भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा सतत आधार पर ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनगत जोखिम के संबंध में, बेसेल दस्तावेज में निर्धारित 8 प्रतिशत के सापेक्ष 9 प्रतिशत सीआरएआर बनाए रखना निर्धारित किया है। बेसेल-II दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात(सीआरएआर) की तुलना में कुल पूँजी यथास्थिति 31.03.2009 को 13.11 % प्रतिशत निकलती है। टियर I सीआरएआर भारिबैंक के 6.00% के निर्धारण के सापेक्ष 8.01% है। मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम के लिए पूँजी की संगणना में, बैंक ने प्रत्येक शाखा से प्राप्त उधारकर्तावार ऑकड़ों पर भरोसा किया है। इस प्रयोजन हेतु बैंक ने शाखा स्तर, मंडल स्तर तथा प्रधान कार्यालय स्तर पर वांछित रिपोर्ट तैयार करने के लिए आंतरिक अतिकल्पित प्ररूप विकसित किया है। जैसाकि मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत भारिबैंक के दिशानिर्देशों में निर्धारित है, बैंक ने ऋण जोखिम के लिए पूँजी की संगणना में ऋण जोखिम उपशमन का प्रयोग किया है। निर्धारित दृष्टिकोण के अनुसार ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनगत जोखिम के लिए पूँजी बैंक के प्रधान कार्यालय में संगणित की गई है जिन्होंने बैंक की उपर्युक्त सीआरएआर स्थिति निकाली। पात्र पूँजी, जोखिम भारित आस्तियों और सीआरएआर का परिकलन करने के लिए बैंक ने भारिबैंक के प्रचलित दिशानिर्देशों का पालन किया है।
6. बैंक निरन्तर अपनी पूँजी जरूरतों का मूल्यांकन कर रहा है। बैंक के पास टियर I और टियर II पूँजी संग्रहण के लिए उपलब्ध हेडरूम भविष्य की गतिविधियों के लिए अपेक्षित सीआरएआर को पूरा करने के लिए पूँजी संरचना का अतिरिक्त रूप में समर्थन करेगा।

बैंक और इनकी अनुषंगी कंपनी हेतु पूँजी पर्याप्तता अनुपात :

इलाहाबाद बैंक

क्रम सं.	परिमाणात्मक प्रकटीकरण	(राशि रु. करोड़ में)
1	जोखिम प्रबंधन हेतु पूँजी आवश्यकताएँ	
	1.1क मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यक्षीन संविभाग - निधिक	4068.20
	1.1ख मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यक्षीन संविभाग - गैर-निधिक	573.90
	1.2 प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	—
2	बाजार जोखिम हेतु पूँजी आवश्यकताएँ (मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण)	
	2.1 ब्याज दर जोखिम	707.26
	2.2 विदेश विनिमय जोखिम(स्वर्ण सहित)	26.82
	2.3 इक्विटी जोखिम	71.57
3	परिचालनगत जोखिम हेतु पूँजी आवश्यकताएँ (मूल संकेतक दृष्टिकोण)	332.39
4	कुल एवं टियर-I पूँजी अनुपात :	
	4.1 कुल सीआरएआर	13.11
	4.2 टियर I सीआरएआर	8.01

Table DF – 3

CAPITAL ADEQUACY

Qualitative Disclosures	
1.	The Reserve Bank of India (RBI) introduced a Risk Asset Ratio System for banks in India as a capital adequacy measure covering the elements of Credit Risk in April 1992. The Balance sheet assets, non-funded items and other off-balance sheet exposures are assigned prescribed risk weights and banks have to maintain unimpaired minimum capital funds equivalent to the prescribed ratio on the aggregate of the risk weighted assets on an on going basis. Banks were advised to ensure capital adequacy at a minimum level of 4% on the aggregated risk weighted assets including both fund based and non-fund based exposures by 31st March-1993 and 8% by 31st March-1996. The Minimum level of Capital Adequacy was increased to 9% subsequently. These guidelines together are known as Basel-I guidelines.
2.	On 27 th April, 2007, the RBI released the “Final Guidelines for implementation of the New Capital Adequacy Frame work” under Basel-II. In addition, the RBI issued clarifications on 31 st March, 2008 on certain issues related to the subject. Incorporating some intermittent changes, the RBI released the master circular on Implementation of New Capital Adequacy Framework on July1-2008. These guidelines make clear distinction between Credit Market and Operational risk.
3.	In line with the RBI guidelines, the Bank migrated to the New Capital Adequacy Framework (Basel-II) with effect from 31.3.2008. The Bank continued the parallel run of Basel I norms and studied the impact on Bank's CRAR on quarterly basis with a view to ensuring compliance with the guidelines under “prudential floor”.
4.	Basel-II Framework provides a range of options for determining the capital requirements for Credit Risk, Market Risk and Operational Risk. In accordance with the RBI's guidelines, the Bank has adopted Standardized Approach (SA) for Credit Risk, and Basic Indicator Approach (BIA) for Operational Risk to compute capital as on 31 st March, 2009 also like as on 31 st March 2008. The Bank continues to apply the Standardized Duration Approach (SDA) for computing capital requirement for market risks with effect from 31 st March, 2006. As such, in addition to maintaining capital for credit risk and market risk as hitherto, the bank maintains capital for operational risk from 31.03.2008.
5.	Reserve Bank of India prescribes Banks to maintain a minimum Capital to risk-weighted Assets Ratio (CRAR) of 9 percent with regard to credit risk, market risk and operational risk on an ongoing basis, as against 8 percent prescribed in Basel Documents. The total Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) as per Basel – II guidelines works to 13.11% as on 31.03.2009. The Tier-I CRAR stands at 8.01% as against RBI's prescription of 6.00%. In computation of capital for credit risk under Standardized Approach, the bank has relied upon the data captured from each individual branch. For this purpose, the Bank has developed in-house designed format for generation of desired reports, at Branch level, Zonal and Head Office level. The Bank has used the credit risk mitigants in computation of capital for credit risk, as prescribed in the RBI guidelines under Standardized Approach. The Capital for Credit Risk, Market risk and Operational Risk as per the prescribed approaches has been computed at the bank's Head Office which has arrived at the banks above CRAR position. The bank has followed the RBI guidelines in force, to arrive at the eligible capital, risk weighted assets and CRAR.
6.	The Bank is continuously evaluating its capital requirement. The sufficient headroom available for the bank for mobilizing Tier 1 and Tier II capital shall additionally support capital structure to meet the required CRAR against future activities.

The capital adequacy ratio for the Bank & its subsidiary:

Allahabad Bank

SL No	Quantitative Disclosures	(Amount Rs in Crores)
1	Capital requirements for Credit Risk:	
	1.1a Portfolios subject to Standardized Approach-Funded	4068.20
	1.1b Portfolios subject to Standardized Approach-Non-Funded	573.99
	1.2 Securitization exposures	—
2	Capital requirements for Market Risk: (Standardized Duration Approach)	
	2.1 interest rate risk	707.26
	2.2 foreign exchange risk(including gold)	26.82
	2.3 equity risk	71.57
3	Capital requirements for Operational Risk (Basic Indicator Approach)	332.39
4	Total and Tier-1 Capital Ratio:	
	4.1 Total CRAR	13.11
	4.2 Tier I CRAR	8.01

सारणी डीएफ - 4

ऋण जोखिम : सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

1. ऋण जोखिम

- 1.1 उधार देने में कई तरह के जोखिम हैं। ऋण जोखिम उधारकर्ताओं अथवा प्रतिपक्षियों की ऋण गुणवत्ता में ह्रास से संबंधित हानि की संभावना है।
- 1.2 ऋण जोखिम या चूक जोखिम ग्राहक अथवा प्रतिपक्षी द्वारा उधार, ट्रेडिंग, हेजिंग, निपटान एवं अन्य वित्तीय लेनदेनों से संबंधित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में अनिच्छा या अक्षमता के कारण होता है। ऋण जोखिम आमतौर पर लेनदेन जोखिम या चूक जोखिम एवं संविभाग जोखिम से उत्पन्न होता है।
- 1.3 ऋण अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी, विवेकपूर्ण निवेश सीमा, उद्योग निवेश सीमा, ऋण जोखिम रेटिंग प्रणाली, जोखिम आधारित प्राइसिंग, ऋण समीक्षा तंत्र और ऋण जोखिम शमन जैसे उपकरणों का प्रयोग बैंक द्वारा ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए किया जाता है। ऋण जोखिम को संपार्श्विक प्रतिभूति और गारंटियां प्राप्त करते हुए विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों में खंडीय निवेश सीमा, विवेकपूर्ण निवेश और पर्याप्त निवेश उच्चतम सीमा और जोखिम शमन के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है।

2. ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियाँ :

- 2.1 बैंक के पास बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित एक सुव्यवस्थित ऋण जोखिम प्रबंधन नीति है। नीति दस्तावेज संगठनात्मक संरचना, भूमिका एवं दायित्व तथा प्रक्रियाओं को परिभाषित करती हैं जिसके माध्यम से बैंक को होने वाले ऋण जोखिमों की पहचान, आकलन करने में मदद मिलती है और उनका प्रबंधन उस संरचना के अंतर्गत किया जाता है जिसे बैंक अपने अधिदेश एवं जोखिम वहनशीलता के अनुरूप उपयुक्त समझता है।
- 2.2 बैंक द्वारा खातावार ऋण जोखिम की निगरानी की जाती है और बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम सीमाओं/एक्सपोजर कैप के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाता है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की गुणवत्ता की भी निगरानी की जाती है और ऋण जोखिम से संबंधित सभी मुद्दों को हल करने हेतु आंतरिक दक्षता विकसित की जाती है।
- 2.3 उत्तम ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली विकसित करने हेतु बैंक ने महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। ऋण जोखिम प्रबंधन नीति के अतिरिक्त, बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण नीति, निवेश, देश जोखिम प्रबंधन वसूली नीति आदि भी है जो ऋण जोखिम की निगरानी का अभिन्न अंग है।
और विभिन्न नियामक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं विशेष रूप से भारिबैं/अन्य सांविधिक प्राधिकारियों के निवेश मानदंडों, प्राथमिकता क्षेत्र मानदंडों, आय अभिज्ञान और आस्ति वर्गीकरण दिशानिर्देशों, पूंजी पर्याप्तता, ऋण जोखिम प्रबंधन आदि संबंधी दिशानिर्देशों के संदर्भ में
- 2.4 इसके अतिरिक्त बैंक की ऋण जोखिम शमन और संपार्श्विक प्रतिभूति प्रबंधन के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति भी है जिसमें बैंक के हितों की रक्षा के लिए प्रतिभूतियों और ऐसी प्रतिभूतियों के प्रशासन के विवरण निर्धारित किए गए हैं।

3. बैंक की संरचना एवं प्रणाली :

- 3.1 बैंक में जोखिम प्रबंधन प्रकार्यों की विशेष निगरानी और समन्वय हेतु बोर्ड द्वारा जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) नामक निदेशकों की उपसमिति का गठन किया गया है।
- 3.2 ऋण नीति सहित विभिन्न ऋण जोखिम कार्यनीतियां बनाने और इनके कार्यान्वयन हेतु तथा नियमित आधार पर बैंक के जोखिम प्रबंधन कार्य की निगरानी हेतु ऋण जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है।

4. ऋण मूल्यांकन /आंतरिक रेटिंग :

- 4.1 बैंक अपने ऋण जोखिम का प्रबंधन हरेक उधारकर्ता एवं संविभाग स्तर पर जोखिमों के सतत मापन एवं निगरानी के माध्यम से करता है। बैंक के पास एक सशक्त आंतरिक क्रेडिट रेटिंग संरचना और सुव्यवस्थित मानकीकृत ऋण मूल्यांकन/अनुमोदन प्रणाली है।
- 4.2 आंतरिक जोखिम रेटिंग/ग्रेडिंग मॉड्यूल में प्रबंधन जोखिम से संबंधित परिमाणात्मक एवं गुणात्मक मुद्दे, व्यवसाय जोखिम, उद्योग जोखिम, वित्तीय जोखिम एवं परियोजना जोखिम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इस तरह की रेटिंग में उधारकर्ता की समग्र रेटिंग का मूल्यांकन करते समय विशिष्ट लेनदेन हेतु ऋण परिवर्धन विशिष्टताओं पर भी विचार किया जाता है। बाजार स्थितियों के आधार पर उद्योग जोखिम के आँकड़े निरंतर अद्यतन किये जाते हैं।
- 4.3 प्रत्येक उधारकर्ता की रेटिंग की समीक्षा की जाती है। सशक्त ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के उपाय के रूप में बैंक ने प्रधान कार्यालय और मंडलीय कार्यालय/शाखा स्तर पर संस्वीकृत प्रस्तावों हेतु क्रेडिट रेटिंग प्रक्रिया की त्रिस्तरीय प्रणाली कार्यान्वित की है जिसमें ऋण विभाग से इतर रेटिंग की वैधता (तीसरा चरण) शामिल है। बैंक के प्रधान कार्यालय की शक्तियों के अंतर्गत आने वाले प्रस्तावों के मामले में रेटिंग की वैधता जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा की जाती है।
- 4.4 बैंक ऋणों की संस्वीकृति हेतु सुव्यवस्थित बहु-स्तरीय विवेकाधीन शक्ति संरचना का अनुसरण करता है। नए/परिवर्धनशील प्रस्तावों पर विचार करने के लिए प्रधान कार्यालय स्तर पर क्रेडिट ग्रीड का गठन किया गया है। विनिर्दिष्ट कट-ऑफ से अधिक के नए ऋण प्रस्तावों पर सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान करने हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में प्रधान कार्यालय स्तर पर नया व्यवसाय समूह (एनबीजी) नामक संरचना का गठन किया गया है। बैंक के पास नए उत्पादों हेतु जोखिम प्रबंधन संरचना है जो नए उत्पादों के संबंध में उनके शुभारंभ से पूर्व न्यूनतम प्रक्रिया/मूल्यांकन मानदंडों को निर्धारित करती है।

क्रम सं.	परिमाणात्मक प्रकटीकरण	(राशि रु. करोड़ में)
1	कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर , निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित अलग-अलग से	68919.79
	1.1 निधि आधारित	59443.31
	1.2 गैर-निधि आधारित	9576.48
2	एक्सपोजर का भौगोलिक वितरण	
	2.1 विदेशी :	511.08
	2.1.1 निधि आधारित	486.93
	2.1.2 गैर निधि-आधारित	24.15
	2.2 घरेलू :	68508.80
	2.2.1 निधि आधारित	58956.47
	2.2.2 गैर निधि-आधारित	9552.33
3	उद्योग को एक्सपोजर (बकाया राशि)	24948.00
	जिसमें से यथास्थिति 31.03.2009 को विद्युत क्षेत्र को एक्सपोजर सकल ऋण के 5% से अधिक है (बकाया राशि)	5129.00
4	आस्तियों के अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता का विश्लेषण	
	अगले दिन	6360.96
	2 से 7 दिन	4313.18
	8 से 14 दिन	2696.57
	15 से 28 दिन	2567.66
	29 दिन एवं 3 माह तक	5723.99
	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6959.81
	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	5998.29
	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	22597.37
	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	10664.66
	5 वर्ष से अधिक	29765.52
	कुल	97648.01
5	एनपीए की राशि (सकल)	
	5.1 अवमानक	701.01
	5.2 संदिग्ध 1	111.23
	5.3 संदिग्ध 2	83.54
	5.4 संदिग्ध 3	135.84
	5.5 हानि	46.63
6	निवल एनपीए	422.11
7	एनपीए अनुपात	
	7.1 सकल अग्रिम में सकल एनपीए	1.81%
	7.2 निवल अग्रिम में निवल एनपीए	0.72%
8	एनपीए का संचलन (सकल)	
	8.1 अथ शेष	1010.51
	8.2 समावेश	846.06
	8.3 कमी	778.32
	8.4 इतिशेष	1078.25
9	एनपीए हेतु प्रावधान का संचलन	
	9.1 अथ शेष	591.69
	9.2 इस अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	329.76
	9.3 राइट ऑफ/राइट बैक के अतिरिक्त प्रावधान	279.81
	9.4 इतिशेष	641.64
10	अनर्जक निवेश की राशि	11.85
11	अनर्जक निवेश हेतु किए गए प्रावधानों की राशि	11.85
12	निवेश के मूल्यहास हेतु प्रावधानों का संचलन	
	12.1 अथ शेष	322.03
	12.2 इस अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	112.06
	12.3 निवेश के राइट ऑफ हेतु उपयोग किया गया प्रावधान	3.79
	12.4 इति शेष	430.30

Table DF – 4

CREDIT RISK : GENERAL DISCLOSURES

Qualitative Disclosures
<p>1. Credit Risk :</p> <p>1.1. Lending involves a number of risks. Credit Risk is broadly the probability of losses associated with diminution in the credit quality of borrowers or counterparties.</p> <p>1.2. Credit Risk or default risk involves inability or unwillingness of a customer or counterparty to meet commitments in relation to lending, trading, hedging, settlement and other financial transactions. The Credit Risk is generally made up of transaction risk or default risk and portfolio risk.</p> <p>1.3. Credit approving authority, prudential exposure limits, industry exposure limits, credit risk rating system, risk based pricing, loan review mechanism and Credit Risk Mitigants are the instruments used by the bank for credit risk management. Credit risk is controlled through segmental exposure limits to various industries and sectors, prudential exposure and substantial exposure ceilings and risk mitigation by obtaining collateral and guarantees.</p> <p>2. Credit Risk Management Policies :</p> <p>2.1 The bank has put in place a well-structured Credit Risk Management Policy duly approved by the Board. The Policy document defines organizational structure, role and responsibilities and the processes whereby the Credit Risks carried by the Bank can be identified, quantified, managed and controlled within the framework which the Bank considers consistent with its mandate and risk tolerance limits.</p> <p>2.2 Credit Risk is monitored by the bank account wise and compliance with the risk limits / exposure cap approved by the Board is ensured. The quality of internal control system is also monitored and in-house expertise has been built up to tackle all the facets of Credit Risk.</p> <p>2.3 The Bank has taken earnest steps to put in place best Credit Risk Management practices. In addition to Credit Risk Management Policy, the Bank has also framed Board approved Credit Policy, Investment Policy, Country Risk Management Policy, Recovery Policy etc. which form integral part in monitoring of credit risk and ensures compliance with various regulatory requirements, more particularly in respect of Exposure norms, Priority Sector norms, Income Recognition and Asset Classification guidelines, Capital Adequacy, Credit Risk Management guidelines etc. of RBI/other Statutory Authorities.</p> <p>2.4 Besides, the Bank has also put in place a Board approved policy on Credit Risk Mitigation & Collateral Management which lays down the details of securities and administration of such securities to protect the interests of the Bank. These securities act as mitigants against the credit risk to which the bank is exposed.</p> <p>3. Architecture and Systems of the Bank:</p> <p>3.1 A Sub-Committee of Directors termed as Risk Management Committee (RMC) has been constituted by the Board to specifically oversee and co-ordinate Risk Management functions in the bank.</p> <p>3.2 The Credit Risk Management Committee has been set up to formulate and implement various credit risk strategies including lending policy and to monitor Bank's Risk Management functions on a regular basis.</p> <p>4. Credit Appraisal / Internal Rating :</p> <p>4.1. The Bank manages its credit risk through continuous measuring and monitoring of risks at each obligor (borrower) and portfolio level. The Bank has robust internally developed credit risk grading / rating modules and well-established credit appraisal / approval processes.</p> <p>4.2. The internal risk rating / grading modules capture quantitative and qualitative issues relating to management risk, business risk, industry risk, financial risk and project risk. Besides, such ratings consider transaction specific credit enhancement features while assessing the overall rating of a borrower. The data on industry risk is constantly updated based on market conditions.</p> <p>4.3. The rating for every borrower is reviewed. As a measure of robust credit risk management practices, the bank has implemented a three tier system of credit rating process for the loan proposals sanctioned at Head Office Level and two tier system at Zonal Office/ Branch level which includes validation of rating independent of credit department. For the proposals falling under the powers of Bank's Head Office, the validation of ratings is done at Risk Management Department.</p> <p>4.4. The bank follows a well defined multi layered discretionary power structure for sanction of loans. Credit Grid has been constituted at Head Office level for considering fresh / enhancement proposals. A structure namely New Business Group (NBG) headed by CMD has been constituted at Head Office level for considering in-principle approval for taking up fresh credit proposals above a specified cut-off point. The bank has put in place a risk management framework for new products which lay down minimum processing / assessment norms to assess risk in a New Product prior to its introduction.</p>

SL No	Quantitative Disclosures	(Amount Rs in Crores)
1	Total gross credit risk exposures, Fund based and Non-fund based separately.	68919.79
	1.1 Fund Based	59443.31
	1.2 Non Fund Based	9576.48
2	Geographic distribution of exposures	
	2.1 Overseas:	511.08
	2.1.1 Fund Based	486.93
	2.1.2 Non-Fund Based	24.15
	2.2 Domestic:	68508.80
	2.2.1 Fund Based	58956.47
	2.2.2 Non-Fund Based	9552.33
3	Exposure to Industry (Amt. Outstanding)	24948.00
	Out of which exposure to Power Sector exceeds 5% of Gross Credit as on 31.3.2009 (Amt. Outstanding)	5129.00
4	Residual contractual maturity breakdown of assets,	
	Next Day	6360.96
	2 to 7 days	4313.18
	8 to 14 days	2696.57
	15 to 28 days	2567.66
	29 days and up to 3 months	5723.99
	over 3 months and up to 6 months	6959.81
	over 6 months and up to 1 year	5998.29
	over 1 year and up to 3 years	22597.37
	over 3 years and up to 5 years	10664.66
	over 5 years	29765.52
	TOTAL	97648.01
5	Amount of NPAs (Gross)	
	5.1 Substandard	701.01
	5.2 Doubtful 1	111.23
	5.3 Doubtful 2	83.54
	5.4 Doubtful 3	135.84
	5.5 Loss	46.63
6	Net NPAs	422.11
7	NPA Ratios	
	7.1 Gross NPAs to gross advances	1.81%
	7.2 Net NPAs to net advances	0.72%
8	Movement of NPAs (Gross)	
	8.1 Opening balance	1010.51
	8.2 Additions	846.06
	8.3 Reductions	778.32
	8.4 Closing balance	1078.25
9	Movement of provisions for NPAs	
	9.1 Opening balance	591.69
	9.2 Provisions made during the period	329.76
	9.3 Write-off/Write-back of excess provisions	279.81
	9.4 Closing Balance	641.64
10	Amount of Non-Performing Investments	11.85
11	Amount of provisions held for non-performing investments	11.85
12	Movement of provisions for depreciation on investments	
	12.1 Opening balance	322.03
	12.2 Provisions made during the period	112.06
	12.3 Provision utilized for Write- off of Investment	3.79
	12.5 Closing balance	430.30

सारणी डीएफ - 5

ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यक्षीन संविभागों हेतु प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

1. सामान्य सिद्धांत :

भारिबैंक के दिशानिर्देशानुरूप, बैंक ने 31.03.2008 से ऋण जोखिम हेतु पूँजी के परिकलन के लिए नई पूँजी पर्याप्तता संरचना (एनसीएफ) के मानकीकृत दृष्टिकोण को अपनाया है। पूँजी के परिकलन हेतु बैंक ने विभिन्न आस्ति वर्गों के लिए भारिबैंक द्वारा यथाप्रस्तावित जोखिम भार समनुदेशित किए हैं।

2. बाह्य क्रेडिट रेटिंग :

- 2.1** भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अनुमति प्रदान की है कि वे घरेलू निदेश की जोष में भारिता मारने हेतु निम्नलिखित बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, नामतः (क) क्रेडिट एनालिस्ट एंड रिसर्च लि. (केयर) (ख) क्रिसिल लि. (ग) फिच इंडिया लि. एवं (घ) इकरा लि. और अंतर्राष्ट्रीय निवेश हेतु (क) स्टैंडर्ड एंव पूअर (ख) मूडीज (ग) फिच रेटिंग का उपयोग करें। उपर्युक्त दिशानिर्देशों पर विचार करते हुए बैंक ने बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित “दावों की रेटिंग पर नीति” के अंतर्गत इन सभी बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा समनुदेशित रेटिंग को स्वीकार करने का निर्णय लिया है।
- 2.2** बाह्य रेटिंग प्रक्रिया को सरलीकृत बनाने और ग्राहकों को उनके एक्सपोजर हेतु बाह्य रेटिंग कराने के लिए बैंक ने इन चार क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है। बैंक इन बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा उधारकर्ताओं के किसी भी प्रकार के एक्सपोजर के लिए समनुदेशित रेटिंग को प्रयोग करेगा। पिछले 15 माह के दौरान नई समनुदेशित या समीक्षाकृत रेटिंग को ही बैंक द्वारा पूँजी परिकलन हेतु संज्ञान में लिया जाएगा। जिन मामलों में उधारकर्ता के पास बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की एक से अधिक रेटिंग है, पूँजी प्रथम के परिकलन हेतु जोखिम भार समनुदेशित करने के लिए भारिबैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाय। तदनुसार, बैंक ने 31.03.2009 को यथास्थिति कारपोरेट एवं पीएसई खंड के अंतर्गत ऋण जोखिम हेतु पूँजी के परिकलन के लिए बैंक की अनुमोदित बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा उधारकर्ता के ऋण एक्सपोजर हेतु समनुदेशित रेटिंग पर विचार किया है।
- 2.3** कारपोरेट / पीएसई के विशेष इश्यु में बैंक के निवेश के मामले में अनुमोदित बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की उस खास इश्यु हेतु समनुदेशित रेटिंग को संज्ञान में लिया गया है और तदनुसार, भारिबैंक के दिशानिर्देशों में दिये गए रेटिंग स्केल से समरूप मैपिंग के उपरांत जोखिम भार आबंटित किया गया है।
- 2.4** बैंक बड़े कारपोरेट / पीएसई उधारकर्ताओं को इसीआरए से रेटिंग प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन देता है और जहां रेटिंग उपलब्ध है वहां बैंक ने जोखिम भारित आस्तियों की गणना हेतु इन रेटिंग का प्रयोग किया है।

क्रम सं.	परिमाणात्मक प्रकटीकरण	(राशि रु. करोड़ में)
1	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम उपशमन के बाद राशियों के एक्सपोजर हेतु निम्नलिखित तीन प्रमुख जोखिम क्षेत्रों में बैंक का बकाया (निर्धारित एवं अनिर्धारित) साथ ही जो घटाए गए हैं।	
	1.1.क 100% जोखिमभारित से कम - निधिक	6129.34
	1.1.ख 100% जोखिमभारित से कम - गैर- निधिक	3660.17
	1.2.क 100% जोखिमभारित - निधिक	24092.72
	1.2.ख 100% जोखिमभारित - गैर- निधिक	1891.99
	1.3 क 100% जोखिमभारित से अधिक - निधिक	14980.18
	1.3 ख 100% जोखिमभारित से अधिक - गैर-निधिक	825.53
	1. 4 घटाया गया	42.62

Table DF – 5

CREDIT RISK : DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDIZED APPROACH

Qualitative Disclosures	
1. General Principle :	In accordance with the RBI guidelines, the Bank has adopted Standardized Approach of the New Capital Adequacy Framework (NCAF) for computation of capital for credit risk with effect from 31.3.2008. In computation of capital, the bank has assigned risk weights to different asset classes as prescribed by the RBI.
2. External Credit Ratings :	<p>2.1 The Reserve Bank of India has permitted Banks to use the external ratings of the following Credit Rating Agencies (ECRAs) namely (a) Credit Analysis and Research Ltd. (CARE), (b) CRISIL Ltd., (c) FITCH India Ltd. and (d) ICRA Ltd for mapping of risk weights for domestic exposures and (a) Standard & Poor (b) Moody's (c) Fitch for international exposure. In consideration of the above guidelines, the bank has decided to accept the ratings assigned by all these ECRAs, under the Policy on Rating of Claims duly approved by the Board.</p> <p>2.2 In order to facilitate the process of external rating and enabling the customers to solicit external ratings for their exposures smoothly, the Bank has taken initiatives by entering into separate MOU with all these four Credit Rating Agencies. The bank shall use the ratings assigned for any type of exposures by any of these ECRAs as accepted and provided by the borrowers. External ratings assigned, fresh or reviewed, at least during the previous 15 months shall only be reckoned for capital charge computation by the bank. Wherever, a borrower possesses more than one rating from ECRAs, the guidelines prescribed by the RBI is followed as regards to assignment of risk weight for computation of capital. Accordingly, the bank has taken into consideration the borrower's loan exposure ratings assigned by bank's approved ECRAs, while computing capital for credit risk as on 31.03.2009 under segments namely Corporates and PSEs.</p> <p>2.3 In case of bank's investment in particular issues of Corporate / PSEs, the issue specific rating of the approved ECRAs are reckoned and accordingly the risk weights have been applied after a corresponding mapping to rating scale provided in RBI guidelines.</p> <p>2.4 The bank encourages large corporate/ PSE borrowers to solicit ratings from ECRAs and has used these ratings for calculating risk weighted assets wherever such ratings are available.</p>

SL No	Quantitative Disclosures	(Amount Rs in Crores)
1	For exposure amounts after risk mitigation subject to the Standardised approach, amount of the bank's outstandings (rated and unrated) in the following three major risk buckets as well as those that are deducted;	
	1.1.a. Below 100 % risk weight -Funded	6129.34
	1.1.b. Below 100 % risk weight-Non Funded	3660.17
	1.2.a. 100 % risk weight-Funded	24092.72
	1.2.b. 100 % risk weight-Non-Funded	1891.99
	1.3.a. More than 100 % risk weight-Funded	14980.18
	1.3.b. More than 100 % risk weight-Non-Funded	825.53
	1.4 Deducted	42.62

सारणी डीएफ - 6

ऋण जोखिम समापन : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण	
<ol style="list-style-type: none"> 1. संपत्ति, संयंत्र और मशीनरी के मूल्यन संबंधी एक व्यापक नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई है। 2. जोखिम शमन हेतु बैंक द्वारा सामान्यतया उपयोग किए जाने वाले संपार्श्विकों में वित्तीय संपार्श्विक (अर्थात बैंक जमा राशि, सरकारी/डाक प्रतिभूति, जीवन बीमा पालिसियां, स्वर्ण आभूषण, म्यूचुअल फंड यूनिट आदि) विभिन्न श्रेणी की चल और अचल आस्तियां/भू संपत्ति आदि शामिल होती हैं। 3. जहाँ व्यक्तिगत/कारपोरेट गारंटी अपेक्षित होती है, वहाँ उधारकर्ता कंपनी/कारपोरेट की फ्लैगशिप ग्रुप कंपनी में शेयर रखने वाले समूह के प्रमुख सदस्यों की गारंटी को वरीयता दी जाती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उनकी अनुमानित निवल संपत्ति उनके गारंटीकर्ता बनने के लिए पर्याप्त हो। 4. विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप बैंक ने बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित संपार्श्विक प्रबंधन एवं ऋण जोखिम समापन के संबंध में एक सुस्पष्ट नीति अपनाई है। 5. भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत ऋण जोखिम समापन के संबंध में एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है जिसके तहत प्रतिभूतियों में निहित राशि तक निविष्ट राशि को प्रभावी रूप से कम करते हुए निविष्टियों के बदले प्रतिभूतियों (प्राथमिक एवं संपार्श्विक) को पूर्ण समंजन की अनुमति भी दी गई है। इस प्रकार ऋण जोखिम पूंजी के परिकलन में ऋण निविष्टियों को कम करने हेतु पात्र वित्तीय निविष्टियों का पूर्ण उपयोग किया जाता है। इस प्रकार बैंक ने इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप इन विशिष्ट प्रतिभूतियों को अभिज्ञात किया है : (क) बैंक जमाराशियाँ (ख) जीवन बीमा पॉलिसियाँ (ग) एनएससी/केवीपी (घ) सरकारी प्रतिभूतियाँ। 6. इसके अतिरिक्त, ऋण जोखिम समापन के अन्य अनुमोदित स्वरूप हैं : “ऑन बैलेंस शीट नेटिंग” और “पात्र गारंटियों” की उपलब्धता। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उधारकर्ता को दिये गये ऋण/ अग्रिम के सापेक्ष उपलब्ध जमाराशियों की सीमा (निविष्टि की सीमा तक) तक ऑन बैलेंस शीट नेटिंग को अभिज्ञात किया गया। इसके अतिरिक्त, ऋण जोखिम पूंजी के परिकलन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार समापन हेतु इन गारंटियों के स्वरूप को लिया जाता है : (क) केन्द्र सरकार की गारंटी (0%), (ख) राज्य सरकार (20%) (ग) सीजीटीएसआई (0%) (घ) ईसीजीसी (20%) (ङ) साख पत्र के तहत क्रय किये गये/भुनाये गये बिल के रूप में बैंक गारंटी (20% या विदेशी बैंकों की रेटिंग के अनुसार। 7. समापन हेतु पात्र सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ वित्तीय प्रतिभूतियों के रूप में आसानी से बदली जाती हैं। इस प्रकार बैंक द्वारा अभिज्ञात ऋण जोखिम समापक प्रक्रिया में संकेन्द्रण जोखिम के निराकरण हेतु कोई सीमा/उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। 	

क्रम सं.	परिमाणात्मक प्रकटीकरण	(राशि रु. करोड़ में)
1	मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रकटीकृत ऋण जोखिम संविभाग हेतु, कुल एक्स्पोजर जो निम्नांकित द्वारा सुरक्षित है:	
	1.1 कटौती के पश्चात, पात्र वित्तीय संपार्श्विक	4037.87

Table DF – 6

CREDIT RISK MITIGATION : DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

Qualitative Disclosures	
<ol style="list-style-type: none"> 1. A comprehensive policy on valuation of property, plant & machinery, has been approved by the Board. 2. The collaterals commonly used by the Bank as the risk mitigants comprise of the financial collaterals (i.e. bank deposits, govt./postal securities, life policies, gold jewellery, units of mutual funds etc.), various categories of movable and immovable assets/landed properties etc. 3. Where personal/corporate guarantee is considered necessary, the guarantee is preferably that of the principal members of the group holding shares in the borrowing company/ flagship Group Company of corporate. It is ensured that their estimated net worth is substantial enough for them to stand as guarantors. 4. In line with the regulatory requirements, the Bank has put in place a well-articulated Policy on Credit Risk Mitigation and Collateral Management duly approved by the Bank's Board. 5. As advised by RBI, the Bank has adopted the comprehensive approach relating to credit risk mitigation under Standardised Approach, which allows fuller offset of eligible securities against exposures, by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the securities. Thus the eligible financial collaterals have been used to reduce the credit exposure in computation of credit risk capital. In doing so, the bank has recognised specific securities namely (a) Bank Deposits (b) Life Insurance Policies (c) NSCs/ KVPs (d) Government Securities, in line with the RBI guidelines on the matter. 6. Besides, other approved forms of credit risk mitigation are "On Balance Sheet Netting" and availability of "Eligible Guarantees". On balance sheet netting has been reckoned to the extent of the deposits available against the loans/advances of the borrower (to the extent of exposure) as per the RBI guidelines. Further, in computation of credit risk capital, the types of guarantees recognized for taking mitigation, in line with RBI Guidelines are (a) Central Government Guarantee (0%) (b) State Government (20%) (c) CGTSI (0%) (d) ECGC (20%) (e) Bank guarantee in form of bills purchased/discounted under Letter of Credit (20% or as per rating of foreign banks). 7. All types of securities eligible for mitigation are easily realizable financial securities. As such, presently no limit/ ceiling has been prescribed to address the concentration risk in credit risk mitigants recognized by the Bank. 	

SL No	Quantitative Disclosures	(Amount Rs in Crores)
1	For disclosed credit risk portfolio under the standardised approach, the total exposure that is covered by:	
	1.1 Eligible financial collateral; after the application of haircuts.	4037.87

सारणी डीएफ - 7

प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण

	गुणात्मक प्रकटीकरण	
1.	प्रतिभूति और उनके संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा में निम्नलिखित पर चर्चा शामिल हैं :	31.3.2009 को समाप्त वर्ष हेतु कोई प्रतिभूतिकरण नहीं।
	<ul style="list-style-type: none"> ■ प्रतिभूतिकरण गतिविधियों के संबंध में बैंक के उद्देश्य, उस सीमा तक जिसके तहत ये गतिविधियाँ प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों के ऋण जोखिमों को बैंक से इतर हस्तियों में अंतरित करती हैं। ■ प्रतिभूतिकरण प्रक्रिया में बैंक द्वारा निभाई गई भूमिका और इन प्रत्येक में बैंक की संबद्धता की सीमा का संकेतक और ■ बैंक द्वारा अपनी प्रतिभूतिकरण गतिविधियों में अपनाई जाने वाली विनियामक पूंजी दृष्टिकोण 	शून्य
2.	प्रतिभूतिकरण गतिविधियों हेतु बैंक की लेखा नीतियों का सार, जिसमें शामिल है : <ul style="list-style-type: none"> ■ बिक्री पर लाभ का अभिज्ञान और ■ प्राप्त लाभ के मूल्यांकन हेतु महत्वपूर्ण अंदाजा जिसमें पिछली रिपोर्टिंग अवधि से हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं ऐसे परिवर्तनों का प्रभाव शामिल है। 	अनुपलब्ध
3.	प्रतिभूतिकरण हेतु प्रयुक्त ईसीएआई का नाम और प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के प्रकार जिसके लिए अलग-अलग एजेंसियों को लगाया जाता है।	अप्रयोज्य

क्रम सं.	गुणात्मक प्रकटीकरण	
1.	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत कुल बकाया एक्सपोजर और एक्सपोजर स्वरूप के अनुरूप प्रतिभूतिकरण संरचना के अध्यक्षीन।	शून्य
2.	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर हेतु और प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क के अध्यक्षीन। <ul style="list-style-type: none"> ■ प्रतिभूतिकृत अनर्जक/पिछली बकाया आस्तियों की राशि और ■ एक्सपोजर स्वरूप के अनुसार वर्गीकृत रूप में चालू अवधि के दौरान बैंक द्वारा अभिज्ञात हानियाँ। 	
3.	एक्सपोजर स्वरूप के अनुसार वर्गीकृत धारित या क्रय किये गये प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की सकल राशि।	
4.	जोखिम भारित बैड्स की सार्थक संख्या में वर्गीकृत प्रतिधारित या क्रय किये गये प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की सकल राशि। वैसे एक्सपोजर जिन्हें टीयर-I पूंजी से पूरी तरह घटाया गया है, कुल पूंजी में से घटाये गये ऋण बढ़ाने वाले आय/ और कुल पूंजी में से घटाये गये अन्य एक्सपोजर को शेष बचे एक्सपोजर स्वरूप के अनुसार अलग-अलग प्रकट किया जाना चाहिए।	
5.	तुलन-पत्र के लेखा टिप्पणियों के अंश रूप में दो वर्षों हेतु तुलनात्मक स्थिति दर्शाते हुए प्रतिभूतिकरण गतिविधियों का सार <ul style="list-style-type: none"> ■ शेष बची आस्तियों के स्वरूप द्वारा प्रतिभूतिकृत ऋण आस्तियों की कुल संख्या एवं बही मूल्य ■ प्रतिभूतिकृत आस्तियों हेतु प्राप्त विक्रय राशि और प्रतिभूतिकरण के कारण बिक्री से लाभ/हानि, और ■ ऋण संवर्धन, तरलता समर्थन, प्रतिभूतिकरण के पश्चात् आस्तियों की सर्विसिंग आदि द्वारा सेवाओं का स्वरूप एवं परिमाण (बकाया मूल्य) 	

क्रम सं.	परिमाणात्मक प्रकटीकरण	(राशि रु. करोड़ में)
1.	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत कुल बकाया एक्सपोजर और एक्सपोजर स्वरूप के अनुरूप प्रतिभूतिकरण संरचना के अध्यक्षीन।	शून्य
2.	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर हेतु और प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क के अध्यक्षीन। <ul style="list-style-type: none"> 2.1 प्रतिभूतिकृत अनर्जक/पिछली बकाया आस्तियों की राशि और 2.2 एक्सपोजर स्वरूप के अनुसार वर्गीकृत रूप में चालू अवधि के दौरान बैंक द्वारा अभिज्ञात हानियाँ। 	
3.	एक्सपोजर स्वरूप के अनुसार वर्गीकृत धारित या क्रय किये गये प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की सकल राशि।	

Table DF-7

SECURITIZATION : DISCLOSURE FOR STANDARDIZED APPROACH

	Qualitative Disclosures	
1.	<p>The general qualitative disclosure requirement with respect to securitization, including a discussion of :</p> <ul style="list-style-type: none"> • The bank's objectives in relation to Securitization activity, including the extent to which these activities transfer credit risk of the underlying securitised exposures away from the bank to other entities. • The roles played by the bank in Securitization process and an indication of the extent of the bank's involvement in each of them, and • The regulatory capital approach that the bank follows for its Securitization activities. 	No Securitization during the year ending 31.03.2009.
2.	<p>Summary of the bank's accounting policies for Securitization activities, including :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recognition of gain on sale, and • Key assumption for valuing retained interests, including any significant changes since the last reporting period and the impact of such changes. 	Nil
3.	Names of ECA used for Securitization and the types of Securitization exposure for which each agency is used.	Not Applicable

	Qualitative Disclosures	
1.	The total outstanding exposures securitized by the bank and subject to Securitization framework by exposure type.	
2.	<p>For exposures securities by the Bank and subject to the Securitization framework.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amount of impaired / past due assets securitised; and • Losses recognized by the Bank during the current period broken down by exposure type. 	
3.	Aggregate amount of Securitization exposures retained or purchased broken down by exposure type.	
4.	Aggregate amount Securitization exposures retained or purchased broken down into a meaningful number of risk weight bands. Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I / Os deducted from Total Capital and other exposures deducted from total capital should be disclosed separately by type of underlying exposure type.	
5.	<p>Summary of Securitization activity presenting a comparative position for two years, as a part of the Notes on Accounts to the balance sheet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Total number and book value of loan assets securitised – by type of underlying assets. • Sale consideration received for the securitised assets and gain / loss on sale on account of Securitization; and • Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of credit enhancement, liquidity support, post Securitization asset servicing, etc. 	Nil

SL No	Quantitative Disclosures	(Amount Rs in Crores)
1.	The total outstanding exposures securitised by the bank and subject to the securitisation framework by exposure type.	
2.	<p>For exposures securitised by the bank and subject to the securitisation framework:</p> <p>2.1 amount of impaired/past due assets securitised; and</p> <p>2.2 Losses recognised by the bank during the current period broken down by exposure type.</p>	Nil
3.	Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type.	

सारणी डीएफ - 8

बाजार जोखिम : व्यवसाय बही में बाजार जोखिम से संबंधित प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) बाजार जोखिम :

1. बाजार जोखिम को ब्याज दर, विदेशी मुद्रा विनिमय दर, इक्विटी मूल्य और पण्य वस्तुओं के मूल्य जैसे बाजार के उतार-चढ़ाव वाले परिवर्तनों/संचलनों से उत्पन्न स्थिति के कारण बैंक को होने वाले हानि की संभावना के रूप में परिभाषित किया जाता है। बाजार जोखिम में बैंक का एक्सपोजर व्यवसाय बहियों (एएफएस और एचएफटी श्रेणी) में घरेलू निवेशों (ब्याज संबंधी लिखतों एवं इक्विटियों), विदेशी मुद्रा विनिमय स्थितियों से उत्पन्न होता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य आगम एवं इक्विटी पर हानि के प्रभाव को कम करना।

2. बाजार जोखिम के प्रबंधन हेतु नीतियाँ :

बैंक में बाजार जोखिम प्रभावी प्रबंधन हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित रूप में बाजार जोखिम प्रबंधन नीति और आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति कार्यरत है। अन्य नीतियाँ जो बाजार जोखिम प्रबंधन से भी संबंध रखती हैं वे हैं, निवेश नीति, विदेशी मुद्रा परिचालनों पर जोखिम प्रबंधन नीति, फारेक्स मार्केट में ट्रेडिंग हेतु नीतिगत दिशानिर्देश और व्युत्पन्न नीति। यह नीति बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन हेतु विविध जोखिम सीमाओं को तय करती है और सुनिश्चित करती है कि ये परिचालन उपयुक्त आस्ति देयता प्रबंधन के माध्यम से बाजार जोखिम के प्रतिफल की बैंक की प्रत्याशा के अनुरूप हैं। यह नीति बाजार जोखिम के प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु रिपोर्टिंग संरचना के रूप में भी कार्य करती है।

3. आस्ति देयता प्रबंधन नीति विशिष्ट रूप से तरलता जोखिम प्रबंधन और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क के संबंध में भी कार्य करती है। तरलता जोखिम का प्रबंधन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध सर्वोत्तम डाटा कवरेज के आधार पर दैनिक आधार पर आस्ति एवं देयताओं के अवशिष्ट परिपक्वता/व्यवहारगत पैटर्न के आधार पर जीएपी विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। बैंक ने अल्पकालिक सशक्त तरलता प्रबंधन और समाश्रित निवेश योजना की प्रक्रिया अपनाई है। प्रभावी आस्ति देयता प्रबंधन हेतु विभिन्न अवशिष्ट परिपक्वता समय वर्गों के लिए विवेकपूर्ण सीमाएँ निर्धारित की हैं। बैंक की लिक्विडिटी प्रोफाइल को विभिन्न लिक्विडिटी अनुपातों के माध्यम से मूल्यांकित किया जाता है।

4. दर संवेदी आस्ति एवं देयताओं के जीएपी विश्लेषण के माध्यम से ब्याज दर जोखिम को प्रबंधित किया जाता है और निर्धारित मानकीकृत सीमाओं के माध्यम से उनकी निगरानी की जाती है। शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाने के उद्देश्य से ब्याज दर में प्रतिकूल संचलन (नीति में यथानिर्धारित) के सापेक्ष निवल ब्याज आय और इक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) पर प्रभाव के आकलन हेतु बैंक जोखिम पर लाभार्जन और संशोधित अवधि अंतर को आवधिक आधार पर आकलित करता है।

5. बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों की निगरानी आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ)/बोर्ड द्वारा की जाती है और आस्ति देयता प्रबंधन नीति में निर्धारित उपायों के अनुरूप बाजार की स्थिति (चालू एवं प्रत्याशित) के सापेक्ष रणनीति निर्धारित करता है। ट्रेजरी में मिडिल ऑफिस ग्रुप भी निरंतर आधार पर विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुपालन की निगरानी करता है।

क्रम सं.	परिमाणात्मक प्रकटीकरण	(राशि रु. करोड़ में)
1	निम्नलिखित हेतु पूँजी आवश्यकताएँ	
	1.1 ब्याज दर जोखिम	707.26
	1.2 इक्विटी स्थिति जोखिम	26.82
	1.3 विदेशी विनिमय जोखिम	71.57

Table DF – 8

MARKET RISK : DISCLOSURES RELATING TO MARKET RISK IN TRADING BOOK

Qualitative Disclosures	
(a) Market Risk :	
<p>1. Market Risk is defined as the possibility of loss caused by changes/movements in the market variables such as interest rates, foreign currency exchange rates, equity prices and commodity prices. Bank's exposure to Market risk arises from investments (interest related instruments and equities) in trading book (both AFS and HFT categories) and the Foreign Exchange positions. The objective of the market risk management is to minimize the impact of losses on earnings and equity.</p>	
<p>2. Policies for Management of Market Risk:</p> <p>The Bank has put in place Board approved Asset Liability Management Policy for effective management of Market Risk in the bank. Other policies, which also deal with market risk management, are Investment policy, Policy on Risk Management of Foreign Exchange Operations, Policy Guidelines for Undertaking Trading in Forex Market and Policy on Derivatives. The policies set various risk limits for effective management of Market Risk and ensuring that the operations are in line with Bank's expectation of return to market risk through proper Asset Liability Management. The policies also deal with the reporting framework for effective monitoring of Market Risk.</p>	
<p>3. The ALM Policy specifically deals with liquidity risk management and interest rate risk management framework. As envisaged in the policy, Liquidity Risk is managed through GAP analysis, based on residual maturity/behavioral pattern of assets and liabilities, on a daily basis based on best available data coverage, as prescribed by the RBI. The bank has put in place mechanism of Short Term Dynamic Liquidity Management and Contingent Funding Plan. Prudential (Tolerance) limits are prescribed for different residual maturity time buckets for efficient Asset Liability Management. Liquidity profile of the Bank is evaluated through various liquidity ratios.</p>	
<p>4. Interest Rate Risk is managed through use of Gap analysis of rate sensitive assets and liabilities and monitored through prudential (tolerance) limits. The Bank estimates Earnings at Risk (EaR) periodically against adverse movements in interest rate (as prescribed in the policy) for assessing the impact on Net Interest Income and Economic Value of Equity (EVE) with a view to optimize shareholder value.</p>	
<p>5. The Asset Liability Management Committee (ALCO)/Board monitors adherence of prudential limits fixed by the Bank and determines the strategy in light of market conditions (current and expected) as articulated in the ALM policy. The Mid Office at the Treasury also monitors adherence of prudential limits on a continuous basis.</p>	

SL No	Quantitative Disclosures	(Amount Rs in Crores)
1	The Capital Requirements for	
	1.1 Interest rate risk	707.26
	1.2 Equity position risk	26.82
	1.3 Foreign exchange risk	71.57

सारणी डीएफ - 9

परिचालनगत जोखिम : सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण	
1.	परिचालन जोखिम से तात्पर्य, अपर्याप्त या असफल आंतरिक प्रक्रियाओं, व्यक्तियों या प्रविधियों या बाहरी घटनाओं के कारण होने वाली हानि के जोखिम से है। परिचालनगत जोखिम में कानूनी जोखिम शामिल है परन्तु रणनीतिक या प्रतिष्ठागत जोखिम शामिल नहीं है।
2.	बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित रूप में परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति निरूपित की है। परिचालनगत जोखिम के प्रबंधन से जुड़ी हुई बोर्ड द्वारा अंगीकृत अन्य नीतियाँ हैं : (क) अनुपालन जोखिम प्रबंधन नीति (ख) विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति (ग) अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) और एन्टी मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) से संबंधित नीतिगत दस्तावेज (घ) सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसाय निरंतरता एवं आपदा निवारण योजना।
3.	बैंक द्वारा अंगीकृत परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति में संगठनात्मक संरचना एवं परिचालनगत जोखिम के प्रबंधन हेतु ब्योरेवार प्रक्रियाओं को सुस्पष्ट किया गया है। इस नीति का मूल उद्देश्य परिचालनगत जोखिमों को प्रभावी रूप से नियंत्रित, समाप्त, अभिज्ञात, मूल्यांकित एवं चिह्नित करने और भौतिक परिचालनगत हानियों सहित परिचालनगत जोखिम की समय पर रिपोर्टिंग हेतु दायित्वों के सुस्पष्ट समनुदेशन के द्वारा बैंक के दिन-प्रतिदिन की जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में परिचालनगत जोखिम प्रणाली को एकीकृत करना है। बैंक ने परिचालनगत जोखिमों को व्यापक एवं सुसम्बद्ध, आंतरिक नियंत्रक फ्रेमवर्क के माध्यम से प्रबंधित किया है।
4.	भारि बैंक द्वारा जारी अंतिम दिशानिर्देशों के अनुसार हमारे बैंक ने परिचालनगत जोखिम हेतु पूंजी के आकलन के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण को अपनाया है।

क्रम सं.	परिमाणात्मक प्रकटीकरण
1.	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अंतिम दिशानिर्देशों के अनुसार हमारे बैंक ने परिचालनगत जोखिम हेतु पूंजी के आकलन के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण को अपनाया है।
2.	दिशानिर्देशों के अनुसार परिचालनगत जोखिम हेतु पूंजी, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथापरिभाषित विगत 3 वर्षों के धनात्मक वार्षिक सकल आय के 15 प्रतिशत के बराबर है। तदनुसार यथास्थिति 31.03.2009 को परिचालनगत जोखिम हेतु पूंजी अपेक्षा रु.332.39 करोड़ है।

Table DF – 9

OPERATIONAL RISK : GENERAL DISCLOSURES

Qualitative Disclosures	
1.	Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risks.
2.	The bank has framed Operational Risk Management Policy duly approved by the Board. Supporting policies adopted by the Board which deal with management of various areas of operational risk are (a) Compliance Risk Management Policy (b) Forex Risk Management Policy (c) Policy Document on Know Your Customers (KYC) and Anti Money Laundering (AML) Procedures (d) IT Business Continuity and Disaster Recovery Policy etc.
3.	The Operational Risk Management Policy adopted by the Bank outlines organization structure and detailed processes for management of operational risk. The basic objective of the policy is to closely integrate operational risk management system into the day-to-day risk management processes of the bank by clearly assigning roles for effectively identifying, assessing, monitoring and controlling / mitigating operational risks and by timely reporting of operational risk exposures, including material operational losses. Operational risks in the Bank are managed through comprehensive and well articulated internal control frameworks.
4.	In line with the final guidelines issued by RBI, the Bank has adopted the Basic Indicator Approach for computing capital for Operational Risk .

SL No.	Quantitative Disclosures
1.	In line with the final guidelines issued by RBI, the Bank has adopted the Basic Indicator Approach for computing capital for Operational Risk .
2.	As per the guidelines, the capital for operational risk is equal to 15% of average positive annual Gross Income of previous three years as defined by RBI. Accordingly, the capital requirement for operational risk as on 31.03.2009 is Rs. 332.39 Crores .

सरणी डीएफ - 10

बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम :

1. ब्याज दर जोखिम, जोखिम की ऐसी स्थिति है जिसमें बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन से बैंक की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो सकती है। ब्याज दरों में परिवर्तनों से चालू लाभार्जनों (आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण) के साथ ही बैंक की निवल मालियत (आर्थिक मूल्य पर्सपेक्टिव) पर भी प्रभाव पड़ता है। लाभार्जन के दृष्टिकोण से जोखिम को निवल ब्याज आय (एनआईआई) या निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) के प्रभाव के रूप में मापा जा सकता है। इसी प्रकार आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण से जोखिम को इक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) में कमी के रूप में मापा जा सकता है।
2. बैंक ब्याजदरों में अल्पकालिक (लाभार्जन दृष्टिकोण) एवं दीर्घकालिक (आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण) परिवर्तनों से संबद्ध जोखिम की पहचान करता है। आय पर प्रभाव (लाभार्जन दृष्टिकोण) को बैंक की एएलएम पॉलिसी में निर्धारित रूप में 100 बीपीएस तक अनुमानिक दर लगाते हुए जीएपी विश्लेषण के उपयोग के माध्यम से मापा जाता है। लाभार्जन पर इसके प्रभाव के परिकलन हेतु परम्परागत अंतर को दर संवेदी विवरण से लिया जाता है और किसी खास मूल्यवर्ग के मध्य बिन्दु से शेष अवधि के आधार पर परिवर्तन के प्रभाव पर ब्याज दर में परिवर्तन को 100 बीपीएस तक आँका जाता है। इसकी रिपोर्टिंग आवधिक अंतराल पर दर संवेदी विवरण के साथ एएलसीओ एवं बोर्ड को की जाती है। विगत वर्ष के एनआईआई के आधार पर इन सीमाओं को निर्धारित किया जाता है।
3. बैंक द्वारा 200 बीपीएस के आनुमानिक ब्याज दर शॉक को लगाते हुए इक्विटी के आर्थिक मूल्य (आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण) पर प्रभाव को (प्रतिशत रूप में) आँकने के लिए परम्परागत जीएपी विश्लेषण के साथ ही साथ अवधिवार जीएपी विश्लेषण को अपनाया जाता है। बैंक द्वारा आवधिक जीएपी का विश्लेषण माह में एक बार किया जाता है (अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार के आंकड़ों के आधार पर) और इसकी सूचना एएलसीओ/बोर्ड को दी जाती है।
4. बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन की मॉनिटरिंग/समीक्षा आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ)/बोर्ड द्वारा की जाती है और बाजार की स्थितियों (चालू एवं प्रत्याशित) के आधार पर रणनीतियाँ तय की जाती हैं।

क्रम सं.	परिमाणात्मक प्रकटीकरण (राशि रु. करोड़ में)	
1.	ब्याजदर में परिवर्तन	जोखिम पर आगम
	1.00%	75.99
2.	ब्याजदर में परिवर्तन	आर्थिक मूल्य में परिवर्तन
	2.00%	5.57%

Table DF – 10

INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

Qualitative Disclosures	
(a) Interest Rate Risk in the Banking Book:	
1.	Interest Rate Risk is the risk which affects the bank's financial condition due to changes in the market interest rates. Changes in interest rates affect both the current earnings (earnings perspective) as also the net worth of the Bank (economic value perspective). The risk from earnings perspective can be measured as impact in the Net Interest Income (NII) or Net Interest Margin (NIM). Similarly, the risk from economic value perspective can be measured in the Economic Value of Equity (EVE).
2.	The Bank identifies the risks associated with the changing interest rates in short term (Earnings perspective) and long term (Economic value perspective). The impact on income (Earnings perspective) is measured through use of Gap analysis by applying notional rate shock up to 100 bps as prescribed in bank's ALM Policy. For the calculation of impact on earnings, the Traditional Gap is taken from the Interest Rate Sensitivity Statement and based on the remaining period from the midpoint of a particular bucket and the impact for change in interest rate up to 100 bps is arrived at. The same is reported to ALCO & Board along with the Interest Rate Sensitivity Statement periodically. The limits are fixed on the net worth.
3.	The bank has adopted Traditional Gap Analysis combined with Duration Gap Analysis for assessing the impact on the Economic Value of Equity (Economic Value perspective) by applying a notional interest rate shock of 200 bps. The Duration Gap Analysis is calculated by the bank once in a month (based on the Last Reporting Friday data) and is reported to ALCO and Board.
4.	The Asset Liability Management Committee (ALCO) / Board monitors/reviews adherence of prudential limits fixed by the bank and determines the strategy in light of the market condition (current and future).

SL No	Quantitative Disclosures	
	(Amount Rs in Crores)	
1.	Change in Interest Rate	Earning at Risk
	1.00%	75.99
2.	Change in Interest Rate	Change in Economic Value
	2.00%	5.57%

कारपोरेट गवर्नेन्स पर रिपोर्ट

1. कारपोरेट गवर्नेन्स का दर्शन :

इलाहाबाद बैंक की कारपोरेट नीति, कारपोरेट गवर्नेन्स के सुदृढ़ सिद्धान्तों पर आधारित है। यह अर्थ-व्यवस्था की जरूरतों, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं तथा कारपोरेट विकास के साथ ही साथ शेयरधारकों के महत्व को अत्यधिक मान देती है। बैंक अपनी समस्त गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए उच्च नैतिक मूल्यों, पारदर्शिता तथा अनुशासित दृष्टिकोण में विश्वास रखता है। बैंक खुलेपन तथा पूरी स्पष्टता के साथ सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रचलित मानदंडों के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है जिससे बैंक को ग्राहकों तथा शेयरधारकों के विश्वास की परम्परा हासिल होगी। बैंक निम्नलिखित के माध्यम से कारपोरेट उत्कृष्टता हासिल करना चाहता है।

- देश के कानूनी ढाँचे तथा नैतिक मूल्यों के सिद्धांतों के अधीन शेयरधारकों का मान बनाए रखना।
- अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवा प्रदान करना।
- अपने ग्राहकों तथा कर्मचारियों, निवेशकों और समाज के अन्य तबकों के लिए एक खुली एवं साफसुथरी स्थिति तैयार करना।
- समाज के सभी वर्गों के लिए निरपेक्ष एवं समान न्याय सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय प्रबंधन सुनिश्चित करना।

2. निदेशक मंडल

2.1 निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण प्रावधान) योजना 1970 द्वारा शासित होता है। निदेशकगण बोर्ड को निपुणता की वैविध्यता तथा विस्तृत अनुभव प्रदान करते हैं जिससे बैंक को दक्ष एवं निरपेक्ष निदेश प्राप्त होता है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा दो कार्यपालक निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त तीन पूर्णकालिक निदेशक हैं। अन्य निदेशकों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- (क) निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि :
- (i) भारत सरकार
 - (ii) कामगार
 - (iii) अधिकारी कर्मचारी
- (ख) वाणिज्यिक बैंकों के विनियमन अथवा पर्यवेक्षण के मामलों के संबंध में आवश्यक विशेषज्ञता और अनुभव रखने वाले एक निदेशक को भारतीय रिजर्व बैंक की संस्तुति पर केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है।
- (ग) तीन स्वतंत्र शेयरधारक निदेशक (फिलहाल एक पद रिक्त है)
- (घ) भारत सरकार द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकार निदेशक
- (ङ) तीन अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

2.2. बोर्ड की समितियाँ

बोर्ड ने निम्नोक्तानुसार विभिन्न समितियों का गठन किया है जो महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेष एवं संकेन्द्रित गवर्नेन्स प्रदान करती हैं एवं बैंक के मामलों का नियंत्रण करती हैं :

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. Corporate Governance Philosophy

Allahabad Bank's corporate policy is based on sound principles of Corporate Governance. It holds high the shareholder's value while catering also to the need of the economy, national priorities and corporate growth. The Bank believes in high standard of ethical values, transparencies and disciplined approach to achieve excellence in all fields of activities. It is also committed to comply with the best international practices coupled with openness and fairness, which will lead the Bank to enjoy from customers and shareholders a tradition of trust. The Bank seeks to proclaim corporate excellence by

- Upholding the shareholders' value within the principles of ethics and legal framework of the country.
- Extending best of services to its customers.
- Proclaiming a free and fair environment for its customers and employees, investors and other sections of the society at large.
- Ensuring a proactive management free from bias, ensuring fair justice to all sections of the society.

2. Board of Directors

2.1 The constitution of Board of Directors is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. The Directors bring in wide range of expertise and experience to the Board, facilitating proficient and unbiased direction to the Bank.

The Chairman & Managing Director and two Executive Directors are three whole time Directors appointed by the Government of India. The other Directors include the following:-

- (a) A representative each of
- i) Government of India (GOI)
 - ii) Workmen
 - iii) Officers Employees
- (b) One director possessing necessary expertise and experience in the matter relating to regulation or supervision of commercial bank, to be nominated by the Central Govt. on the recommendation of RBI
- (c) Three Independent Shareholders' Directors (One post presently lying vacant)
- (d) One Chartered Accountants Director appointed by Government of India.
- (e) Three part-time Non-Official Directors

2.2 Committees of Board

The Board has constituted various committees as mentioned hereunder which provide specific and focused governance in the important functional areas and controls the affairs of the Bank: -

- ☐ बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)
- ☐ बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)
- ☐ जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)
- ☐ निदेशकों की पदोन्नति समिति (डीपीसी)
- ☐ शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति (एसआईजीसी)
- ☐ सूचना प्रौद्योगिकी उपसमिति (आईटीजीसी)
- ☐ धोखाधड़ी निगरानी समिति (एफएमसी)
- ☐ ग्राहक सेवा समिति (सीएससी)
- ☐ शेयर अंतरण समिति (एसटीसी)
- ☐ पारिश्रमिक समिति (पारि.समि)
- ☐ नामांकन समिति (नामां. समि)

2.3 बोर्ड के दायित्वों में नीतियों का निर्धारण, नई पहल, कार्यनिष्पादन समीक्षा तथा नियंत्रण एवं बैंक के विभिन्न कार्याधिकारियों को प्रत्यायोजित अधिकारों के बाहर पड़ने वाले मामलों की संस्वीकृति शामिल है। बोर्ड ने विभिन्न समितियों का गठन किया है तथा विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में अधिकारों का प्रत्यायोजन किया है। बोर्ड तथा उसकी समितियाँ आवधिक अंतरालों पर बैठकें करती हैं।

2.4 यथास्थिति 31.03.2009 को निदेशक मंडल का संघटन निम्नवत् था :

- ☐ Management Committee of the Board (MCB)
- ☐ Audit Committee of the Board (ACB)
- ☐ Risk Management Committee (RMC)
- ☐ Directors' Promotion Committee (DPC)
- ☐ Shareholders'/ Investors' Grievances Committee (SIGC)
- ☐ Information Technology sub Committee (ITSC)
- ☐ Fraud Monitoring Committee (FMC)
- ☐ Customer Service Committee (CSC)
- ☐ Share Transfer Committee (STC)
- ☐ Remuneration Committee (Remu.Comm)
- ☐ Nomination Committee (Nom. Com)

2.3 The responsibilities of the Board include formulation of policies, new initiatives, performance review and control and sanction of cases falling beyond the powers delegated to various functionaries of the Bank. Board has constituted various committees and delegated powers for different functional areas. The Board as well as its committees meets at periodic intervals.

2.4 The composition of the Board of Directors as on 31.03.2009 was as under :

नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	अन्य बोर्ड समितियों की सदस्यता	अन्य डाइरेक्टोरिशप की सं.
Name	Designation	Date of appointment	Membership of other Board Committees	No of other Directorship(s)
1 श्री के. आर. कामत Shri K R Kamath	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director	2/8/2008	7	2
2 श्री के.के. अग्रवाल Shri K. K. Agarwal	कार्यपालक निदेशक Executive Director	7/11/2007	7	1
3 श्री जे.पी. दूआ Shri J P Dua	कार्यपालक निदेशक Executive Director	7/11/2007	7	-
4 श्री वी. गुरुमूर्ति Shri V. Gurumurthy	कामगार निदेशक Workman Employee Director	04/01/2005	2	1
5 श्री अशोक जैन Shri Ashok Jain	सरकार द्वारा नामित सनदी लेखाकार निदेशक Government Nominee Chartered Accountant Director	11/10/2006	4	-
6 मोहम्मद ताहिर Mohammad Tahir	भारिबैंक द्वारा नामित निदेशक RBI Nominee Director	27/2/2007	7	1
7 श्री कुलदीप कुमार डोगरा Shri Kuldeep Kumar Dogra	अधिकारी कर्मचारी निदेशक Officers Nominee Director	19/12/2007	2	-
8 श्रीमती सुकृति लिखि Smt. Sukriti Likhi	सरकारी कर्मचारी निदेशक Government Nominee Director	10/6/2008	4	2
9 श्रीमती जोगिन्दर कौर Smt Joginder Kaur	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Part Time Non Official Director	14/02/2008	4	-
10 श्री पी. वी. गुडिरेड्डी Shri P.V.Gudireddy	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Part Time Non Official Director	28/04/2008	3	-
11 डा. शकील-उज़्-ज़मान अंसारी Dr. Shakeel-Uz-Zaman Ansari	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Part Time Non Official Director	8/5/2008	3	-
12 श्री देवेश्वर कुमार कपिला Shri Deveshwar Kumar Kapila	शेयरधारक निदेशक Shareholders' Director	30/06/2008	6	4
13 श्री. ए. के. महापात्र Shri A K. Mohapatra	शेयरधारक निदेशक Shareholders' Director	30/06/2008	5	-

नोट :

- (i) बोर्ड का कोई भी निदेशक 10 से अधिक समितियों का सदस्य नहीं है या उन समस्त कंपनियों में, जिनके वे निदेशक हैं, में पाँच से अधिक समितियों के अध्यक्ष नहीं हैं।
- (ii) कोई भी निदेशक एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं हैं।
- (iii) श्री यशपाल महाजन शेयरधारकों (केन्द्र सरकार से भिन्न) का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक के रूप में निर्वाचित हुए थे और उन्होंने 30.06.2008 से पद धारण किया। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अनुसार उनके बैंक के निदेशक बनने पर रोक लग गई, जिसकी सूचना स्टॉक एक्सचेंजों को 22.01.2009 को दी गई थी।

2.5 उन निदेशकों का परिचय, जिन्होंने वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान बैंक के बोर्ड में नियुक्त/निर्वाचित होकर कार्यभार ग्रहण किया है, निम्नानुसार है:

2.5.1 श्री के.आर.कामत अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री के.आर. कामत ने 02.02.2008 से बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया। इससे पूर्व श्री कामत 19.05.2006 से बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक थे। श्री कामत ने अपने बैंकिंग कैरियर की शुरुआत 17 जनवरी 1977 को कारपोरेशन बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में की। 1994 में उनकी पदोन्नती कार्यपालक संवर्ग में हुई और उन्हें कलेक्शन एंड पेमेंट सर्विसेज (सीएपीएस), कारपोरेशन बैंक के विशेषीकृत व्यवसाय हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में पदस्थ किया गया। 2002 में वे महाप्रबंधक बने और सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना सुरक्षा, प्रबंधन सूचना प्रणाली तथा एकीकृत जोखिम प्रबंधन के प्रभारी थे। कारपोरेशन बैंक में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में अपने कार्यकाल के दौरान श्री कामत ने शाखाओं का 100% ऑटोमेशन कराया, बैंक के 88 व्यवसाय को कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में माइग्रेट किया और बैंक में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में की गई प्रगत हेतु आईडीआरबीटी तथा आईबीए से विभिन्न पुरस्कार प्राप्त किए। वे 1997-98 में टाटा आईबीएम द्वारा आयोजित अमरीका के टेक्नॉलाजी टूर में सहभागिता करने वालों में से एक थे। श्री कामत ने कारपोरेशन बैंक द्वारा स्थापित विभिन्न कारपोरेट पुरस्कार प्राप्त किए।

श्री कामत एक मेधावी शिक्षाविद् है और संकल्पनात्मक स्पष्टता, सम्प्रेषण कौशल तथा सुदृढ़ परिणामोन्मुखी टीम बनाने की योग्यता के बारे में जाने जाते हैं।

2.5.2 श्रीमती सुकृति लिखि, सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्रीमती लिखि 1993 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में निदेशक(आईएफ एंड सीपी) के रूप में कार्यरत हैं। उनका लोक प्रशासन में 14 वर्षों का अनुभव है।

2.5.3 श्री पी.वी. गुडिरेड्डी, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

श्री गुडिरेड्डी एक एडवोकेट और कृषक हैं। उनका विभिन्न न्यायालयों में 25 वर्षों से अधिक का विविधतापूर्ण कैरियर रहा और कृषि क्षेत्र में उनका व्यापक अनुभव है। वे पद दलितों की भलाई के लिए भी कार्य कर रहे हैं और 20 वर्षों से अधिक समय से सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं।

Note:

- (i) None of the directors on the Board is a member in more than 10 committees or acts as Chairman of more than five committees across all companies in which he is a director.
- (ii) None of the Directors are relative of each other
- (iii) Shri Yash Paul Mahajan was elected as Director representing shareholders (other than Central Government) and assumed office with effect from 30-06-2008. He has ceased to be the director of the Bank in terms of Banking Regulation Act, 1949, a notice of which was given to Stock Exchanges on 22-01-2009.

2.5 The profile of the directors who were appointed/ elected on the Board of the Bank and assumed office during the financial year 2008-09 is furnished hereunder:

2.5.1 Shri K. R . Kamath, Chairman & Managing Director

Shri K. R. Kamath has assumed office of Chairman & Managing Director of the Bank with effect from 02-08-2008. Prior to this, Shri Kamath was the Executive Director of Bank of India since 19-05-2006. Shri Kamath started his Banking career on 17th January, 1977 as Probationary Officer in Corporation Bank. He was promoted to Executive Cadre in 1994 and was posted as Regional Manager for collection and payment services (CAPS), a specialized Business of Corporation Bank. He became General Manager in 2002 and was In-Charge of Information Technology, Information Security, Management Information System and Integrated Risk Management. During his tenure in Information Technology Division in Corporation Bank. Shri Kamath was responsible for 100% automation of the branches, migration of about 88% of business to Core Banking Solution and the Bank received various awards from IDRB and IBA for the Technology lead at the Bank. He was one of the participants of the Technology tour of US organized by TATA IBM in the year 1997-98. Shri Kamath has secured various corporate awards instituted by the Corporation Bank.

Shri Kamath has been brilliant academician and is known for his conceptual clarity, communication skills and ability to build strong result oriented teams.

2.5.2 Smt. Sukriti Likhi, Government Nominee Director

Smt. Likhi is an IAS Officer of 1993 batch and at present she is working as Director (IF & CP) Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India.. She is having 14 years of experience in Public Administration.

2.5.3 Shri P.V.Gudireddy, Part Time Non Official Director

Shri Gudireddy is an Advocate and an Agriculturist. He has a chequered career of legal practice in various courts for over 25 years and has wide experience in the field of agriculture. He is also working for the betterment of downtrodden and also associated with social organizations for more than 20 years.

2.5.4 डॉ. शकील-उज़्-ज़मान अंसारी, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

डॉ. अंसारी एस.जी.जी.एस. कालेज, पटना, बिहार (मगध विश्वविद्यालय, बोध गया, बिहार) में लेक्चरर हैं। वे विधि स्नातक सहित स्नातकोत्तर हैं और आपके पास पोस्ट डॉक्टोरल डिग्री भी है। वे बिहार सरकार में उप मंत्री रहे हैं। वे मुख्यतः सहकारिता क्षेत्र के विकास और विधि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं।

2.5.5 श्री देवेश्वर कुमार कपिला, शेयरधारक निदेशक

श्री कपिला एक वाणिज्यिक स्नातक और योग्यता प्राप्त सनदी लेखाकार हैं। वे मैसर्स जैन कपिला एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार के संस्थापक साझेदार हैं। उनका बहुत बड़े पीएसयू, एफआई तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों का साक्ष्यकन/लेखापरीक्षा कराने का वृहद अनुभव है। उन्होंने विभिन्न राज्य/केन्द्र सरकार के संगठनों अर्थात् दिल्ली बिक्री कर विभाग, भारतीय रेल वित्त निगम लि., कृषि मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की अध्ययन रिपोर्टें तैयार की हैं।

2.5.6 श्री अशोक कुमार महापात्र, शेयरधारक निदेशक

श्री महापात्र उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर से स्नातकोत्तर हैं और उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनीस्ट्रेशन, नई दिल्ली से एम.फिल. की डिग्री प्राप्त की है। अंग्रेजी, हिन्दी, उड़िया और संस्कृत लिखने, बोलने तथा पढ़ने में दक्ष श्री महापात्र 1971 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में आए वे हिमाचल प्रदेश केडर से संबद्ध हैं। वे बंगला भाषा भी फर्फटे से बोलते हैं। वे हिमाचल प्रदेश राज्य और भारत सरकार में विभिन्न वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर रहे। वे संसदीय कार्य मंत्रालय और नौवहन विभाग में सचिव के पद पर रहे। श्री महापात्र 1993 में टोंगा में कामनवेल्थ कंसलटेंट्स थे और 2000-2001 में श्रीलंका सरकार के यूएनआईडीओ कंसलटेंट्स थे। उन्होंने कामनवेल्थ और यूनिडो हेतु विभिन्न पेपर तैयार किए जिनमें सामाजिक दार्शनिक विषय शामिल थे इसके अतिरिक्त उन्होंने एसएमई, संयुक्त उद्यम और अनुषंगी उद्योगों के विकास आदि के विषय में भी लिखा है।

2.5.7 श्री यशपाल महाजन, शेयरधारक निदेशक

श्री महाजन पंजाब विश्वविद्यालय से वाणिज्यिक स्नातक और यूके से प्रशिक्षित और योग्यता प्राप्त सनदी लेखाकार हैं। वह इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (इंग्लैंड एंड वेल्स) के फेलो सदस्य तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के एसोसिएट सदस्य भी हैं। इन वर्षों में श्री महाजन की असाधारण व्यावसायिक उपलब्धियों की उद्योग द्वारा व्यापक सराहना की गई है। उन्होंने 1979 में “मार्केटिंग मैन ऑफ दि इयर अवार्ड” जीता और वे वर्ष 2000 में अर्नस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्यूर ऑफ दि इयर अवार्ड हेतु चुने गए 30 असाधारण उद्यमियों में से एक थे। श्री महाजन की प्रबंधकीय क्षमता, रणनीतिक विजन, टिकाउ संबंध स्थापित करने के जज्बे, स्पष्टवादिता, पारदर्शिता तथा नैतिक मूल्यों के संबंध में उद्योग में अच्छी साख है। तथापि, अब वे बैंक के निदेशक नहीं हैं।

3. 01.04.2008 से 31.03.2009 के बीच आयोजित बोर्ड बैठकों का विवरण

3.1 राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण प्रावधान) योजना 1970 के खंड 12 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम 6 बैठकों के सापेक्ष समीक्षाधीन अवधि के दौरान निम्नोक्त तिथियों को 14 बोर्ड बैठकों आयोजित की गई थीं।

2.5.4 Dr. Shakeel- Uz-Zaman Ansari, Part Time Non Official Director

Dr. Ansari is a lecturer in S.G.G.S College, Patna, Bihar (Magadh University, Bodh Gaya, Bihar). He is Post Graduate with Bachelor of Law and has a post Doctoral Degree. He has been a Dy. Minister, with Government of Bihar. He is mainly associated with development in Co-operative sector and in the field of Law.

2.5.5 Shri Deveshwar Kumar Kapila, Shareholders' Director

Shri Kapila is a Commerce Graduate and qualified Chartered Accountant. He is the founder partner of M/s Jain Kapila Associates, Chartered Accountants. He has wide experience of conducting Attestation/Audit of Extra large PSUs, FIs and Private Sector Companies. He has prepared study reports on behalf of various State/Central Government Organizations viz. Delhi sales Tax Department, Indian Railways Finance Corporation Ltd., Ministry of Agriculture, Govt. of India and Reserve Bank of India.

2.5.6 Shri Asok Kumar Mohapatra, Shareholders' Director

Shri Mohapatra is a Post Graduate from Utkal University, Bhubaneswar and has M.Phil degree from Indian Institute of Public Administration, New Delhi. Proficient in writing, speaking and reading English, Hindi, Oriya and Sanskrit. Shri Mohapatra joined the Indian Administrative Service in 1971 and belongs to Himachal Pradesh Cadre. He can also speak Bengali fluently. He has held various Senior Administrative positions in the State of Himachal Pradesh and also with the Government of India. He has been the Secretary in the Ministry of Parliamentary Affairs and Secretary in the Department of Shipping. Shri Mohapatra was Commonwealth Consultant in Tonga in 1993 and UNIDO Consultant for Government of Sri Lanka in 2000-2001. He has written various papers for Commonwealth and UNIDO covering Socio Philosophical subjects besides writing on SME's, Joint Ventures, and Development on Ancillary Industries etc.

2.5.7. Shri Yash Paul Mahajan, Shareholders' Director

Shri Mahajan, a Commerce graduate from Panjab University is a UK trained and qualified Chartered Accountant. He is a fellow member of the Institute of the Chartered Accountants (England & Wales) and is also Associate Member of the Institute of Chartered Accountants of India. Over the years, Mr. Mahajan's outstanding professional's achievements have been widely acknowledged in the industry. He won "Marketing Man of the Year Award" in 1979 and was selected as one of the thirty outstanding entrepreneurs for Ernst & Young Entrepreneur of the year award in the year 2000. Mr Mahajan enjoys great credibility in Industry for managerial competence, strategic vision, passion for building durable relationships, candour, transparency and ethical values. However, he has ceased to be the director of the Bank.

3. Details of the Board meeting held between 01.04.2008 and 31.03.2009

3.1 During the period under review 14 Board Meetings were held as detailed below as against requirement of minimum 6 meetings under clause 12 of Nationalized Bank (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

बैठक की तिथि Date of meeting		बोर्ड में निदेशकों की संख्या No. of Directors on Board	उपस्थित निदेशकों की संख्या No. of Directors attended
1	21-04-2008	11	10
2	03-05-2008	12	11
3	13-06-2008	13	6
4	16-06-2008	13	10
5	30-06-2008	14	10
6	18-07-2008	13	11
7	08-08-2008	14	12
8	06-09-2008	14	13
9	17, 18-10-2008	14	11
10	29-11-2008	14	12
11	29-12-2008	14	11
12	19-01-2009	13	12
13	17-02-2009	13	13
14	26-03-2009	13	11

3.2 बैठकों में वर्तमान एवं पिछले निदेशकों की उपस्थिति का विवरण / Details of the meetings attended by Present & Past Directors.

निदेशक का नाम	बोर्ड	एम सी बी	ए सी बी	आर एम सी	डी पी सी	एसएच आई जीसी	आई टी एससी	एफ एम सी	सी एस सी	एस टी सी	परिलब्धि समि.			
S.N. Name of Director	BOARD	MCB	ACB	RMC	DPC SHIGC	ITSC	FMC	CSC	STC	Remu. Com.	Non Com	H R Com.		
1. श्री के. आर. कामत Shri K.R. Kamath	8	9	—	3	4	—	3	2	3	7	—	—	—	
2. श्री ए.सी. महाजन Shri A. C. Mahajan	5	4	—	1	1	—	1	2	1	—	—	—	1	
2 श्री के.के. अग्रवाल Shri K. K. Agarwal	13	15	9	4	—	2	1	3	3	7	—	—	1	
3 श्री जे.पी. दूआ Shri J. P. Dua	13	15	9	4	—	2	4	-	2	7	—	—	—	
4 डा. के. पी. कृष्णान Dr. K. P. Krishnan	2	—	2	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	
5 श्री मोहम्मद ताहिर Shri Mohammad Tahir	14	15	10	4	5	—	—	—	4	—	1	1	—	
6 श्रीमती सुकृति लिखि Smt Sukriti Likhi	6	—	5	1	4	—	2	—	—	—	—	—	—	
7 के. के. डोगरा Shri K. K. Dogra	13	7	—	—	—	1	1	—	4	3	—	—	1	
8 श्री अशोक जैन Shri Ashok Jain	13	13	10	1	—	—	1	2	—	—	—	1	1	
9 श्री वी. गुरुमूर्ति Shri V Gurumurthy	13	7	—	1	—	1	—	—	4	3	—	—	—	
10 श्री देवेश्वर कुमार कपिला Shri Deveshwer Kumar Kapila	13	4	6	3	—	1	3	2	—	—	1	—	—	
11 श्रीमती जोगिन्दर कौर Smt. Joginder Kaur	7	6	—	1	—	—	—	3	1	—	—	1	—	
12 श्री पी. वी. गुडिरेड्डी Shri P.V.Gudireddy	12	7	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

13	डॉ. शकील उज़ ज़मान अंसारी Dr. Shakeel-Uz-Zaman Ansari	12	7	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	श्री. ए. के. महापात्र Shri A K. Mohapatra	8	3	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—
15	श्री यशपाल महाजन Shri Yash Paul Majahan	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—

4. बोर्ड की समितियां

4.1.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण प्रावधान) योजना 1970 के खंड-13 के अनुसार बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन किया गया।

4.1.2 प्रबंधन समिति का संघटन

यथास्थिति 31.03.2009 को बोर्ड की प्रबंधन समिति में निम्नोक्त सदस्य थे :-

1. श्री के. आर. कामत	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री के.के. अग्रवाल	कार्यपालक निदेशक
3. श्री जे.पी. दूआ	कार्यपालक निदेशक
4. मोहम्मद ताहिर	भारिबैंक द्वारा नामित निदेशक
5. श्री अशोक जैन	सरकार द्वारा नामित स.ले.निदेशक
6. श्रीमती जोगिन्दर कौर	सरकार द्वारा नामित निदेशक
7. श्री देवेश्वर कुमार कपिला	शेयरधारक निदेशक
8. श्री ए. के. महापात्र	शेयरधारक निदेशक

समिति की अध्यक्षता श्री के. आर. कामत, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है।

4.1.3 प्रबंधन समिति के कार्य

प्रबंधन समिति का कार्य उच्च मूल्य के प्रस्तावों की संस्वीकृति, समझौता/ बट्टे खाते डालना, पूंजीगत तथा राजस्व की संस्वीकृति जैसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक मामलों पर विचार करना तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं कार्यपालक निदेशक को प्रत्यायोजित अधिकार के उपयोग की समीक्षा करना है। समिति निवेश संविभाग, अनुपयोज्य आस्तियों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यनिष्पादन तथा बोर्ड द्वारा समिति को संदर्भित अन्य महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णयों की समीक्षा भी करती है।

4.1.4 बैठक का विवरण

01.04.2008 से 31.03.2009 के दौरान निम्नलिखित तिथियों को प्रबंधन समिति ने 15 बैठकें आयोजित की:

4. Committees of the Board

4.1.1 Management Committee of the Board

In pursuance of clause 13 of Nationalised Bank (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 read with the directives of the Ministry of Finance, Government of India, a Management Committee of the Board has been constituted.

4.1.2 Composition of the Management Committee

The members of the Management Committee of the Board as on 31-03-2009 were:

1. Shri K.R. Kamath	Chairman & Managing Director
2. Shri K.K. Agarwal	Executive Director
3. Shri J.P. Dua	Executive Director
4. Shri Mohammad Tahir	RBI Nominee Director
5. Shri Ashok Jain,	Government Nominee C A Director
6. Smt. Joginder Kaur	Government Nominee Director
7. Shri Deveshwar Kr. Kapila	Shareholders' Director
8. Shri A.K. Mohapatra	Shareholders' Director

The Committee is chaired by Shri K.R. Kamath, Chairman & Managing Director.

4.1.3 Function of the Management Committee

The function of the Management Committee is to consider various business matters of material significance like sanction of high value proposal, compromise/write off, sanction of capital & revenue expenditure and review the exercise of delegated authority by the Chairman & Managing Director and the Executive Director. The Committee also reviews the performance of key areas like investment portfolio, non-performing assets and other important management decisions referred to the Committee by the Board.

4.1.4 Details of the meeting of the Committee

The Committee met 15 times during the period 01.04.2008 to 31.03.2009 as detailed below

बैठक की तिथि Date of meeting	बोर्ड की प्रबंधन समिति के निदेशकों की सं. No. of Directors on the Management Committee of Board	उपस्थित निदेशकों की सं. No. of Directors attended
21-04-2008	8	8
03-05-2008	8	8
28-05-2008	8	8
30-06-2008	8	6
08-07-2008	7	7
26-07-2008	7	6
06-09-2008	8	8
29-09-2008	8	7
17-10-2008	8	7
28-11-2008	8	8
29-12-2008	8	8
19-01-2009	8	8
16-02-2009	8	8
12-03-2009	8	8
26-03-2009	8	7

4.2. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीवी) :

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों तथा कार्पोरेट गवर्नेन्स के सिद्धांतों के अनुसार बैंक ने 31.05.1994 को एक लेखापरीक्षा समिति का गठन किया तथा उसे समय-समय पर पुनर्गठित किया।

4.2.2 लेखापरीक्षा समिति का संघटन :

यथास्थिति 31.03.2009 को बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति में निम्नोक्त सदस्य थे :-

1. श्री अशोक जैन	सरकार द्वारा नामित स.ले.निदेशक
2. श्री के.के. अग्रवाल	कार्यपालक निदेशक
3. श्री जे.पी. दूआ	कार्यपालक निदेशक
4. श्रीमती सुकृति लिखि	सरकार द्वारा नामित निदेशक
5. मोहम्मद ताहिर	भारिबैंक द्वारा नामित निदेशक
6. श्री देवेश्वर कुमार कपिला	शेयरधारक निदेशक

समिति की अध्यक्षता श्री अशोक जैन, सरकार द्वारा नामित सनदी लेखाकार निदेशक द्वारा की गई।

4.2.3 लेखापरीक्षा समिति के कार्य :

लेखापरीक्षा समिति का मुख्य कार्य बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली का मूल्यांकन एवं उसकी समीक्षा करना है ताकि विवरणों की सत्यता, पर्याप्तता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके। बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पहले समिति प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय परिणामों की समीक्षा करती है।

लेखापरीक्षा समिति निदेश भी देती है तथा बैंक के अंतर्गत संगठन, परिचालन तथा आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण की गुणवत्ता नियंत्रण सहित बैंक के समस्त लेखापरीक्षा कार्य के परिचालन का पर्यवेक्षण करती है तथा बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखापरीक्षा एवं भारिबैंक के निरीक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है।

4.2 Audit Committee of the Board (ACB)

4.2.1 In pursuance to the directives of Reserve Bank of India and having regard to the fundamentals of Corporate Governance, the Bank originally constituted an Audit Committee on 31.05.1994 and reconstituted the same from time to time.

4.2.2 Composition of the Audit Committee:

The member of the Audit Committee of the Board, as on 31-03-2009 were;

1. Shri Ashok Jain	Government Nominee C A Director
2. Shri K.K. Agarwal	Executive Director
3. Shri J.P. Dua	Executive Director
4. Smt. Sukriti Likhi	Government Nominee Director
5. Shri Mohammad Tahir	RBI Nominee Director
6. Shri Deveshwar Kumar Kapila	Shareholders' Director

The committee is chaired by Shri Ashok Jain, Government Nominee Chartered Accountant Director.

4.2.3 Function of Audit Committee:

The main function of Audit Committee is to assess and review the financial reporting system of the Bank to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible. It reviews with the management the annual financial statements before their submission to the Board.

The Audit Committee provides direction and oversees the operations of total audit function of the Bank including the organization, operation and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow up on the Statutory/ External audit of the Bank and RBI inspections.

समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, इसके स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा भी करती है तथा किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखापरीक्षकों/निरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है। इसके अतिरिक्त यह बैंक की वित्तीय एवं जोखिम प्रबंधन नीतियों की भी समीक्षा करती है।

सांविधिक लेखापरीक्षा के मामले में, लेखापरीक्षा समिति वार्षिक/तिमाही वित्तीय लेखों और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले केन्द्रीय सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है। यह लॉग फॉर्म लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) रिपोर्ट में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई भी करती है।

4.2.4 बैठक का विवरण -

01.04.2008 से 31.03.2009 के दौरान निम्नलिखित तिथियों को बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की 10 बैठकें आयोजित की गईं:

बैठक की तिथि Date of meeting	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के निदेशकों की सं. No. of Directors on the Audit Committee of Board	उपस्थित निदेशकों की सं. No. of Directors attended
04-04-2008	6	4
21-04-2008	6	5
03-05-2008	6	5
13-06-2008	6	3
08-07-2008	6	6
18-07-2008	6	5
29-09-2008	6	5
18-10-2008	6	6
10-01-2009	6	6
19-01-2009	6	6

4.3 जोखिम प्रबंधन समिति :

4.3.1 बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति :

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 04 मार्च, 2003 को बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है एवं समय-समय पर इसका पुनर्गठन किया गया है।

4.3.2 बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का संघटन :

यथास्थिति 31.03.2009 को समिति में निम्नोक्त सदस्य थे :-

1. श्री के. आर. कामत	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री के.के. अग्रवाल	कार्यपालक निदेशक
3. श्री जे.पी. दूआ	कार्यपालक निदेशक
4. श्री मोहम्मद ताहिर	भारिबैंक द्वारा नामित निदेशक
5. श्री देवेश्वर कुमार कपिला	शेयरधारक निदेशक
6. श्री ए. के. महापात्र	शेयरधारक निदेशक
7. श्री पी. वी. गुडिरेड्डी	सरकार द्वारा नामित निदेशक
8. डा. शकील-उज़्-ज़मान अंसारी	सरकार द्वारा नामित निदेशक

समिति की अध्यक्षता श्री के. आर. कामत, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है।

4.3.3 बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के कार्य :

जोखिम प्रबंधन समिति ऋण, बाजार और परिचालन जोखिम सहित बैंक के विभिन्न जोखिम निवेशों के लिए एकीकृत जोखिम प्रबंधन हेतु नीति तथा रणनीति निरूपित करती है।

The Committee also reviews the adequacy of internal control system, structure of internal audit department, its staffing pattern and discussion with the internal auditors/Inspectors on any significant finding and follow-up action thereon. It further reviews the financial and risk management policies of the Bank.

Regarding Statutory Audit, the Audit Committee interacts with the Central Statutory Auditors before finalization of Annual/Quarterly Financial Accounts and Reports. It also follows up on various issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).

4.2.4 Details of Meeting

During the period 01.04.2008 to 31.03.2009, 10 meetings of the Audit committee of the Board were held as detailed below.

4.3 Risk Management Committee

4.3.1 Risk Management Committee of the Board:

In pursuance of the directives of the Reserve Bank of India, a Risk Management Committee of the Board was constituted on March 4, 2003 and it was reconstituted time to time .

4.3.2 Composition of the Risk Management Committee of the Board:

The members of the Committee as on 31.03.2009 were

1. Shri K R Kamath	Chairman & Managing Director
2. Shri K K Agarwal	Executive Director
3. Shri J P Dua	Executive Director
4. Shri Mohammad Tahir	RBI Nominee Director
5. Shri Deveshwar Kr. Kapila	Shareholders' Director
6. Shri A K Mohapatra	Shareholders Director
7. Shri P.V. Gudireddy	Government Nominee Director
8. Dr. Shakeel Uz-Zaman Ansari	Government Nominee Director

The Committee is chaired by Shri K R Kamath, Chairman & Managing Director.

4.3.3 Function of Risk Management Committee of the Board

The Risk Management Committee devise the policy and strategy for integrated risk management containing various risk exposures of the Bank including credit Market & Operational risk.

4.3.4 बैठक का विवरण - 01.04.2008 से 31.03.2009 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की 4 बार बैठकें आयोजित हुई जिनका विवरण निम्नांकित है-

बैठक की तिथि	बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के निदेशकों की सं.	उपस्थित निदेशकों की सं.
16-06-2008	9	7
29-09-2008	9	8
29-11-2008	9	9
16-02-2009	8	8

4.4 निदेशक पदोन्नति समिति (डीपीसी) :

4.4.1 बोर्ड की निदेशक पदोन्नति समिति:

बैंक ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग)के निदेशों के अनुसरण में निदेशक पदोन्नति समिति का गठन किया है और इसे समय-समय पर पुनर्गठित किया गया है।

4.4.2 निदेशकों की पदोन्नति समिति का संघटन :

यथास्थिति 31.03.2009 को निदेशकों की पदोन्नति समिति में निम्नोक्त सदस्य थे :-

1. श्री के. आर. कामत : अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्रीमती सुकृति लिखि : सरकार द्वारा नामित निदेशक
3. मोहम्मद ताहिर : आरबीआई द्वारा नामित निदेशक

समिति की अध्यक्षता, श्री के. आर. कामत, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है।

4.4.3 निदेशकों की पदोन्नति समिति के कार्य :

निदेशकों की पदोन्नति समिति का गठन सतर्कता एवं गैर-सतर्कता अनुशासनिक मामलों के निपटान की समीक्षा करने एवं कार्पोरेट गवर्नेन्स एवं जोखिम प्रबंधन प्रणाली के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अतिमहत्वपूर्ण अन्य मामलों की समीक्षा करने के लिए किया गया है।

4.4.4 बैठक का विवरण- 01.04.2008 से 31.03.2009 के दौरान निम्नोक्त तिथियों को समिति ने 5 बैठकें आयोजित की जिनका विवरण निम्नांकित है-

बैठक की तिथि	निदेशक पदोन्नति समिति के निदेशकों की सं.	उपस्थित निदेशकों की सं.
30-06-2008	3	2
06-09-2008	3	3
29-11-2008	3	3
04-12-2008	3	3
12-03-2009	3	3

4.5 शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति

4.5.1 बैंक ने शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतों के निवारण के प्रयोजनार्थ मूलतः 04 मार्च, 2003 को शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत (निवारण) समिति का गठन किया। समिति का समय-समय पर पुनर्गठन किया गया।

4.3.4 Details of the Meeting

The Committee met 4 times during the period 01-04-2008 to 31-03-2009 as detailed below.

Date of Meeting	No. of Directors on the Risk Management Committee of Board.	No. of Directors attended
16-06-2008	9	7
29-09-2008	9	8
29-11-2008	9	9
16-02-2009	8	8

4.4. Directors' Promotion Committee (DPC)

4.4.1 Directors promotion committee of the Board:

The Bank in pursuance to the directives of Govt. of India, Ministry of Finance (Banking Division) constituted Directors promotion Committee and the same was reconstituted from time to time.

4.4.2 Composition of the Directors Promotion Committee:

The members of the Committee of Directors as on 31-03-2009 were

1. Shri K.R. Kamath, Chairman & Managing Director
2. Smt Sukriti Likhi, Govt. Nominee Director
3. Shri Mohammad Tahir, RBI Nominee Director

The Committee is chaired by Shri K.R. Kamath, Chairman & Managing Director

4.4.3 Function of the Directors' Promotion Committee:

The Directors' Promotion Committee has been constituted to review disposal of vigilance and non-vigilance disciplinary cases and other cases of strategic importance in terms of Reserve Bank of India (RBI) and Government of India (GOI) guidelines on Corporate Governance and Risk Management System

4.4.4 Details of the Meeting

The Committee held 5 meetings during the period 01.04.2008 to 31.03.2009 as detailed below:

Date of Meeting	No. of Directors on the Directors Promotion Committee	No. of Directors attended
30-06-2008	3	2
06-09-2008	3	3
29-11-2008	3	3
04-12-2008	3	3
12-03-2009	3	3

4.5 Shareholders'/ Investors' Grievances Committee

4.5.1 The Bank originally constituted the Shareholders'/ Investors' Grievances Committee on March 4, 2003 with a purpose of redressal of shareholders and investors grievances / complaints. The committee was reconstituted time to time.

4.5.2 शेयर धारकों/निवेशकों की शिकायत समिति का संघटन :

31.03.2009 को यथास्थिति समिति के निम्नोक्त सदस्य थे :

1. श्री देवेश्वर कुमार कपिला	शेयरधारक निदेशक
2. श्री के.के. अग्रवाल	कार्यपालक निदेशक
3. श्री जे.पी. दूआ	कार्यपालक निदेशक
4. श्री ए. के. महापात्र	शेयरधारक निदेशक
5. श्रीमती जोगिन्दर कौर	सरकार द्वारा नामित निदेशक

समिति की अध्यक्षता श्री देवेश्वर कुमार कपिला, शेयरधारक निदेशक श्री ए. बी. भट्टाचार्य, महाप्रबंधक, (वित्त एवं लेखा) को बैंक के अनुपालन अधिकारी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

4.5.3 शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति के कार्य

समिति यह सुनिश्चित करती है कि सभी शेयर प्रमाणपत्र स्थानान्तरण, सब डिवीजन समेकन, नवीकरण आदि हेतु आवेदन की तिथि से एक महीने की अवधि के अंदर जारी हो जाए। इसके अतिरिक्त, समिति निवेशकों की शिकायतों के समयबद्ध निवारण की मॉनिटरिंग भी करती है। बैंक को समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 1400 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से सभी का निवारण निवेशकों की संतुष्टि के अनुरूप किया जा चुका है।

4.5.4 बैठक का विवरण

01.04.2008 से 31.03.2009 के दौरान समिति ने 2 बैठकें आयोजित की।

बैठक की तिथि	शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति के निदेशकों की सं.	उपस्थित निदेशकों की सं.
21-04-2008	5	5
17-10-2008	4	2

4.6 बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी उप-समिति) उप-समिति

4.6.1 बैंक की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु बैंक ने 24 अप्रैल 2003 को आईटी उप-समिति गठित की जिसे समय-समय पर पुनर्गठित किया गया।

4.6.2 बोर्ड की आईटी उप-समिति का संघटन :

यथास्थिति 31.03.2009 को समिति में निम्नोक्त सदस्य थे :-

1. श्री के. आर. कामत	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री के.के. अग्रवाल	कार्यपालक निदेशक
3. श्री जे.पी. दूआ	कार्यपालक निदेशक
4. श्रीमती सुकृति लिखि	सरकार द्वारा नामित निदेशक
5. श्री देवेश्वर कुमार कपिला	शेयरधारक निदेशक
6. श्री ए. के. महापात्र	शेयरधारक निदेशक

समिति की अध्यक्षता श्री के. आर. कामत, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है।

4.5.2 Composition of the Shareholders'/ Investors' Grievances Committee

The members of the Committee as on 31-03-2009 were as under:

1. Shri Deveshwar Kumar Kapila	Shareholders' Director
2. Shri K.K. Agarwal	Executive Director
3. Shri J.P. Dua	Executive Director
4. Shri A.K. Mohapatra	Shareholders' Director
5. Smt Joginder Kaur	Government Nominee Director

The Committee is chaired by Shri Deveshwar Kumar Kapila, Shareholders' Director, Shri A.B.Bhattacharjee, General Manager; Finance & Accounts has been designated as Compliance Officer of the Bank.

4.5.3 Function of Shareholders'/Investors' Grievances Committee:

The Committee ensures that all Share Certificates are issued within a period of one month of the date of lodgment for transfer, sub-division, consolidation, renewal etc. The Committee further monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner. The Bank received 1400 number of complaints during the year under review and all the complaints have been resolved to the satisfaction of investors.

4.5.4 Details of the Meeting

The Committee held 2 meetings during the period 01.04.2008 to 31.03.2009 as detailed below:

Date of Meeting	No. of Directors on the Shareholders' / Investors' Grievance Committee	No. of Directors attended
21-04-2008	5	5
17-10-2008	4	2

4.6 Information Technology Sub-Committee (IT Sub-Committee)

4.6.1 The Bank constituted the IT Sub-Committee on April 24, 2003 and it was further reconstituted time to time to monitor the implementation of various Information Technology projects of the Bank.

4.6.2 Composition of the IT Sub-Committee of the Board:

The members of the Committee as on 31-03-2009 were:

1. Shri K.R Kamath	Chairman & Managing Director
2. Shri K.K. Agarwal	Executive Director
3. Shri J P Dua	Executive Director
4. Smt. Sukriti Likhi	Government Nominee Director
5. Shri Deveshwar Kr Kapila	Shareholders' Director
6. Shri A.K.Mohapatra	Shareholders' Director

The Committee is chaired by Shri K.R. Kamath, Chairman & Managing Director.

4.6.3 बोर्ड की आईटी समिति के कार्य

समिति का गठन बैंक की विभिन्न आईटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु किया गया है।

4.6.4 बैठक का विवरण - 01.04.2008 से 31.03.2009 के दौरान समिति की 4 बैठकें निम्नलिखित तिथियों को आयोजित हुईं जिनका विवरण निम्नांकित है-

बैठक की तिथि	बोर्ड की आईटी उप-समिति के निदेशकों की सं.	उपस्थित निदेशकों की सं.
21-04-2008	5	5
29-09-2008	6	4
29-11-2008	6	4
16-02-2009	6	5

4.7 धोखाधड़ी निगरानी समिति

4.7.1 बोर्ड की धोखाधड़ी निगरानी समिति

बैंक ने रुपए एक करोड़ और अधिक राशि की धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई हेतु 28.02.2004 को धोखाधड़ी निगरानी समिति का गठन किया है और इसे समय-समय पर पुनर्गठित किया गया है।

4.7.2 बोर्ड की धोखाधड़ी निगरानी समिति का संघटन

यथास्थिति 31.03.2009 को समिति में निम्नोक्त सदस्य थे :-

1. श्री के. आर. कामत	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री अशोक जैन	सरकार द्वारा नामित स.ले.निदेशक
3. श्री देवेश्वर कुमार कपिला	शेयरधारक निर्देशक
4. श्री. ए. के. महापात्र	शेयरधारक निर्देशक
5. श्री पी. वी. गुडिरेड्डी	सरकार द्वारा नामित निदेशक

समिति की अध्यक्षता श्री के. आर. कामत, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है।

4.7.3 धोखाधड़ी निगरानी समिति के कार्य

धोखाधड़ी के विभिन्न पहलुओं अर्थात् धोखाधड़ी का पता लगाना, नियामक और प्रवर्तन एजेंसियों को रिपोर्ट करना, तथा धोखाधड़ी को अंजाम देने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने में होने वाले विलम्ब को देखते हुए अनन्य रूप से रु.एक करोड़ और अधिक की राशि के धोखाधड़ी के मामलों की मानिट्रिंग और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु समिति का गठन किया गया।

4.7.4 बैठक का विवरण

01.04.2008 से 31.03.2009 के दौरान धोखाधड़ी निगरानी समिति की 4 बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गईं जिनका विवरण निम्नांकित है- ।

बैठक की तिथि	बोर्ड की धोखाधड़ी निगरानी समिति के निदेशकों की सं.	उपस्थित निदेशकों की सं.
28-05-2008	5	5
30-06-2008	5	3
17-10-2008	5	4
26-03-2009	5	4

4.6.3 Function of the IT Committee:

This Committee was constituted to monitor the implementation of various IT projects of the Bank.

4.6.4 Details of the Meeting

This Committee held 4 meetings during the period 01.04.2008 to 31.03.2009 as detailed below:

Date of meeting	No. of Directors on the IT Sub-Committee of Board	No. of Directors attended
21-04-2008	5	5
29-09-2008	6	4
29-11-2008	6	4
16-02-2009	6	5

4.7. Fraud Monitoring Committee

4.7.1 Fraud Monitoring Committee of the Board:

The Bank has constituted Fraud Monitoring Committee on 28.02.2004 and reconstituted from time to time with a purpose to monitor and follow up cases of frauds involving amount of Rupees One crore and above.

4.7.2 Composition of the Fraud Monitoring Committee of the Board:

The members of the Committee as on 31-03-2009 were :

1. Shri K.R Kamath	Chairman & Managing Director
2. Shri Ashok Jain	Government Nominee C A Director
3. Shri Deveshwar Kumar Kapila	Shareholders' Director.
4. Shri A.K Mohapatra	Shareholders' Director
5. Shri P.V. Gudireddy	Government Nominee Director

The Committee is chaired by Shri K.R Kamath, Chairman & Managing Director.

4.7.3 Function of the Fraud Monitoring Committee

The Fraud Monitoring Committee has been constituted exclusively for monitoring, review and follow up cases of frauds involving amount of Rs. One Crore and above, keeping in view the delay caused in various aspects of fraud like detecting, reporting to regulatory and enforcement agencies and action against perpetrators of the fraud.

4.7.4 Details of the Meeting

The Fraud Monitoring Committee held 4 meetings during the period 01.04.2008 to 31.03.2009 as detailed below

Date of meeting	No. of Directors on the Fraud Monitoring Committee of Board	No. of Directors attended
28-05-2008	5	5
30-06-2008	5	3
17-10-2008	5	4
26-03-2009	5	4

4.8 ग्राहक सेवा समिति

4.8.1 निदेशक मंडल ने 9 सितम्बर 2004 को आयोजित बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के दिनांक 14 अगस्त, 2004 के पत्र के अनुपालन में ग्राहक सेवा समिति का गठन किया। और समय-समय पर पुनर्गठित किया गया है। समिति का गठन इस उद्देश्य से किया गया ताकि सतत आधार पर ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।

4.8.2 ग्राहक सेवा समिति का संघटन

31.03.2009 को ग्राहक सेवा समिति में निम्नलिखित निदेशक थे।

1. श्री के. आर. कामत	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री के. के. अग्रवाल	कार्यपालक निदेशक
3. श्री जे.पी. दूआ	कार्यपालक निदेशक
4. मोहम्मद ताहिर	भारिबैंक द्वारा नामित निदेशक
5. श्री के. के. डोगरा	अधिकारी नामित निदेशक
6. श्री वी. गुरुमूर्ति	कामगार निदेशक
7. श्रीमती जोगिन्दर कौर	सरकार द्वारा नामित निदेशक

समिति की अध्यक्षता श्री के. आर. कामत, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है।

4.8.3 ग्राहक सेवा समिति के कार्य:

हर समय सभी प्रकार के ग्राहकों के ग्राहक संतुष्टि स्तर में सुधार करने और ग्राहक सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु नवीन उपाय करना।

4.8.4 बैठक का विवरण

01.04.2008 से 31.03.2009 के दौरान समिति की 4 बैठकें निम्नलिखित तिथियों को आयोजित की गईं जिनका विवरण निम्नांकित है-

बैठक की तिथि	ग्राहक सेवा समिति के निदेशकों की सं.	उपस्थित निदेशकों की सं.
16-06-2008	5	5
08-08-2008	6	5
29-11-2008	6	5
17-02-2009	7	7

4.9 बोर्ड की एचआर समिति

4.9.1 निदेशक मंडल ने 15.07.2005 को आयोजित अपनी बैठक में भारतीय बैंक संघ से प्राप्त दिनांक 06.06.2005 के पत्र सीई/162 के अनुसार इस समिति का गठन किया।

4.9.2 एचआर समिति के कार्य

बैंक की एचआर नीतियों और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक तथा बैंक के कार्यपालकों की क्षतिपूर्ति संरचना की समीक्षा करना।

4.9.3 बैठक का विवरण

01.04.2008 से 31.03.2009 के दौरान समिति की 1 बैठक आयोजित की गई

4.8 Customer Service Committee

4.8.1 In compliance with RBI letter dated August 14, 2004, the Board of Directors at its meeting held on September 9, 2004 constituted Customer Service Committee and reconstituted from time to time. The committee has been constituted with a view to bring out improvements in the quality of customer service in the Bank on a continuous basis.

4.8.2 Composition of Customer Service Committee:

The Customer Service Committee comprises the following Directors as on 31-03-2009.

1. Shri K.R Kamath	Chairman & Managing Director
2. Shri K.K. Agarwal	Executive Director
3. Shri J.P. Dua	Executive Director
4. Shri Mohammad Tahir	RBI Nominee Director
5. Shri K. K. Dogra	Officer Nominee Director
6. Shri V. Gurumurthy	Workman-Employee Director
7. Smt. Joginder Kaur	Govt. Nominee Director

The Committee is chaired by Shri K R Kamath, Chairman & Managing Director.

4.8.3 Function of the Customer Service Committee

To innovate measures for enhancing the quality of customer service and improve the level of customer satisfaction to all categories of clientele at all times.

4.8.4 Details of the Meeting

This Committee held 4 meetings during the period 01.04.2008 to 31.03.2009 as detailed below

Date of meeting	No. of Directors on Customer Service Committee	No. of Directors attended
16-06-2008	5	5
08-08-2008	6	5
29-11-2008	6	5
17-02-2009	7	7

4.9 HR Committee of the Board:

4.9.1 In accordance with Indian Banks' Association letter No. CE/162 dated 06-06-2005, the Board of Director of the Bank in its meeting dated 15-07-2005 constituted the HR committee.

4.9.2 Function of HR Committee

To review the HR policies of the Bank and the compensation structure of Chairman & Managing Director Executive Director and Executives of the Bank

4.9.3 Details of the meeting

The Committee held 1 meeting during the period 01.04.2008 to 31.03.2009

बैठक की तिथि	बोर्ड की एचआर एवं क्षतिपूर्ति समिति के निदेशकों की सं.	उपस्थित निदेशकों की सं.
04-04-2008	6	5

समिति 29.11.2008 से अंश कर दी गई है।

4.10 परिलब्धि समिति

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, बैंकिंग प्रभाग की दिनांक 9 मार्च 2007 की अधिसूचना एफ. सं. 20/1/2005-बीओआई के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशक निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन के पात्र होंगे बशर्ते कि लक्ष्य और गुणात्मक पैरामीटर संबंधी आशय विवरण और पिछले वर्ष के दौरान विभिन्न अनुपालन रिपोर्टों से संबंधित बैचमार्क पर आधारित कार्यनिष्पादन मूल्यांकन मैट्रिक्स हेतु तय मात्रात्मक पैरामीटरों को बोर्ड द्वारा प्राप्त कर लिया गया हो। कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन बोर्ड की उप समिति- 'परिलब्धि समिति' द्वारा किया जाएगा जिसमें सरकार द्वारा नामित निदेशक, भारिबैंक द्वारा नामित निदेशक तथा दो अन्य निदेशक शामिल होंगे।

4.10.1 निदेशक मंडल ने 23.03.2007 की अपनी बैठक में कार्यनिष्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों के प्रयोजन हेतु पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से परिलब्धि समिति का गठन किया।

4.10.2. यथास्थिति 31.03.2009 को समिति की संघटना निम्नानुसार थी :

1. श्रीमती सुकृति लिखि	सरकार द्वारा नामित निदेशक
2. मोहम्मद ताहिर	भारिबैंक द्वारा नामित निदेशक
3. श्रीमती जोगिन्दर कौर	सरकार द्वारा नामित निदेशक
4. डॉ. शकील-उज़्-ज़मान अंसारी	सरकार द्वारा नामित निदेशक

समिति की अध्यक्षता श्रीमती सुकृति लिखि, सरकार द्वारा नामित निदेशक द्वारा की जाती है।

4.10.3. परिलब्धि समिति के कार्य

कार्यनिष्पादन लिंकड प्रोत्साहन के प्रयोजनार्थ पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करना।

4.10.4. बैठक का विवरण

01.04.2008 से 31.03.2009 तक समिति की 1 बैठक हुई-

बैठक की तिथि	बोर्ड की परिलब्धि समिति के निदेशकों की सं.	उपस्थित निदेशकों की सं.
28-05-2008	4	3

4.11 नामांकन समिति

4.11.1 भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 1 नवम्बर 2007 के पत्रांक डीबीओडी सं. बीसी.सं. 47/29.32.001/2007-08 के अनुसार 21.04.2008 को बोर्ड की नामांकन समिति का गठन किया गया।

4.11.2 31.03.2009 को यथास्थिति समिति का गठन निम्नानुसार था :

Date of meeting	No. of Directors on the HR & Compensation Committee of Board	No. of Directors attended
04-04-2008	6	4

The Committee has since been dissolved w.e.f 29-11-2008

4.10 Remuneration Committee

In terms of Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) notification F.No. 20/1/2005-BOI dated 9th March, 2007, whole time directors of the Public Sector Banks will be entitled to Performance linked incentives, subject to achievement of Broad quantitative parameters fixed for performance evaluation matrix, based on the statement of intent on goals and qualitative parameters and bench marks based on various compliance reports during the last year. Sub Committee of the Board called "Remuneration Committee" consisting of Govt. Nominee Director, RBI Nominee Director and two other Directors would do the evaluation of performance.

4.10.1 The Board of Directors in its meeting dated 23-03-2007 constituted the Remuneration Committee to evaluate the performance of the whole time directors for the purpose of performance linked incentives. The Committee has since been reconstituted from time to time.

4.10.2 The Composition of the Committee as on 31-03-2009 are as under :

1. Smt Sukriti Likhi	Govt Nominee Director
2. Shri Mohammad Tahir	RBI Nominee Director
3. Smt. Joginder Kaur	Govt Nominee Director
4. Dr. Shakeel Uz-Zaman Ansari	Govt Nominee Director

The Committee is chaired by Smt. Sukriti Likhi, Government Nominee Director

4.10.3 Function of Remuneration Committee

To evaluate the performance of the whole time directors for the purpose of performance linked incentives.

4.10.4 Details of the Meeting

The Committee held one meeting during the period 01.04.2008 to 31.03.2009

Date of meeting	No. of Directors on the Remuneration Committee of Board	No. of Directors attended
28-05-2008	4	3

4.11 Nomination Committee

4.11.1 In terms of Reserve Bank of India letter DBOD No. BC. No. 47/29.39.001/2007-08 dated Nov. 1, 2007, the Nomination Committee of the Board was constituted on 21-04-2008.

4.11.2 The Composition of the Committee as on 31-03-2009 are as under :

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. श्री मोहम्मद ताहिर | भारिबैंक द्वारा नामित निदेशक |
| 2. श्री अशोक जैन | सरकार द्वारा नामित स.ले. निदेशक |
| 3. श्री पी. वी. गुडिरेड्डी | सरकार द्वारा नामित निदेशक |
| 4. डा. शकील-उज़्-ज़मान अंसारी | सरकार द्वारा नामित निदेशक |

समिति की अध्यक्षता श्री मोहम्मद ताहिर, आरबीआई नामित निदेशक द्वारा की जाती है।

4.11.3 नामांकन समिति के कार्य

नामांकन समिति को अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत मौजूदा निर्वाचित निदेशकों/निदेशक के रूप में निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के “योग्य एवं उचित” स्तर का समुचित सतर्कता के साथ निर्धारण करने की प्रक्रिया पूरी करनी होती है।

4.11.4 बैठक का विवरण

01.04.2008 से 31.03.2009 के दौरान समिति की एक बैठक आयोजित की गई।

बैठक की तारीख	बोर्ड की नामांकन समिति के सदस्यों की सं.	उपस्थित निदेशकों की सं.
12-06-2008	3	3

4.12 शेयर अंतरण समिति

4.12.1 बैंक ने शेयर अंतरण समिति का गठन किया है जिसके प्रयोजन में इक्विटी शेयरों का अंतरण/ट्रांसमिशन, डुप्लिकेट शेयर जारी करना शामिल है किंतु यह इसी कार्य तक सीमित नहीं है। समिति का समय-समय पर पुनर्गठन किया गया है।

4.12.2 31.03.2009 को यथास्थिति समिति का गठन निम्नानुसार था

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. श्री के. आर. कामत | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक |
| 2. श्री के.के. अग्रवाल | कार्यपालक निदेशक |
| 3. श्री जे.पी. दूआ | कार्यपालक निदेशक |
| 4. श्री के.के. डोगरा | अधिकारी नामित निदेशक |
| 5. श्री वी. गुरुमूर्ति | कामगार निदेशक |

समिति की अध्यक्षता श्री के.आर. कामत, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है

4.12.3 शेयर अंतरण समिति के कार्य

समिति को बैंक के शेयरों के अंतरण, प्रेषण, अस्वीकृति, सबडिवीजन, समेकन के अनुमोदन और गुम हुए अथवा नष्ट हुए शेयर प्रमाण पत्रों के बदले अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार है और वह इसके लिए प्राधिकृत है। समिति को वह सब कार्य करने का भी अधिकार है जो शेयरों के अंतरण, प्रेषण, डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने आदि हेतु आवश्यक और प्रासंगिक होते हैं।

4.12.4 बैठक का विवरण:-

01.04.2008 से 31.03.2009 की अवधि के दौरान समिति की 7 बैठकें आयोजित की गईं:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Shri Mohammad Tahir | RBI Nominee Director |
| 2. Shri Ashok Jain. | Government Nominee C A Director |
| 3. Shri P.V Gudireddy | Govt Nominee Director |
| 4. Dr. Shakeel Uz-Zaman Ansari | Govt Nominee Director |

The Committee is chaired by Shri Mohammad Tahir, RBI Nominee Director

4.11.3 Function of Nomination Committee

The Nomination Committee have to undertake a process of due diligence to determine the “Fit & Proper” status of existing elected directors/the person to be elected as a director under Sec. 9 (3) (i) of the Act.

4.11.4 Details of the Meeting

The Committee held one meeting during the period 01.04.2008 to 31.03.2009

Date of meeting	No. of Directors on the Nomination Committee of Board	No. of Directors attended
12-06-2008	3	3

4.12 Share Transfer Committee

4.12.1 The Bank has constituted Share Transfer Committee for the purpose including but not limited to transfer/transmission of equity shares, issue of duplicate shares. The Committee has since been reconstituted from time to time.

4.12.2 The Composition of the Committee as on 31-03-2009 are as under :

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Shri K.R Kamath | Chairman & Managing Director |
| 2. Shri K.K. Agarwal | Executive Director |
| 3. Shri J.P Dua | Executive Director |
| 4. Shri K.K.Dogra | Officer Nominee Director |
| 5. Shri .V Gurumurthy | Workmen Nominee Director |

The Committee is chaired by Shri K R Kamath, Chairman & Managing Director

4.12.3 Function of Share Transfer Committee

The Committee is empowered and authorized to approve transfer, transmission, rejection, subdivision, consolidation of the shares of the Bank and issue of duplicate share certificates against lost or destroyed share certificates after observing requisite formalities. The Committee is also empowered to do all such acts, things or deeds as may be necessary or incidental to the exercise of transfer, transmission, issue of duplicate share certificates etc.

4.12.4 Details of the Meeting :-

The Committee held 7 meetings during the period 01.04.2008 to 31.03.2009

बैठक की तिथि Date of meeting	बोर्ड की शेयर अंतरण समिति के निदेशकों की संख्या No. of Directors on the Share Transfer Committee of Board	उपस्थित निदेशकों की सं. No. of Directors attended
16-12-2008	5	3
29-12-2008	5	5
19-01-2009	5	5
04-02-2009	5	3
17-02-2009	5	5
07-03-2009	5	3
19-03-2009	5	3

5. निदेशकों की परिलब्धियाँ

गैर-कार्यपालक निदेशकों को यात्रा एवं विराम भत्तों सहित दी जाने वाली परिलब्धियाँ भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार द्वारा किए गए निर्णयों के अनुसार प्रदान की जा रही हैं।

5.1 वर्ष 2008-09 के दौरान बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों अर्थात् अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं कार्यपालक निदेशक को भुगतान किए गए वेतन का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	नाम	मूल	मंहगाई भत्ता	सीसीए	बकाया	प्रोत्साहन	कुल
Sl No.	Name	Basic	Dearness Allowance	CCA	Arrear	Incentives	Total
1	श्री के. आर. कामत (अ.प्र.नि.) Shri K.R. Kamath (CMD)	191624.19	230907.16	2390.32	117531.05	0	542452.72
2	श्री ए.सी. महाजन (भू.पूर्व अ.प्र.नि.) Shri A.C. Mahajan, (EX-CMD)	74100	89290.50	900.00	319207.00	800000.00	1283497.50
3	श्री ओ.एन. सिंह (भू.पूर्व अ.प्र.नि.) Shri O.N. Singh (EX CMD)	0	0	0	91016.70	0	91016.70
4	श्री के.के. अग्रवाल, कार्यपालक निदेशक Shri K.K. Agarwal, ED	267100.00	321855.5	3600.00	5953.50	240000.00	838509.00
5	श्री जे.पी. दूआ कार्यपालक निदेशक Shri J.P. Dua ED	267100.00	321855.50	3600.00	5953.50	240000.00	838509.00
6	श्री एस.के. गोयल भू.पू. कार्यपालक निदेशक Shri S.K. Goel Ex. ED	0	0	0	119725.86	200000.00	319725.86
कुल/ TOTAL		799924.19	963908.66	10490.32	659387.61	1480000.00	3913710.78

वर्तमान में अपने निदेशकों हेतु बैंक का स्टॉक ऑप्शन प्लान नहीं है।

5.2 गैर-कार्यपालक निदेशकों को प्रत्येक बोर्ड बैठक में उपस्थित होने हेतु रु.5000/- और बोर्ड की समिति की बैठक में उपस्थित होने हेतु रु.2500/- का भुगतान किया जा रहा है। तथापि, बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक और आरबीआई तथा सरकार नामित निदेशकों को जो कि सरकारी अधिकारी हैं को सितिंग शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता।

6. जनरल बॉडी बैठकें:

6.1 बैंक की विगत तीन वार्षिक साधारण बैठकों का विवरण निम्नानुसार है :

5. Remuneration to the Directors:

The remuneration including traveling and halting expenses to Non Executive Directors is paid as decided per Government of India RBI guidelines.

5.1 The details of salary including incentives paid to the whole-time Directors of the Bank i.e Chairman & Managing Director and Executive Director during the year 2008-09 are as under:

At present the Bank does not have stock option plan for its directors.

5.2 The Non-Executive Directors are being paid sitting fee of Rs. 5000/- for attending each Board Meetings and Rs.2500/- for Committee Meetings. Sitting fees are, however, not paid to the Chairman and Managing Director, Executive Directors of the Bank and Government Nominee Directors, who is Government Officer.

6 General Body Meetings:

6.1 Particulars of past three Annual General Meetings of the Bank.

बैठक का स्वरूप Nature of Meeting	बैठक की तारीख Date & Time	स्थान Venue	प्रयोजन Purpose
चतुर्थ वार्षिक साधारण बैठक	शनिवार 8 जुलाई 2006 पूर्वाह्न 10.30 बजे	ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेन्टर, 1बी-201, सेक्टर-III, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता 700 106	31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के तुलनपत्र, लाभ हानि लेखा, निदेशकों की रिपोर्ट और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करने हेतु
Fourth Annual General Meeting	Saturday, 8 th July, 2006, 10.30 A.M.	Eastern Zonal Cultural Centre, IB-201, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700 106	To discuss the Balance Sheet , Profit & Loss Account, the Report of Board of Directors and the Auditors Report for the year ended 31 st March, 2006
पाँचवी वार्षिक साधारण बैठक	बुधवार 20 जून 2007 पूर्वाह्न 10.30 बजे	ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेन्टर, 1बी-201, सेक्टर-III, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता 700 106	31.03.2007 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के तुलनपत्र, लाभ-हानि लेखा, लेखों द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक के क्रियाकलाप के संबंध में निर्देशक मंडल की रिपोर्ट तथा लेखों एवं तुलन पत्र पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकरण तथा इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करना
Fifth Annual General Meeting	Wednesday, 20 th June, 2007, 10.30 A.M	Eastern Zonal Cultural Centre, IB-201, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700 106	To discuss, approve & adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31- 03-2007, Profit & Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2007, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts, the Auditor's Report and to Declare Dividend on Equity shares
छठी वार्षिक साधारण बैठक	सोमवार 16 जून 2008 पूर्वाह्न 10.30 बजे	ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेन्टर, 1बी-201, सेक्टर-III, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता 700 106	
Sixth Annual General Meeting	Monday, 16 th June, 2008, 10.30 A.M.	Eastern Zonal Cultural Centre, IB-201, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700 106	

6.2 पिछली तीन वार्षिक साधारण बैठकों में कोई विशेष संकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया। 01.04.2008 से 31.03.2009 की अवधि के दौरान डाक मतपत्र के द्वारा कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया।

6.2 No Special Resolutions were put through in the previous three Annual General Meetings. No Special Resolution passed through postal ballot during the period 01-04-2008 to 31-03-2009.

6.3 16.06.2008 को आयोजित पिछली वार्षिक साधारण बैठक में निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे।

6.3 The following Directors were present in the last Annual General Meeting held on 16-06-2008

श्री ए. सी. महाजन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Shri A C Mahajan Chairman & Managing Director

श्री श्री के.के. अग्रवाल, कार्यपालक निदेशक

Shri K.K.Agarwal Executive Director

श्री जे.पी. दूआ

कार्यपालक निदेशक

Shri J P Dua Executive Director

मोहम्मद ताहिर

भारिबैंक द्वारा नामित निदेशक

Shri Mohammad Tahir RBI Nominee Director

श्री अशोक जैन

सरकार नामिती, स. ले. निदेशक

Shri Ashok Jain Government Nominee C A Director

डा. शकील-उज़्-ज़मान अंसारी

सरकार द्वारा नामित निदेशक

Dr. Shakeel Uz-Zaman Ansari Government Nominee Director

श्री के. के. डोगरा

अधिकारी नामिती निदेशक

Shri K.K. Dogra Officers Nominee Director

श्री पी. वी. गुडिरेड्डी

सरकार द्वारा नामित निदेशक

Shri P V Gudireddy Govt. Nominee Director

7. प्रकटीकरण

बैंक ने पूँजी बाजार से संबंधित समस्त अपेक्षाओं का अनुपालन किया है तथा अन्य स्टॉक एक्सचेंजों अथवा सेबी या सांविधिक/विनियामक प्राधिकरण द्वारा पिछले तीन वर्षों में बैंक पर कोई अर्थदंड नहीं लगाया गया है और न ही इसकी आलोचना की गई है।

महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) से मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में लिस्टिंग करार के खंड 49 में निर्धारित प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया और बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

वर्ष 2008-09 हेतु कारपोरेट गवर्नन्स पर सांविधिक केन्द्रीय लेखा-परीक्षकों का प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट निदेशक रिपोर्ट का अंश है।

7.1 गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाएँ

गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का कार्यान्वयन निम्नानुसार है

7. Disclosures:

The Bank complied with all the requirements regarding capital market and has not been imposed with any penalty or stricture by the other Stock Exchanges or SEBI or by any Statutory / Regulatory Authority during the last three years.

Certificate as stipulated in Clause 49 of the Listing Agreement, has been obtained from General Manager (Finance & Accounts) in his capacity as Chief Finance Officer (CFO) and placed before the Board.

A certificate of the Statutory Central Auditors on Corporate Governance for the year 2008-09 is annexed to this report.

Management discussion and analysis report forms a part of the Director's Report .

7.1 Non-Mandatory Requirements

The extent of implementation of non-mandatory requirements is furnished hereunder

अपेक्षा REQUIREMENT	अनुपालन COMPLIANCE
कंपनी बोर्ड के सदस्यों को कंपनी के व्यवसाय मॉडल के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय पैरामीटरों के जोखिम प्रोफाइल, निदेशक के रूप में उत्तरदायित्वों और उन्हें बेहतर ढंग से निभाने के बारे में प्रशिक्षित करें Company may train Board members in the Business model of the Company as well as risk profile of the business parameters of the company, the responsibilities as Director and the best way to discharge them	आईबीए/बीटीसी/एनआईबीएम तथा अन्य अधिकृत संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निदेशक सदस्यों को प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाता है। The Director Members are nominated for training programs as and when organized by IBA/BTC/NIBM and other accredited institutions.

8. संप्रेषण के माध्यम

बैंक प्रौद्योगिकी और संचार माध्यमों के उन्नयन और विकास से समाज को मिलने वाले लाभों को मानता है और इसके साथ ही बैंक ने अपने हितधारकों को उनके संबंध में अन्य सूचनाएँ प्रदान करने की आवश्यकता को भी स्वीकार किया है। बैंक उन समस्त स्टॉक एक्सचेंजों को तिमाही/छमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम प्रेषित करता है जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं। इन्हें सांविधिक अपेक्षा के अनुसार एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में तथा एक कोलकाता स्थित क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है। वर्ष 2008-2008 के दौरान तिमाही वित्तीय परिणाम "फाइनेन्शियल एक्सप्रेस"(अंग्रेजी) "आजकल"(बंगला) सहित अग्रणी समाचारपत्रों में प्रकाशित किए गए थे। परिणामों को बैंक के वेबसाइट www.allahabadban.in पर भी प्रदर्शित किया गया।

9. शेयरधारकों हेतु साधारण सूचना

9.1 सातवी वार्षिक साधारण बैठक का विवरण

8.Means of Communication

The Bank appreciates the benefit accruing to the society with the advent and advancement of technology and means of communications and further recognized the need of keeping its stakeholders informed of the events of their interest. The quarterly/half yearly/ annual financial results of the Bank are informed to all the Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed. These are published in one national newspaper and one regional language newspaper based at Kolkata as per statutory requirement. During the year 2008-09, the quarterly financial results were published 'in leading newspapers "Financial Express"(English) and "Aaj Kaal"(Bengali). The results are also displayed on the web site of the Bank www.allahabadbank.in

9. General Shareholders Information:

9.1 Particulars of Seventh Annual General Meeting

दिन और तारीख Day & Date	सोमवार, 15 जून, 2009 Monday, 15 th June, 2009
समय Time	पूर्वाह्न 10.30 10.30 A.M.
स्थान Venue	ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, आई बी-201, सेक्टर-III, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता - 700106 Eastern Zonal Cultural Centre, IB-201, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700106

9.2 वित्तीय कलेंडर और परिणामों का प्रकाशन

बैंक का वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च है। निम्नलिखित तारीख को समाप्त अवधि हेतु तिमाही परिणामों का अनुमोदन

30 जून, 2009	- जुलाई, 2009 का अंत
30 सितम्बर 2009	- अक्टूबर, 2009 का अंत
31 दिसम्बर 2009	- जनवरी 2010 का अंत
31 मार्च 2010	- लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा
	- मई 2010

9.3 बुक क्लोजर की तारीख (लाभांश एवं एजीएम)

बुक क्लोजर - बृहस्पतिवार 21 मई, 2009 से सोमवार 15 जून 2009 (दोनों दिन शामिल हैं)

9.4 लाभांश भुगतान की तिथि: शुक्रवार, 10 जुलाई 2009

9.5 लिस्टिंग

9.5.1 स्टॉक एक्सचेंज में

9.2. Financial Calendar & Publication of Results (Tentative)

The Financial Year of the Bank is April to March
Approval of quarterly results for the period ending

June 30, 2009	- End July, 2009
September 30, 2009	- End October, 2009
December 31, 2009	- End January, 2010
March 31, 2010	- Audited Annual Accounts- May, 2010

9.3 Date of Book Closure (Dividend & AGM)

Book closure- Thursday, 21st May, 2009 to Monday, 15th June, 2009 (Both days inclusive)

9.4 Dividend Payment Date : Friday, 10th July, 2009

9.5 Listing

9.5.1 Listing on Stock Exchanges

स्टॉक एक्सचेंज Stock Exchange	स्टॉक कोड Stock Code	लिस्टिंग की तिथि Date of Listing
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) National Stock Exchange (NSE)	एएलबीके ALBK	27.11.2002
मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) Bombay Stock Exchange (BSE)	532480	27.11.2002
* कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज (सीएसई) * Calcutta Stock Exchange (CSE)	10011595	27.11.2002

वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क उपर्युक्त स्टॉक एक्सचेंजों को पहले ही विप्रेषित किया जा चुका है।

सीएसई में हमारे इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए इस बैठक में शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

9.5.2 अनुपालन अधिकारी

श्री ए.बी. भट्टाचार्य, महाप्रबंधक(वित्त एवं लेखा) को सेबी के विभिन्न प्रावधानों, अन्य सांविधिक प्राधिकारियों और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्धता करार का अनुपालन करने हेतु अनुपालन अधिकारी के रूप में नामांशित किया गया है।

9.5.3 शेयर अंतरण एवं निवेशक शिकायत निवारण

बैंक ने मे. एमसीएस लि. को रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के रूप में नियुक्त किया है जो निवेशकों की शिकायतों के समाधान, तथा पते में परिवर्तन, शेयरों का अंतरण/ प्रेषण, अधिदेश में परिवर्तन आदि के संबंध में शेयरधारकों के अनुरोध को दर्ज करता है। निवेशकों की सुविधा हेतु उनकी शिकायतें प्रधान कार्यालय, कोलकाता में भी स्वीकार की जाती हैं।

निवेशक अपने अनुरोध/शिकायतें या तो रजिस्ट्रार के पास अथवा बैंक में निम्नलिखित पते पर दर्ज कर सकते हैं:

The annual listing fee for the financial year 2009-10 has already been remitted to the above Stock Exchanges.

* It is proposed to de-list our equity shares from CSE, for which approval of the shareholders has been sought in this meeting.

9.5.2 Compliance Officer

Shri A.B. Bhattacharjee General Manager (F&A) has been designated as the Compliance Officer for complying with various provisions of SEBI, other statutory authorities and Listing Agreements with Stock Exchanges.

9.5.3 Share Transfer and Redressal of Investors' Grievance

The Bank has appointed M/s MCS Ltd. as the Registrar and Share Transfer Agent for recording the shareholders, requests, resolution of investors' grievances amongst other activities connected with the change of address, transfer/transmission of shares, change of mandate etc. For the convenience of the investors grievance/ complaints from them are also accepted at the Bank' Head Office in Kolkata.

The investors may lodge their requests/complaints either with the Registrar or with the Bank at the following address:-

एमसीएस लि.
77/2ए, हाजरा रोड,
कोलकाता-700029
टेली: 033-24767350 से 54,
033-24541892
फैक्स: 033-24541961, 24747674
ईमेल: mcscal@cal2.vsnl.net.in अथवा
allahabadbank.grievance@yahoo.co.in
MCS Ltd.
77/2A, Hazra Road,
Kolkata-700029
Tel; 033-24767350- to 54, 033-24541892
Fax : 033-24541961,24747674
Email: mcscal@cal2.vsnl.net.in OR
allahabadbank.grievance@yahoo.co.in

कंपनी सचिव
शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष
इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय
2, नेताजी सुभाष रोड
कोलकाता-700 001
टेली: 033-22420878
फैक्स: 033-22107424
ईमेल: investors.grievance@allahabadbank.in

The Company Secretary
Share Deptt.& Investors' Grievance Cell
Allahabad Bank, Head Office
2, Netaji Subhas Road
Kolkata-700 001
Tele: 033-22420878
Fax: 033-22107424
Email: investors.grievance@allahabadbank.in

9.6 शेयर अंतरण प्रणाली

सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशकगण एक साथ शेयरों के अंतरण सह डिमेटरियलाइजेशन की सुविधा अपना सकते हैं। शेयरों के हस्तांतरण के बाद रजिस्ट्रार एवं हस्तांतरण एजेंट हस्तांतरिती को हस्तांतरण की सूचना भेजेगा। हस्तांतरितियों को यह अवगत कराया जाता है कि वे इसे डिमेटरियलाइजेशन हेतु अपने अनुरोध डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को प्रस्तुत करें। डिमेट हेतु अनुरोध प्राप्त होने पर शेयरों को डिमेटरियलाइज कर दिया जाता है। यदि 30 दिनों के अंदर डिमेट हेतु अनुरोध प्राप्त नहीं होता है तो हस्तांतरित शेयर प्रमाणपत्र हस्तांतरिती को भौतिक रूप में भेज दिया जाता है।

9.7 शेयर धारण का स्वरूप (31.03.2009 को यथास्थिति)

9.6 Share Transfer System.

As per SEBI guidelines, investors can avail the facility of simultaneous transfer-cum-dematerialization of shares. Registrar and Transfer Agent, on transfer of shares, would be sending the intimation of transfer to the transferee. Transferees are apprised to submit their request for de-materialization to their Depository Participant. On receipt of Demat request, the shares are dematerialized. If the demat request is not received within a period of 30 days, the transferred share certificate is dispatched to the transferee in physical form.

9.7 Shareholding Pattern (as on 31.03.2009)

विवरण Description	धारकों की संख्या No. of Holders	धारित शेयरों की संख्या No. of shares held	इक्विटी का % % to equity
भारत सरकार Government of India	1	246700000	55.23
भारतीय जीवन बीमा निगम Life Insurance Corporation of India	1	52016926	11.64
बीमा कंपनियाँ Insurance Companies	14	4782019	1.08
भारतीय म्यूचुअल फंड Indian Mutual Funds	16	5685376	1.27
वित्तीय संस्थाएँ / बैंक Financial Institutions /Banks	12	2005123	0.45
विदेशी संस्थागत निवेशक (विदेशी वित्तीय संस्थाएँ) Foreign Institutional Investors (Foreign Financial Institutions)	60	45809240	10.25
निगमित निकाय Bodies Corporate	1828	18189261	4.07
अनिवासी भारतीय Non Resident Indians	611	410252	0.09
कर्मचारियों सहित निवासी व्यक्ति Resident Individuals including Employees	207362	71101803	15.92
कुल / TOTAL	209905	446700000	100.00

9.8 31.03.2009 को शेयर धारिता का वितरण

श्रेणी Category	शेयर की संख्या No of shareholders	धारक संख्या No of holders	शेयर का प्रतिशत Percent of Shares	धारक का प्रतिशत Percent of holders
1 to 500	34574461	182199	7.74	86.80
501 to 1000	13976215	19681	3.13	9.38
1001 to 2000	7058976	4876	1.58	2.32
2001 to 3000	3021928	1231	0.68	0.59
3001 to 4000	1896020	534	0.42	0.25
4001 to 5000	1441531	308	0.32	0.15
5001-10000	3744684	511	0.84	0.24
10001-50000	8464854	400	1.90	0.19
50001-100000	4533117	58	1.01	0.03
100001 and above	367988214	107	82.38	0.05
कुल / TOTAL	446700000	209905	100.00	100.00

9.8 Distribution of shareholding as on 31-03-2009

9.9 शेयरों का डिमैटरियलाइजेशन

व्यापार हेतु बैंक के शेयर अनिवार्य रूप से डिमैट फॉर्म में उपलब्ध हैं। बैंक के इक्विटी शेयरों आईएसआईएन कोड है **INE428A01015**.

बैंक के इक्विटी शेयरों का 31.03.2009 को यथास्थिति 426629790 शेयर, जो इक्विटी शेयरों का 95.51% है, को डिमैटरियलाइज किया गया।

31.03.2009 को यथास्थिति शेयरधारकों द्वारा डिमैट और फिजिकल फॉर्म में रखे गए शेयरों का विवरण निम्नानुसार है।

9.9 Dematerialization of shares

The Bank's shares are compulsorily traded in demat form. The ISIN code of Bank's Equity Shares is **INE428A01015**.

As on 31-03-2009, 426629790 shares constituting 95.51% of the equity shares are in dematerialized form.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by the shareholders as on 31-03-2009 are as under:

	शेयरधारकों की संख्या No of shareholders	शेयरों की संख्या No. of shares	शेयरधारिता का % % of shareholding
फिजिकल / PHYSICAL	62979	20070210	4.49
डिमैट / DEMAT			
एनएसडीएल / NSDL	111592		
सीडीएसएल / CDSL			
भारत सरकार / Govt. of India)	1	166823626	37.35
अन्य / Others	35333	246700000 13106164	55.23 2.93
कुल /TOTAL	209905	446700000	100.00

9.10 आज की तिथि में कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या अन्य कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट बकाया नहीं है।

9.10 There is no outstanding GDRs /ADRs /Warrants or any Convertible instruments as on date.

9.11 इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (ईसीएस)

इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (ईसीएस) लाभांश के भुगतान की एक नई विधि है जिसमें निवेशक की रकम सीधे उसके बैंक खाते में जमा की जा सकती है। बैंक ने अपने शेयरधारकों को 15 केन्द्रों में, जहाँ ईसीएस समाशोधन प्रणाली भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से प्रचालन में है, इस सुविधा का विकल्प दिया है।

ईसीएस मेन्डेट फॉर्म वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है जिसे फिजिकल शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों द्वारा रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट

9.11 Electronic Clearing Services (ECS)

Electronic Clearing Services (ECS) is a novel method of payment of Dividend, where the amount to the investors can directly be credited to his/ her Bank Account. The Bank has offered the services to the shareholders with an option to avail the facility at 15 centers where ECS Clearing System is operative through Reserve Bank of India.

The ECS mandate form is enclosed with the Annual Report, which may be sent to the Registrar & Share Transfer Agent by

को भेजा जाए। डिमटिरियलाइज रूप में शेयर रखने वाले शेयर धारक ईसीएस मन्डेट हेतु अपने डिपोजीटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क करें। शेयरधारक के कहने पर ईसीएस के माध्यम से लाभांश प्राप्त करने का विकल्प समाप्त किया जा सकता है।

वर्तमान में ईसीएस सुविधा निम्नलिखित 15 केन्द्रों पर उपलब्ध है: अहमदाबाद, बंगलौर, भुवनेश्वर, कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नै, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना एवं त्रिवेन्द्रम।

9.12 बाजार मूल्य डाटा/बैंक शेयरों का मूल्य निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज (सीएसई) में ट्रेडिंग किए गए शेयरों की मात्रा और मासिक उच्च एवं निम्न कोटेशनों का विवरण निम्नवत रहा:

माह / Month		एनएसई / NSE			बीएसई / BSE		
		उच्च	निम्न	मात्रा	उच्च	निम्न	मात्रा
		High (Rs)	Low (Rs)	Volume (No) (Total)	High (Rs)	Low (Rs)	Volume (No)
अप्रैल	April 08	86.80	72.00	12032525	85.30	74.00	3378340
मई	May 08	105.00	80.00	12783989	94.90	79.10	3742815
जून	June 08	81.30	54.70	18708466	81.50	54.70	6956922
जुलाई	July 08	67.80	53.00	19069369	65.70	53.10	7916285
अगस्त	Aug 08	68.00	58.55	13436338	70.00	56.80	4110534
सितम्बर	Sep 08	67.25	57.65	13991837	68.00	57.50	4477788
अक्टूबर	Oct 08	64.95	40.10	12929523	66.00	42.05	4162619
नवम्बर	Nov 08	57.95	44.50	9106628	57.60	44.05	3286353
दिसम्बर	Dec 08	55.00	45.20	13571137	52.50	45.20	7700826
जनवरी	Jan 09	57.35	48.45	15448510	57.85	48.40	4635540
फरवरी	Feb 09	50.30	39.30	7684820	50.40	39.25	2214190
मार्च	Mar 09	42.50	36.80	15722696	40.85	36.85	3302822

वर्ष 2008-09 के दौरान कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लि. में कोई लेनदेन नहीं हुआ।

There was no transaction during the year 2008-09 in The Calcutta Stock Exchange Association Ltd.

9.13 एस एंड पी सीएनएक्स निफ्टी की तुलना में बैंक के शेयरों का कार्यनिष्पादन निम्नवत है:

9.13 Performance of Bank's share in comparison with the movement of S & P CNX Nifty is shown hereunder:

दिनांक Date	एनएसई में बैंक के शेयरों का क्लोजिंग मूल्य Closing Share Price of Bank (Rs)	एस एंड पी सीएनएक्स निफ्टी S & P CNX Nifty
01-04-2008	76.65	5769.05
02-05-2008	86.95	6364.89
02-06-2008	79.25	5778.70
01-07-2008	53.60	4754.56
01-08-2008	60.15	5396.00
01-09-2008	61.90	5324.55
01-10-2008	62.60	4843.43
03-11-2008	51.70	3733.72
01-12-2008	47.10	3290.95
01-01-2009	53.20	3727.18
02-02-2009	48.95	3405.45
31-03-2009	38.80	3720.51

9.14 आचार संहिता

बैंक ने निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों हेतु प्रयोज्य “आचार संहिता” तैयार की है और इसे 17.10.2005 को आयोजित अपनी बैठक में बोर्ड द्वारा अंगीकृत किया गया है तथा यह बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.allahabadbank.in पर भी उपलब्ध है।

घोषणा

बैंक ने बोर्ड के सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन हेतु आचार संहिता निर्धारित की है और इसे बैंक की वेबसाइट पर भी डाला है।

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने आचार संहिता के अनुपालन की स्वीकारोक्ति दी है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

दिनांक : 04.05.2009
स्थान: कोलकाता

(के. आर. कामत)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

9.14 Code of Conduct

The Bank has framed the “Code of Conduct” applicable to the Board of Directors and Senior Management Personnel and the same has been adopted by the Board at its meeting held on 17-10-2005 and the same is available on the Bank’s website viz. www.allahabadbank.in

Declaration

The Bank has laid down Code of Conduct for all the Board members and Senior Management of the Bank and the same is posted on the Bank’s website.

The Board members and Senior Management have affirmed compliance with the Code of Conduct.

For and on behalf of the Board of Directors

Date: 04-05-2009
Place: Kolkata

(K. R. Kamath)
Chairman & Managing Director

लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

इलाहाबाद बैंक के शेयरधारकों के लिए

हमने स्टॉक एक्सचेंजों के साथ बैंक की सूचीबद्धता करार के खंड 49 में यथानिर्धारित के अनुसार 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष हेतु इलाहाबाद बैंक, कोलकाता के कारपोरेट गवर्नेंस की स्थितियों के अनुपालन की जाँच की है।

कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जाँच कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक के द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करना है।

हमारी राय में तथा हमारी उत्तम जानकारी में हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त सूचीबद्धता करार में निर्धारित कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है और यह भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं करता है।

हमें यह भी कहना है कि यह अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता हेतु आश्वासन है और न ही बैंक के कार्यनिष्पादन में प्रबंधन की कुशलता एवं प्रभावशीलता है।

कृते मे. रसूल सिंहल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
For M/S RASOOL SINGHAL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

पार्टनर
Partner
(कोशल कुमार)
(Kaushal Kumar)
सदस्यता सं./ Membership No. 011124

कृते मे. के.एस.बोथरा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
For M/S K S BOTHRA & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS

पार्टनर
Partner
(एस. एल. सेठ)
(S. L. Seth)
सदस्यता सं./ Membership No. 053261

कृते मे. आनंद रंगटा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
For M/S ANAND RUNGTA & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS

पार्टनर
Partner
(अरुण अग्रवाल)
(Arun Agarwal)
सदस्यता सं./ Membership No. 098486

दिनांक / Date : 4 मई / 4th May, 2009
स्थान/Place : कोलकाता/Kolkata

Auditors' Certificate

To The Shareholders of Allahabad Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Allahabad Bank, Kolkata for the year ended on 31st March 2009, as stipulated in clause 49 of the Listing Agreements of the Bank with Stock Exchange(s).

The compliance of Conditions of Corporate Governance is the responsibility of Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreements, to the extent these do not violate RBI guidelines.

We further state that such compliance is neither an assurance as to future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of Bank.

कृते मे. दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
For M/S DASS GUPTA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

पार्टनर
Partner
(अशोक कुमार जैन)
(Ashok Kr, Jain)
सदस्यता सं./ Membership No. 90563

कृते मे. वेंकट एंड रंगा
सनदी लेखाकार
M/S VENKAT & RANGAA
CHARTERED ACCOUNTANTS

पार्टनर
Partner
(एस. मनीशेखरण)
(S. Manisekaran)
सदस्यता सं./ Membership No. 26400

कृते मे. सुदित कुमार पारीख एंड कं.
सनदी लेखाकार
For M/s SUDIT K PAREKH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

पार्टनर
Partner
(श्रीकान्त वी. जिल्ला)
(Srikant V. Jilla)
सदस्यता सं./ Membership No. 39461

इ ला हा बा द बैंक ALLAHABAD BANK

31 मार्च, 2009 को यथास्थिति तुलन-पत्र
Balance Sheet as on 31st March, 2009

पूंजी और देयताएं CAPITAL & LIABILITIES	अनुसूची SCHEDULE	As on यथास्थिति 31.03.2009 (रु. हजार में) (Rs. in thousand)	As on यथास्थिति 31.03.2008 (रु. हजार में) (Rs. in thousand)
पूंजी / Capital	1	4,467,000	4,467,000
प्रारक्षितियां एवं अधिशेष / Reserves & Surplus	2	54,052,497	47,743,491
जमा राशियाँ / Deposits	3	849,717,887	716,163,831
उधार / Borrowings	4	9,370,367	17,919,987
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other Liabilities and Provisions	5	58,872,328	43,098,927
कुल / Total:		976,480,079	829,393,236
आस्तियाँ / ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	51,153,786	62,888,552
बैंकों में अतिशेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	15,213,849	7,532,410
विनिधान / Investments	8	296,510,497	234,002,500
अग्रिम / Advances	9	588,017,634	497,204,661
स्थिर आस्तियाँ / Fixed Assets	10	11,097,519	10,714,676
अन्य आस्तियाँ / Other Assets	11	14,486,794	17,050,437
कुल / Total:		976,480,079	829,393,236
आकस्मिक देयताएँ / Contingent Liabilities	12	468,597,298	555,354,645
संग्रहण के लिए बिल / Bills for Collection		17,265,336	14,108,445

निदेशक / Directors:

श्रीमती सुकृति लिखी / SMT. SUKRITI LIKHI

मोहम्मद ताहिर / MOHAMMAD TAHIR

श्री अशोक जैन / Shri. ASHOK JAIN

श्री के. के. डोगरा / Shri K K DOGRA

श्री वी. गुरुमूर्ति / Shri V GURUMURTHY

श्रीमती जोगिन्दर कौर / Smt JOGINDER KAUR

श्री पी. वी. गुडीरेड्डी / Shri P. V. GUDIREDDY

डॉ. शकील-उज़्ज़मान अंसारी / Dr. SHAKEEL-UZ-ZAMAN ANSARI

श्री डी के कपिला / Shri. D K KAPILA

अशोक कुमार महापात्र / Shri ASHOK KUMAR MOHAPATRA

के. आर. कामत

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

K. R. KAMATH

Chairman & Managing Director

जे. पी. दूआ

कार्यपालक निदेशक

J. P. DUA

Executive Director

ए. बी. भट्टाचार्य

महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

A. B. BHATTACHARJEE

General Manager

(Finance & Accounts)

एस. पी. बासु

सहायक महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

S. P. BASU

Assistant General Manager

(Finance & Accounts)

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

कृते मे. रसूल सिंहल एंड कं. सनदी लेखाकार For M/S. Rasool Singhal & Co. Chartered Accountants	कृते मे. दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार For M/S. Dass Gupta & Associates Chartered Accountants	कृते मे. के. एस. बोथरा एंड कं. सनदी लेखाकार For M/S. K. S. Bothra & Co. Chartered Accountants	कृते मे. वेंकट एंड रंगा सनदी लेखाकार For M/S. Venkat & Rangaa Chartered Accountants	कृते मे. आनन्द रंगटा एंड कं. सनदी लेखाकार For M/S. Anand Rungta & Co. Chartered Accountants	कृते मे. सुदित के पारीख एंड कं. सनदी लेखाकार For M/S. Sudit K Parekh & Co., Chartered Accountants
(कोशल कुमार) पार्टनर सदस्यता सं. 011124 (Kaushal Kumar) Partner Membership No. 011124	(अशोक कु. जैन) पार्टनर सदस्यता सं. 90563 (Ashok Kr. Jain) Partner Membership No. 90563	(एस.एल. सेठ) पार्टनर सदस्यता सं. 053261 (S. L. Seth) Partner Membership No. 053261	(एस मणिशेखरन) पार्टनर सदस्यता सं. 26400 (S. Manisekaran) Partner Membership No. 26400	(अरुण अग्रवाल) पार्टनर सदस्यता सं. 098486 (Arun Agarwal) Partner Membership No. 098486	(श्रीकान्त वी. जिल्ला) पार्टनर सदस्यता सं. 39461 (Srikant V. Jilla) Partner Membership No. 39461

दिनांक : 4 मई, 2009

स्थान : कोलकाता

Date : 4th May, 2009

Place : Kolkata

इ ला हा बा द बैं क ALLAHABAD BANK

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ एवं हानि खाता
Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2009

	अनुसूची Schedule	वर्षान्त / Year ended 31.03.2009 (रु. हजार में) (Rs. in thousand)	वर्षान्त / Year ended 31.03.2008 (रु. हजार में) (Rs. in thousand)
I आय / INCOME			
अर्जित ब्याज / Interest earned	13	73,647,278	61,712,159
अन्य आय / Other income	14	11,419,243	9,647,573
कुल / Total :		85,066,521	71,359,732
II व्यय / EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज / Interest expended	15	52,060,613	44,988,795
परिचालन व्यय / Operating expenses	16	13,994,384	11,575,834
प्रावधान और आकस्मिक व्यय / Provisions & contingencies		11,325,543	5,047,679
कुल / Total :		77,380,540	61,612,308
III निवल लाभ / Net Profit		7,685,981	9,747,424
अग्रानीत शेष / Balance brought forward		998,746	1,024,989
कुल / Total :		8,684,727	10,772,413
IV विनियोजन / APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षितियों को अंतरण / Transfer to Statutory Reserve		1,930,000	2,450,000
राजस्व आरक्षित को अन्तरण / Transfer to Revenue Reserve		2,100,285	5,300,000
आरक्षित पूंजी-अन्य को अंतरण / Transfer to Capital Reserve - Others		2,286,974	101,416
विशेष आरक्षित को अंतरण (आयकर अधिनियम, 1961 के 36 (I)(viii) के अनुसार)			
Transfer to Special Reserve (in terms of Sec 36(I)(viii) of I.T. Act 1961)		100,000	100,000
आईआरएस आरक्षित को/से अंतरण / Transfer to / from IRS Reserve		Nil	(6,907)
प्रस्तावित लाभांश / Proposed Dividend		1,116,750	1,563,450
लाभांश पर कर / Tax on Dividends		189,792	265,708
तुलन पत्र में अग्रणीत शेष / Balance carried to Balance Sheet		960,926	998,746
कुल / Total :		8,684,727	10,772,413
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ/Significant Accounting Policies	17		
लेखा टिप्पणियाँ/ Notes on Accounts	18		
प्रति शेयर अर्जन/ Earnings per share (Rs.)		17.21	21.82
ऊपर संदर्भित अनुसूचियाँ लेखों का महत्वपूर्ण अंग है The schedules referred to above form an integral part of the accounts			

निदेशक / Directors:

श्रीमती सुकृति लिखी / SMT. SUKRITI LIKHI
मोहम्मद ताहिर / MOHAMMAD TAHIR
श्री अशोक जैन / Shri. ASHOK JAIN
श्री के. के. डोगरा / Shri K K DOGRA
श्री वी. गुरुमूर्ति / Shri V GURUMURTHY
श्रीमती जोगिन्दर कौर / Smt JOGINDER KAUR
श्री पी. वी. गुडीरेड्डी / Shri P. V. GUDIREDDY

के. आर. कामत
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
K. R. KAMATH
Chairman & Managing Director

जे. पी. दूआ
कार्यपालक निदेशक
J. P. DUA
Executive Director

ए. बी. भट्टाचार्य
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
A. B. BHATTACHARJEE
General Manager
(Finance & Accounts)

एस. पी. बासु
सहायक महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
S. P. BASU
Assistant General Manager
(Finance & Accounts)

डॉ. शकील-उज्जमान अंसारी / Dr. SHAKEEL-UZ-ZAMAN ANSARI
श्री डी के कपिला / Shri. D K KAPILA
अशोक कुमार महापात्र / Shri ASHOK KUMAR MOHAPATRA

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते मे. रसूल सिंहल एंड कं. सनदी लेखाकार For M/S. Rasool Singhal & Co. Chartered Accountants	कृते मे. दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार For M/S. Dass Gupta & Associates Chartered Accountants	कृते मे. के. एस. बोथरा एंड कं. सनदी लेखाकार For M/S. K. S. Bothra & Co. Chartered Accountants	कृते मे. वेंकट एंड रंगा सनदी लेखाकार For M/S. Venkat & Rangaa Chartered Accountants	कृते मे. आनन्द रंगटा एंड कं. सनदी लेखाकार For M/S. Anand Rungta & Co. Chartered Accountants	कृते मे. सुदित के पारीख एंड कं. सनदी लेखाकार For M/S. Sudit K Parekh & Co., Chartered Accountants
(कौशल कुमार) पार्टनर सदस्यता सं. 011124 (Kaushal Kumar) Partner Membership No. 011124	(अशोक कु. जैन) पार्टनर सदस्यता सं. 90563 (Ashok Kr. Jain) Partner Membership No. 90563	(एस.एल. सेठ) पार्टनर सदस्यता सं. 053261 (S. L. Seth) Partner Membership No. 053261	(एस मणिशेखरन) पार्टनर सदस्यता सं. 26400 (S. Manisekaran) Partner Membership No. 26400	(अरुण अग्रवाल) पार्टनर सदस्यता सं. 098486 (Arun Agarwal) Partner Membership No. 098486	(श्रीकान्त वी. जिल्ला) पार्टनर सदस्यता सं. 39461 (Srikant V. Jilla) Partner Membership No. 39461

दिनांक : 4 मई, 2009
स्थान : कोलकाता
Date : 4th May, 2009
Place : Kolkata

इ ला हा बा द बैंक
ALLAHABAD BANK

नकदी प्रवाह विवरण-पत्र
Cash Flow Statement

(रु. हजार में)(Rs. in thousand)

विवरण / Particulars	2008-09		2007-08	
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash Flow from Operating Activities				
वर्ष के दौरान अग्रिमों, विनिधानों आदि से प्राप्त ब्याज Interest received during the year from Advances, Investments etc.	73647279		62796677	
अन्य आय / Other Income	11369958	85017237	8511361	71308038
घटाएं / Less:				
वर्ष के दौरान जमा राशियों पर प्रदत्त ब्याज Interest paid during the year on Deposits	-48855948		43059785	
प्रावधान एवं आकस्मिकताओं सहित परिचालन व्यय Operating Expenses including Provisions & Contingencies	-25319927	-74175875	16623513	59683298
जोड़ें: / Add:				
स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास / Depreciation on Fixed Assets		563187		531484
a. परिचालनों से सृजित नकद लाभ (परिचालनगत आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व) Cash Profit generated from operations (prior to changes in operating assets and liabilities)		11404549		12156224
b. देयताओं में वृद्धि (कमी) Increase (Decrease) in Liabilities				
जमा राशियां / Deposit	133554056		120727251	
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other Liabilities & Provisions	5774870		5752365	
		139328926		126479616
c. आस्तियों में कमी (वृद्धि) / Decrease (Increase) in Assets :				
अग्रिम / Advances	-90812973		-84304312	
निवेश / Investments	-62507997		-46541783	
अन्य आस्तियां / Other Assets	2563642	-150757328	-757085	-131603180
क. परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह A. Net Cash Flow from Operating Activities (a+b+c)		-23853		7032660
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash Flow from Investing Activities				
स्थिर आस्तियों का विक्रय/निपटान / Sale/disposal of fixed assets	5078		5093	
स्थिर आस्तियों का क्रय / Purchase of fixed assets	-951108		-688131	

नकदी प्रवाह विवरण-पत्र (जारी...) / Cash Flow Statement (Contd....)

विवरण / Particulars	2008-09		2007-08	
ख निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह B Net Cash Flow from Investing Activities		-946030		-683038
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash Flow from Financing Activities				
उधार / Borrowings	-8549620		15348513	
उधार पर प्रदत्त व्याज / Interest Paid on Borrowings	-3204665		-1929010	
लाभांश (कर सहित) / Dividends (including tax)	-1829159		-1567850	
शेयरों का सार्वजनिक निर्गम / Public issue of Shares	शून्य / Nil		शून्य / Nil	
टियर II बांड का निर्गम एवं बेमियादी ऋण	10500000		5000000	
Issue of Tier II Bonds & Perpetual Debt	शून्य / Nil		-2200000	
उपऋण का प्रतिदान / Redemption of Sub Debt				
ग वित्तपोषण गतिविधियों से सृजित निवल नकदी प्रवाह C Net Cash generated from Financing Activities		-3083444		14651653
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह (क+ख+ग) Total Cash Flow during the year (A+B+C)		-4053327		21001275
विवरण / Particulars				
घ वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य D Cash and Cash equivalent at the beginning of the year				
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी तथा अतिशेष	62888552		40679399	
Cash and Balances with RBI				
बैंकों में अतिशेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन	7532410		8740288	
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice				
कुल / Total	70420962		49419687	
ड वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य E Cash and Cash equivalent at the end of the year				
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और अतिशेष	51153786		62888552	
Cash and Balances with RBI				
बैंकों में अतिशेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन	15213849		7532410	
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice				
कुल / Total	66367635		70420962	
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह (ड-घ) / Total Cash Flow during the year (E-D)		-4053327		21001275

निदेशक / Directors:

श्रीमती सुकृति लिखी / SMT. SUKRITI LIKHI

मोहम्मद ताहिर / MOHAMMAD TAHIR

श्री अशोक जैन / Shri. ASHOK JAIN

श्री के. के. डोगरा / Shri K K DOGRA

श्री वी. गुरुमूर्ति / Shri V GURUMURTHY

श्रीमती जोगिन्दर कौर / Smt JOGINDER KAUR

श्री पी. वी. गुडीरेड्डी / Shri P. V. GUDIREDDY

डॉ. शाकील-उज़्-ज़मान अंसारी / Dr. SHAKEEL-UZ-ZAMAN ANSARI

श्री डी के कपिला / Shri. D K KAPILA

अशोक कुमार महापात्र / Shri ASHOK KUMAR MOHAPATRA

के. आर. कामत

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

K. R. KAMATH

Chairman & Managing Director

जे. पी. दूआ

कार्यपालक निदेशक

J. P. DUA

Executive Director

ए. बी. भट्टाचार्य

महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

A. B. BHATTACHARJEE

General Manager

(Finance & Accounts)

एस. पी. बासु

सहायक महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

S. P. BASU

Assistant General Manager

(Finance & Accounts)

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

कृते मे. रसूल सिंहल एंड कं.
सनदी लेखाकार
For **M/S. Rasool Singhal & Co.**
Chartered Accountants

(कौशल कुमार)

पार्टनर

सदस्यता सं. 011124

(Kaushal Kumar)

Partner

Membership No. 011124

कृते मे. दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
For **M/S. Dass Gupta & Associates**
Chartered Accountants

(अशोक कु. जैन)

पार्टनर

सदस्यता सं. 90563

(Ashok Kr. Jain)

Partner

Membership No. 90563

कृते मे. के. एस. बोथरा एंड कं.
सनदी लेखाकार
For **M/S. K. S. Bothra & Co.**
Chartered Accountants

(एस.एल. सेठ)

पार्टनर

सदस्यता सं. 053261

(S. L. Seth)

Partner

Membership No. 053261

कृते मे. वेंकट एंड रंगा
सनदी लेखाकार
For **M/S. Venkat & Rangaa**
Chartered Accountants

(एस मणिशेखरन)

पार्टनर

सदस्यता सं. 26400

(S. Manisekaran)

Partner

Membership No. 26400

कृते मे. आनन्द रंगटा एंड कं.
सनदी लेखाकार
For **M/S. Anand Rungta & Co.**
Chartered Accountants

(अरुण अग्रवाल)

पार्टनर

सदस्यता सं. 098486

(Arun Agarwal)

Partner

Membership No. 098486

कृते मे. सुदित के पारीख एंड कं.
सनदी लेखाकार
For **M/S. Sudit K Parekh & Co.,**
Chartered Accountants

(श्रीकान्त वी. जिला)

पार्टनर

सदस्यता सं. 39461

(Srikant V. Jilla)

Partner

Membership No. 39461

दिनांक : 4 मई, 2009

स्थान : कोलकाता

Date : 4th May, 2009

Place : Kolkata

अनुसूची	SCHEDULE	
	यथास्थिति As on 31.03.2009 (रु. हजार में) (Rs. in thousand)	यथास्थिति As on 31.03.2008 (रु. हजार में) (Rs. in thousand)
अनुसूची 1 - पूँजी		
SCHEDULE 1 - CAPITAL		
प्राधिकृत पूँजी / AUTHORISED CAPITAL		
रु. 10/- प्रत्येक के 150,00,00,000 इक्विटी शेयर 150,00,00,000 Equity Shares of Rs. 10/- each	15,000,000	15,000,000
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी		
ISSUED, SUBSCRIBED & PAID UP CAPITAL		
केन्द्र सरकार द्वारा धारित रु. 10/- प्रत्येक के 24,67,00,000 इक्विटी शेयर 24,67,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each held by Central Government	2,467,000	2,467,000
जनता एवं अन्य द्वारा धारित रु. 10/- प्रत्येक के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर 20,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each held by Public & Others	2,000,000	2,000,000
कुल / Total :	4,467,000	4,467,000
अनुसूची 2 - आरक्षितियां और अधिशेष		
SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS		
I. सांविधिक आरक्षितियां / Statutory Reserves		
i) अथशेष / Opening Balance	11,293,871	8,843,871
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	1,930,000	2,450,000
कुल / Total :	13,223,871	11,293,871
II. आरक्षित पूँजी / Capital Reserves		
A) पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियां / Revaluation Reserves		
i) अथशेष / Opening Balance	8,782,993	8,834,872
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	शून्य / NIL	शून्य / NIL
iii) वर्ष के दौरान कटौतियां / Deduction during the year	शून्य / NIL	शून्य / NIL
iv) लाभ एवं हानि लेखा में अंतरण / Transfer to Profit & Loss Account	(49,285)	(51,879)
कुल / Total :	8,733,708	8,782,993
B) स्थिर आस्तियाँ / Fixed Assets		
i) अथशेष / Opening Balance	103,251	103,251
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	शून्य / NIL	शून्य / NIL
iii) वर्ष के दौरान कटौतियां / Deduction during the year	शून्य / NIL	शून्य / NIL
कुल / Total :	103,251	103,251
C) अन्य / Others		
i) अथशेष / Opening Balance	1,024,657	923,242
ii) लाभ हानि खाते से अंतरण / Transfer from Profit & Loss Account	2,286,975	101,415
कुल / Total :	3,311,632	1,024,657
कुल / Total : (A+B+C)	12,148,591	9,910,901

अनुसूची	SCHEDULE	
	यथास्थिति As on 31.03.2009 (रु. हजार में) (Rs. in thousand)	यथास्थिति As on 31.03.2008 (रु. हजार में) (Rs. in thousand)
अनुसूची 2 - आरक्षितियाँ और अधिशेष SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS		
III. राजस्व एवं अन्य आरक्षितियाँ / Revenue & Other Reserves		
i) अथशेष / Opening Balance	17,432,193	12,583,291
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	2,100,285	5,300,000
iii) वर्ष के दौरान कटौतियाँ / Deduction during the year	शून्य / NIL	(451,098)
कुल / Total :	19,532,478	17,432,193
IV. विशेष आरक्षिति / Special Reserve		
i) अथशेष / Opening Balance	800,000	700,000
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	100,000	100,000
कुल / Total :	900,000	800,000
V. विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन आरक्षिति/ Foreign Currency Translation Reserve		
i) अथशेष / Opening Balance	26,914	शून्य / NIL
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	11,200	26,914
iii) वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन / Deduction/Adj. during the year	(32,348)	शून्य / NIL
कुल / Total :	5,766	26,914
VI. (आईआरएस) आरक्षिति / Interest Rate Swap (IRS) Reserve		
i) अथशेष / Opening Balance	80,865	87,772
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	शून्य / NIL	शून्य / NIL
iii) वर्ष के दौरान कटौतियाँ / Deduction during the year	शून्य / NIL	(6,907)
कुल / Total :	80,865	80,865
VII. शेयर प्रीमियम / Share Premium		
i) अथशेष / Opening Balance	7,200,000	7,200,000
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	शून्य / NIL	शून्य / NIL
कुल / Total :	7,200,000	7,200,000
VIII. लाभ हानि खाते में शेष / Balance in Profit & Loss Account	960,926	998,746
कुल / Total : (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	54,052,497	47,743,491

अनुसूची	यथास्थिति As on 31.03.2009 (रु. हजार में) (Rs. in thousand)	SCHEDULE यथास्थिति As on 31.03.2008 (रु. हजार में) (Rs. in thousand)
---------	--	--

अनुसूची 3 - निक्षेप
SCHEDULE 3 - DEPOSITS

I. मांग निक्षेप / Demand Deposits		
i) बैंकों से / From Banks	1,082,601	955,114
ii) अन्य से / From Others	65,149,020	56,848,114
कुल / Total :	66,231,621	57,803,228
II. बचत बैंक निक्षेप / Savings Bank Deposits	227,743,903	200,284,194
III. मियादी निक्षेप / Term Deposits		
i) बैंकों से / From Banks	10,563,107	6,349,836
ii) अन्य से / From Others	545,179,256	451,726,573
कुल / Total :	555,742,363	458,076,409
कुल / Total : (I+II+III)	849,717,887	716,163,831
(i) भारत में स्थित शाखाओं के निक्षेप / Deposits of branches in India	848,103,370	715,716,368
(ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं के निक्षेप / Deposits of branches outside India	1,614,517	447,463
कुल / Total :	849,717,887	716,163,831

अनुसूची 4 - उधार
SCHEDULE 4 - BORROWINGS

I. भारत में उधार / Borrowings in India		
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India	शून्य / NIL	शून्य / NIL
(ii) अन्य बैंक / Other Banks	शून्य / NIL	12,850,000
(iii) अन्य संस्थाएँ एवं अभिकरण / Other Institutions and Agencies	741,921	256,242
कुल / Total :	741,921	13,106,242
II. भारत के बाहर उधार / Borrowings outside India	8,628,446	4,813,745
कुल / Total : (I+II)	9,370,367	17,919,987
उपर्युक्त I और II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार Secured borrowings included in I & II above	शून्य / NIL	शून्य / NIL

अनुसूची	यथास्थिति As on 31.03.2009 (रु. हजार में) (Rs. in thousand)	SCHEDULE यथास्थिति As on 31.03.2008 (रु. हजार में) (Rs. in thousand)
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं एवं प्रावधान		
SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I. संदेय बिल / Bills Payable	2,821,908	4,103,869
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter Office Adjustment (Net)	2,047,534	690,417
III. उपचित व्याज / Interest Accrued	3,241,705	4,178,589
IV. गौण ऋण-टियर II पूंजी / Subordinated Debt - Tier II Capital	22,619,000	18,619,000
V. गौण ऋण-अपर टियर II पूंजी / Subordinated Debt - Upper Tier II Capital	5,000,000	शून्य / NIL
VI. गौण नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत / Subordinated Innovative Perpetual Debt Instrument	1,500,000	शून्य / NIL
VII. आस्थगित कर देयताएं / Deferred Tax Liabilities	128,655	94,783
VIII. अन्य (प्रावधान सहित) / Others (including provisions)	21,513,526	15,412,270
कुल / Total :	58,872,328	43,098,928
अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष		
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. रोकड़ शेष / Cash in hand (विदेशी करेंसी नोट सहित) / (including foreign currency notes)	3,598,070	3,203,462
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष / Balances with Reserve Bank of India - चालू खाते में / - in Current Account	47,555,716	59,685,090
- अन्य खातों में / - in Other Accounts	शून्य / NIL	शून्य / NIL
कुल / Total :	51,153,786	62,888,552
अनुसूची 7 - बैंकों में अतिशेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन		
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
I. भारत में / In India		
(i) बैंकों में अतिशेष / Balances with Banks		
a) चालू खातों में / in Current Accounts	3,863,823	4,158,033
b) अन्य जमा खातों में / in Other Deposit Accounts	200,000	1,200,000
(ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन / Money at Call and Short Notice		
a) बैंकों में / with Banks	शून्य / NIL	शून्य / NIL
b) अन्य संस्थाओं में / with Other Institutions	शून्य / NIL	शून्य / NIL
कुल / Total : (I+II)	4,063,823	5,358,033
II. भारत के बाहर / Outside India		
(i) बैंकों में अतिशेष / Balances with Banks		
a) चालू खातों में / in Current Accounts	4,759,000	1,749,734
b) अन्य जमा खातों में / in Other Deposit Accounts	शून्य / NIL	शून्य / NIL
(ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन / Money at Call and Short Notice		
a) बैंकों में / With Banks	6,391,026	424,643
b) अन्य संस्थाओं में / With Other Institutions	शून्य / NIL	शून्य / NIL
कुल / Total : (i+ii)	11,150,026	2,174,377
कुल / Total : (I+II)	15,213,849	7,532,410

अनुसूची	यथास्थिति As on 31.03.2009 (रु. हजार में) (Rs. in thousand)	SCHEDULE यथास्थिति As on 31.03.2008 (रु. हजार में) (Rs. in thousand)
अनुसूची 8 - विनिधान		
SCHEDULE 8 - INVESTMENTS		
I भारत में विनिधान / Investments in India in		
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ / Government Securities	213,832,542	174,348,833
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other Approved Securities	2,931,273	4,311,487
iii. शेयर / Shares	2,539,737	3,761,859
iv. डिबेंचर और बंध पत्र / Debentures & Bonds	22,499,941	29,671,855
v. अनुषंगियों तथा/अथवा संयुक्त उपक्रमों में विनिधान Investments in Subsidiaries and/or Joint Ventures	876,205	876,205
vi. अन्य (म्युचुअल फंड, यूटीआई आदि) / Others (Mutual Funds, UTI etc.)	53,830,799	21,032,261
कुल / Total :	296,510,497	234,002,500
II. सकल विनिधान / Gross Investments	300,813,539	237,222,811
अवक्षय हेतु प्रावधान को घटाकर / Less: Provision for Depreciation	(4,303,042)	(3,220,311)
निवल विनिधान / Net Investments	296,510,497	234,002,500
III. भारत के बाहर विनिधान / Investments Outside India	शून्य / NIL	शून्य / NIL
कुल / Total : (I+III)	296,510,497	234,002,500
अनुसूची 9 - अग्रिम		
SCHEDULE 9 - ADVANCES		
A. i) क्रय किये गए एवं भुनाए गए बिल / Bills purchased and discounted	18,319,011	13,710,551
ii) नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण Cash Credits, Overdrafts and loans repayable on demand	242,985,154	225,668,231
iii) मियादी ऋण / Term Loans	326,713,469	257,825,879
कुल / Total :	588,017,634	497,204,661
B. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण पर अग्रिम सहित) Secured by tangible assets (includes advances against book debts)	458,386,177	384,388,678
ii) बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank/Government Guarantees	19,095,088	28,802,751
iii) अप्रतिभूत / Unsecured	110,536,369	84,013,232
कुल / Total :	588,017,634	497,204,661
C. I. भारत में अग्रिम / Advances in India		
i. प्राथमिकता क्षेत्र / Priority Sector	204,350,201	183,668,253
ii. सार्वजनिक क्षेत्र / Public Sector	68,314,454	54,770,724
iii. बैंक / Banks	2,078,114	2,323,648
iv. अन्य / Others	308,405,593	254,845,290
कुल / Total :	583,148,362	495,607,915
II. भारत से बाहर अग्रिम / Advances outside India		
बैंक से देय / a) Due from Bank	शून्य / NIL	शून्य / NIL
अन्य से देय / b) Due from others		
खरीदे एवं भुनाए गए बिल / i) Bill Purchased & Discounted	435,935	238,159
सामूहिक ऋण / ii) Syndicated Lone	शून्य / NIL	शून्य / NIL
अन्य / iii) Others	4,433,337	1,358,587
कुल / Total :	4,869,272	1,596,746
कुल / Total : (CI + CII)	588,017,634	497,204,661

अनुसूची	SCHEDULE	
	यथास्थिति As on 31.03.2009 (रु. हजार में) (Rs. in thousand)	यथास्थिति As on 31.03.2008 (रु. हजार में) (Rs. in thousand)
अनुसूची 10 - स्थिर आस्तियाँ		
SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS		
I. परिसर / Premises		
i) 31 मार्च पूर्व वर्ष की यथा स्थिति लागत/पुनर्मूल्यांकित राशि पर At cost / Revalued amount as on 31st March of the preceding year	9,798,010	9,668,392
ii) वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकित / Revalued during the year	शून्य / NIL	शून्य / NIL
iii) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	170,683	129,618
	<u>9,968,693</u>	<u>9,798,010</u>
iv) पिछले वर्ष के लेखे का समायोजन Deduction/Adjustment during the year	शून्य / NIL	शून्य / NIL
	<u>9,968,693</u>	<u>9,798,010</u>
v) बही मूल्य की तिथि को मूल्य ह्रास Depreciation to date on book value	(230,034)	(202,272)
	<u>9,738,659</u>	<u>9,595,738</u>
vi) पुनर्मूल्यन तिथि को मूल्य ह्रास Depreciation to date on revaluation	(347,979)	(298,694)
कुल / Total	<u>9,390,680</u>	<u>9,297,044</u>
II. अन्य स्थिर आस्तियाँ (फर्नीचर और फिक्सचर सहित) * Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)*		
i) पूर्व वर्ष 31 मार्च की यथास्थिति लागत At cost as on 31st March, of the preceding year	5,027,792	4,472,736
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	785,318	560,334
	<u>5,813,110</u>	<u>5,033,070</u>
iii) वर्ष के दौरान कटौती / Deduction during the year	(5,078)	(5,278)
	<u>5,808,032</u>	<u>5,027,792</u>
iv) घटाएं : पूर्व वर्ष के कारण समायोजन Less: Adjustment on account of previous year	(4,893)	(शून्य / NIL)
	<u>5,803,139</u>	<u>5,027,792</u>
v) तिथि को मूल्य ह्रास / Depreciation to date	(4,096,300)	(3,610,160)
कुल / Total	<u>1,706,839</u>	<u>1,417,632</u>
* अनुसूची-18 के बिन्दु सं. 4 (V) को भी देखें * Also refer to Point Nos. 4 (V) of Schedule-18		
कुल / Total : (I+II)	<u>11,097,519</u>	<u>10,714,676</u>

अनुसूची	यथास्थिति As on 31.03.2009 (रु. हजार में) (Rs. in thousand)	SCHEDULE यथास्थिति As on 31.03.2008 (रु. हजार में) (Rs. in thousand)
---------	--	--

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ

SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS

I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter Office Adjustment (Net)	शून्य / NIL	शून्य / NIL
II. प्रोद्भूत ब्याज / Interest Accrued	4,683,078	4,471,815
III. अग्रिम रूप में संदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर (निवल) Tax paid in advance/tax deducted at source (net)	3,166,645	3,233,829
IV. लेखन सामग्री एवं स्टाम्प / Stationery and Stamps	86,545	79,653
V. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियाँ Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	323	323
VI. अन्य (विविध देनदार एवं उचंचत) / Others (Sundries and Suspense)	6,550,203	9,264,817
कुल / Total :	14,486,794	17,050,437

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं

SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES

I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (अपीलाधीन विवादित आयकर मांगों सहित) Claims against the bank not acknowledged as debts (including disputed Income Tax demands under appeals)	9,723,572	7,118,585
II. अंशतः संदत्त निवेशों के लिए देयता / Liability for partly paid investments	1,600	1,600
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	368,889,046	488,796,902
IV. संघटकों की ओर से दी गई प्रत्याभूतियाँ Guarantees given on behalf of constituents		
i) भारत में / - in India	34,590,491	25,915,050
ii) भारत के बाहर / - outside India	2,174,509	2,150,397
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं Acceptances, endorsements and other obligations	52,598,771	30,413,179
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है Other items for which the Bank is contingently liable	619,309	958,932
कुल / Total :	468,597,298	555,354,645

अनुसूची	यथास्थिति As on 31.03.2009 (रु. हजार में) (Rs. in thousand)	SCHEDULE यथास्थिति As on 31.03.2008 (रु. हजार में) (Rs. in thousand)
---------	--	--

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

I) अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा / Interest/discount on advances / bills	54,943,880	44,598,303
II) निवेशों पर आय / Income on investments	18,493,570	16,694,696
III) भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	107,415	406,267
IV) अन्य / Others	102,413	12,893
कुल / Total :	73,647,278	61,712,159

अनुसूची 14 - अन्य आय

SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

I) कमीशन, विनिमय और दलाली / Commission, exchange & brokerage	4,793,905	3,841,905
II) निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ / Profit on sale of investments घटाएं: निवेशों के पुनर्मूल्यन पर हानि / Less: Loss on Revaluation of Investment (1,136,410)	6,863,377	5,335,158 (624,903)
III) भूमि, भवन तथा अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ Profit on Sale of Land, Building and Other Assets घटाएं: भूमि, भवन तथा अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि Less: Loss on sale of Land, Building & Other Assets	450 (34)	38 (224)
IV) विनिमय लेनदेनों पर लाभ / Profit on exchange transactions घटाएं: विनिमय लेनदेनों पर हानि / Less: Loss on exchange transactions	452,852 (8,971)	579,389 (41,635)
V) भारत में अनुषंगियों /कंपनियों तथा / अथवा संयुक्त उपक्रमों इत्यादि से लाभांश के रूप में अर्जित आय Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries/companies and / or joint ventures etc. in India.	56,783	219,056
VI) विविध आय / Miscellaneous Income	397,291	338,789
कुल / Total :	11,419,243	9,647,573

अनुसूची	SCHEDULE	
	यथास्थिति As on 31.03.2009 (रु. हजार में) (Rs. in thousand)	यथास्थिति As on 31.03.2008 (रु. हजार में) (Rs. in thousand)
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज		
SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED		
I) जमा राशियों पर ब्याज / Interest on deposits	48,855,948	43,059,785
II) भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज Interest on RBI/Inter bank borrowings	642,833	217,449
III) अन्य / Others	2,561,832	1,711,561
कुल / Total :	52,060,613	44,988,795
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय		
SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES		
I) कर्मचारियों को भुगतान तथा उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	8,739,384	6,898,806
II) भाड़ा, कर एवं रोशनी / Rent, Taxes and Lighting	1,359,285	1,238,693
III) मुद्रण और लेखन सामग्री / Printing and stationery	190,474	169,535
IV) विज्ञापन और प्रचार / Advertisement and publicity	142,287	154,100
V) बैंक की सम्पत्ति पर अवक्षय / Depreciation on Bank's property	563,187	531,485
VI) निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय / Directors' fees, allowances and expenses	10,290	8,998
VII) लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय / Auditors' fees and expenses (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) / (including branch auditors)	143,488	148,742
VIII) विधि प्रभार / Law charges	84,900	109,081
IX) डाक, तार, टेलीफोन आदि / Postages, Telegrams, Telephones etc.	227,799	180,560
X) मरम्मत और अनुरक्षण / Repairs and maintenance	245,325	213,820
XI) बीमा / Insurance	753,113	675,402
XII) अन्य व्यय / Other expenditure	1,534,852	1,246,612
कुल / Total :	13,994,384	11,575,834

अनुसूची - 17 महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. सामान्य :

- (i) वित्तीय विवरणियाँ सतत प्रतिष्ठान संकल्पना को अपनाते हुए पूर्ववर्ती लागत आधार पर तैयार की गई हैं और जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो सांविधिक प्रावधानों तथा मानक लेखा परंपराओं के अनुरूप हैं।
- (ii) वित्तीय विवरणियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक (भा.रि.बैंक) द्वारा आय अभिज्ञान, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण तथा अन्य संबंधित विषयों पर समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शी निर्देशों के अनुरूप भी हैं।

2. विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेन :

2.1 भारत के बाहर शाखाओं/कार्यालयों हेतु :

- i) विदेशी शाखाओं को 'नॉन-इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन्स' के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा उनके वित्तीय विवरणों को निम्नानुसार प्रदर्शित किया गया है।
 - ♦ मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक आस्ति एवं देयताएँ तथा आकस्मिक देयताएँ फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फेडाई) द्वारा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर दी जाने वाली अंतिम स्पोर्ट दरों पर।
 - ♦ राजस्व मदें फेडाई द्वारा संबंधित तिमाही की समाप्ति पर अधिसूचित तिमाही औसत अंतिम दर पर संपरिवर्तित की जाती हैं।
 - ♦ सभी परिणामी विनिमय अंतर को एक अलग खाते 'विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिज़र्व' में रखा जाता है।
- (ii) विदेश स्थित प्रतिनिधि कार्यालयों के परिचालनों को 'इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन्स' के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा उनके वित्तीय विवरणों की गणना निम्नानुसार की जाती है :
 - ♦ सभी मौद्रिक आस्ति एवं देयताएँ, गारंटियाँ, स्वीकृतियाँ, परांकन तथा अन्य प्रतिबद्धताएँ फेडाई के दिशानिर्देशानुसार प्रत्येक तिमाही के अंत में प्रचलित स्पोर्ट विनिमय दरों पर भारतीय रुपये में आँकी जाती हैं।
 - ♦ गैर-मौद्रिक मदें लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर आँकी जाती हैं।
 - ♦ राजस्व मदों की गणना लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर की जाती है।
 - ♦ सभी परिणामी विनिमय अंतरों को लाभ-हानि खाते में लिया गया है।
- (iii) अग्रिमों को भारतीय कार्यालयों में प्रचलित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। अग्रिमों के संबंध में प्रावधान स्थानीय विधि अपेक्षाओं अथवा भा.रि.बैंक के मानकों (जो भी अधिक हो) के अनुसार किया जाएगा।

2.2 भारत में शाखाओं हेतु

- (i) विदेशी मुद्रा शेष भले ही आस्ति अथवा देयताएँ हों (एफसीएनआर योजना, ईईएफसी योजना, आरएफसी योजना इत्यादि के अंतर्गत संग्रह की गई जमा राशियों सहित) और बकाया वायदा विनिमय संविदाओं को वर्ष के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा यथासूचित दरों पर संपरिवर्तित किया जाएगा।

Schedule 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. General:

- (i) The financial statements have been prepared by following the going concern concept on historical cost basis unless otherwise stated and are in conformity with the statutory provisions and Standard Accounting Practices in India.
- (ii) The financial statements also conform to the guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time in respect of income recognition, asset classification, provisioning and other related matters.

2. Transactions involving Foreign Exchange:

2.1 Branches / Offices outside India

- (i) Foreign Branches are classified as "Non-integral Foreign Operations" and their financial statements are translated as follows:
 - ♦ Both monetary and non-monetary Assets and Liabilities as well as Contingent Liabilities at the closing spot rates notified by the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) at the end of each quarter.
 - ♦ Revenue items are translated at the quarterly average closing rate notified by FEDAI at the end of respective quarter.
 - ♦ All resulting exchange difference is accumulated in a separate account 'Foreign Currency Translation Reserve'.
- (ii) Operations of representative offices abroad are classified as "Integral Foreign Operations" and their financial statements are accounted for as follows:
 - ♦ All monetary Assets and Liabilities, Guarantees, Acceptances, Endorsements and other obligations are translated to Indian rupee equivalent at the spot exchange rates prevailing at the end of each quarter as per FEDAI guidelines.
 - ♦ Non-monetary items are translated at exchange rate prevailing on the date of transaction.
 - ♦ Revenue items are accounted for at the exchange rates prevailing on the date of transaction.
 - ♦ All resulting exchange differences are accounted for in Profit & Loss Account.
- (iii) Advances will be classified under categories in line with those of Indian Offices. Provisions in respect of advances will be made as per the local law requirements or as per the norms of RBI, whichever is higher.

2.2 Branches in India

- (i) Foreign currency balances whether of assets or liabilities [including deposits mobilized under FCNR Scheme, EEFC Scheme, RFC Scheme etc.] and outstanding forward exchange contracts are converted at quarter end rates as advised by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI).

फेडाई के दिशानिर्देशानुसार वायदा विनिमय करार के पुनर्मूल्यन से जनित लाभ/हानि तथा नोस्ट्रो खातों को राजस्व के अंतर्गत दर्शाया जाता है।

- (ii) विदेशी मुद्रा से संबंधित आय तथा व्यय मदों को लेनदेन के दिन लागू विनियम रूलिंग दरों पर परिवर्तित किया जाता है।
- (iii) गारंटियों सहित स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों और अन्य दायित्वों का मूल्य वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा सूचित प्रचलित बाजार दर पर आंका जाता है।

3. निवेश :

- (i) बैंक का निवेश संविभाग भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तीन प्रवर्गों यथा 'परिपक्वता तक धारित', 'विक्रय हेतु उपलब्ध' तथा 'व्यापार हेतु धारित' में वर्गीकृत किया गया है।
- (ii) उपर्युक्त समस्त तीनों प्रवर्गों में किए गए निवेशों के प्रकटीकरण को छह समूहों यथा (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ, (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, (iii) शेयरों, (iv) डिबेंचर एवं बॉण्ड, (v) अनुषंगी संस्थाओं/संयुक्त उद्यम में निवेश तथा (vi) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड आदि में युनिट) में वर्गीकृत किया जाता है।
- (iii) 'परिपक्वता तक धारित' (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से इतर) के रूप में वर्गीकृत निवेश प्राप्ति लागत पर लिए जाते हैं। यदि प्राप्ति लागत अंकित मूल्य से अधिक हो तो अतिरिक्त राशि को परिपक्वता की शेष अवधि हेतु परिशोधित किया जाता है और इसके लिए निम्नानुसार प्रावधान किया जाता है :
 - ♦ अग्रिमों के लिए प्रयोज्य भारतीय रिजर्व बैंक के आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान के विवेकपूर्ण मानदंडों को लागू करते हुए अग्रिम स्वरूप के डिबेंचरों/बॉण्डों के मूल्य में अवक्षय।
 - ♦ अनुषंगी संस्थाओं/संयुक्त उद्यमों में निवेश के मूल्य में ह्रास, अस्थायी के अलावा।
- (iv) 'विक्रय हेतु उपलब्ध' के रूप में वर्गीकृत निवेशों को तिमाही अंतराल पर बाजार स्क्रिप-वार चिह्नित किया जाता है तथा परिणामी निवल अवक्षय को अभिज्ञात किया जाता है और यदि वृद्धि हो, तो उसे प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत अनदेखा किया जाता है। एकल स्क्रिप के बही मूल्य में ऊपर बताए हुए पुनर्मूल्यन के साथ परिवर्तन नहीं किया जाता है।
- (v) 'व्यापार हेतु धारित' रूप में वर्गीकृत निवेशों को स्क्रिप-वार मासिक अंतराल पर पुनर्मूल्यांकित किया जाता है तथा परिणामी निवल ह्रास को अभिज्ञात किया जाता है, यदि वृद्धि हो, तो उसे प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत अनदेखा किया जाता है। एकल स्क्रिप के बही मूल्य में ऊपर बताए अनुसार पुनर्मूल्यन के साथ परिवर्तन नहीं किया जाता है।
- (vi) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।
- (vii) अनुपयोज्य प्रतिभूतियों (जहाँ ब्याज/मूलधन 90 दिनों से अधिक की अवधि से बकाया हो) के मामले में आय अभिज्ञात नहीं की जाती है तथा आस्ति वर्गीकरण का विवेकपूर्ण मानदण्ड अपनाते हुए प्रतिभूतियों के मूल्य में अवक्षय हेतु समुचित प्रावधान किया जाता है और ऐसे अवक्षय को अन्य निष्पादक प्रतिभूतियों में वृद्धि के बदले सेट-आफ नहीं किया जाता है।

The resultant profit/loss on revaluation of forward exchange contracts and NOSTRO accounts is taken to revenue as per FEDAI guidelines.

- (ii) Income and Expenditure items relating to foreign currency are converted using the exchange rate prevailing as on the date of transaction.
- (iii) Acceptances, endorsements and other obligations including guarantees are stated at FEDAI advised rates prevailing at the end of each quarter.

3. Investments:

- (i) The investment portfolio of the Bank is classified in accordance with RBI guidelines under three categories viz. "Held to Maturity", "Available for Sale" and "Held for Trading".
- (ii) The disclosure of investments under all the three categories mentioned above is made under six groups viz. (a) Government securities (b) Other approved securities (c) Shares (d) Debentures & Bonds (e) Investment in Subsidiaries/joint ventures and (f) Others (commercial paper, units in Mutual Funds etc).
- (iii) Investments classified as 'Held to Maturity' (other than in Regional Rural Banks) are carried at acquisition cost. In case the acquisition cost is higher than the face value, the excess is amortized over the period remaining to maturity and provision is made for:
 - ♦ Depreciation in the value of debentures / bonds which are deemed to be in the nature of advances by applying the RBI prudential norms of asset classification and provisioning applicable to advances.
 - ♦ Diminution, other than temporary, in the value of investments in subsidiaries / joint ventures.
- (iv) Investments classified as "Available for Sale" are marked to market scrip-wise at quarterly intervals and resultant net depreciation is recognized and net appreciation, if any, is ignored under each classification. The book value of the individual scrip is not changed with the revaluation as indicated above.
- (v) Investments classified as "Held for Trading" are revalued scrip-wise at monthly interval and resultant net depreciation is recognized and net appreciation, if any, is ignored under each classification. The book value of the individual scrip is not changed with the revaluation as indicated above.
- (vi) Investments in Regional Rural Banks are valued at carrying cost.
- (vii) In respect of non-performing securities (where interest/principal is in arrears for more than 90 days) income is not recognized and appropriate provision is made for depreciation in the value of the securities by applying prudential norms of asset classification and such depreciation is not set-off against the appreciation in respect of other performing securities.

(viii) निवेशों की प्राप्ति की लागत :

- ♦ सब्सक्राइब की गई प्रतिभूतियों के मामले में प्रोत्साहन तथा कमीशन और फ्रंट - एंड शुल्क का निवल है ।
- ♦ कमीशन, दलाली, प्रतिभूति लेन-देन कर तथा स्टाम्प ड्यूटी शामिल नहीं है ।

(ix) निवेशों के विक्रय से प्राप्त लाभ/हानि को लाभ एवं हानि लेखा में अभिज्ञात किया जाता है । 'परिपक्वता तक धारित' वर्गीकरण में निवेशों के विक्रय से प्राप्त लाभ के समतुल्य राशि को पहले लाभ एवं हानि लेखा में लाया जाता है तत्पश्चात इसे 'पूँजी आरक्षित खाता' में विनियोग किया जाता है ।

(x) निवेशों के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु एफआईएमडीए/पीडीआई द्वारा प्रस्तुत स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन या दरों को अपनाया जाता है । ऐसे कोटेशनों/दरों के अभाव में बाजार मूल्य का निर्धारण एफआईएमडीए/पीडीआई अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार समुचित परिपक्वता प्रतिफल (वाईटीएम) दरों पर किया जाता है ।

(xi) भारतीय रिजर्व-बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न श्रेणी के स्वैप का मूल्यन निम्नानुसार किया जाता है ।

♦ हेज स्वैप

ब्याज दर स्वैप, जो ब्याज वाली आस्तियों और देयताओं का बचाव करती है, को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है उस आस्ति अथवा देयता हेतु नामोद्दिष्ट स्वैप को छोड़कर जिसे वित्तीय विवरणों में बाजार मूल्य पर अथवा लागत या बाजार मूल्य से कम मूल्य पर लिया जाता है ।

स्वैप के निरसन पर होने वाले लाभ अथवा हानि को स्वैप की संविदागत अवधि अथवा आस्तियों/देयताओं की शेष अवधि से कम पर अभिज्ञात किया जाता है ।

♦ ट्रेडिंग स्वैप

ट्रेडिंग स्वैप लेनदेनों को वित्तीय विवरणों में दर्ज परिवर्तनों के साथ बाजार से विहित किया जाता है

4. अग्रिम

- (i) अग्रिम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप उपयोग्य एवं अनुपयोग्य अग्रिमों में वर्गीकृत किए जाते हैं तथा अनुपयोग्य अग्रिमों हेतु प्रावधान के निवल के रूप में दर्शाए जाते हैं ।
- (ii) तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मानक अग्रिमों (उपयोग्य) हेतु किए गए प्रावधान को "अन्य देयताएँ एवं प्रावधान" के तहत शामिल किया जाता है ।

5. स्थिर आस्तियाँ

- (i) कतिपय परिसरों के अलावा, जिन्हें उनकी पुनर्मूल्यांकित राशि में दर्शाया गया है, अन्य परिसरों और अन्य स्थिर आस्तियों को उनकी पूर्ववर्ती लागत पर दर्शाया जाता है । पुनर्मूल्यन हेतु आस्तियों का चयन प्रणालीबद्ध पद्धति के आधार पर किया जाता है । पुनर्मूल्यन पर्याप्त नियमितता से किया जाता है ताकि इस प्रकार प्राप्त रकम और तुलन पत्र की तिथि पर बाजार मूल्य में ज्यादा अंतर न हो । बैंक के कुछ परिसरों के उचित मूल्य में सार्थक उतार-चढ़ाव देखे जाते हैं । अतएव, बार-बार मूल्यन की आवश्यकता महसूस की जाती है । तथापि, परिसरों की उन मदों हेतु पुनर्मूल्यन बार-बार नहीं किया जाता, जिनके उचित मूल्य में केवल नगण्य परिवर्तन होते हैं ।
- (ii) निर्माण अवधि के दौरान किए गए पूंजीगत व्यय को 'अन्य आस्तियाँ' के अंतर्गत शामिल किया जाता है ।

(viii) Cost of acquisition of investments:

- ♦ is net of incentives/commission and front-end fees received in case of securities subscribed, and
- ♦ excludes commission, brokerage, securities transaction tax and stamp duty.

(ix) Profit/loss on sale of investments is recognized in the Profit and Loss Account. An amount equivalent to the profit on sale of investments under "Held to Maturity" category is first taken to the Profit and Loss Account and thereafter, appropriated to the "Capital Reserve Account".

(x) For the purpose of determining market value of investments, Stock exchange quotations or rates put up by FIMMDA/PDAI are adopted. In absence of such quotations/rates, the market value is determined by applying appropriate Yield to Maturity rates as prescribed by FIMMDA / PDAI or as per norms laid down by the Reserve Bank of India.

(xi) As per RBI guidelines, the different categories of Swaps are valued as under:

♦ Hedge Swaps

Interest rate swaps which hedges interest bearing assets or liabilities are accounted for on accrual basis except the Swaps designated with an assets or liability that is carried at market value or lower of cost or market value in the financial statements. Gains or Losses on the termination of Swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the Swap or the remaining life of the assets / liabilities.

♦ Trading Swaps

Trading Swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.

4. Advances:

- (i) Advances are classified as performing and non-performing as per guidelines prescribed by RBI and are shown net of provisions for non-performing advances.
- (ii) The provision made for standard advances (performing) in terms of RBI guidelines is however included in "Other Liabilities and Provisions".

5. Fixed Assets:

- (i) Premises including Freehold and other Fixed Assets are stated at historical cost except certain premises, which are stated at their revalued amount. Selection of assets for revaluation is based on systematic basis. Revaluation is made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from the market value at the Balance Sheet date. Some of the Premises of the Bank experience significant and volatile changes in the fair value, thus necessitating frequent valuation. However, such frequent valuation is not done for items of Premises where the changes in fair value is insignificant.
- (ii) Capital expenditure incurred during construction period is included under 'Other Assets'.

- (iii) अवक्षय का प्रावधान, एएलपीएम एवं कम्प्यूटरों को छोड़कर, जहाँ भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप सीधी पद्धति 33.33% की दर से अवक्षय का प्रावधान है, कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर हासमान शेष पद्धति के आधार पर किया जाता है।
- (iv) पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के संबंध में पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप अतिरिक्त अवक्षय की राशि को आरक्षित पूंजी से लाभ व हानि लेख में अंतरित किया जाता है।
- (v) लीजहोल्ड भूमि पर प्रीमियम को लीज की अवधि में परिशोधित किया जाता है।
- (vi) विदेशी शाखाओं की स्थिर आस्तियों पर अवक्षय की गणना उस देश में प्रचलित कानून के अनुसार की जाती है।

6. अमूर्त आस्तियाँ (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर)

- (i) कम्प्यूटर हेतु सॉफ्टवेयर जो उस विशिष्ट सॉफ्टवेयर के बिना परिचालित नहीं हो सकता और संबद्ध हार्डवेयर का अभिन्न भाग है, तथा अचल आस्ति माना जाता है। जहाँ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है वहाँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को अमूर्त आस्ति माना जाएगा।
- (ii) वेंडरों से प्राप्त कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को तब अमूर्त आस्ति माना जायेगा जब सॉफ्टवेयर का मूल्य/लागत रु. 10.00 लाख से अधिक हो। इस प्रकार की अमूर्त आस्तियाँ उनकी क्रियाशील अवधि के दौरान अधिकतम 10 वर्ष की अवधि तक परिशोधित की जाती है।

7. गैर-बैंकिंग आस्तियाँ

दावों के निपटान में अभिगृहीत गैर-बैंकिंग आस्तियों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

8. कर्मचारी लाभ :

- (i) बैंक ने कर्मचारी लाभ के संबंध में अपनी देयताओं की मान्यता हेतु भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15(संशोधित)- कर्मचारी लाभ लागू किया है।
- (ii) पेंशन (नई), पेंशन (पुरानी), ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, अवकाश किराया सुविधा एवं बीमारी अवकाश जैसे दीर्घावधि कर्मचारी लाभों के प्रति देयता का निर्धारण वर्ष के अंत में स्वतंत्र बीमांककों द्वारा परियोजित इकाई प्रणाली का प्रयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा किया जाता है। इस प्रकार निर्धारित देयता पेंशन (नई) एवं ग्रेच्युटी के मामले में राशि दी जाती है तथा अन्य मामलों में प्रावधान की व्यवस्था की जाती है।
- (iii) भविष्य निधि के संबंध में, संबंधित अवधि हेतु अंशदान बतौर व्यय माना जाता है तथा उसे-लाभ एवं हानि खाते में लिया जाता है।
- (iv) अल्पावधि कर्मचारी लाभ को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में न भुनाई गई राशि में बतौर व्यय माना जाता है जिस वर्ष के दौरान संबंधित सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

9. आय और व्यय का अभिज्ञान

निम्नलिखित के अलावा आय-व्यय का हिसाब उपचय आधार पर किया जाता है

- i) अनुपयोज्य आस्तियों के रूप में वर्गीकृत अग्रिमों पर ब्याज तथा अन्य आय को वसूली की मात्रा तक अभिनिर्धारित किया जाता है।

- (iii) Depreciation is provided on diminishing balance method at the rates and the manner prescribed in Schedule XIV of the Companies Act, 1956 except that in respect of ALPMs and Computers, where depreciation is provided on straight line method @ 33.33% as per RBI guidelines.
- (iv) In respect of revalued assets, the amount of additional depreciation consequent to revaluation is transferred from Revaluation Reserve to the Profit & Loss Account.
- (v) Premium on leasehold land is amortized over the period of the lease.
- (vi) Depreciation on Fixed Assets of foreign branches is provided as per the applicable laws prevalent in that country.

6. Intangible Assets (Computer Software)

- (i) Software for a computer that cannot operate without that specific software is an integral part of related hardware and is treated as fixed assets. Where the software is not an integral part of the related hardware, computer software is recognised as an Intangible Asset.
- (ii) Computer software acquired from vendors is recognised as Intangible Asset only if the value /cost of the software is more than Rs.10 Lakhs. Such intangible assets are amortised over its effective life subject to a maximum period of ten years.

7. Non-Banking Assets:

Non-Banking Assets acquired in satisfaction of claims are stated at cost.

8. Employee Benefits:

- (i) The Bank has applied Accounting Standard 15(Revised) - Employees Benefits, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, for recognition of its liabilities in respect of employee benefits.
- (ii) Liability towards long term defined employee benefits - Pension (New), Pension (Old), Gratuity, Leave Encashment, Leave Fare Concession and Sick Leave are determined on actuarial valuation by independent actuaries at the year end by using Projected Unit Credit method. Liability so determined is funded in the case of Pension (New) and Gratuity, and provided for in other cases.
- (iii) In respect of Provident Fund, the contribution for the period is recognized as expense and charged to Profit & Loss account.
- (iv) Short term employee benefits are recognized as an expense at an undiscounted amount in the Profit and Loss Account of the year in which the related services are rendered.

9. Recognition of Income and Expenditure:

Income and Expenditure are accounted for on accrual basis other than those stated below:

- (i) Interest and Other Income on advances classified as non-performing assets are recognized to the extent realized.

- ii) आय कर की वापसी पर ब्याज से प्राप्त आय और ब्याज कर की गणना संबंधित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश जारी किए जाने वाले वर्ष में की जाती है।
- iii) फालो-ऑन पब्लिक आफर पर व्यय को आस्थगित राजस्व व्यय माना जाता है तथा उसे पांच वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जाता है।
- ii) Income from interest on refund of Income Tax and Interest Tax are accounted for in the year the order is passed by the concerned assessing officer.
- iii) Expenditure on Follow on Public Offer is considered as Deferred Revenue Expenditure and is amortized over a period of five years.

10. कराधान

- (i) कर हेतु प्रावधान चालू (न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) सहित) और आस्थगित दोनों करों हेतु किया जाता है। कर योग्य आय पर चालू कर का प्रावधान, प्रयोज्य कर दर और कर नियमों का प्रयोग करके किया जाता है। समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ और देयताएं, जो परवर्ती अवधि में प्रत्यावर्तन के योग्य हैं, तुलन पत्र की तिथि तक बनाए गए या बाद में बन जाने वाले कर नियमों और कर दरों का प्रयोग करके अभिज्ञात की जाती हैं। आस्थगित कर आस्तियाँ तब तक अभिज्ञात नहीं की जाती जब तक कि यह 'वास्तव में निश्चित' न हो जाए कि पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिससे आस्थगित कर आस्तियाँ वसूल की जाएंगी।
- (ii) न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) जमा को आस्ति के रूप में तभी माना जाएगा जब ऐसा पुष्ट प्रमाण हो कि कंपनी आय-कर अधिनियम 1961 के तहत निर्दिष्ट अवधि के अंदर सामान्य कर का भुगतान कर देगी।

11. निवल लाभ

निवल लाभ निम्नलिखित के परिकलन के पश्चात ही तय किया जाता है :

- (i) सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार आय कर (आस्थगित कर सहित), अनुषंगी लाभ कर तथा संपत्ति कर हेतु प्रावधान
- (ii) अग्रिमों/निवेशों पर प्रावधान
- (iii) निवेश मूल्य में समायोजन
- (iv) प्रावधानों तथा आकस्मिकताओं में अंतरण
- (v) अन्य सामान्य तथा आवश्यक प्रावधान

10. Taxation

- (i) Provision is made for both current tax (including Minimum Alternative Tax - MAT) and deferred tax. Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rate and tax laws. Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognised using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognised unless there is "virtual certainty" that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realised.
- (ii) Minimum Alternative Tax (MAT) credit is recognised as an asset only when and to the extent there is convincing evidence that the company will pay normal income tax during the period specified under the Income Tax Act 1961.

11. Net profit:

The net profit is arrived at after considering the following:

- (i) Provisions for Income Tax (including deferred tax), Fringe Benefit Tax and Wealth Tax in accordance with the statutory requirements.
- (ii) Provisions on advances / Investments.
- (iii) Adjustments to the value of investments.
- (iv) Transfer to Provisions and Contingencies.
- (v) Other usual and necessary provisions.

अनुसूची-18 लेखा टिप्पणियाँ

1. (i) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप उपयोज्य तथा अनुपयोज्य अग्रिमों हेतु पर्याप्त प्रावधान किया गया है।
- (ii) बैंक के वित्तीय स्थायित्व को मजबूत करने के उद्देश्य से 31.03.2009 को सकल अनुपयोज्य अग्रिमों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रावधान से अधिक रु. 48.00 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 48.00 करोड़) का अतिरिक्त विवेक सम्मत चल प्रावधान किया गया।
2. (i) अंतर शाखा समाधान के अंतर्गत प्रविष्टियों का आरंभिक मिलान 31.03.2009 तक किया गया है। शाखा समायोजन खाते में शेष के साथ तथा प्रधान कार्यालय तथा शाखाओं सहित शाखाओं की आपस में बेमेल प्रविष्टियों का समाधान कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुसार 30.09.2009 तक की अवधि की अंतर शाखा लेखा की नामे तथा जमा प्रविष्टियों के पृथक्करण तथा 31.03.2009 तक के शेष बकाया का परिणाम निवल जमा के रूप में रहा, अतः कोई प्रावधान अपेक्षित नहीं है।
- (ii) कुछ शाखाओं में जमा, अग्रिम एवं नोस्ट्रो खाते के संबंध में विवरणों की तैयारी/खातों के मिलान/समाधान का कार्य प्रगति पर है।

उक्त क्षेत्रों में हुई पर्याप्त प्रगति के मद्देनजर प्रबंधन का अभिमत है कि बैंक के लेखे पर समाधान का प्रभाव, अगर हो तो, तात्त्विक नहीं होगा।

3. विवादित मामलों में विभिन्न न्यायिक निर्णयों पर विचार करने के बाद आयकर हेतु (आस्थगित कर सहित) बैंक द्वारा रु. 750.05 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 449.65 करोड़) का प्रावधान पर्याप्त माना गया।
4. (i) (क) 31.03.1997, 31.03.2005 तथा 31.03.2007 को समाप्त हुए वर्ष में कतिपय परिसरों का पुनर्मूल्यांकन अनुमोदित मूल्यांककों की रिपोर्ट के आधार पर किया गया और क्रमशः रु.125.99 करोड़ (वाणिज्यिक एवं आवासीय), रु.370.08 करोड़ (वाणिज्यिक एवं आवासीय) तथा रु.298.32 करोड़ (वाणिज्यिक) के उध्वगामी संशोधन को पुनर्मूल्यन आरक्षित कोष में जमा किया गया। प्रत्येक वर्ष पुनर्मूल्यांकित परिसर पर मूल्यहास का परिकलन अवलिखित मूल्य पर किया जाएगा। पुनर्मूल्यांकन के कारण रु.4.93 करोड़ (विगत वर्ष में रु.5.19 करोड़) के अतिरिक्त मूल्यहास को पूंजी आरक्षितियों से अंतरित कर अनुसूची सं.14 (मद vii) में 'अन्य आय' शीर्ष के अंतर्गत विविध आय में दर्शाया गया है।
- (ii) जहाँ भूखंड की लागत उपलब्ध नहीं है, ऐसे मामलों में अवक्षय भूखंड तथा भवन की संमिश्र लागत पर निर्धारित किया गया है।
- (iii) जहाँ मूल लागत उपलब्ध नहीं है वहाँ पट्टा अवधि हेतु पट्टाधारित भूमि पर प्रीमियम का परिशोधन लागत आधार पर अथवा अवलिखित मूल्य पर किया गया है।
- (iv) निम्नांकित सम्पत्तियाँ हेतु पंजीकरण की औपचारिकताएँ पूरी की जानी हैं :-
क. रु. 0.86 करोड़ (पिछला वर्ष रु.14.56 करोड़)की 39 फ्लैट वाले 2 आवासीय सम्पत्तियाँ।
ख. रु. 0.31 करोड़ (पिछला वर्ष रु. 0.31 करोड़) की 2 पट्टाधारित सम्पत्तियाँ।

SCHEDULE - 18 NOTES ON ACCOUNTS

1. (i) Adequate provision has been made in respect of Performing and Non-performing Advances in terms of Reserve Bank of India (RBI) guidelines.
- (ii) Prudential Floating Provision of Rs.48.00 Crores (Previous Year Rs.48.00 Crores) is held as at 31.03.2009 in respect of gross Non-performing Advances over and above the minimum provision prescribed by RBI with a view to strengthen the financial stability of the Bank.
2. (i) Under Inter-Branch reconciliation, initial matching of entries has been done upto 31.03.2009. Reconciliation of unmatched entries with the balance in Branch Adjustment account and transactions between Head Office and branches including branches inter-se is in progress. Further, in terms of RBI's circular, segregation of debit and credit entries in Inter Branch Account pertaining to the period upto 30.09.2008 and remaining outstanding as on 31.03.2009 have resulted in net credit, hence no provision is required.
- (ii) At some branches, preparation of details / balancing / reconciliation of accounts relating to Deposits, Advances, Balances with Banks and NOSTRO Accounts are in progress.

Since substantial progress has been made in the above areas, the management is of the view that the impact of reconciliation, if any, on the accounts of the Bank will not be material.

3. The provision for income tax (including deferred tax) aggregating to Rs.750.05 Crores (previous year Rs. 449.65 Crores) held is considered adequate by the Bank after taking into consideration various judicial decisions on disputed issues.
4. (i) Certain premises were revalued on the basis of the reports of the approved valuers during the year ended on 31.03.1997, 31.03.2005 and 31.03.2007 and upward revision amounting to Rs. 125.99 Crores (commercial and residential), Rs.370.08 Crores (commercial and residential) and Rs. 298.32 Crores (commercial) respectively had been credited to Revaluation Reserve. Depreciation on Revalued premises is worked out each year on its written down value. Additional depreciation of Rs.4.93 Crores (previous year Rs.5.19 Crores) due to revaluation has been transferred from Revaluation Reserve Account and shown in Miscellaneous Income under the head "Other Income" included in Schedule No. 14 item (vii).
- (ii) Depreciation has been charged on composite cost of Land and Building, where cost of land is not available.
- (iii) Premium on leasehold land has been amortized over the period of lease, based on cost or written down value, where original cost is not available.
- (iv) For the following properties registration formalities are yet to be completed:
 - a. 2 residential properties consisting of 39 flats amounting to Rs.0.86 Crores (Previous year Rs.14.56 Crores).
 - b. 2 leasehold properties amounting to Rs. 0.31 Crores (previous year Rs.0.31 Crores).

(v) अमूर्त आस्तियों सहित अन्य आस्तियों का विवरण निम्नवत है :-

v) Other Assets include intangible Assets , details of which are as under.

(रु. करोड़ में) / (Rs. In crore)

विवरण / Particulars	2008-09	2007-08
अथ शेष / Opening Balance	12.85	0.00
वर्ष के दौरान जोड़ / Additions during the year	2.73	14.26
वर्ष के दौरान परिशोधित / Amortized during the year	3.20	1.41
इति शेष / Closing Balance	12.38	12.85

5. (i) रु.0.44 करोड़ (विगत वर्ष रु.0.44 करोड़) के अंकित मूल्य के निवेशों के संबंध में बैंक को अभी स्क्रिप्स/सर्टिफिकेट प्राप्त करने हैं।
- (ii) शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी से जुड़े म्युचुअल फंड/ वेंचर कैपिटल फंड की यूनिटों सहित शेयरों के सापेक्ष अग्रिम में कुल निवेश रु. 657.24 करोड़ (विगत वर्ष रु. 660.29 करोड़) रहा।
- (iii) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार रु. 228.70 करोड़ (विगत वर्ष रु. 10.14 करोड़) की राशि, जो कि "हेल्ड टू मैच्यूरिटी" श्रेणी प्रतिभूतियों की बिक्री से होने वाले लाभ की समान राशि है, को पूंजी प्रारक्षित खाते में अंतरित किया गया है।
- (iv) जैसा कि महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 3(सी)(i) में उल्लिखित है, "हेल्ड टू मैच्यूरिटी" श्रेणी के मामले में वर्ष के दौरान परिशोधित प्रतिभूति के अंकित मूल्य के ऊपर रु. 91.30 करोड़ (विगत वर्ष रु.108.45 करोड़) की अतिरिक्त अर्जन लागत है तथा जिसे निवेश पर आय से घटाकर भा.रि.बैंक के निर्देशानुसार लाभ-हानि खाते के "निवेश से आय" शीर्ष में विनिधान के पुनर्मूल्यन में हानि के रूप में दर्शाया गया है।
6. बैंक ने वर्ष के दौरान मार्जिन ट्रेडिंग के लिए कोई वित्तपोषण नहीं किया है और न ही किसी आस्ति का प्रतिभूतिकरण किया है।
7. वर्ष के दौरान, बैंक ने 9.28% प्रति वर्ष की दर से 15 वर्ष की अवधि हेतु अर्थात् 10 वर्ष के बाद मांग विकल्प के साथ रु. 500 करोड़ के प्रतिभूतिरहित अपर टियर II बांड, 9.23% प्रति वर्ष की दर से 10 वर्ष की अवधि, अर्थात् वर्ष 2019 में परिपक्व होने वाले, के लिए रु. 400 करोड़ का गौण ऋण, 9.20% प्रति वर्ष की दर से रु. 150 करोड़ के इन्नोवेटिव पेरेपेच्युअल डेब्ट इंस्ट्रुमेंट (आईपीडीआई) जुटाए। (पिछला वर्ष 10% प्रति वर्ष की स्थिर दर से रु. 500 करोड़ के सबोर्डिनेटेड टियर II बांड सीरिज़ VII जुटाए गए)।
8. अग्रिमों में अंतर-बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र के कारण रु. 480.00 करोड़ (विगत वर्ष रु. 2400.00 करोड़) की राशि शामिल है।
9. भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, वर्ष के दौरान भूतपूर्व यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लि. (यूआईबीएल) के विलयन का अंतिम समायोजन किया गया।
10. बैंक ने कोर बैंकिंग समाधान के कार्यान्वयन हेतु टीसीएस को एफएमएनएस ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म के साथ सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप में नियुक्त किया है। तदनुसार, प्रायोगिक आधार पर यथास्थिति 31.03.2009 तक देशभर की 916 शाखाओं और एक मंडलीय कार्यालय को सीबीएस के तहत परिचालित कर दिया गया। कुछ प्रणालीजनित गैर-समाधानकृत प्रविष्टियाँ थी, जिनपर अलग से विचार किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर की समस्या से कुछ शाखाओं में लेनदेन
5. (i) In respect of Investments of face value of Rs.0.44 cores (Previous year Rs.0.44 Crores) the Bank is yet to receive scrips / certificates.
- (ii) Total Investments made in shares, convertible debentures and units of equity linked mutual fund / venture capital funds and also advances against shares aggregate to Rs.657.24 Crores (Previous year Rs. 660.29 Crores).
- (iii) As per RBI guidelines, an amount of Rs. 228.70 Crores (Previous Year Rs.10.14 Crores) being an amount equivalent to the profit on sale of 'Held to Maturity' category securities is transferred to 'Capital Reserve Account'.
- (iv) In respect of 'Held to Maturity' category as stated in significant Accounting Policy No. 3 (C)(i) the excess of acquisition cost over the face value of the security amortised during the year amounts to Rs.91.30 Crores (Previous year Rs.108.45 Crores) has been netted off from interest on investments and shown under "Income from Investments" in Profit and Loss Account in terms of RBI direction.
6. The Bank has not made any financing for margin trading during the year and also not securitised any assets.
7. During the year, the bank has raised unsecured Upper Tier II Bond of Rs. 500 Crores @ 9.28% p.a. for a period of 15 years i.e., maturing on 2024 with Call Option after 10 years, subordinated debt of Rs.400 Crores @9.23% p.a. for a period of 10 years i.e., maturing on 2019 and Innovative Perpetual Debt Instrument (IPDI) of Rs.150 Crores @9.20%. (Previous year Subordinated Tier II Bond series VII raised to the extent of Rs.500 Crores at a fixed rate of 10% p.a.).
8. Advances include Rs.480.00 Crores (Previous year Rs. 2400.00 Crores) on account of Inter Bank Participation Certificates.
9. After obtaining approval from the Reserve Bank of India, final adjustment of amalgamation of erstwhile United Industrial Bank Ltd. (UIBL) was made during the year.
10. The Bank has appointed TCS as System Integrator for implementation of Core Banking Solution of the Bank with FMNS as operating platform. Accordingly, CBS was rolled out at 916 nos. of branches and one Zonal office across the country as on 31.03.2009. There were certain systems created unreconciled entries which are being attended to separately. Processing of transactions could not be carried out correctly due to software bugs at some branches.

की प्रक्रिया को ठीक तरह से नहीं किया जा सका। उन्हें मैन्युअल रूप से सुधारने हेतु हरसंभव प्रयास किया गया है। प्रबंधन का अभिमत है कि इसका वित्तीय विवरण पर कोई तात्त्विक प्रभाव नहीं होगा।

11. भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण :

11.1 पूंजी

मद	31.03.2009	31.03.2008
i) सीआरएआर (%)	13.11%	11.99%
ii) सीआरएआर - टीयर- I पूंजी (%)	8.01%	7.71%
iii) सीआरएआर - टीयर- II (%)	5.10%	4.28%
iv) भारत सरकार के शेयरधारण की प्रतिशतता	55.23%	55.23%
iv) टीयर- I पूंजी के रूप में उगाहे गये सहायक परपिचुयल ऋण की राशि (रु. करोड़ में)	150.00	शून्य
vi) टीयर- II पूंजी के रूप में उगाहे गये सहायक ऋण की राशि (रु. करोड़ में)	2761.90	1861.90

11.2 निवेश

(रु. करोड़ में)

मद	31.03.2009	31.03.2008
(1) निवेशों के मूल्य		
(i) निवेशों का सकल मूल्य		
(क) भारत में	30081.35	23722.28
(ख) भारत से बाहर	शून्य	शून्य
(ii) अवक्षय हेतु प्रावधान		
(क) भारत में	430.30	322.03
(ख) भारत से बाहर	शून्य	शून्य
(iii) निवेशों का निवल मूल्य		
(क) भारत में	29651.05	23400.25
(ख) भारत से बाहर	शून्य	शून्य
(2) निवेशों पर अवक्षय के रूप में धारित प्रावधान का संचलन		
(i) अथ शेष	322.03	303.80
(ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	112.06	20.40
(iii) घटाएं: निवेश के अपलेखन के लिए उपयोग किया गया प्रावधान	3.79	2.17
(iv) इति शेष	430.30	322.03

11.2.1 रेपो लेनदेन

(रु. करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	यथास्थिति 31.03.2009
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां	100.00	2400.00	336.00	शून्य
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां	150.00	300.00	1.23	शून्य

Every efforts have been made to rectify them manually. The management is of the opinion that it will not have any material effect on the financial statements.

11. Disclosure in terms of RBI guidelines:

11.1 Capital

Items	31.03.2009	31.03.2008
i) CRAR (%)	13.11%	11.99%
ii) CRAR – Tier I Capital (%)	8.01%	7.71%
iii) CRAR – Tier II Capital (%)	5.10%	4.28%
iv) Percentage of the shareholding of the Government of India	55.23%	55.23%
v) Amount of subordinated perpetual debt raised as Tier-I capital (Rs. in Crores)	150.00	NIL
vi) Amount of subordinated debt raised as Tier-II capital (Rs. in Crores)	2761.90	1861.90

11.2 Investments

(Rs. in crore)

Items	31.03.2009	31.03.2008
(1) Value of Investments		
(i) Gross Value of Investments		
(a) In India	30081.35	23722.28
(b) Outside India	NIL	NIL
(ii) Provisions for Depreciation		
(a) In India	430.30	322.03
(b) Outside India,	NIL	NIL
(iii) Net Value of Investments		
(a) In India	29651.05	23400.25
(b) Outside India,	NIL	NIL
(2) Movement of provisions held towards depreciation on investments.		
(i) Opening balance	322.03	303.80
(ii) Add: Provisions made during the year	112.06	20.40
(iii) Less: Provisions utilised for write off of investment	3.79	2.17
(iv) Closing balance	430.30	322.03

11.2.1 Repo Transactions

(Rs. In crore)

	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	As on 31.03.09
Securities sold under repos	100.00	2400.00	336.00	NIL
Securities purchased under reverse repos	150.00	300.00	1.23	NIL

11.2.2 गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो / Non-SLR Investment Portfolio

i) गैर-एसएलआर निवेश के जारीकर्तावार संघटन दिनांक 31.3.2009 को यथास्थिति Issuer composition of Non SLR investments as on 31.03.2009

(रु. करोड़ में) / (Rs. In crore)

सं. No.	जारीकर्ता Issuer	राशि Amount	निजी प्लेसमेंट की सीमा Extent of Private Placement	“बिलो ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रेड” प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' Securities	“अन रेटेड” प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unrated' Securities	“अन लिस्टेड” प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	पीएसयू / PSUs	1302.51	385.25	शून्य / NIL	11.49	77.63
(ii)	वित्तीय संस्थाएँ / FIs	583.47	251.21	शून्य / NIL	24.96	58.35
(iii)	बैंक / Banks	447.93	325.36	शून्य / NIL	शून्य / NIL	33.41
(iv)	प्राइवेट कारपोरेट Private Corporate	451.95	135.00	शून्य / NIL	20.87	80.29
(v)	अनुषंगी संस्थाएँ संयुक्त उद्यम Subsidiaries / Joint Ventures	87.62	87.62	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
(vi)	अन्य/Others	5406.52	131.08	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
	उपकुल/Sub-total	8280.00	1315.52	शून्य / NIL	57.32	249.68
	मूल्यह्रास हेतु किया गया प्रावधान Provision held towards Depreciation	(305.33)	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
	Total	7974.67	1315.52	NIL	57.32	249.68

i)	शेयर	409.03
ii)	डिबेंचर एवं बॉन्ड	2397.58
iii)	अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम	87.62
iv)	अन्य	5385.77
	कुल	8280.00

i)	Shares	409.03
ii).	Debentures and Bonds	2397.58
iii).	Subsidiaries and Joint Ventures	87.62
iv).	Others	5385.77
	Total	8280.00

ii) गैर-निष्पादक गैर-एसएलआर निवेश

(रु. करोड़ में)

ii) Non performing Non-SLR investments

(Rs. in crore)

विवरण	राशि
यथास्थिति 01.04.2008 को अथ-शेष	10.56
01.04.2008 से वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00
01.04.2008 से वर्ष के दौरान कमी	4.52
यथास्थिति 31.03.2009 को इति-शेष	6.04
यथास्थिति 31.03.2009 को धारित कुल प्रावधान	6.04

Particulars	Amount
Opening balance as on 01.04.2008	10.56
Additions during the year since 01.04.2008	0.00
Reductions during the year since 01.04.2008	4.52
Closing balance as on 31.03.2009	6.04
Total provisions held as on 31.03.2009	6.04

11.3. डिराइवेटिव / Derivatives

11.3.1. फॉरवर्ड दर करार/ब्याज दर स्वैप / Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap

(रु. करोड़ में / Rs in Crores)

मर्दे / Items	31-03-2009	31-03-2008
i) स्वैप करारों का नोशनल मूलधन Notional principal of swap agreements	1000	2300
ii) अगर करारों के अंतर्गत प्रतिपक्ष अपनी वचनबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहे तो उससे होने वाला घाटा Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements	शून्य / NIL	शून्य / NIL
iii) स्वैप में शामिल होने पर बैंक द्वारा वांछित संपाश्विक Collateral required by the bank upon entering into swaps	Banking	Banking
iv) स्वैप से होने वाले ऋण जोखिम पर संकेन्द्रीकरण Concentration of credit risk arising from the swaps	शून्य / NIL	शून्य / NIL
v) स्वैप बुक का उचित मूल्य / Fair value of the swap book	(88.03)	(8.41)

11.3.2 एक्सचेंज पर ट्रेडेड ब्याज दर डिराइवेटिव : शून्य (विगत वर्ष : शून्य)

11.3.3 डिराइवेटिव में जोखिम एक्सपोजर से संबंधित प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण :

बैंक की ट्रेजरी शाखा में परिचालन को तीन कार्यात्मक क्षेत्रों यथा, फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस एवं बैक ऑफिस के रूप में विभक्त किया गया है जिनमें परिभाषित उत्तरदायित्वों एवं बैकअप भूमिका के साथ प्रशिक्षित अधिकारी प्रदान किये गये हैं।

बैंक की ट्रेजरी नीति में वित्तीय डिराइवेटिव लिखत, उपयोग का विषय क्षेत्र, अनुमोदन प्रक्रिया सहित ऋण सीमाएँ यथा ओपन पोजीशन सीमा, बिल आकार सीमा एवं स्टॉप लॉस सीमा के साथ ही अनुमोदित लिखतों में ट्रेडिंग हेतु प्रत्यायोजित अधिकार वर्णित है। नीति में क्रॉस करेंसी प्रोप्राइटी ट्रेडिंग पोजीशन की वायदा खरीद/बिक्री हेतु कॉल अथवा पुट ऑप्शन की खरीद/बिक्री एवं अपने ग्राहकों को बैंक द्वारा बैंक टु बैंक कवरिंग के अध्यक्षीन डिराइवेटिव उत्पाद प्रदान करने की भी अनुमति है। फ्रंट ऑफिस पोजीशन लेकर डील निष्पादित करता है जबकि मिड ऑफिस ट्रेडिंग बुक में लेनदेन की निगरानी करता है तथा अगर अतिरिक्त विपथन होता है तो उसे उच्चतर प्राधिकारियों की जानकारी में लाया जाता है। मिड ऑफिस मापक उपकरणों यथा, एमटीएम, वीएआर, कन्वेक्सिटी एवं परिशोधित समय के माध्यम से दैनिक आधार पर लेनदेन हेतु वित्तीय जोखिम का भी माप करता है। ऑकड़ों की रिपोर्टिंग जोखिम प्रबंधन विभाग को की जाती है जो आस्ति एवं देयता प्रबंधन से संबंधित निदेशक की समिति को जोखिम प्रोफाइल से अवगत कराता है। बैंक ऑफिस प्रतिपक्षी पार्टियों से समस्त डील का निपटारा करता है।

किसी आस्ति अथवा देयता के रूप में नामोद्दिष्ट स्वैप, जिसे बाजार मूल्य अथवा लागत से कम अथवा वित्तीय विवरण में बाजार मूल्य पर किया जाता है, को छोड़कर ब्याज वाली आस्तियों अथवा देयताओं की प्रतिरक्षा करने वाली ब्याज दर स्वैप को प्रोद्भूत आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। स्वैप समाप्त होने पर लाभ अथवा घाटे को स्वैप के शेष संविदागत कार्यकाल अथवा आस्ति/देयताओं के शेष कार्यकाल से कम पर स्वीकृत किया जाता है। लेनदेनों की प्रतिपक्ष पार्टियाँ बैंक एवं कारपोरेट संस्थाएँ हैं तथा की जाने वाली डील अनुमोदित एक्सपोजर सीमाओं के अंदर ही हैं। आय अभिज्ञान, प्रीमियम एवं डिस्काउंट के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, फेडरल एवं एफआईएमएमडीए द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

क्र.सं. विवरण	करेन्सी डिराइवेटिव	ब्याज दर डिराइवेटिव
(i) डिराइवेटिव (नोशनल मूल राशि)		
क) हेजिंग के लिए	शून्य	1000
ख) ट्रेडिंग के लिए	शून्य	शून्य
(ii) मार्केड टू मार्केट पोजीशन (1)		
क) आस्ति (+)	शून्य	शून्य
ख) देयता (-)	शून्य	(88.03)
(iii) ऋण एक्सपोजर (2)	शून्य	शून्य
(iv) ब्याज दर में एक प्रतिशत के संभाव्य परिवर्तन का प्रभाव (100*PV01)		
क) हेजिंग डिराइवेटिव पर	शून्य	(0.26)
ख) ट्रेडिंग डिराइवेटिव पर	शून्य	शून्य
(v) वर्ष के दौरान पाया गया 100*PV01 का अधिकतम एवं न्यूनतम	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
क) हेजिंग पर	अप्रयोज्य	(0.26)
ख) ट्रेडिंग पर	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य

11.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives: Nil (Previous Year: Nil)

11.3.3 Disclosures on risk exposure in derivatives

Qualitative Disclosure:

Operation in the Treasury Branch of the Bank are segregated in three functional areas i.e. Front Office, Mid Office and Back Office, which are provided with trained officer with defined responsibilities and back up roles.

The Treasury Policy of the Bank lays down the type of financial derivatives instruments, scope of usages, approval process as also the limits like the open position limits, deal size limits and stop loss limits besides delegated power for trading in the approved instruments. The policy also allows purchase / sale of call or put options to hedge cross currency proprietary trading positions and to offer derivative products to its customer subject to back to back covering by the Bank.

The Front Office takes positions and executes the deals while the Mid Office monitors the transactions in the trading book and deviations of excesses, if any, are brought to the notice of higher authorities. The Mid office also measures the financial risk for transactions on a daily basis through measurement tools such as MTM, VAR, Convexity and modified durations. The figures are reported to Risk Management division, which appraises the risk profile to the Directors Committee on Assets and Liability Management. The Back office settles all the deals with counter parties.

Interest Rate Swaps which hedges interest bearing assets or liabilities are accounted for on accrual basis except the Swaps designated with an asset or liability that is carried at market value or lower of cost or market value in the financial statements. Gain or Losses on the termination of Swaps are recognised over the shorter of the remaining contractual life of the Swap or the remaining life of the assets/liabilities. Trading Swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements. The counterparties to the transactions are Banks and corporate entities and deals undertaken are within the approved exposure limits only. The guidelines issued by RBI, FEDAI & FIMMDA from time to time for recognition of Income, Premium and Discount are followed.

Quantitative Disclosures

(Rs. in Crore)

Sl. No	Particular	Currency derivatives	Interest rate derivatives
(i)	Derivatives (Notional Principal Amount)		
a)	For hedging	NIL	1000
b)	For trading	NIL	NIL
(ii)	Marked to Market Positions (1)		
a)	Asset (+)	NIL	Nil
b)	Liability (-)	NIL	(88.03)
(iii)	Credit Exposure (2)	NIL	NIL
(iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)		
a)	on hedging derivatives	NIL	(0.26)
b)	on trading derivatives	NIL	NIL
(v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year	NIL	
a)	on hedging	NIL	(0.26)
b)	on trading	NIL	NIL

11.4 आस्ति गुणवत्ता

11.4.1 अनुपयोज्य आस्ति

(रु. करोड़ में)

मर्दे	31-03-09	31-03-08
(i) निवल अग्रिमों में निवल एनपीए (%)	0.72	0.80
(ii) एनपीए का संचलन (सकल)		
(क) अथ शेष	1010.51	1093.59
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	846.06	619.22
(ग) वर्ष के दौरान कमी	(778.32)	(702.30)
(घ) इति शेष	1078.25	1010.51
(iii) निवल एनपीए का संचलन		
(क) अथ शेष	399.81	440.19
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	67.74	42.70
(ग) वर्ष के दौरान कमी	(45.44)	(83.08)
(घ) इति शेष	422.11	399.81
(iv) एनपीए के प्रावधान का संचलन (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर)		
(क) अथ शेष	591.69	623.48
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	313.23	268.55
(ग) अतिरिक्त प्रावधान का राइट ऑफ /राइट बैक	(263.28)	(300.34)
(घ) इति शेष	641.64	591.69

डीआईसीजीसी/ईसीजीसी से प्राप्त एवं अन्य देयताओं में धारित कतिपय राशि के रूप में रु.14.50 करोड़ (विगत वर्ष रु.19.01 करोड़) की राशि को सकल अग्रिम के साथ जोड़ दिया गया है।

11.4.2 ऋण पुनर्गठन

11.4.2.1 उन ऋण आस्तियों का ब्योरा जिनका पुनर्गठन किया गया है

(रु. करोड़ में)

मद	यथास्थिति 31 मार्च 2009	यथास्थिति 31 मार्च 2008
(i) पुनर्गठन, पुनर्निर्धारण, पुनःपरक्रामित की गई ऋण आस्तियों की कुल राशि	3229.74	1073.51
- जिसमें से सीडीआर के अंतर्गत	394.45	371.39
(ii) पुनर्गठन, पुनर्निर्धारण, पुनःपरक्रामित की गई मानक आस्तियों की कुल राशि	3189.84	1016.74
- जिसमें से सीडीआर के अंतर्गत	394.45	361.79
(iii) पुनर्गठन, पुनर्निर्धारण, पुनःपरक्रामित की गई अवमानक आस्तियों की कुल राशि	37.66	47.17
- जिसमें से सीडीआर के अंतर्गत	0.00	0.00
(iv) पुनर्गठन, पुनर्निर्धारण, पुनःपरक्रामित की गई संदिग्ध आस्तियों की कुल राशि	2.24	9.60
- जिसमें से सीडीआर के अंतर्गत	0.00	9.60
नोट : (i) = (ii)+(iii)+(iv)		

11.4 Asset Quality

11.4.1 Non-Performing Asset

(Rs. in Crore)

Items	31-03-2009	31-03-2008
(i) Net NPAs to Net Advances (%)	0.72	0.80
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
(a) Opening balance	1010.51	1093.59
(b) Additions during the year	846.06	619.22
(c) Reductions during the year	(778.32)	(702.30)
(d) Closing balance	1078.25	1010.51
(iii) Movement of Net NPAs		
(a) Opening balance	399.81	440.19
(b) Additions during the year	67.74	42.70
(c) Reductions during the year	(45.44)	(83.08)
(d) Closing balance	422.11	399.81
(iv) Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
(a) Opening balance	591.69	623.48
(b) Provisions made during the year	313.23	268.55
(c) Write-off / write-back of excess provisions	(263.28)	(300.34)
(d) Closing balance	641.64	591.69

A sum of Rs. 14.50 Crores (Previous Year Rs.19.01 Crores) has been netted with gross advances on account of receipts from DICGC / ECGC and certain amounts held in other liabilities.

11.4.2 Loan Restructuring

11.4.2.1 Details of Loan Assets subjected to Restructuring

(Rs. In crore)

Item	As on 31-03-2009	As on 31-03-2008
(i) Total amount of loan assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation; - of which under CDR	3229.74 394.45	1073.51 371.39
(ii) The amount of Standard assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation; - of which under CDR	3189.84 394.45	1016.74 361.79
(iii) The amount of Sub-Standard assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation; - of which under CDR	37.66 0.00	47.17 0.00
(iv) The amount of Doubtful assets subjected to restructuring, rescheduling, negotiation; - of which under CDR	2.24 0.00	9.60 9.60
Note: (i) = (ii)+(iii)+(iv)		

वर्ष के दौरान पुनर्गठित किए गए खातों का विवरण / Particulars of Accounts Restructured during the year

(रु. करोड़ में) / (Rs. In crore)

		सीडीआर CDR तंत्र Mechanism	एसएमई ऋण SME Debt पुनर्गठित Restructuring	अन्य Others	कुल Total पुनर्गठित Restructuring
पुनर्गठित मानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या / No of Borrowers	0	3666	35390	39056
Standard Advances Restructured	बकाया राशि / Amount Outstanding	0.00	159.36	2372.62	2531.98
	त्यागी हुई राशी / Sacrifice	0.00	0.79	2.77	3.56
पुनर्गठित अवमानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या / No of Borrowers	0	39	260	299
Sub-standard Advances Restructured	बकाया राशि / Amount Outstanding	0.00	6.23	23.75	29.98
	त्यागी हुई राशी / Sacrifice	0.00	0.00	0	0.00
पुनर्गठित संदिग्ध अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या / No of Borrowers	0	21	380	401
Doubtful Advances Restructured	बकाया राशि / Amount Outstanding	0.00	0.16	2.08	2.24
	त्यागी हुई राशी / Sacrifice	0.00	0.00	0	0.00
कुल / Total	उधारकर्ताओं की संख्या / No of Borrowers	0	3726	36030	39756
	बकाया राशि / Amount Outstanding	0.00	165.75	2398.45	2564.20
	त्यागी हुई राशी / Sacrifice	0.00	0.79	2.77	3.56

पुनर्गठित खातों से संबंधित अतिरिक्त प्रकटीकरण

Additional disclosures regarding restructured accounts

(रु. करोड़ में) / (Rs. In crore)

क्रम सं. Sl. No	प्रकटीकरण Disclosures	संख्या Number	राशि Amount
1	जो खाते 1 सितंबर, 2008 को यथास्थिति मानक थे उनके पुनर्गठित हेतु 31.03.2009 तक प्राप्त आवेदन Application received up to 31.03.2009 for restructuring, in respect of accounts which were standard as on September 1, 2008.	39778	2764.47
2	(1) में से , 31.03.2009 को यथास्थिति अनुमोदित एवं क्रियान्वित प्रस्तावों की संख्या तथा जो विशेष विनियामक सुविधा हेतु पात्र हो गए तथा तुलन पत्र की तारीख को मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं । Of (1), proposals approved and implemented as on 31.03.2009 and thus became eligible for special regulatory treatment and classified as standard assets as on the date of the balance sheet.	39056	2531.98
3	(1) में से, दि. 31.03.2009 को यथास्थिति अनुमोदित व क्रियान्वित प्रस्ताव, लेकिन जिन्हें मानक श्रेणी में उन्नयित नहीं किए जा सके । Of (1), proposals approved and implemented as on 31.03.2009 but could not be upgraded to the standard category.	700	32.22
4	(1) में से , प्रक्रियागत/क्रियान्वयन के अंतर्गत के ऐसे प्रस्ताव जो यथास्थिति 31.03.2009 को मानक थे । Of (1), proposals under process / implementation which were standard as on 31.03.2009.	19	137.20
5	(1) में से, प्रक्रियागत/क्रियान्वयन के अंतर्गत के ऐसे प्रस्ताव जो यथास्थिति 31.03.2009 को एनपीए हो गए किन्तु पैकेज के पूर्ण क्रियान्वयन पर जिन्हें मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है । Of (1), proposals under process / implementation which turned NPA as on 31.03.2009 but are expected to be classified as standard assets on full implementation of the package	3	63.07

11.4.3 आस्ति पुनर्निर्माण के लिए पुनर्निर्माण कंपनी / प्रतिभूतिकरण को बेची गई वित्तीय आस्तियों का ब्योरा

11.4.3 Details of financial assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(रु. करोड़ में) (Rs. In crore)

मद / Item	2008-09	2007-08
i) खातों की संख्या / No. of Accounts	21	1
ii) एससी / आरसी को बेचे गये खातों का सकल मूल्य (प्रावधान घटाकर) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC / ARC	0.11	119.04
iii) कुल प्रतिफल / Aggregate consideration	20.00	119.04
iv) विगत वर्ष में अंतरित किये गये खातों के मामले में वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल Additional consideration realised in respect of accounts transferred in earlier years	0.00	0.00
v) निवल बही मूल्य पर कुल लाभ/हानि Aggregate gain / loss over net book value	19.89	0.00

11.4.4 खरीदी गई / बेची गई अनर्जक वित्तीय संपत्तियों का विवरण : शून्य (पिछला वर्ष : शून्य)

11.4.4 Details of non performing financial assets purchased / sold: Nil (Previous Year: Nil)

11.4.5 मानक आस्तियों पर प्रावधान

11.4.5 Provisions on Standard Asset

मद	2008-09	2007-08
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	20.01	56.36

Item	2008-09	2007-08
Provisions towards Standard Assets	20.01	56.36

व्यवसाय अनुपात

मद	2008-09	2007-08
(i) कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज आय	8.67%	8.34%
(ii) कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में गैर-ब्याज आय	1.34%	1.30%
(iii) कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में परिचालनगत लाभ	2.24%	2.00%
(iv) आस्तियों पर प्रतिफल	0.90%	1.32%
(v) प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा राशि तथा अग्रिम)	706 Lacs	604 Lacs
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ	3.75 Lacs	4.85 Lacs

Business Ratio

Items	2008-09	2007-08
(i) Interest Income as a percentage to Working Funds	8.67%	8.34%
(ii) Non-interest income as a percentage to Working Funds	1.34%	1.30%
(iii) Operating Profit as a percentage to Working Funds	2.24%	2.00%
(iv) Return on Assets	0.90%	1.32%
(v) Business (Deposits plus Advances) per employee	706 Lacs	604 Lacs
(vi) Profit per employee	3.75 Lacs	4.85 Lacs

11.5 आस्ति देयता प्रबंधन / Asset Liability Management

आस्तियों एवं देयताओं की कतिपय मदों का परिपक्वता पैटर्न / Maturity pattern of certain items of assets and liabilities

(रु. करोड़ में / Rs. in crore)

परिपक्वता पैटर्न Maturity Pattern (टाइम बकेट) (Time buckets)		जमा राशियाँ Deposits	अग्रिम Advances	निवेश Investments	उधार Borrowings	विदेशी मुद्रा Foreign Currency	
						आस्तियाँ Assets	देयताएँ Liabilities
1 से 14 दिन 1 to 14 days	CY PY	4485.57 1131.16	4088.15 1510.03	6094.29 543.70	139.25 1471.00	212.21 183.76	270.75 150.33
15 से 28 दिन 15 to 28 days	CY PY	1525.16 2296.80	2206.50 1080.50	157.74 240.72	91.30 -	136.65 15.53	100.35 13.96
29 दिन और 3 माह तक 29 days and upto 3 months	CY PY	4027.31 4663.32	4602.16 4994.92	655.28 269.52	200.83 295.37	362.36 21.11	270.06 52.46
3 माह से अधिक और 6 माह तक Over 3 months and upto 6 months	CY PY	10040.96 6369.52	5209.17 4863.33	1162.30 1099.19	121.54 -	297.60 64.80	373.03 32.19
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक Over 6 months and upto 1 year	CY PY	12906.78 17886.04	3183.52 3697.43	2023.32 2592.44	313.93 -	203.65 7.34	239.82 31.51
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक Over 1 year and upto 3 years	CY PY	36554.81 14021.20	18513.48 16513.90	2262.88 2759.77	18.00 6.00	0.00 -	13.21 31.45
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक Over 3 years and upto 5 years	CY PY	6566.23 9533.06	6273.42 5763.46	3987.87 3210.55	12.00 8.00	25.66 30.65	2.05 11.41
5 वर्ष से अधिक Over 5 years	CY PY	8864.97 15715.28	14725.36 11294.90	13307.37 12684.36	40.19 11.63	50.53 5.49	0.00 5.37
कुल / Total	CY PY	84971.79 71616.38	58801.76 49720.47	29651.05 23400.25	937.04 1792.00	1288.66 328.68	1269.27 328.68

यथास्थिति 31.03.2009 को आस्तियों एवं देयताओं के परिपक्वता पैटर्न के बारे में उपर्युक्त प्रकटीकरण बैंक द्वारा संकलित जानकारी पर आधारित है।

The above disclosure regarding maturity pattern of assets and liabilities as on 31.03.2009 are based on the information compiled by the Bank.

11.6 एक्सपोजर / Exposures

11.6.1 भूसंपदा क्षेत्र को एक्सपोजर / Exposure to Real Estate Sector

(रु. करोड़ में) / (Rs. In crore)

श्रेणी / Category	31-03-2009	31-03-2008
(क) प्रत्यक्ष एक्सपोजर / A) Direct exposure		
(i) रिहायशी बंधक - / (i) Residential Mortgages – उधार उन रिहायशी संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्णतया प्रतिभूत है, जो उधारकर्ता के कब्जे में आने वाली है या किराये पर है। Lendings fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	3173.14	3167.00
- जिसमें से रु.20 लाख तक के व्यक्तिगत आवास ऋण -of which individual housing loans upto Rs. 20 lacs	2972.00	2952.20
(ii) वाणिज्यिक भू-संपदा / (ii) Commercial Real Estate – - उधार वाणिज्यिक भू-संपदा (कार्यालय भवन, खुदरा व्यापारिक स्थान, बहुदेशीय वाणिज्यिक परिसर, बहुपारिवारिक रिहायशी भवन, बहुकिरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक अथवा गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं निर्माण आदि) पर बंधक द्वारा प्रतिभूत है। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएँ शामिल हैं। Lendings secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure includes non-fund based (NFB) limits;	2568.59	2192.03
(iii) बंधक द्वारा समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) एवं अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों में निवेश - (iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures –		
क. रिहायशी / a. Residential	8.42	110.00
ख. वाणिज्यिक भू-संपदा / b. Commercial Real Estate.	5.99	शून्य / NIL
(ख) अप्रत्यक्ष एक्सपोजर / B) Indirect Exposure		
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एवं आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित एक्सपोजर Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	1029.42	1710.02

11.6.2 पूंजी बाजार में एक्सपोजर / Exposure to Capital Market

(रु. करोड़ में) / (Rs. In crore)

क्रम सं. Sr.No.	विवरण / Item	31.03.09	31.3.08
i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों तथा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिटों में किए गए प्रत्यक्ष निवेश जिनकी मूल निधि अनन्यतः कारपोरेट ऋण में निवेशित नहीं की जाती। Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	496.38	483.21
ii)	इक्विटी शेयरों (आईपीओ/ईएसओपीएस सहित), परिवर्तनीय बांडों एवं डिबेंचरों, इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश हेतु व्यक्तियों को शेयरों के बदले अग्रिम Advance against share /bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in equity shares(including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual fund;	0.02	0.02
iii)	अन्य किसी प्रयोजन, जहाँ प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में शेयर अथवा परिवर्तनीय बांड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिट ली जाती है, हेतु अग्रिम Advance for any other purpose where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual fund are taken as primary security;	शून्य / NIL	शून्य / NIL
iv)	शेयरों की संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा परिवर्तनीय बांड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड द्वारा रक्षित सीमा तक के अन्य किसी प्रयोजन हेतु अर्थात् जहाँ प्राथमिक प्रतिभूति को छोड़कर शेयर/परिवर्तनीय बांड/परिवर्तनीय डिबेंचर/इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड अग्रिमों को पूर्णतः कवर नहीं करते हैं। Advance for any other purpose to the extent secured by collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual fund i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity-oriented mutual fund does not fully cover the advances;	160.84	177.06

v)	स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों एवं मार्केट मेकर्स की ओर से जारी गारंटियाँ । Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers;	87.85	207.42
vi)	संसाधन जुटाने की संभावना में नई कंपनियों की इक्विटी हेतु प्रवर्तक के अंशदान के लिए कारपोरेट को शेर/बांड/डिबेंचर अथवा अन्य प्रतिभूतियों के सापेक्ष संस्वीकृत ऋण अथवा संस्वीकृत निर्बंध ऋण । Loan sanctioned to corporate against security of shares/ bonds/ debenture or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources	शून्य / Nil	शून्य / Nil
vii)	प्रत्याशित इक्विटी फ्लो/इश्यू के विरुद्ध कंपनियों को पूरक ऋण bridge loan to companies against expected equity flows/issues;	शून्य / Nil	शून्य / Nil
viii)	शेयरों का प्राथमिक इश्यू अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिटों के संबंध में बैंकों द्वारा ली गई हमीदारी प्रतिबद्धता underwriting commitments taken up by Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	शून्य / Nil	शून्य / Nil
ix)	मार्जिन ट्रेडिंग हेतु स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण / financing to stock brokers for margin trading;	शून्य / Nil	शून्य / Nil
x)	उद्यम पूंजी निधि (पंजीकृत एवं गैर-पंजीकृत दोनों) के सभी एक्सपोजर को इक्विटी के समकक्ष माना जाएगा अतः उन्हें पूंजी बाजार एक्सपोजर सीमाओं के साथ (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों) अनुपालन हेतु हिसाब में लिया जाएगा। all exposure to Venture Capital Fund (both registered and unregistered) will be deemed to be on par with equity and hence will be reckoned for compliance with the capital market exposure ceilings (both direct and indirect)	शून्य / Nil	शून्य / Nil
पूंजी बाजार को कुल एक्सपोजर / Total Exposure to Capital Market		745.09	867.71

11.7.1 जोखिम श्रेणीवार कंट्री एक्सपोजर / Risk Category wise Country Exposure

(रु. करोड़ में) / (Rs. In crore)

जोखिम श्रेणी Risk Category	31.03.2009 को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as at 31.03.2009	31.03.2009 को धारित प्रावधान Provision held as at 31.03.2009	31.03.2009 को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as at 31.03.2009	31.03.2009 को धारित प्रावधान Provision held as at 31.03.2009
नगण्य / Insignificant	1237.81	शून्य / NIL	1250.04	शून्य / NIL
कम / Low	999.54	शून्य / NIL	657.15	शून्य / NIL
मध्यम / Moderate	40.48	शून्य / NIL	36.00	शून्य / NIL
अधिक / High	2.19	शून्य / NIL	15.16	शून्य / NIL
बहुत अधिक / Very High	1.04	शून्य / NIL	0.13	शून्य / NIL
प्रतिबंधित / Restricted	0.00	शून्य / NIL	0.00	शून्य / NIL
ऑफ-क्रेडिट / Off-credit	0.00	शून्य / NIL	0.00	शून्य / NIL
कुल / Total	2281.06	शून्य / NIL	1958.48	शून्य / NIL

11.7.2 बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण - शून्य

Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank – NIL

11.8 विविध / Miscellaneous

11.8.1 वर्ष के दौरान आयकर हेतु किये गये प्रावधान की राशि / Amount of Provisions made for Income tax during the year: (रु. करोड़ में) / (Rs. In crore)

विवरण / Particulars	2008-09	2007-08
आयकर हेतु प्रावधान / Provision for Income Tax	297.00	124.8
आस्थगित ऋण हेतु प्रावधान / Provision for Deferred Tax	3.39	18.16
अनुषंगी लाभ कर हेतु प्रावधान / Provision for Fringe Benefit Tax	6.78	4.44

11.8.2 भारिबैंक द्वारा लगाए गए दंड : शून्य (विगत वर्ष : शून्य) / Penalties imposed by RBI : Nil (Previous Year: Nil)

12. अतिरिक्त प्रकटीकरण / Additional Disclosures

12.1 लाभ एवं हानि खाते से नामे किये गये प्रावधानों का विवरण निम्नानुसार है :

The details of Provisions debited to Profit & Loss Account are as under :

(रु. करोड़ में) / (Rs. In crore)

विवरण / Particulars	2008-09	2007-08
(a) एनपीए हेतु प्रावधान // Provision toward NPA	313.23	268.55
(b) निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधान / Provision for Depreciation on Investment	357.49	20.40
(c) मानक आस्तियों हेतु प्रावधान / Provision towards Standard Assets	20.01	56.36
(d) आयकर हेतु प्रावधान / Provision towards Income Tax	297.00	124.80
(e) आस्थिगत कर आस्तियाँ / देयताएँ / Deferred Tax Assets / Liabilities	3.39	18.16
(f) अनुषंगी लाभ कर / Fringe Benefit Tax	6.78	4.44
(g) अन्य / Others	134.65	12.06
कुल / Total	1132.55	504.77

12.2 अस्थिर प्रावधान / Floating Provisions

(रु. करोड़ में) / (Rs. In crore)

विवरण / Particulars	2008-09	2007-08
(a) अस्थिर प्रावधान खाते में अथ शेष / Opening Balance in Floating Provision Account	48.00	48.00
(b) वर्ष के दौरान किये गये अस्थिर प्रावधान का परिमाण Quantum of Floating Provision made during the year	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(c) वर्ष के दौरान ड्रॉ डाउन की रकम एवं प्रयोजन Purpose and amount of draw down during the year	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(d) अस्थिर प्रावधान खाते में इति शेष Closing Balance in Floating Provision Account	48.00	48.00

12.3 ग्राहक शिकायत / Customer Complaints

विवरण / Particulars	2008-09
(a) वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या / No. of Complaints pending at the beginning of the year	96
(b) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या / No. of Complaints Received during the year	1814
(c) वर्ष के दौरान निवारित की गई शिकायतों की संख्या / No. of Complaints Redressed during the year	1802
(d) वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या / No. of Complaints pending at the end of the year	108

12.4 बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय / Awards passed by the Banking Ombudsman

विवरण /Particulars	2008-09
(a) वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न किये गये अधिनिर्णयों की संख्या No. of unimplemented awards at the beginning of the year	शून्य / Nil
(b) वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किये गये अधिनिर्णयों की संख्या No. of awards passed by Banking Ombudsman during the year	05
(c) वर्ष के दौरान कार्यान्वित किये गये अधिनिर्णयों की संख्या No. of awards implemented during the year	05
(d) वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किये गये अधिनिर्णयों की संख्या No. of unimplemented awards at the end of the year	शून्य / Nil

13. लेखा मानकों के अनुरूप अनुपालन

बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी निम्नोक्त लेखा मानकों (एएस) का अनुपालन किया है और ऐसे लेखा मानकों के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित प्रकटीकरण किए जाते हैं।

13.1 लेखा मानक 5 “अवधि हेतु निवल लाभ अथवा हानि, पूर्व अवधि मर्दे और लेखा नीतियों में परिवर्तन”

पूर्व अवधि से संबंधित आय और व्यय निम्नानुसार है

(रु. करोड़ में)

विवरण	राशि
आय	1.26
व्यय	8.09
निवल	(6.83)

13.2 राजस्व अभिज्ञान के संबंध में एएस 9 के अंतर्गत नकदी आधार पर अज्ञात आय मर्दे या तो तात्त्विक नहीं थीं या प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं थी।

13.3 बैंक ने लेखा मानक 15 (एएस 15) (संशोधित) के अनुसार कर्मचारियों के लाभों का हिसाब किया है

ग्रेच्युटी

बैंक यथास्थिति ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972/सेवा पंचाटों/सेवा विनियमनों के प्रावधानों के संबंध में अपने कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति अथवा मृत्यु अथवा सेवा समाप्ति आदि के मामलों में ग्रेच्युटी का भुगतान करता है। ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु बैंक के अंशदान से सृजित निधि का रखरखाव आंतरिक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। बैंक इस निधि में अपना अंशदान ग्रेच्युटी के संबंध में अपनी देयता के बीमांकिक के आधार पर करता है यह मूल्यन प्रत्येक तिमाही में किसी अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है।

पेंशन (नई)

बैंक इलाहाबाद बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 1995 के अंतर्गत उन कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान करता है जिन्होंने इस विनियमन के अंतर्गत पेंशन का विकल्प दिया है और उन कर्मचारियों को भी जो बैंक सेवा में 29.09.1995 को या इसके बाद आए हैं। इस योजना में वेतन और अर्हक सेवा के आधार पर, सेवा निवृत्ति/मृत्यु, जैसा भी मामला हो, की स्थिति में इन कर्मचारियों को मासिक आधार पर पेंशन देने का प्रावधान है। एबीईपीआर-1995 के अंतर्गत शामिल कर्मचारी भविष्य निधि में बैंक के अंशदान के पात्र नहीं हैं। पेंशन के भुगतान हेतु बैंक के अंशदान से सृजित निधि का रखरखाव आंतरिक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। बैंक इस निधि में अपना अंशदान पेंशन के संबंध में अपनी देयता के बीमांकिक के आधार पर करता है यह मूल्यन प्रत्येक तिमाही में किसी अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है।

पेंशन (पुरानी)

बैंक अपनी पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत अवार्ड स्टाफ के उन सदस्यों को भी पेंशन का भुगतान करता है जो 29.09.1995 से पहले बैंक में भर्ती हुए हैं और वे अधिकारी जो 01.07.1979 को

13. Compliance with Accounting Standards

The Bank has complied with the following Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the following disclosures are made in accordance with the provisions of such Accounting Standards:

13.1 Accounting Standard 5 “Net Profit or Loss for the Period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies)”

Income and Expenditure relating to prior period are as under:

(Rs. In crore)

Particulars	Amount
Income	1.26
Expenditure	8.09
Net	(6.83)

13.2 Income items recognised on cash basis were either not material or did not require disclosure under AS 9 on Revenue Recognition.

13.3 The Bank has accounted for employees benefits as per Accounting Standard 15 (AS15) (Revised).

Gratuity:

The Bank pays gratuity in case of retirement or death or resignation or termination etc. of its employees, having regard to the provisions of Payment of gratuity Act, 1972 / Service Awards / Service Regulations, as the case may be. A fund created out of Bank's contribution is maintained by an in-house Trust for payment of gratuity. The Bank makes contribution to this fund on the basis of actuarial valuation of its liability in respect of gratuity, which is conducted by an approved actuary every quarter.

Pension (New):

The Bank pays pension under Allahabad Bank (Employees) Pension Regulations, 1995 to employees, who exercised option under the Regulations and also to Employees joining the Bank's Service on or after 29.09.1995. The plan provides for a pension / family pension on monthly basis in respect of these employees on their retirement / death, as the case may be, based on the salary and qualifying service. Employees covered under ABEPR – 1995 are not eligible for Bank's contribution to Provident Fund. A fund created out of Bank's contribution is maintained by an in-house Trust for payment of Pension. The Bank makes contributions to this Fund on the basis of actuarial valuation of its liability in respect of Pension (New), which is conducted by an approved actuary every quarter.

Pension (Old):

The Bank also pays pension under its own Old Pension Scheme to members of Award Staff who were recruited before 29.09.1995 and those Officers who

अथवा उससे पहले भर्ती अथवा पदोन्नत हुए हैं। और जिन्होंने एबीईपीआर-1995 के अंतर्गत पेंशन का विकल्प नहीं दिया है। यह गैर निधिक योजना है और बैंक अपनी योजना के अंतर्गत पेंशन देयता के संबंध में प्रावधान बीमांकिक मूल्यन के आधार पर करता है यह मूल्यन प्रत्येक तिमाही में किसी अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है। यह भुगतान बैंक के लाभ-हानि खाते से किया जाता है। पेंशन का भुगतान सेवानिवृत्त पात्र कर्मचारियों से विनिर्दिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर किया जाता है जिन्हें पेंशन (पुरानी) लेने हेतु ग्रेच्युटी की राशि लौटानी अपेक्षित होती है।

अवकाश किराया रियायत (एलएफसी)

यह सुविधा कर्मचारियों को प्रदान की जाती है और इसमें उद्योगवार समझौतों/अवार्ड के अनुसार समय-समय पर यथासंशोधित सेवा नियमों के अनुसार योजना के अंतर्गत यथापरिभाषित संबंधित कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के संबंध में किए गए यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति शामिल हैं। यह गैर निधिक योजना है और बैंक अपनी योजना के अंतर्गत अवकाश किराया रियायत देयता के संबंध में प्रावधान बीमांकिक मूल्यन के आधार पर करता है। यह मूल्यन प्रत्येक तिमाही में किसी अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है। एलएफसी से संबंधित भुगतान बैंक के लाभ-हानि खाते से किया जाता है।

अवकाश नकदीकरण

बैंक एलएफसी सुविधा का उपयोग करने वाले कर्मचारियों को सेवा के चार वर्षों के ब्लाक में अधिकतम 30 दिनों के साधिकार अवकाश शेष के नकदीकरण की अनुमति प्रदान करता है। सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु होने पर कर्मचारी के खाते में जमा साधिकार अवकाश, अधिकतम 240 दिनों, नकदीकरण की भी अनुमति दी जाती है। कर्मचारी द्वारा सेवा से त्यागपत्र देने के मामले में नकदीकरण की राशि शेष साधिकार अवकाश के 50% और अधिकतम 120 दिनों तक सीमित है। यह गैर निधिक योजना है और बैंक इस योजना के अंतर्गत अवकाश नकदीकरण देयता के संबंध में प्रावधान बीमांकिक मूल्यन के आधार पर करता है यह मूल्यन प्रत्येक तिमाही में किसी अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है। ऐसे अवकाश नकदीकरण का भुगतान बैंक के लाभ-हानि खाते से किया जाता है।

बीमारी छुट्टी

किसी कर्मचारी द्वारा चिकित्सा आधार पर बीमारी छुट्टी पर चले जाने से उत्पन्न किसी आकस्मिकता हेतु अपनी देयताओं के लिए प्रावधान करता है जो प्रचलित सेवा शर्तों/नियमों के अनुसार अनुज्ञेय है। यह गैर निधिक योजना है और बैंक इसका प्रावधान बीमांकिक मूल्यन के आधार पर करता है जो प्रत्येक तिमाही में किसी अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है।

लेखा नीतियों के अनुसरण में एवं लेखा मानक - 15 (परिवर्तित), के अनुसार लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलन-पत्र में चिह्नित रोजगार से इत्तर लाभ का संक्षिप्त स्थिति निम्नलिखित है:

भविष्य निधि

बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर भविष्य निधि को स्थिर अंशदान एक पृथक ट्रस्ट को करता है जो इन निधियों को अनुमत प्रतिभूतियों में निवेश करता है। इस अवधि हेतु निधि में किया गया अंशदान व्यय

were recruited or promoted on or before 01.07.1979 and not opted for pension under ABEPR-1995. It is a non-funded scheme and the Bank maintains a provision on account of its pension liability under the Scheme on the basis of actuarial valuation, which is conducted by approved Actuary every quarter. Payment is made through Profit and Loss Account of the Bank. The Pension is paid against specific request from retired eligible employees, who are required to refund the amount of gratuity to avail of Pension (Old).

Leave Fare Concession (LFC):

This facility is granted to the employees and extends to reimbursement of travelling expenses incurred for the family members of the employee concerned, as defined under the Scheme, in terms of service rules as amended from time to time as per Industry wide Settlements/Awards. It is a non-funded scheme and the Bank maintains a provision on account of its liability in respect of Leave Fare Concession under the Scheme on the basis of actuarial valuation, which is conducted by an approved actuary every quarter. Payment in respect of LFC facility is made through the Profit and Loss Account.

Leave Encashment:

The Bank permits encashment of Privilege Leave balance to its employees availing LFC facility, up to the maximum limit of 30 days' leave in a block of four years of service. Encashment of privilege leave standing to the credit of an employee is also permitted in case of retirement or death subject to a maximum of 240 days. In case of resignation from the service by an employee, such encashment is restricted to 50% of the balance of privilege leave subject to a maximum of 120 days. It is a non-funded scheme and the Bank maintains a provision on account of its leave encashment liability under the Scheme on the basis of actuarial valuation, which is conducted by an approved actuary every quarter. Payment of such leave encashment is made through the Profit and Loss Account.

Sick Leave:

The Bank maintains a provision for its liability on account of any contingent arising out of employees going on sick leave on medical ground, which is permissible in terms of prevailing service conditions / rules. It is a non funded scheme and the Bank maintains the provision on the basis of actuarial valuation, which is conducted by approved Actuary every quarter.

In line with the accounting policy and as per the Accounting Standard – 15(R), the summarized position of post employment benefits recognized in the Profit & Loss Account and Balance Sheet is as under:

Provident Fund:

The Bank pays fixed contribution to Provident Fund at predetermined rates to a separate trust, which invests the funds in permitted securities. The contribu-

के रूप में अभिज्ञात किया जाता है और लाभ और हानि खाते से प्रभारित किया जाता है। बैंक की देयता ऐसे स्थिर अंशदान तक सीमित है।

tion to the Fund for the period is recognised as expense and is charged to the Profit and Loss Account. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution.

बीमांकक अनुमान / Actuarial assumptions:

(रु. करोड़ में) / (Rs. In crore)

विवरण / Particulars	योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN					
	निधिबद्ध / Funded		गैर-निधिबद्ध / Unfunded			
	पेंशन (नया) Pension (New)	ग्रेच्युटी Gratuity	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	पेंशन (पुराना) Pension (Old)	एलएफसी LFC	बीमारी अवकाश Sick Leave
रियायती दर / Discount Rate	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%
वेतन की बढ़ती दर - 20 वर्ष की सेवा तक Salary Escalation Rate -service up to 20 years	7.5%	7.5%	7.5%	7.5%	0.00	7.5%
- उसके बाद की सेवा - service thereafter	5%	5%	5%	5%		5%
ह्रास दर / Attrition Rate	10% ⁰⁰	10% ⁰⁰	10% ⁰⁰	10% ⁰⁰	10% ⁰⁰	10% ⁰⁰
योजना आस्तियों पर आय की प्रत्याशित दर Expected Rate of Return on Plan Assets	8%	8%	0.00	0.00	0.00	0.00

क) बाध्यता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन :

A) Change in the present value of Obligation:

(रु. करोड़ में) / (Rs. In crore)

विवरण / Particulars	योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN					
	निधिबद्ध / Funded		गैर-निधिबद्ध / Unfunded			
	पेंशन (नया) Pension (New)	ग्रेच्युटी Gratuity	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	पेंशन (पुराना) Pension (Old)	एलएफसी LFC	बीमारी अवकाश Sick Leave
क) दि. 01.04.2008 को यथास्थिति पीवीओ						
a) PVO as on 01.04.2008	544.37	354.95	95.73	118.38	8.52	16.66
ख) ब्याज लागत / b) Interest cost	39.46	25.80	6.61	8.57	0.28	1.25
ग) चालू सेवा लागत / c) Current Service Cost	62.85	10.25	7.97	5.55	0	2.03
घ) प्रदत्त लाभ / d) Benefits Paid	(36.60)	(21.99)	(15.10)	(8.11)	(9.52)	0
ङ) बाध्यता पर बीमांकक हानि/ (अभिलाभ) e) Actuarial Loss/(Gain) on Obligation	4.61	21.74	2.47	18.06	12.19	(0.13)
च) दि. 31.03.2009 को यथास्थिति पीवीओ						
f) PVO as on 31.03.2009	614.69	390.75	97.68	142.45	11.47	19.81

ख) योजना संपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन :

(रु. करोड़ में) / (Rs. In crore)

B) Changes in the Fair Value of Plan Assets:

विवरण / Particulars	योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN					
	निधिबद्ध / Funded		गैर-निधिबद्ध / Unfunded			
	पेंशन (नया) Pension (New)	ग्रेच्युटी Gratuity	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	पेंशन (पुराना) Pension (Old)	एलएफसी LFC	बीमारी अवकाश Sick Leave
क) दि. 01.04.2008 को यथास्थिति योजना आस्तियों का उचित मूल्य						
a) Fair Value of Plan Assets as at 01.04.2008	530.45	337.42	-	-	-	-
ख) योजना आस्तियों से प्रत्याशित आय						
b) Expected return of Plan Assets	42.44	26.99	-	-	-	-
ग) कर्मचारी का अंशदान						
c) Employer's Contribution	64.38	28.87	15.10	8.11	9.52	-
घ) प्रदत्त लाभ						
d) Benefits Paid	(36.60)	(21.99)	(15.10)	(8.11)	(9.52)	-
ङ) बीमांकक (हानि)/अभिलाभ						
e) Actuarial (Loss)/Gain	1.53	(17.90)	-	-	-	-
च) दि.31.03.2009 को यथास्थिति योजना आस्तियों का उचित मूल्य						
f) Fair Value of Plan Assets as at 31.03.2009	602.19	389.19	-	-	-	-
छ) योजना आस्तियों की वास्तविक आय						
g) Actual return on Plan Assets	46.56	29.29	-	-	-	-

ग) निवल बीमांकक हानि / (अभिलाभ) / C Net Actuarial Loss / (Gain)

(रु. करोड़ में) / (Rs. In crore)

विवरण / Particulars	योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN					
	निधिबद्ध / Funded		गैर-निधिबद्ध / Unfunded			
	पेंशन (नया) Pension (New)	ग्रेच्युटी Gratuity	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	पेंशन (पुराना) Pension (Old)	एलएफसी LFC	बीमारी अवकाश Sick Leave
क) बाध्यता पर बीमांकक हानि / (अभिलाभ) (ख)						
a) Actuarial loss / (gain) on obligation (B)	4.61	21.74	2.47	18.06	12.19	(0.13)
ख) योजना संपत्तियों पर बीमांकक हानि / (अभिलाभ)						
b) Actuarial loss / (gain) on Plan assets (C)	(1.53)	(17.90)	-	-	-	-
ग) निवल बीमांकक (हानि)/अभिलाभ						
c) Net Actuarial (loss) / gain	(3.09)	(3.84)	(2.47)	(18.06)	(12.19)	(0.13)
घ) अवधि में अभिज्ञात बीमांकक (हानि)/अभिलाभ						
d) Actuarial (loss) / gain recognized in the period	(3.09)	(3.84)	(2.47)	(18.06)	(12.19)	(0.13)
च) गैर अभिज्ञात बीमांकक हानि						
e) Unrecognised actuarial loss	-	-	-	-	-	-

D) तुलनपत्र में मान्य राशि / Amount recognized in Balance Sheet:

(रु. करोड़ में) / (Rs. In crore)

विवरण / Particulars	योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN					
	निधिबद्ध / Funded		गैर-निधिबद्ध / Unfunded			
	पेंशन (नया) Pension (New)	ग्रेच्युटी Gratuity	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	पेंशन (पुराना) Pension (Old)	एलएफसी LFC	बीमारी अवकाश Sick Leave
क) यथास्थिति 31.03.2009 को परिभाषित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य a) Present value of defined benefit obligation as at 31.03.2009	614.69	390.75	97.68	142.45	11.47	19.81
घटाएं : / Less:						
ख) यथास्थिति 31.03.2009 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य b) Fair value of Plan Assets as at 31.03.2009	602.19	389.19	-	-	-	-
ग) तुलन पत्र में अभिज्ञात गैर-निधिबद्ध निवल देयता /(आस्ति) c) Unfunded Net Liability / (Asset) recognized in Balance Sheet	12.50	1.56	97.68	142.45	11.47	19.81

ड) लाभ एवं हानि खाते में अभिज्ञात व्यय :

E) Expenses recognized in Profit & Loss account

(रु. करोड़ में) / (Rs. In crore)

विवरण / Particulars	योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN					
	निधिबद्ध / Funded		गैर-निधिबद्ध / Unfunded			
	पेंशन (नया) Pension (New)	ग्रेच्युटी Gratuity	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	पेंशन (पुराना) Pension (Old)	एलएफसी LFC	बीमारी अवकाश Sick Leave
क) चालू सेवा लागत / a) Current service cost	62.85	10.25	7.97	5.55	-	2.03
ख) ब्याज लागत / b) Interest Cost	39.46	25.80	6.61	8.57	0.28	1.25
ग) योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय c) Expected return on Plan Assets	(42.44)	26.99	-	-	-	-
घ) वर्ष में अभिज्ञात निवल बीमांकक हानि/ (अभिलाभ) d) Net actuarial loss / (gain) recognized in the year	3.09	3.84	2.47	18.06	12.19	(0.13)
ड) निवल लाभ व्यय e) Net Benefit Expense	62.96	12.90	17.05	32.18	12.47	3.15

च) तुलन पत्र में अभिज्ञात देयताओं का संचलन :

(रु. करोड़ में) / (Rs. In crore)

F) Movements in the Liability recognized in the Balance Sheet

विवरण / Particulars	योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN					
	निधिबद्ध / Funded		गैर-निधिबद्ध / Unfunded			
	पेंशन (नया) Pension (New)	ग्रेच्युटी Gratuity	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	पेंशन (पुराना) Pension (Old)	एलएफसी LFC	बीमारी अवकाश Sick Leave
क) अथ निवल देयता a) Opening Net Liability	13.92	17.53	95.73	118.38	8.52	16.66
ख) निवल लाभ व्यय b) Net Benefit Expense	62.96	12.90	17.05	32.18	12.47	3.15
ग) प्रदत्त अंशदान c) Contribution paid	(64.38)	(28.87)	(15.10)	(8.11)	(9.52)	-
घ) इति निवल देयता d) Closing Net Liability	12.50	1.56	97.68	142.45	11.47	19.81

छ) ट्रस्ट द्वारा बनाए रखे गए निवेश का प्रतिशत :

(in %)

G) Investment percentage maintained by the Trust:

विवरण Particulars	पेंशन(नया) Pension (New)	ग्रेच्युटी Gratuity
केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ / Central Govt. Securities	33	33.43
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ / State Govt. Securities	23	22.43
उच्च स्तरीय कारपोरेट बांड (पीएसयू/पीएफसी) / High Quality Corporate Bonds (PSU/PFC)	42	43.94
विशेष जमा योजनाएँ / Special Deposit Scheme	2	0.20
अन्य निवेश / Other Investment	-	-

नोट :

Note:

- क) चूंकि वेतन संशोधन को अंतिम रूप देना विचाराधीन है अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान वेतन बकाया हेतु रु. 122 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
- ख) बैंक ने एस 15 (आर) को अपनाने के कारण ट्रेन्ज़िशनल देयता के हेतु रु. शून्य (पिछला वर्ष रु. 45.11 करोड़) समायोजित किया ।
- 13.4 सेगमेंट रिपोर्टिंग - लेखा मानक (एस) 17 “ सेगमेंट रिपोर्टिंग”। सेगमेंट सूचनाएँ समेकित विवरण में मानक के पैरा 4 के अनुसार दी गई है।
- 13.5 संबंधित पक्षकारों के प्रकटीकरण - लेखा मानक (एस) 18 संबंधित पार्टियों की सूची एवं लेनदेन

- a) Pending Finalisation of wage revision, a provision of Rs. 122 Crores has been made during the financial year 2008-09 towards wage arrears.
- b) The Bank has adjusted Rs. Nil Crores (previous year Rs. 45.11 Crores) towards transitional liability on account of adoption of AS 15 (R).
- 13.4 Segment Reporting – Accounting Standard (AS) 17 “Segment Reporting” Segment information is given in the Consolidated Financial Statements in terms of para 4 of the Standard.
- 13.5 Related Party Disclosures – Accounting Standard (AS) 18 List of Related Parties and Transactions

क) संबंधित पार्टियों के नाम, बैंक के साथ उनका संबंध तथा किए गए लेनदेन।

(रु. करोड़ में) / (Rs. In crore)

a) The names of the related parties, their relationship with the bank and transaction effected.

क्रम सं. Sl. No.	नाम Name	पदनाम Designation	परिलब्धियाँ/ Remuneration	
			चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1	श्री के. आर. कामत Shri K. R. Kamath	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (2 अगस्त, 2008 से प्रभावी) Chairman & Managing Director (w.e.f. 2 nd August 2008)	542,453	शून्य / Nil
2	श्री ए. सी. महाजन Shri A. C. Mahajan	भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Ex-Chairman & Managing Director	1,283,498	1,091,654
3	श्री ओ. एन. सिंह Shri O. N. Singh	भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Ex-Chairman & Managing Director	91,017	833,333
4	श्री जे.पी. दूआ Shri J. P. Dua	कार्यपालक निदेशक Executive Director	838,509	225,292
5	श्री के. के. अग्रवाल Shri K K Agarwal	कार्यपालक निदेशक Executive Director	838,509	225,292
6	श्री एस. के. गोयल Shri S. K. Goel	भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक Ex -Executive Director	319,726	1,146,918

ग्रेचयुटी तथा अवकाश नकदीकरण से संबंधित व्यय का निर्धारण समग्र कंपनी के आधार पर वार्षिक रूप से बीमांकक प्रणाली द्वारा किया जाता है तथा तदनुसार उसे उपर्युक्त सूचना में नहीं लिया गया है।

ख) अनुषंगी कंपनी : ऑलबैंक फाइनेन्स लिमिटेड (पूर्ण स्वामित्व में)

ग) सहायक :

- शारदा ग्रामीण बैंक
- लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- युनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरन्स कंपनी लि. उपर्युक्त सहयोगी

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में बैंक के 35 % के शेयर हैं।

अनुषंगियों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ लेनदेन का खुलासा (एस) - 18 के संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण के पैरा 9 को ध्यान में रखते हुए नहीं किया गया है जो राज्य द्वारा नियंत्रित उद्यमों को उन अन्य संबंधित पक्षकारों के साथ उनके लेनदेन से संबंधित खुलासे करने से मुक्त करता है जो राज्य द्वारा नियंत्रित हैं।

घ) युनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरन्स कंपनी लिमिटेड के सहायक कंपनियों के साथ के लेनदेन निम्नवत हैं :-

(रु. करोड़ में)

विवरण	राशि	Particulars	Amount
अर्जित आय	1.90	Income Earned	1.90
प्रदत्त बीमा प्रिमियम	0.54	Insurance Premium Paid	0.54

13.6 पट्टा प्रकटीकरण

क) परिचालनगत पट्टों का लेखाजोखा एस-19 के अनुपालन करते हुए किया गया है तथा देय भावी किराया निम्नवत है :

बैंक के पास कार्यालयों / आवासीय सुविधाओं के लिए विभिन्न पट्टे हैं। इस संबंध में निम्नवत प्रकटीकरण किया जाता है :-

- निम्नलिखित प्रत्येक अवधि हेतु निरस्त न कर सकने वाले परिचालनगत पट्टों के अंतर्गत भावी निम्नतम पट्टे भुगतानों का कुल :

Expenses towards gratuity and leave encashment are determined actuarially on an overall company basis annually and accordingly have not been considered in the above information.

b) Subsidiary: All Bank Finance Limited (wholly owned)

c) Associates:

- Sharda Gramin Bank
- Lucknow Kshetriya Gramin Bank
- Tribeni Kshetriya Gramin Bank
- Universal Sompo General Insurance Company Limited

The Bank is holding 35% shares of the above Associated Regional Rural Banks.

The transactions with the subsidiaries and Regional Rural Banks have not been disclosed in view of para 9 of the (AS)-18 Related Party Disclosure, which exempts state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are also state controlled.

d) Universal Sompo General Insurance Company Limited. Transactions with Associate company are as follows:

(Rs. in Crores)

13.6 Lease Disclosure

A) Accounting of operating leases has been done in compliance to AS-19 and future rent payable is as under:

The Bank has various operating leases for office / residential facilities. Disclosures in this regard are as under:

- The total of future minimum lease payments under non-cancellable operating leases for each of the following periods:

31.03.2009 को यथास्थिति असमाप्त पट्टे अवधि हेतु देय किराया / Rent payable for unexpired lease period as on 31.03.2009

	मौजूदा पट्टा अवधि / Existing lease period	
एक वर्ष से पूर्व Not later than one year 33.75	एक वर्ष के बाद तथा पाँच वर्ष से पूर्व Later than one year and not later than five years 78.59	पाँच वर्ष के बाद Later than five years 23.78

- i) तुलन पत्र की तारीख को निरस्त न कर सकने वाले उप पट्टे के अंतर्गत प्राप्त किए जाने वाले प्रत्याशित भावी निम्नतम उप पट्टे के भुगतानों का कुल : शून्य
- ii) संबंधित अवधि हेतु लाभ एवं हानि की विवरणी में अभिज्ञात पट्टे भुगतान : रु. 48.58 करोड़
- iii) संबंधित अवधि हेतु लाभ एवं हानि की विवरणी में अभिज्ञात प्राप्त(अथवा प्राप्य) उप-पट्टे के भुगतान : शून्य
- ख) वित्तीय पट्टा :
- बैंक के पास वित्तीय पट्टे के अंतर्गत कोई सम्पत्ति नहीं है ।
- ii) The total of future minimum sublease payments expected to be received under non-cancellable subleases at the balance sheet date: Nil
- iii) Lease payments recognised in the statement of profit and loss for the period: Rs.48.58 Crores.
- iv) Sub-lease payments received (or receivable) recognised in the statement of profit and loss for the period: Nil
- B) Financial Lease:
- Bank is not having any assets under Financial Lease.

13.7 प्रति शेयर अर्जन : लेखा मानक (एएस) 20 : / Earning Per Share – Accounting Standard (AS) 20:

क्रम सं. Sl. No.	विवरण Particulars	वर्ष 2008-09 हेतु For the year 2008-09	वर्ष 2007-08 हेतु For the year 2007-08
क. A	प्रति शेयर मूल और डाइल्यूटेड अर्जन Basic and Diluted Earning Per Share	Rs. 17.21	Rs.21.82

प्रति शेयर मूल और डाइल्यूटेड अर्जन की गणना / Calculation of Basic and Diluted Earning Per Share

क्रम सं. Sl. No.	विवरण Particulars	वर्ष 2008-09 हेतु For the year 2008-09	वर्ष 2007-08 हेतु For the year 2007-08
क. A	इक्विटी शेयरधारकों को वर्ष हेतु प्रदान किया जाने वाला निवल लाभ Net Profit for the year attributable to Equity Share holders	Rs.768.60 Crores	Rs.974.74 Crores
ख. B	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of Equity Shares	44.67 Crores	44.67 Crores
ग. C	प्रति शेयर मूल अर्जन (क/ख) (रु.) Basic Earning per Share (A/B) (Rs.)	Rs.17.21	Rs.21.82
घ. D	प्रति शेयर नोमिनल मूल्य Nominal Value per share	Rs. 10/-	Rs. 10/-

13.8 आय पर कर हेतु लेखा - लेखा मानक (एएस) 22

वर्ष के दौरान, आस्थगित कर स्तर के समायोजन के रूप में रु. 3.39 करोड़(निवल) (पिछले वर्ष निवल नामे रु. 18.16 करोड़) को लाभ एवं हानि खाते में नामे लिखा गया। तुलन पत्र की तारीख को यथास्थिति आस्थगित कर आस्तियों / देयताओं के मुख्य घटक तुलनपत्र की तिथि के अनुसार निम्नवत है :

13.8 Accounting for Taxes on Income: Accounting Standard (AS) 22

During the year, an amount of Rs. 3.39 Crores (Net) (Previous year net debit Rs.18.16 Crores) has been debited to the Profit & Loss Account by way of adjustment of deferred tax. The major components of Deferred Tax Assets/ Liabilities as on Balance Sheet date are as under:

(रु. करोड़ में) / (Rs. in Crores)

विवरण Particulars	यथास्थिति As on 31.03.2008	समायोजन जोड़/(घटाव) Adjustment Add/(Less)	यथास्थिति As on 31.03.2009
आस्थगित कर आस्तियाँ Deferred Tax Assets			
अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान Provision for Leave Encashment	2.61	(2.61)	Nil
बीमारी अवकाश हेतु प्रावधान Provision for Sick Leave	-	0.66	0.65
पेंशन हेतु प्रावधान (पुरानी) Provision for Pension(old)	1.59	5.40	6.99
एलएफसी हेतु प्रावधान Provision for LFC		2.12	2.12
कुल / Total	4.20	5.57	9.76
आस्थगित कर देयताएँ Deferred Tax Liabilities			
अचल आस्तियों का मूल्यहास Depreciation of Fixed Assets	1.07	0.27	1.34
निवेश के रूप में धारित प्रतिभूतियों पर उपचित किंतु अदेय ब्याज Interest Accrued but not due on securities held as Investments	12.61	8.69	21.29
कुल / Total	13.68	8.96	22.63
आस्थगित कर देयताएँ(निवल) Deferred Tax Assets (Net)	9.48	3.39	12.87

13.9 'वित्तीय आस्तियों के रूप में बैंक की आस्तियों के पर्याप्त अंश पर लेखा मानक (एएस) 28 'इम्पेयरमेंट ओफ एसेट्स' प्रयोज्य नहीं है। प्रबंधन की राय में उक्त मानक के अनुसार 31.03.2009 को बैंक की अन्य आस्तियों में कोई इम्पेयरमेंट नहीं है और अभिज्ञान हेतु कोई महत्वपूर्ण विस्तार नहीं है

13.9 A substantial portion of the bank's assets comprise of 'financial assets' to which Accounting Standard (AS) 28 'Impairment of Assets' is not applicable. In the opinion of the management, there is no impairment of other assets of the Bank as at 31.03.2009 to any material extent requiring recognition in terms of the said standard.

13.10 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियों के संबंध में लेखा मानक (एएस) 29 के अनुसार प्रकटीकरण

13.10 Disclosure in terms of Accounting Standard (AS) 29 on "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets":

देयताओं हेतु प्रावधान का संचलन (इति शेष) :

Movement of Provision for Liabilities (Closing Balance) :

(रु. करोड़ में)

(Rs. in Crores)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2009	यथास्थिति 31.03.2008
(क) एनपीए हेतु प्रावधान	641.64	591.69
(ख) निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधान	430.30	322.03
(ग) मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	277.01	257.00
(घ) आयकर हेतु प्रावधान	737.18	440.18
(ङ) आस्थगित कर आस्तियाँ/देयताएँ	12.87	9.48
(च) अनुषंगी लाभ कर	26.04	19.26
(छ) अन्य	480.70	384.29
कुल	2605.74	2023.93

Particulars	As on 31.03.2009	As on 31.03.2008
(a) Provision toward NPA	641.64	591.69
(b) Provision for Depreciation on Investment	430.30	322.03
(c) Provision towards Standard Assets	277.01	257.00
(d) Provision towards Income Tax	737.18	440.18
(e) Deferred Tax Assets / Liabilities	12.87	9.48
(f) Fringe Benefit Tax	26.04	19.26
(g) Others	480.70	384.29
Total	2605.74	2023.93

- 13.11 वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान जारी चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी): रु. 3689.17 करोड़ (पिछला वर्ष : शून्य)।
- (क) आकस्मिक देयताएँ :
- तुलन पत्र की अनुसूची 12 के क्रम संख्या (I) से (VI) में यथा उल्लिखित ऐसी देयताएँ क्रमशः न्यायालय/आर्बिट्रेशन/न्यायालय के बाहर निपटान के परिणामों, अपीलों के निपटान, मांग की गई राशि, संविदागत बाध्यताओं की शर्तों, घटनाक्रमों और संबंधित पक्षकारों द्वारा की गई मांग पर निर्भर हैं।
14. पूँजीगत खाते पर निष्पादन हेतु शेष संविदा की अनुमानित राशि जिसका प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिम का निवल) रु. 61.93 करोड़ (पिछला वर्ष 95.89 करोड़)
15. अनुप्रयोज्य आस्तियों के अंतर्गत धारित प्रावधान के क्षेत्रवार ब्रेकअप को सकल अग्रिम से अनुमानित आधार पर घटा दिया गया है ताकि तुलन पत्र की अनुसूची 9 में यथोक्त निवल अग्रिम का शेष निकल सके।
16. भारत सरकार ने सीमांत एवं लघु किसानों तथा अन्य किसानों, जिन्होंने प्रत्यक्ष कृषि ऋण लिए हैं, को ऋण माफी प्रदान करने हेतु राहत योजना यथा, "कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना, 2008" अधिसूचित की है। माफ की गई राशि हेतु रु. 1040.80 करोड़ के प्रारंभिक दावे भारतीय रिज़र्व बैंक के पास दायर किए गए हैं जिसमें से रु. 426.73 करोड़ प्राप्त हो गए हैं। योजना के अनुसार पात्र किसानों को दी गई कृषि ऋण माफी की राशि खातों में जमा की जा चुकी है तथा ये राशियाँ लेखापरीक्षकों द्वारा दावे के प्रमाणन के अधीन है।
17. जहाँ आवश्यक समझा गया है पिछले वर्ष के आँकड़ों को पुनःसमूहित अथवा पुनःवर्गीकृत किया गया है।
- 13.11 Letters of Comfort (LOC's) issued during the Current Financial Year: Rs. 3689.17 Crores (Previous Year: Nil).
- (a) Contingent Liabilities:
- Such liabilities as mentioned at Sl. No.(I) to (VI) in schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the outcome of court / arbitration / out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties respectively.
14. Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (Net of Advance) Rs. 61.93 Crores (Previous Year Rs. 95.89 Crores).
15. Sector wise break up of provision held under non-performing advances is deducted on estimated basis from gross advances to arrive at the balance of net advances as stated in the Schedule 9 of the Balance Sheet.
16. The Government of India has notified Relief Scheme viz., "Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme, 2008", for giving debt waiver to marginal and small farmers and to other farmers who have availed direct agricultural loans. Preliminary claims have been lodged with RBI for Rs. 1040.80 crores being the amount waived, out of which Rs. 426.73 crores has been received. The agricultural debt waiver given to the eligible farmers as per the Scheme has been given effect to in the accounts and amounts are subject to certification of claim by the auditors.
17. Figures of previous year have been regrouped or reclassified wherever considered necessary.

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
भारत के राष्ट्रपति

- हमने इलाहाबाद बैंक के 31 मार्च, 2009 के तुलन पत्र, उस तारीख को संलग्न लाभ एवं हानि लेखा की लेखापरीक्षा की है, जिनमें हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 20 शाखाओं एवं 44 मंडलीय कार्यालयों, अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 1884 शाखाओं, स्थानीय लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित एक विदेशी शाखा तथा चीन स्थित एक प्रतिनिधि कार्यालय की अलेखापरीक्षित विवरणी शामिल है। हमारे द्वारा लेखापरीक्षित तथा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं का चयन बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। तुलन पत्र एवं लाभ एवं हानि लेखों में ऐसी 355 शाखाओं की विवरणी शामिल है जिनकी लेखापरीक्षा नहीं की गई है। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं में 4.06% अग्रिम, 6.96% जमा राशि, 2.89% ब्याज आय तथा 6.44% ब्याज व्यय निहित है। हमने उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणी की भी लेखा परीक्षा की है।
- इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी बैंक प्रबंधन की है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत व्यक्त करना है।
- हमने अपनी लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षा मानदंडों के अनुसार की है। उन मानकों की अपेक्षा है कि हम इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण तात्त्विक अशुद्ध विवरण से मुक्त है। लेखापरीक्षा में परीक्षण आधार पर, राशि को प्रकट करने वाले साक्ष्यों की जाँच तथा वित्तीय विवरण में प्रकटीकरण की जाँच करना शामिल है। लेखापरीक्षा में, प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों सहित समग्र वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे अभिमत का ठोस आधार है।
- तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखा बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की तृतीय अनुसूची के क्रमशः "क" तथा "ख" फॉर्म में तैयार किए गए हैं।
- पैराग्राफ 1 में उल्लिखित लेखापरीक्षा के आधार पर बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 द्वारा यथा अपेक्षित तथा उसमें प्रकट सीमाओं के अधीन हम नोट संख्या 2(i) और 2(ii) (अनुसूची-18) बैलेंसिंग/अंतर-शाखा खातों में बेमेल प्रविष्टियों के समाधान और मिलान/समाधान तथा उपर्युक्त नोट में यथोल्लिखित विभिन्न लेखा शीर्षों में बकाया प्रविष्टियों के समाधान की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं इसके परिणाम स्वरूप लेखाओं पर पड़ने वाले प्रभावों का अभिनिर्धारण नहीं किया जा सका।

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- क) हमने वे सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे तथा हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।
- ख) हमारी जानकारी में आए बैंक के लेनदेन बैंक के अधिकारों के अंतर्गत है।

AUDITORS' REPORT

To
The President of India

- We have audited the attached Balance Sheet of ALLAHABAD BANK as at 31st March 2009, the Profit and Loss Account for the year ended on that date annexed thereto, in which are incorporated the Returns of 20 branches, 44 zonal offices audited by us, 1884 branches audited by other auditors, one overseas branch audited by local auditor and one unaudited representative office in China. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 355 branches, which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 4.06 % of advances, 6.96% of deposit, 2.89 % of interest income and 6.44 % of interest expenses. We have also audited the cash flow statement annexed to the Balance Sheet for the year ended on that date.
- These financial statements are the responsibility of the Bank's Management. Our responsibility is to express our opinion on these financial statements based on our audit.
- We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
- The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Form 'A' and 'B' respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
- Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and also subject to the limitations of disclosure required therein, and subject to Notes No.2 (i) & 2(ii) (Schedule 18) regarding balancing / reconciliation of unmatched entries in Inter Branch Accounts and balancing / reconciliation and clearance of outstanding entries in various heads of account as stated in the said notes, the consequential effect whereof on the accounts could not be ascertained;

We report that:

- (a) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and have found the same to be satisfactory.
- (b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.

- (ग) बैंक के कार्यालयों तथा शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के लिए सामान्यतः पर्याप्त पाई गई हैं।
- (घ) हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण प्रयोज्य लेखा मानकों के अनुरूप है
- (ङ) हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा बैंक की बहियों में यथादर्शित
- (i) महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और उन पर टिप्पणियों के साथ पठित तुलन पत्र पूर्ण एवं उचित तुलनपत्र है जिसमें आवश्यक विवरण दिए गए हैं तथा भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप उचित ढंग से तैयार किया गया है ताकि यह बैंक के 31 मार्च, 2009 के कामकाज की सही एवं उचित छवि प्रस्तुत कर सके।
- (ii) महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और उन पर टिप्पणियों के साथ पठित लाभ एवं हानि लेखा भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप संबंधित वर्ष हेतु लाभ का सही शेष दर्शाता है।
- (iii) नकदी प्रवाह विवरण, विवरणी द्वारा उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह की सही एवं उचित छवि प्रस्तुत करता है।

कृते मे. रसूल सिंहल एंड कं.
सनदी लेखाकार
For **M/S. Rasool Singhal & Co.**
Chartered Accountants

(कौशल कुमार)
पार्टनर
सदस्यता सं. 011124
(Kaushal Kumar)
Partner
Membership No. 011124

कृते मे. के. एस. बोथरा एंड कं.
सनदी लेखाकार
For **M/S. K. S. Bothra & Co.**
Chartered Accountants

(एस.एल. सेठ)
पार्टनर
सदस्यता सं. 053261
(S. L. Seth)
Partner
Membership No. 053261

कृते मे. आनन्द रंगटा एंड कं.
सनदी लेखाकार
For **M/S. Anand Rungta & Co.**
Chartered Accountants

(अरुण अग्रवाल)
पार्टनर
सदस्यता सं. 098486
(Arun Agarwal)
Partner
Membership No. 098486

- (c) The returns received from the Offices and Branches of the Bank have been found adequate for the purpose of our audit.
- (d) In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.
- (e) In our opinion and to the best of our information, and according to the explanations given to us and as shown by the books of the Bank:
- (i) The Balance Sheet, read with the Significant Accounting Policies and notes thereon, is a full and fair Balance Sheet containing the necessary particulars and is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view, of the state of affairs of the Bank as at 31st March 2009 in conformity with accounting principles generally accepted in India.
- (ii) The Profit and Loss Account read with Significant Accounting Policies and notes thereon, shows a true balance of Profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account.
- (iii) The Cash Flow Statement shows a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

कृते मे. दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
For **M/S. Dass Gupta & Associates**
Chartered Accountants

(अशोक कुमार जैन)
पार्टनर
सदस्यता सं. 90563
(Ashok Kr. Jain)
Partner
Membership No. 90563

कृते मे. वेंकट एंड रंगा
सनदी लेखाकार
For **M/S. Venkat & Rangaa**
Chartered Accountants

(एस मणिशेखरन)
पार्टनर
सदस्यता सं. 26400
(S. Manisekaran)
Partner
Membership No. 26400

कृते मे. सुदित कुमार पारीख एंड कं.
सनदी लेखाकार
For **M/S. Sudit K Parekh & Co.,**
Chartered Accountants

(श्रीकान्त वी. जिल्ला)
पार्टनर
सदस्यता सं. 39461
(Srikant V. Jilla)
Partner
Membership No. 39461

इ ला हा बा द बैंक ALLAHABAD BANK

31 मार्च, 2009 को यथास्थिति समेकित तुलन-पत्र
Consolidated Balance Sheet as on 31st March, 2009

(रु. करोड़ में)(Rs. in Crores)

विवरण Particulars	अनुसूची SCHEDULE	यथास्थिति / As on 31.03.2009	यथास्थिति / As on 31.03.2008
पूंजी और देयताएं / CAPITAL & LIABILITIES			
पूंजी / Capital	1	446.70	446.70
आरक्षितियां एवं अधिशेष / Reserves & Surplus	2	5590.12	4937.35
अल्पसंख्यक ब्याज / Minorities Interest	2A	शून्य / Nil	शून्य / Nil
जमाराशियाँ / Deposits	3	84966.53	71615.70
उधार / Borrowings	4	937.03	1792.00
अन्य देयताएं और प्रावधान / Other Liabilities and Provisions	5	5889.12	4311.79
कुल / Total		97829.50	83103.54
आस्तियाँ / ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	5115.38	6288.86
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन			
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	1521.38	753.24
विनिधान / Investments	8	29825.34	23557.34
ऋण एवं अग्रिम / Loans & Advances	9	58801.80	49721.01
स्थिर आस्तियाँ / Fixed Assets	10	1111.46	1073.18
अन्य आस्तियाँ / Other Assets	11	1454.14	1709.91
समेकन पर साख / Goodwill on Consolidation			शून्य / Nil
लाभ एवं हानि खाते का नामे शेष			
Debit Balance of Profit and Loss A/C			शून्य / Nil
कुल / Total		97829.50	83103.54
आकस्मिक देयताएं / Contingent Liabilities	12	46893.68	55565.74
संग्रहण के लिए बिल / Bills for Collection		1,726.42	1410.84
ऊपर संदर्भित अनुसूचियाँ लेखे का अभिन्न अंग है। The Schedules referred to above form an integral part of the Accounts.			

निदेशक / Directors:

श्रीमती सुकृति लिखि / SMT. SUKRITI LIKHI

मोहम्मद ताहिर / MOHAMMAD TAHIR

श्री अशोक जैन / SHRI ASHOK JAIN

श्री के. के. डोगरा / SHRI K. K. DOGRA

श्री वी. गुरुमूर्ति / SHRI V. GURUMURTHY

श्रीमती जोगिन्दर कौर / SMT. JOGINDER KAUR

श्री पी. वी. गुडिरेड्डी / SHRI P. V. GUDIREDDY

डॉ. शकील-उज़्ज़मान अंसारी /

DR. SHAKEEL UZ ZAMAN ANSARI

श्री डी के कपिला / SHRI D. K. KAPILA

श्री अशोक कुमार महापात्र /

SHRI ASHOK KUMAR MOHAPATRA

के. आर. कामत
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
K. R. KAMATH
Chairman & Managing Director

जे. पी. दूआ
कार्यपालक निदेशक
J. P. DUA
Executive Director

ए. बी. भट्टाचार्य
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
A. B. Bhattacharjee
General Manager
(Finance & Accounts)

एस.पी. बसु
सहायक महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
S. P. BASU
Assistant General Manager
(Finance & Audit)

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date

स्थान : कोलकाता
दिनांक : मई 04, 2009
Place : Kolkata
Date : May 04, 2009

कृते मे. वेकेंट एंड रंगा / For M/s Venkat & Rangaa
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
एस. मणिकेरण / S. Manisekaran
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं. / M.No. 26400

कृते मे. आनन्द रंगटा एंड कं. / For M/s Anand Rungta & Co
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
अरुण अग्रवाल / Arun Agarwal
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं. / M.No. 098486

कृते मे. सुदित कुमार पारीख एंड कं. / For M/s Sudit K Parekh & Co.
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
श्रीकान्त वी. जिला / Srikant V. Jilla
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं. / M.No. 39461

इ ला हा बा द बैंक ALLAHABAD BANK

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ व हानि लेखा Consolidated Profit & Loss Account for the year ended 31st March, 2009

(रु. करोड़ में)(Rs. in Crores)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	वर्षान्त / Year ended 31.03.2009	वर्षान्त / Year ended 31.3.2008
I आय / INCOME			
अर्जित ब्याज / Interest earned	13	7364.81	6171.22
अन्य आय / Other income	14	1151.25	969.90
कुल / Total :		8516.06	7141.12
II व्यय / EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज / Interest expended	15	5205.87	4498.88
परिचालन व्यय / Operating expenses	16	1400.12	1158.26
प्रावधान और आकस्मिक व्यय / Provisions & contingencies		1132.05	505.29
कुल / Total :		7738.04	6162.43
अनुषंगियों से आय/हानि का अंश Share of earnings/loss in Associates		12.45	15.29
अल्पसंख्यक ब्याज घटाने से पूर्व वर्ष का समेकित निवल लाभ/(हानि) Consolidated Net profit/(loss) for the year before deducting Minorities' Interest		790.47	993.98
घटाएं: अल्पसंख्यक ब्याज / Less: Minorities' Interest वर्ष हेतु समेकित लाभ/(हानि) समूह से संबद्ध Consolidated profit/(loss) for the year attributable to the group		790.47	993.98
जोड़ें: समूह से संबद्ध समेकित लाभ/(हानि) अग्रानीत Add: Brought forward consolidated profit/(loss) attributable to the group		192.46	184.61
कुल / Total :		982.93	1178.59
III विनियोजन / APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षितियों को अंतरण / Transfer to Statutory Reserves		193.00	245.00
अन्य आरक्षितियों को अंतरण / Transfer to Other Reserves		441.55	558.22
अंतरिम / प्रस्तावित लाभांश (लाभांश पर कर सहित) Interim / Proposed Dividend (including tax on Dividend)		130.66	182.91
समेकित तुलन पत्र में अग्रणीत शेष Balance carried over to consolidated Balance Sheet		217.72	192.46
कुल / Total :		982.93	1178.59
प्रति शेयर अर्जन / Earning per Share		17.70	22.25
ऊपर संदर्भित अनुसूचियां लेखों का अभिन्न अंग हैं The schedules referred to above form an integral part of Accounts			

निदेशक / Directors:

श्रीमती सुकृति लिखि / SMT. SUKRITI LIKHI

मोहम्मद ताहिर / MOHAMMAD TAHIR

श्री अशोक जैन / SHRI ASHOK JAIN

श्री के. के. डोगरा / SHRI K. K. DOGRA

श्री वी. गुरुमूर्ति / SHRI V. GURUMURTHY

श्रीमती जोगिन्दर कौर / SMT. JOGINDER KAUR

श्री पी. वी. गुडिरेड्डी / SHRI P. V. GUDIREDDY

डॉ. शकील-उज़्ज़मान अंसारी /

DR. SHAKEEL UZ ZAMAN ANSARI

श्री डी के कपिला / SHRI D. K. KAPILA

श्री अशोक कुमार महापात्र /

SHRI ASHOK KUMAR MOHAPATRA

के. आर. कामत
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
K. R. KAMATH
Chairman & Managing Director

जे. पी. दूआ
कार्यपालक निदेशक
J. P. DUA
Executive Director

ए. बी. भट्टाचार्य
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
A. B. Bhattacharjee
General Manager
(Finance & Accounts)

एस.पी. बसु
सहायक महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
S. P. BASU
Assistant General Manager
(Finance & Audit)

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date

कृते मे. रसूल सिंहल एंड कं. / For M/s Rasool Singhal & Co

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

कोशल कुमार / Kaushal Kumar

पार्टनर / Partner

सदस्यता सं. / M.No. 011124

कृते मे. दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स / For M/s Dass Gupta & Associates

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

अशोक कुमार जैन / Ashok Kr. Jain

पार्टनर / Partner

सदस्यता सं. / M.No. 90563

कृते मे. के. एस. बोथरा एंड कं. / For M/s K. S. Bothra & Co.

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

एस.एल. सेठ / S. L. Seth

पार्टनर / Partner

सदस्यता सं. / M.No. 053261

कृते मे. वेकंट एंड रंगा / For M/s Venkat & Rangaa

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

एस. मणिकेरुण / S. Manisekaran

पार्टनर / Partner

सदस्यता सं. / M.No. 26400

कृते मे. आनन्द रंगटा एंड कं. / For M/s Anand Rungta & Co

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

अरुण अग्रवाल / Arun Agarwal

पार्टनर / Partner

सदस्यता सं. / M.No. 098486

कृते मे. सुदित कुमार पारीख एंड कं. / For M/s Sudit K Parekh & Co.

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

श्रीकान्त वी. जिला / Srikant V. Jilla

पार्टनर / Partner

सदस्यता सं. / M.No. 39461

स्थान : कोलकाता

दिनांक : मई 04, 2009

Place : Kolkata

Date : May 04, 2009

इ ला हा बा द बैंक
ALLAHABAD BANK
समेकित नकदी प्रवाह विवरण
Consolidated Cash Flow Statement

(रु. करोड़ में)(Rs. in Crore)

विवरण / Particulars	2008-09		2007-08	
A परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
Cash Flow from Operating Activities				
वर्ष के दौरान अग्रिमों, विनिधानों आदि से प्राप्त ब्याज				
Interest received during the year from Advances, Investments etc.	7364.81		6171.22	
अन्य आय / Other Income	1146.32	8511.13	964.73	7135.95
घटाएँ: / Less:				
वर्ष के दौरान जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज				
Interest paid during the year on				
जमाराशियां / Deposits	4885.40		4305.98	
प्रावधान एवं आकस्मिकताओं सहित परिचालन व्यय				
Operating Expenses including Provisions & Contingencies	2532.17	7417.57	1663.55	5969.53
जोड़ें: / Add:				
स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास / Depreciation on Fixed Assets		56.33		53.28
क. परिचालनों से सृजित नकद लाभ (परिचालनगत आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व)				
a. Cash Profit generated from operations (prior to changes in operating assets and liabilities)		1149.89		1219.70
ख. देयताओं में वृद्धि (कमी)				
b. Increase (Decrease) in Liabilities				
जमाराशियां / Deposits	13350.83		12079.40	
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other Liabilities & Provisions	577.48	13928.31	355.14	12434.54
ग. आस्तियों में कमी (वृद्धि)				
c. Decrease (Increase) in Assets				
अग्रिम / Advances	(9080.79)		(8430.76)	
निवेश / Investments	(6255.55)		(4664.43)	
अन्य आस्तियां / Other Assets	255.77	(15080.57)	(75.71)	(13170.90)
परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)				
Net Cash Flow from Operating Activities (a+b+c)		(2.37)		483.34
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
Cash Flow from Investing Activities				
आस्तियों का विक्रय/निपटान / Sale/disposal of fixed assets	1.00		0.61	

समेकित नकदी प्रवाह विवरण (जारी...) / Consolidated Cash Flow Statement (Contd....)

विवरण / Particulars	2008-09	2007-08
स्थिर आस्तियों का क्रय / स्थिर / Purchase of fixed assets	(95.61)	(69.00)
ख निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		
B Net Cash Flow from Investing Activities	(94.61)	(68.39)
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
Cash Flow from Financing Activities		
उधार / Borrowings	(854.97)	1534.86
उधार पर ब्याज / Interest on Borrowings	(320.47)	(192.90)
लाभांश (कर सहित) / Dividends (including tax)	(182.92)	(156.78)
टायर II बांड (सीरीज II) / Tier I & Tier II Bonds	1050.00	500.00
ग वित्तपोषण गतिविधियों से सृजित निवल नकदी		
C Net Cash generated from Financing Activities	(308.36)	1685.18
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)		
Total Cash Flow during the year (A+B+C)	(405.34)	2100.13
घ वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		
D Cash and Cash equivalent at the beginning of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी तथा शेष		
Cash and Balances with RBI	6288.86	4067.94
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन		
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	753.24	874.03
कुल / Total	7042.10	4941.97
ङ वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		
E Cash and Cash equivalent at the end of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष		
Cash and Balances with RBI	5115.38	6288.86
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन		
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	1521.38	753.24
कुल / Total	6636.76	7042.10
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह (ङ-घ)		
Total Cash Flow during the year (E-D)	(405.34)	2100.13

निदेशक / Directors:

श्रीमती सुकृति लिखि / SMT. SUKRITI LIKHI

मोहम्मद ताहिर / MOHAMMAD TAHIR

श्री अशोक जैन / SHRI ASHOK JAIN

श्री के. के. डोगरा / SHRI K. K. DOGRA

श्री वी. गुरुमूर्ति / SHRI V. GURUMURTHY

श्रीमती जोगिन्दर कौर / SMT. JOGINDER KAUR

श्री पी. वी. गुडिरेड्डी / SHRI P. V. GUDIREDDY

डॉ. शकील-उज्जमान अंसारी /

DR. SHAKEEL UZ ZAMAN ANSARI

श्री डी के कपिला / SHRI D. K. KAPILA

श्री अशोक कुमार महापात्र /

SHRI ASHOK KUMAR MOHAPATRA

के. आर. कामत

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

K. R. KAMATH

Chairman & Managing Director

जे. पी. दूआ

कार्यपालक निदेशक

J. P. DUA

Executive Director

ए. बी. भट्टाचार्य

महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

A. B. Bhattacharjee

General Manager

(Finance & Accounts)

एस.पी. बसु

सहायक महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

S. P. BASU

Assistant General Manager

(Finance & Audit)

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date

कृते मे. रसूल सिंहल एंड कं. / For M/s Rasool Singhal & Co

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

कोशल कुमार / Kaushal Kumar

पार्टनर / Partner

सदस्यता सं. / M.No. 011124

कृते मे. दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स / For M/s Dass Gupta & Associates

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

अशोक कुमार जैन / Ashok Kr. Jain

पार्टनर / Partner

सदस्यता सं. / M.No. 90563

कृते मे. के. एस. बोथरा एंड कं. / For M/s K. S. Bothra & Co.

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

एस.एल. सेठ / S. L. Seth

पार्टनर / Partner

सदस्यता सं. / M.No. 053261

कृते मे. वेकंट एंड रंगा / For M/s Venkat & Rangaa

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

एस. मणिकेकरन / S. Manisekaran

पार्टनर / Partner

सदस्यता सं. / M.No. 26400

कृते मे. आनन्द रंगटा एंड कं. / For M/s Anand Rungta & Co

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

अरुण अग्रवाल / Arun Agarwal

पार्टनर / Partner

सदस्यता सं. / M.No. 098486

कृते मे. सुदित कुमार पारीख एंड कं. / For M/s Sudit K Parekh & Co.

सनदी लेखाकार / Chartered Accountants

श्रीकान्त वी. जिला / Srikanth V. Jilla

पार्टनर / Partner

सदस्यता सं. / M.No. 39461

स्थान : कोलकाता

दिनांक : मई 04, 2009

Place : Kolkata

Date : May 04, 2009

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	यथास्थिति / As on 31.03.2009 (रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)	यथास्थिति / As on 31.03.2008 (रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)
अनुसूची 1 - पूँजी		
SCHEDULE 1 - CAPITAL		
Particulars		
प्राधिकृत पूँजी (1,50,00,00,000 शेयर प्रत्येक रु. 10)		
Authorised Capital (1,50,00,00,000 Shares of Rs.10 each)	1500.00	1500.00
निर्गमित पूँजी (44,67,00,000 शेयर प्रत्येक रु. 10)		
Issued Capital (44,67,00,000 Shares of Rs.10 each)	446.70	446.70
अभिदत्त पूँजी (44,67,00,000 शेयर प्रत्येक रु. 10)		
Subscribed Capital (44,67,00,000 Shares of Rs.10 each)	446.70	446.70
मांगी गई पूँजी (44,67,00,000 शेयर प्रत्येक रु. 10)		
Called-up Capital (44,67,00,000 Shares of Rs.10 each)	446.70	446.70
घटाएँ: अदत्त मांगें / Less: Calls unpaid	शून्य /NIL	शून्य /NIL
जोड़ें: जब्त शेयर / Add: Forfeited shares	शून्य /NIL	शून्य /NIL
कुल / Total	446.70	446.70
अनुसूची 2 - आरक्षितियाँ और अधिशेष		
SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS		
सांविधिक आरक्षितियाँ / Statutory Reserves	1322.39	1129.39
पूँजी आरक्षितियाँ / Capital Reserves	1214.86	991.09
समेकन पर पूँजी आरक्षितियाँ / Capital Reserves on Consolidation	70.31	70.31
शेयर प्रीमियम / Share Premium	720.00	720.00
राजस्व एवं अन्य आरक्षितियाँ / Revenue and other Reserves	2044.84	1834.10
लाभ एवं हानि खाते में शेष		
Balance in Profit and Loss Account	217.72	192.46
कुल / Total	5590.12	4937.35
अनुसूची 2ए - अल्पसंख्यक ब्याज		
SCHEDULE 2A - MINORITIES INTEREST		
मूल-अनुषंगी संबंध के अस्तित्व में आने की तिथि को अल्प संख्यक ब्याज		
Minority interest at the date on which the parent - subsidiary relationship came into existence	शून्य /Nil	शून्य /Nil
परवर्ती वृद्धि / कमी / Subsequent increase / decrease	शून्य /Nil	शून्य /Nil
तुलन पत्र की तारीख को अल्पसंख्यक ब्याज		
Minority interest on the date of Balance Sheet	शून्य /Nil	शून्य /Nil
अनुसूची 3 - निक्षेप		
SCHEDULE 3 - DEPOSITS		
A. I. मांग निक्षेप / Demand Deposits		
(I) बैंक से / From banks	108.26	95.51
(ii) अन्य से / From others	6514.64	5684.13
II. बचत बैंक निक्षेप / Savings Bank Deposits	22774.39	20028.42
III. मीयादी निक्षेप / Term Deposits		
(I) बैंक से / From banks	1056.31	634.98
(ii) अन्य से / From others	54512.93	45172.66
कुल / Total (I, II, III)	84966.53	71615.70
B. (i) भारत में स्थित शाखाओं के निक्षेप / Deposits of branches in India	84805.08	71570.95
(ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं के निक्षेप / Deposits of branches outside India	161.45	44.75
कुल / Total (I and II)	84966.53	71615.70

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	यथास्थिति / As on 31.03.2009 (रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)	यथास्थिति / As on 31.03.2008 (रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)
अनुसूची 4 - उधार		
SCHEDULE 4 - BORROWINGS		
I. भारत में उधार / Borrowings in India		
(I) भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(ii) अन्य बैंक / Other banks	शून्य / Nil	1285.00
(iii) अन्य संस्थाएं एवं अभिकरण / Other institutions and agencies	74.19	25.63
II. भारत के बाहर उधार / Borrowings outside India	862.84	481.37
कुल / Total (I and II)	937.03	1792.00
उपर्युक्त I और II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार Secured borrowings included in I and II above	शून्य / Nil	शून्य / Nil
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं एवं प्रावधान		
SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I. संदेय बिल / Bills payable	282.19	410.39
II. अंतर-कार्यालयीन समायोजन (निवल) / Inter-office adjustments (net)	204.75	69.04
III. प्रोद्भूत ब्याज / Interest accrued	323.99	417.86
VI. आस्थगित कर देयताएं / Deferred Tax Liabilities	12.87	9.48
V. अन्य (प्रावधान सहित) / Others (including provisions)	5065.32	3405.02
कुल / Total	5889.12	4311.79
अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष		
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. रोकड़ शेष (विदेशी करेंसी नोट सहित) / Cash in hand (including foreign currency notes)	359.81	320.35
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष / Balances with Reserve Bank of India		
(i) चालू खाते में / In Current Account	4755.57	5968.51
(ii) अन्य खातों में / In Other Accounts	शून्य / Nil	शून्य / Nil
कुल / Total (I & II)	5115.38	6288.86
अनुसूची - 7 बैंकों में अतिशेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्त प्रतिदेय राशि		
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE		
I. भारत में / In India		
(i) बैंकों में अतिशेष / Balances with banks		
(a) चालू खातों में / In Current accounts	386.38	415.80
(b) अन्य जमा खातों में / In Other Deposit accounts	20.00	120.00
(ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्त प्रतिदेय राशि / Money at call and short notice	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(a) बैंकों में / With banks	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(b) अन्य संस्थाओं में / With other institutions	शून्य / Nil	शून्य / Nil
कुल / Total (i & ii)	406.38	535.80
II. भारत के बाहर / Outside India		
(a) चालू खातों में / In Current account	475.90	174.97
(b) अन्य जमा खातों में / In Other Deposit accounts	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(c) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्त प्रतिदेय राशि / Money at call and short notice	639.10	42.47
कुल / Total	1115.00	217.44
कुल योग / Grand Total (I & II)	1521.38	753.24

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	यथास्थिति / As on 31.03.2009 (रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)	यथास्थिति / As on 31.03.2008 (रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)
अनुसूची 8 - विनिधान		
SCHEDULE 8 - INVESTMENTS		
I. भारत में विनिधान / Investment in India in		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां / Government securities	21383.25	17434.88
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other approved securities	293.13	431.15
(iii) शेयर / Shares	264.31	376.92
(iv) डिबेंचर और बंध पत्र / Debentures and Bonds	2250.00	2967.19
(v) अनुषंगियों में विनिधान / Investment in Associates	235.05	222.60
(vi) अन्य (म्युचुअल फंड्स युटीआई आदि) / Others (Mutual Funds, UTI etc)	5399.60	2124.60
कुल / Total	29825.34	23557.34
II. भारत के बाहर विनिधान / Investments outside India in		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) Government securities (including local authorities)	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(ii) सरकारी प्रतिभूतियां/अनुषंगियों में विनिधान Government Securities Investment in Associates	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(iii) अन्य विनिधान / Other Investments	शून्य / Nil	शून्य / Nil
कुल / Total	शून्य / Nil	शून्य / Nil
कुल योग / Grand Total (I) & (II)	29825.34	23557.34
III. भारत में विनिधान / Investment in India		
(i) भारत में विनिधान / Gross value of Investments	30258.54	23887.98
(ii) अवक्षय हेतु सकल प्रावधान / Aggregate of Provisions for Depreciation (433.20)	(433.20)	(330.64)
(iii) निवल विनिधान / Net Investment	29825.34	23557.34
(iv) Investment outside India		
(i) भारत में विनिधान / Gross value of Investments	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(ii) अवक्षय हेतु सकल प्रावधान / Aggregate of Provisions for Depreciation	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(iii) निवल विनिधान / Net Investment	शून्य / Nil	शून्य / Nil
अनुसूची 9 - अग्रिम		
SCHEDULE 9 - ADVANCES		
A. (i) क्रय किये गए एवं भुनाए गए बिल / Bills purchased and discounted		
(ii) नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	24298.52	22566.82
(iii) मीयादी ऋण / Term loans	32671.38	25783.13
कुल / Total	58801.80	49721.01
B. (i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण पर अग्रिम सहित) Secured by tangible assets (includes advances against book debts)		
(ii) बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank/ Government Guarantees	45838.62	38438.87
(iii) बेज़मानती / Unsecured	1909.51	2880.28
कुल / Total	11053.67	8401.86
58801.80	49721.01	
C. I. भारत में अग्रिम / Advances in India		
(I) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र / Priority sector	20435.02	18366.83
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र / Public sector	6831.45	5477.07
(iii) बैंक / Banks	207.81	232.36
(iv) अन्य / Others	30840.59	25485.08
कुल / Total	58314.87	49561.34
C. II. भारत के बाहर अग्रिम / Advances outside India		
(I) बैंक से देय / Due from banks	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(ii) अन्य से देय / Due from others	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(a) खरीदे और भुनाए गए बिल / Bills purchased & discounted	43.59	शून्य / Nil
(b) सिंडिकेट ऋण / Syndicated Loans	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(c) अन्य / Others	443.34	159.67
कुल / Total	486.93	159.67
कुल योग / Grant Total	58801.80	49721.01

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	यथास्थिति / As on 31.03.2009 (रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)	यथास्थिति / As on 31.03.2008 (रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)
अनुसूची 10 - स्थिर आस्तियाँ		
SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS		
I. परिसर / Premises		
पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31 st March of the preceding year	979.80	966.84
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	17.07	12.96
वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकित / Revalued during the year	शून्य / Nil	शून्य / Nil
वर्ष के दौरान कटौती / Deductions during the year	शून्य / Nil	शून्य / Nil
आज की तारीख तक अवक्षय / Depreciation to date	57.80	50.10
कुल / Total I	939.07	929.70
IA. निर्माणाधीन परिसर / Premises under construction	शून्य / Nil	शून्य / Nil
II. अन्य स्थिर आस्तियाँ (फर्नीचर और फिक्सचर सहित) / Other Fixed Assets (including Furniture and Fixtures)		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31 st March of the preceding year	503.01	447.59
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	78.53	56.04
वर्ष के दौरान कटौती / Deductions during the year	1.00	0.63
आज की तारीख तक अवक्षय / Depreciation to date	409.81	361.18
कुल / Total II	170.73	141.82
IIA. पट्टे पर दी गई आस्तियाँ / Leased Assets		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31 st March of the preceding year	4.93	8.10
समायोजन सहित वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year including adjustments प्रावधान सहित वर्ष के दौरान कटौती	शून्य / Nil	शून्य / Nil
Deductions during the year including provisions	शून्य / Nil	3.17
आज की तारीख तक अवक्षय / Depreciation to date	3.27	3.27
कुल / Total IIA	1.66	1.66
कुल / Total (I, IA, II & IIA)	1111.46	1073.18
III. पूंजी — प्रगतिशील कार्य (पट्टे पर दी गई आस्तियाँ) प्रावधान का निवल Capital- Work - in - progress (Leased Assets) net of Provisions		
	शून्य / Nil	शून्य / Nil
कुल / Total (I, IA, II, IIA & III)	1111.46	1073.18
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ		
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS		
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter-Office Adjustments (net)		
II. प्रोद्भूत ब्याज / Interest accrued	468.31	447.18
III. अग्रिम रूप में संदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source	321.31	328.09
IV. लेखन सामग्री एवं स्टाम्प / Stationery and stamps	8.66	7.97
V. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियाँ Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	0.03	0.03
VI. आस्थगित कर आस्तियाँ / Deferred Tax assets	शून्य / Nil	शून्य / Nil
VII. अन्य / Others	655.83	926.64
कुल / Total	1454.14	1709.91

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	यथास्थिति / As on 31.03.2009 (रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)	यथास्थिति / As on 31.03.2008 (रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)
अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं		
SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES		
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया Claims against the bank not acknowledged as debts	984.12	742.14
II. आंशिक चुकता निवेशों के लिए देयता / Liability for partly paid investments	0.16	0.16
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	36888.90	48879.69
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई प्रत्याभूतियाँ Guarantees given on behalf of constituents	3676.50	2806.55
(a) भारत में / In India	3459.05	2591.51
(b) भारत के बाहर / Outside India	217.45	215.04
V. स्वीकृतियाँ, परांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	5259.87	3041.31
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक की आकस्मिक देयता है Other items for which the Bank is contingently liable	84.12	95.89
कुल / Total	46893.68	55565.74
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज एवं लाभांश		
SCHEDULE 13 - INTEREST AND DIVIDENDS EARNED		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा / Interest/discount on advances/bills	5494.47	4459.83
II. निवेशों पर आय / Income on investments	1849.36	1669.47
III. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	10.74	40.63
IV. अन्य / Others	10.24	1.29
कुल / Total	7364.81	6171.22
अनुसूची 14 - अन्य आय		
SCHEDULE 14 - OTHER INCOME		
I. कमीशन, विनिमय और दलाली / Commission, exchange and brokerage	480.92	386.42
II. भूमि, भवनों तथा अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of land, buildings and other assets	0.04	शून्य / Nil
घटाएं: भूमि, भवनों तथा अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि Less: Loss on sale of land, buildings and other assets	शून्य / Nil	(0.05)
III. विनिमय लेनदेनों पर लाभ / Profit on exchange transactions	45.28	57.94
घटाएं: विनिमय लेनदेनों पर हानि / Less: Loss on exchange transactions	(0.90)	(4.16)
IV. विनिधानों के विक्रय पर लाभ / Profit on sale of investments	687.13	534.38
घटाएं: विनिधानों के विक्रय से हानि / Less: Loss on sale of investments	(113.82)	(62.49)
V. a) पट्टा-वित्त से आय / Lease finance income	शून्य / Nil	शून्य / Nil
b) पट्टा प्रबंधन शुल्क / Lease management fee	शून्य / Nil	शून्य / Nil
c) अतिदेय प्रभार / Overdue charges	शून्य / Nil	शून्य / Nil
d) पट्टा किराया प्राप्त राशि पर ब्याज / Interest on lease rent receivables	शून्य / Nil	शून्य / Nil
VI. विविध आय / Miscellaneous income	52.60	57.86
कुल / Total	1151.25	969.90

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	यथास्थिति / As on 31.03.2009 (रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)	यथास्थिति / As on 31.03.2008 (रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज		
SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED		
I. जमा राशियों पर ब्याज / Interest on deposits	4885.40	4305.98
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/ inter-bank borrowings	64.28	21.74
III. अन्य / Others	256.19	171.16
कुल / Total	5205.87	4498.88
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय		
SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES		
I. कर्मचारियों को भुगतान तथा उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	874.28	690.18
II. भाड़ा, कर एवं रोशनी / Rent, taxes and lighting	135.97	123.88
III. मुद्रण और लेखन सामग्री / Printing and stationery	19.06	16.97
IV. विज्ञापन और प्रचार / Advertisement and publicity	14.23	15.41
V. (क) (a) पट्टा आस्तियों से इतर बैंक की परिसंपत्तियों पर अवक्षय Depreciation on Bank's property other than Leased Assets	56.33	53.16
V. (ख)(b) पट्टा आस्तियों पर अवक्षय / Depreciation on Leased Assets	शून्य/NIL	शून्य/NIL
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय / Directors' fees, allowances and expenses	1.07	0.96
VII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय / Auditors' fees and expenses	14.37	14.88
VIII. विधि प्रभार / Law charges	8.51	10.95
IX. डाक, तार, टेलीफोन आदि / Postage, telegrams, telephones, etc.	22.80	18.07
X. मरम्मत और अनुरक्षण / Repairs and maintenance	24.57	21.42
XI. बीमा / Insurance	75.31	67.54
XII. साख का परिशोधन, यदि कोई हो / Amortisation of Goodwill, if any	शून्य/NIL	शून्य/Nil
XIII. अन्य व्यय / Other expenditure	153.62	124.84
कुल / Total	1400.12	1158.26
अनुसूची 17 - आय का अंश/अनुषंगियों में हानि		
SCHEDULE 17	कुल लाभ / हानि	कुल लाभ / हानि
Share of Earnings/Loss in Associates	Net Profit/Loss	Net Profit/Loss
अनुषंगियों का ब्योरा / Details of Associates	2008 - 2009	2007 - 2008
नाम / Name		
शारदा ग्रामीण बैंक / Sharda Gramin Bank	10.83	5.95
लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / Lucknow Kshetriya Gramin Bank	30.27	25.03
त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / Triveni Kshetriya Gramin Bank	6.56	12.03
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंस कंपनी Universal Sompo General Insurance Company Ltd	-13.00	0.80
कुल / TOTAL	34.66	43.81
इलाहाबाद बैंक का अंश / Allahabad Bank's share	12.78	15.29
पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन / Adjustment relating to earlier years	-0.33	0.00
वर्ष के दौरान समायोजित / Considered during the year	12.45	15.29

समेकित लेखाओं से संबंधित प्रासंगिक मुख्य लेखा नीतियां

1. सामान्य

- (क) वित्तीय विवरण, जहां अन्यथा उल्लिखित न हो, परंपरागत लागत आधार पर सतत प्रतिष्ठान संकल्पनाओं का अनुपालन करते हुए तथा सांविधिक प्रावधानों एवं भारत की मानक लेखा प्रणालियों के अनुरूप बनाया गया है।
- (ख) वित्तीय विवरण आय अभिज्ञान, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण तथा अन्य संबंधित मामलों में समय-समय पर जारी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशा निर्देशों की भी पुष्टि करता है।

2. समेकित लेखाओं को तैयार करने का आधार

संलग्न वित्तीय विवरण प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों, लेखा मानकों तथा अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों तथा प्रक्रियाओं का वास्तविक रूप में अनुपालन करके बनाया गया है।

3. समेकन प्रक्रिया:

- (i) बैंक, इसकी अनुषंगी और एसोसिएट्स के समेकित वित्तीय विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों, संबंधित नियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी निदेशानिर्देशों और सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं।
- (ii) निम्नलिखित अनुषंगी को लेखा मानक 21 “समेकित वित्तीय विवरण” के अनुसार समेकित किया गया है:

कंपनी का नाम Name of the Company	देश /निवास Country / Residence	संबंध Relationship	स्वामित्व हित Ownership Interest
आल बैंक फाइनेंस लिमिटेड AllBank Finance Limited	भारत India	अनुषंगी Subsidiary	100% 100%

- (iii) निम्नलिखित एसोसिएट भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 23 “समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेश का लेखा” के अनुसार समेकित किए गए हैं।

संस्था का नाम Name of the Entity	देश/निवास Country / Residence	संबंध Relationship	स्वामित्व हित Ownership Interest
शारदा ग्रामीण बैंक Sharda Gramin Bank	भारत India	प्रायोजित बैंक Sponsor Bank	35% 35%
लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक Lucknow Kshetriya Gramin Bank	भारत India	प्रायोजित बैंक Sponsor Bank	35% 35%
त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक Triveni Kshetriya Gramin Bank	भारत India	प्रायोजित बैंक Sponsor Bank	35% 35%
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड Universal Sampo General Insurance Company Ltd.	भारत India	एसोसिएट Associate	30% 30%

4. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का प्रकटीकरण

उल्लिखित बैंकिंग नीतियां मुख्यतः बैंक संस्था से संबंधित हैं। बैंक की एक अनुषंगी है जो जो क्लास I मर्चेन्ट बैंकर के रूप में सेबी में पंजीकृत है और एक एसोसिएट कंपनी है जो गैर-जीवन बीमा व्यवसाय में लगी है। अनुषंगी और एसोसिएट कंपनी उनके शासी नियामकों द्वारा निर्धारित लेखा नीतियों का पालन करती हैं। इन्हें अलग से विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है क्योंकि समग्रतः वित्तीय विवरणों के परिप्रेक्ष्य में ये निवेश महत्वपूर्ण नहीं हैं।

Relevant Principal Accounting Policies on the Consolidated Accounts

1. General:

- (i) The financial statements have been prepared by following the going concern concept on historical cost basis unless otherwise stated and are in conformity with the statutory provisions and Standard Accounting Practices in India.
- (ii) The financial statements also conform to the guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time in respect of income recognition, asset classification, provisioning and other related matters.

2. Basis of preparation

The accompanying financial statements have been prepared to comply, in all material aspects, with applicable Statutory / Regulatory provisions, Accounting Standards and Generally Accepted Accounting Principles and practices prevailing in India except as otherwise stated.

3. Consolidation procedure:

- (i) The Consolidated financial statements of the Bank, its subsidiary and its associates has been prepared in accordance with the Accounting standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India, guidelines issued by the respective regulatory authorities and generally accepted accounting principles.
- (ii) The following subsidiary has been consolidated as per the Accounting Standard 21, “Consolidated Financial Statements”

- (iii) The following associate has been consolidated as per the Accounting Standard 23, “Accounting for Investments in Associates in Consolidate Financial Statements” issued by the Institute of Chartered Accountants of India:

4. Disclosure of significant accounting policies

The accounting policies mentioned primarily relate to the Bank entity. The Bank has a subsidiary which is registered with the SEBI as a Class I Merchant Banker and an associate company which is in the business of non-life insurance. The subsidiary and associate company follow accounting policies prescribed by their governing regulators. These have not been specified separately as these investments are not material in the context of the overall financial statements.

5. निवेश

- (i) बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप तीन वर्गों, यथा, 'परिपक्वता हेतु रखा गया', 'विक्रय हेतु उपलब्ध' तथा 'व्यापार हेतु रखा गया' में वर्गीकृत किया गया है।
- (ii) उक्त वर्णित तीनों वर्गों के अन्तर्गत निवेशों का प्रकटन छह समूहों, यथा: (क) सरकारी प्रतिभूतियों (ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों (ग) शेयरों (घ) डिबेन्चरों एवं बांडों (ङ) अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों में निवेश तथा (च) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड की यूनिट आदि) के अंतर्गत किया गया है।
- (iii) परिपक्वता हेतु रखा गया' के अंतर्गत वर्गीकृत (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अलावा) निवेश अधिग्रहण लागत पर लिए गए हैं। अगर अधिग्रहण लागत अंकित मूल्य से अधिक होती है तो अतिरिक्त राशि को परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है एवं निम्नोक्त के लिए प्रावधान किया जाता है :
- डिबेन्चरों / बांडों के मूल्य के ह्रास जो अग्रिमों के रूप में समझे जाते हैं आस्ति वर्गीकरण के भारिबैं के विवेकपूर्ण मानदंडों तथा अग्रिमों हेतु प्रयोज्य प्रावधानीकरण का प्रयोग करते हुए।
 - अनुषंगी / संयुक्त उद्यमों में निवेश के मूल्य में अस्थायी को छोड़कर ह्रास।
- (iv) "विक्रय हेतु उपलब्ध" के रूप में वर्गीकृत निवेशों को तिमाही अंतराल पर मार्केट स्क्रिपवार अंकित किया जाता है तथा परिणामी निवल मूल्यह्रास की पहचान की जाती है और निवल अधिमूल्यन, यदि कोई हो, को प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत ध्यान में नहीं रखा जाता। अलग-अलग स्क्रिप का बही मूल्य ऊपर यथाउल्लिखित पुनर्मूल्यांकन के साथ नहीं बदलता है।
- (v) "व्यापार हेतु रखा गया" के रूप में वर्गीकृत निवेशों का मासिक अंतराल पर स्क्रिपवार पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तथा परिणामी निवल मूल्यह्रास की पहचान की जाती है एवं निवल अधिमूल्यन, यदि कोई हो, को प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत ध्यान में नहीं रखा जाता। अलग-अलग स्क्रिप का बही मूल्य ऊपर यथाउल्लिखित पुनर्मूल्यांकन के साथ नहीं बदलता है।
- (vi) अनुत्पादक प्रतिभूतियों (जहाँ ब्याज / मूल 90 दिन से अधिक के लिए बकाया है) के संबंध में आय की पहचान नहीं की जाती तथा प्रतिभूतियों के मूल्य में ह्रास हेतु आस्ति वर्गीकरण के विवेकपूर्ण मानदंडों का प्रयोग करते हुए उपयुक्त प्रावधान किए जाते हैं तथा ऐसे मूल्यह्रास की अन्य उत्पादक प्रतिभूतियों से संबंधित अधिमूल्यन से क्षतिपूर्ति नहीं की जाती।
- (vii) निवेशों के अधिग्रहण की लागत:
- (क) अभिदत्त प्रतिभूतियों के मामले में प्राप्त प्रोत्साहन / कमीशन तथा प्रारंभिक शुल्क का निवल है।
- (ख) कमीशन, दलाली तथा स्टाम्प ड्यूटी को छोड़कर।
- (viii) लाभ-हानि खाते में निवेश की बिक्री पर लाभ-हानि की पहचान की जाती है। "परिपक्वता हेतु रखे हुए" वर्ग के तहत निवेशों की बिक्री पर लाभ के बराबर की राशि को पहले लाभ-हानि खाते में लिया जाता है तथा तत्पश्चात "पूँजी प्रारक्षित खाते" में विनियोग किया जाता है।

5. Investments

- (i) The investment portfolio of the Bank is classified in accordance with RBI guidelines under three categories viz. "Held to Maturity", "Available for Sale" and "Held for Trading".
- (ii) The disclosure of investments under all the three categories mentioned above is made under six groups viz. (a) Government securities (b) Other approved securities (c) Shares (d) Debentures & Bonds (e) Investment in Subsidiaries/joint ventures and (f) Others (commercial paper, units in Mutual Funds etc).
- (iii) Investments classified as 'Held to Maturity' (other than in Regional Rural Banks) are carried at acquisition cost. In case the acquisition cost is higher than the face value, the excess is amortized over the period remaining to maturity, and provision is made for:
- Diminution in the value of debentures/bonds which are deemed to be in the nature of advances by applying the RBI prudential norms of asset classification and provisioning applicable to advances.
 - Diminution, other than temporary, in the value of investments in subsidiaries/joint ventures.
- (iv) Investments classified as "Available for Sale" are marked to market scrip-wise at quarterly intervals and resultant net depreciation is recognized and net appreciation, if any, is ignored under each classification. The book value of the individual scrip is not changed with the revaluation as indicated above.
- (v) Investments classified as "Held for Trading" are revalued scrip-wise at monthly intervals and resultant net depreciation is recognized and net appreciation, if any, is ignored under each classification. The book value of the individual scrip is not changed with the revaluation as indicated above.
- (vi) In respect of non-performing securities (where interest/principal is in arrears for more than 90 days) income is not recognized and appropriate provision is made for depreciation in the value of the securities by applying prudential norms of asset classification and such depreciation is not set-off against the appreciation in respect of other performing securities.
- (vii) Cost of acquisition of investments:
- a. Is net of incentives/commission and front-end fees received in case of securities subscribed.
- b. Excludes commission, brokerage and stamp duty.
- (viii) Profit/loss on sale of investments is recognized in the Profit and Loss Account. An amount equivalent to the profit on sale of investments under "Held to Maturity" category, is first taken to the Profit and Loss Account and thereafter appropriated to the "Capital Reserve Account".

(ix) निवेशों के बाजार मूल्य का पता लगाने के लिए, स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन अथवा एफ.आई.एम.एम.डी.ए. / पी.डी.ए.आई. द्वारा दी गई दरों को अपनाया जाता है। इस प्रकार के कोटेशनों / दरों के अभाव में एफ.आई.एम.एम.डी.ए. / पी.डी.ए.आई. द्वारा यथानिर्धारित 'परिपक्वता पर प्रतिफल' का समुचित प्रयोग करते हुए बाजार दर का पता लगाया जाता है।

(x) भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न श्रेणी के स्वैप का मूल्य निम्नानुसार किया जाता है:

- **हेज स्वैप**

ब्याज दर स्वैप, जो ब्याज वाली आस्तियों और देयताओं का बचाव करती है, को उस आस्ति अथवा देयता हेतु नामोद्दिष्ट स्वैप को छोड़कर जिसे वित्तीय विवरणियों में बाजार मूल्य पर अथवा लागत या बाजार मूल्य से कम मूल्य पर लिया जाता है। उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

स्वैप के निरसन से होने वाले लाभ अथवा हानि को स्वैप की संविदागत अवधि अथवा आस्तियों / देयताओं की शेष अवधि से कम पर अभिज्ञात किया जाता है।

- **ट्रेडिंग स्वैप**

ट्रेडिंग स्वैप लेन-देनों को वित्तीय विवरणियों में दर्ज परिवर्तनों के साथ बाज़ार से चिह्नित किया जाता है।

6. स्थिर आस्तियाँ / मूल्यहास

(i) पूर्ण स्वामित्व तथा पट्टे पर लिए गए परिसरों सहित अन्य अचल आस्तियों की परंपरागत लागत बताई गई हैं, कतिपय परिसरों को छोड़कर जिनकी पुनर्मूल्यांकन राशि बताई गई हैं। पुनर्मूल्यन हेतु आस्तियों का चयन प्रणालीबद्ध पद्धति के आधार पर किया जाता है। पुनर्मूल्यन पर्याप्त नियामन से किया जाता है ताकि इस प्रकार प्राप्त रकम और तुलन पत्र की तिथि पर बाजार मूल्य में ज्यादा अंतर न हो। बैंक के कुछ परिसरों के उचित मूल्य में सार्थक उतार-चढ़ाव देखे जाते हैं। अतएव, बार-बार मूल्यन की आवश्यकता महसूस की जाती है। तथापि, परिसरों की उन मदों हेतु पुनर्मूल्यन बार-बार नहीं किया जाता, जिनके उचित मूल्य में केवल अमहत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं।

(ii) "अन्य आस्तियाँ" के अन्तर्गत निर्माण अवधि के दौरान लिए गए पूंजीगत व्यय को शामिल किया गया है।

(iii) कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर घटते शेष प्रणाली के अनुसार हास का प्रावधान किया गया है, सिवाय एएलपीएम एवं कम्प्यूटरों से संबंधित हासमान के, जहां भा.रि. बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 33.33% की दर पर सीधी रेखा पद्धति में मूल्यहास का प्रावधान किया गया है।

(iv) पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के संबंध में, पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप अतिरिक्त मूल्यहास की राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित से लाभ-हानि खाते में अन्तरित की गई है।

(v) पट्टे वाली भूमि पर प्रीमियम का परिशोधन पट्टे की अवधि तक किया गया है।

(vi) विदेशी शाखा की स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान उस देश में प्रचलित प्रयोज्य कानूनों के अनुसार किया गया है।

(ix) For the purpose of determining market value of investments, Stock exchange quotations or rates put up by FIMMDA/PDAI are adopted. In absence of such quotations/rates, the market value is determined by applying appropriate Yield to Maturity rates as prescribed by FIMMDA / PDAI or as per norms laid down by the Reserve Bank of India.

(x) As per the RBI guidelines, the different categories of Swaps are valued as under:

- **Hedge Swaps**

Interest rate Swaps which hedges interest bearing assets or liabilities are accounted for on accrual basis except the Swaps designated with an assets or liability that is carried at market value or lower of cost or market value in the financial statements.

Gain or Losses on the termination of Swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the Swap or the remaining life of the assets / liabilities.

- **Trading Swaps**

Trading Swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.

6. Fixed Assets / Depreciation

(i) Premises including Freehold and other Fixed Assets are stated at historical cost except certain Premises, which are stated at their revalued amount. Selection of assets for revaluation is based on a systematic basis. Revaluation is made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from the market value at the Balance Sheet date. Some of the premises of the Bank experience significant and volatile changes in fair value, thus necessitating frequent valuation. However, such frequent valuation is not done for items of premises with only insignificant changes in fair value.

(ii) Capital expenditure incurred during construction period is included under 'Other Assets'.

(iii) Depreciation is provided on diminishing balance method at the rates prescribed in Schedule XIV to the Companies Act, 1956 except that in respect of ALPMs & Computers, where depreciation is provided on straight line method @ 33.33% as per RBI guidelines.

(iv) In respect of revalued assets, the amount of additional depreciation consequent to revaluation is transferred from Revaluation Reserve to the Profit & Loss Account.

(v) Premium on leasehold land is amortized over the period of the lease.

(vi) Depreciation on Fixed Assets of foreign branches is provided as per the applicable laws prevalent in that country.

7. अगोचर आस्तियां (कम्प्यूटर साफ्टवेयर)

- (i) कम्प्यूटर हेतु साफ्टवेयर जो विशेष साफ्टवेयर के बिना नहीं चलाया जा सकता संबंधित हार्डवेयर का एक अगोचर अंश है तथा उसे अचल आस्ति समझा गया है। जहां साफ्टवेयर संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न भाग नहीं है, कम्प्यूटर साफ्टवेयर को अगोचर आस्ति समझा गया है।
- (ii) विक्रेता से लिए गए कम्प्यूटर साफ्टवेयर को केवल तभी अगोचर आस्ति के रूप में समझा गया है, जब साफ्टवेयर का मूल्य / लागत रु. 10 लाख से अधिक है। ऐसी अगोचर आस्तियों का परिशोधन 10 वर्ष की अधिकतम अवधि के अध्यक्षीन, उसकी प्रभावी आयु तक किया जाता है।

8. राजस्व अभिज्ञान :

निम्नलिखित को छोड़कर आय तथा व्यय का लेखा उपचित आधार पर किया गया है:

- (i) अनुपयोज्य आस्तियों के रूप में वर्गीकृत अग्रिमों पर ब्याज तथा अन्य आय को वसूली सीमा तक माना गया है।
- (ii) आय कर तथा ब्याज कर की वापसी राशि पर ब्याज से आय को, संबंधित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश के वर्ष हेतु लेखा में शामिल किया गया है।
- (iii) फोलोऑन सार्वजनिक निर्गम को आस्थगित राजस्व व्यय माना जाता है और इसे पांच वर्षों में परिशोधित किया जाता है।

9. विदेशी मुद्रा से संबद्ध लेन-देन :

9.1 भारत से बाहर शाखाएं / कार्यालय

- (i) विदेशी शाखाओं को “नॉन-इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन्स” के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा उनके वित्तीय विवरणों को निम्नानुसार प्रदर्शित किया गया है।
 - मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक आस्ति एवं देयताएँ तथा आकिस्मक देयताएँ फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फेडाई) द्वारा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर दी जाने वाली अंतिम स्पॉट दरों पर।
 - राजस्व मदें फेडाई द्वारा संबंधित तिमाही की समाप्ति पर अधिसूचित तिमाही औसत अंतिम दर पर संपरिवर्तित की जाती है।
 - सभी परिणामी विनिमय अंतर को एक अलग खाते ‘विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिजर्व’ में रखा जाता है।
- (ii) विदेश स्थित प्रतिनिधि कार्यालयों के परिचालनों को “इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन्स” के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा उनके वित्तीय विवरणों की गणना निम्नानुसार की जाती है :
 - सभी मौद्रिक आस्ति एवं देयताएँ, गारंटियां, स्वीकृतियां, परांकन तथा अन्य प्रतिबद्धताएँ फेडाई के दिशानिर्देशानुसार प्रत्येक तिमाही के अंत में प्रचलित स्पॉट विनिमय दरों पर भारतीय रुपये में आँकी जाती है।
 - गैर-मौद्रिक मदें लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर आँकी जाती है।

7. Intangible Assets (Computer Software)

- (i) Software for a computer that cannot operate without that specific software is an intangible part of related hardware and is treated as fixed assets. Where the software is not an integral part of the related hardware, Computer software is recognised as an Intangible Asset.
- (ii) Computer software acquired from vendors is recognised as Intangible Asset only if the value /cost of the software is more than Rs.10 Lakhs. Such intangible assets are amortised over its effective life subject to a maximum period of ten years.

8. Revenue Recognition :

Income and Expenditure are accounted for on accrual basis other than those stated below:

- (i) Interest and Other Income on advances classified as non-performing assets are recognized to the extent realized.
- (ii) Income from interest on refund of Income Tax and Interest Tax are accounted for in the year the order is passed by the concerned assessing officer.
- (iii) Expenditure on Follow on Public Offer is considered as Deferred Revenue Expenditure and is amortised over a period of five years.

9. Transactions involving Foreign Exchange:

9.1 Branches / Offices outside India

- (i) Foreign Branches are classified as “Non-integral Foreign Operations” and their financial statements are translated as follows:
 - Both monetary and non-monetary Assets and Liabilities as well as Contingent Liabilities at the closing spot rates notified by the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) at the end of each quarter.
 - Revenue items are translated at the quarterly average closing rate notified by FEDAI at the end of respective quarter.
 - All resulting exchange difference is accumulated in a separate account ‘Foreign Currency Translation Reserve’.
- (ii) Operations of representative offices abroad are classified as “Integral Foreign Operations” and their financial statements are accounted for as follows:
 - All monetary Assets and Liabilities, Guarantees, Acceptances, Endorsements and other obligations are translated to Indian rupee equivalent at the spot exchange rates prevailing at the end of each quarter as per FEDAI guidelines.
 - Non-monetary items are translated at exchange rate prevailing on the date of transaction.

- राजस्व मदों की गणना लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर की जाती है।

- सभी परिणामी विनिमय अंतरों को लाभ-हानि खाते में लिया गया है।

(iii) अग्रिमों को भारतीय कार्यालयों में प्रचलित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। अग्रिमों के संबंध में प्रावधान स्थानीय विधि अपेक्षाओं अथवा भा.रि.बैंक के मानकों, जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाएगा।

9.2 भारत में शाखाएं

(i) विदेशी मुद्रा शेष चाहे आस्ति अथवा देयता (एफसीएनआर योजना, ईईएफसी योजना, आरएफसी योजना आदि के अन्तर्गत संग्रहित जमा राशियों सहित) हो तथा बकाया वायदा विनिमय संविदा को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) द्वारा यथा सूचित वर्षांत दरों पर परिवर्तित किया गया है।

वायदा विनिमय संविदा के पूनर्मूल्यांकन पर परिणामी लाभ/हानि तथा नोस्ट्रो खाते एफ ई डी ए आई के दिशानिर्देशों के अनुसार राजस्व में लिए गए हैं।

(ii) विदेशी मुद्रा से संबंधित आय और व्यय की मदों को लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर को प्रयोग कर संपरिवर्तित किया जाता है।

(iii) स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और गारंटियों सहित अन्य दायित्वों का मूल्य प्रत्येक तिमाही के अंत में फेडाई द्वारा सूचित प्रचलित दर पर आँका जाता है।

10. अग्रिम :

(i) भा.रि.बैंक द्वारा यथा-निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार आस्तियों को अर्जक तथा अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा उन्हें अनर्जक अग्रिमों हेतु प्रावधान के निवल रूप में दिखाया गया है।

(ii) तथापि भा.रि.बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मानक अग्रिमों (उत्पादक) हेतु किए गए प्रावधान को “अन्य देयताएं एवं प्रावधान” में शामिल किया गया है।

11. गैर बैंकिंग आस्तियां :

दावों की पूर्ति में प्राप्त की गई गैर बैंकिंग आस्तियों को लागत में बताया गया है।

12. कर्मचारी लाभ :

(i) कर्मचारियों के लाभ के संबंध में अपनी देयताओं के अभिज्ञान हेतु बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15(संशोधित) कर्मचारी लाभ का प्रयोग किया है।

(ii) दीर्घकालिक निर्धारित कर्मचारी लाभ की देयता — पेंशन (नई), पेंशन(पुरानी), ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, अवकाश किराया रियायत, बीमारी छुट्टी का निर्धारण प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग कर वर्ष के अंत में स्वतंत्र बीमांकों द्वारा बीमांकिक मूल्यन पर निकाला जाता है। इस प्रकार निर्धारित देयता पेंशन(नई) के मामले में निधिक है और अन्य मामलों में इसके लिए प्रावधान किया जाता है।

(iii) भविष्य निधि के संबंध में अवधि हेतु किए गए अंशदान को व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है और लाभ-हानि खाते से प्रभारित किया जाता है।

- Revenue items are accounted for at the exchange rates prevailing on the date of transaction.

- All resulting exchange differences are accounted for in Profit & Loss Account.

(iii) Advances will be classified under categories in line with those of Indian Offices. Provisions in respect of advances will be made as per the local law requirements or as per the norms of RBI, whichever is higher.

9.2 Branches in India

(i) Foreign currency balances whether of assets or liabilities [including deposits mobilized under FCNR Scheme, EEFC Scheme, RFC Scheme etc.] and outstanding forward exchange contracts are converted at quarter end rates as advised by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI).

The resultant profit/loss on revaluation of forward exchange contracts and NOSTRO accounts is taken to revenue as per FEDAI guidelines.

(ii) Income and Expenditure items relating to foreign currency are converted using the exchange rate prevailing as on the date of transaction.

(iii) Acceptances, endorsements and other obligations including guarantees are stated at FEDAI advised rates prevailing at the end of each quarter.

10. Advances:

(i) Advances are classified as performing and non-performing as per guidelines prescribed by RBI and are shown net of provisions for non-performing advances.

(ii) The provision made for standard advances (performing) in terms of RBI guidelines is however included in “Other Liabilities and Provisions”.

11. Non-Banking Assets:

Non-Banking Assets acquired in satisfaction of claims are stated at cost.

12. Employee Benefits:

(i) The Bank has applied Accounting Standard 15(Revised) - Employees Benefits, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, for recognition of its liabilities in respect of employee benefits.

(ii) Liability towards long term defined employee benefits - Pension (New), Pension (Old), Gratuity, Leave Encashment, Leave Fare Concession and Sick Leave are determined on actuarial valuation by independent actuaries at the year end by using Projected Unit Credit method. Liability so determined is funded in the case of Pension (New) and Gratuity, and provided for in other cases.

(iii) In respect of Provident Fund, the contribution for the period is recognized as expense and charged to Profit & Loss account.

- (iv) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ को, सेवा प्रदान किए जाने वाले वर्ष के लाभ हानि खाते में, गैर-बट्टाकृत राशि पर व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है।

13. कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के लाभ :

- (i) कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, छुट्टी नगदीकरण तथा पेंशन लाभ हेतु देयताओं का प्रावधान वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।
- (ii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी आर एस) के तहत ग्रेच्युटी तथा पेंशन से संबंधित अनुग्रह राशि तथा अतिरिक्त अंशदान हेतु व्यय को भा.रि.बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पांच वर्ष की अवधि में परिशोधित आस्थगित राजस्व व्यय के रूप में माना गया है।

14. आय पर कर

- (i) कर हेतु प्रावधान चालू कर (न्यूनतम वैकल्पिक कर-मैट सहित) और आस्थगित कर, दोनों हेतु किया जाता है। चालू कर का प्रावधान प्रयोज्य कर दर और कर कानूनों का प्रयोग करके किया जाता है। समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ और देयताएँ, जो परवर्ती अवधि में प्रत्यावर्तन के योग्य हैं, तुलन पत्र की तिथि तक बनाए गए या बाद में बनाए जाने वाले कर कानूनों और कर दरों का प्रयोग करके अभिज्ञात की जाती हैं। आस्तियों का अभिज्ञान तब तक नहीं किया जाता जब तक कि 'वास्तव में निश्चित' हो कि पर्याप्त भावी करयोग्य आय उपलब्ध होगी जिससे ऐसी आस्थगित कर आस्तियाँ वसूल की जाएंगी।
- (ii) न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) जमा को आस्तियों पर केवल तब ही एवं उस सीमा तक अभिज्ञात किया जाता है जब ऐसा ठोस प्रमाण हो कि कंपनी निर्धारित अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करेगी।

15. निवल लाभ :

निवल लाभ निम्नलिखित के परिकलन के पश्चात ही तय किया जाता है।

- (i) सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार आय कर (आस्थगित कर सहित), अनुषंगी लाभ कर तथा संपत्ति कर हेतु प्रावधान।
- (ii) अग्रिमों / निवेशों पर प्रावधान।
- (iii) निवेश मूल्य में समायोजन
- (iv) प्रावधानों तथा आकस्मिकताओं में अंतरण
- (V) अन्य सामान्य तथा आवश्यक प्रावधान।

- (iv) Short term employee benefits are recognized as an expense at an undiscounted amount in the Profit and Loss Account of the year in which the related services are rendered.

13. Retirement Benefits to Employees:

- (i) Liabilities for Gratuity, Leave Encashment and Pension benefits to employees are provided for on the basis of actuarial valuation at the year end.
- (ii) Expenditure towards ex-gratia and additional contribution in respect of gratuity and pension under Voluntary Retirement Scheme (VRS) is treated as Deferred Revenue Expenditure amortized over a period of five years in terms of RBI guidelines.

14. Taxes on Income

- (i) Provision for tax is made both current Tax (including Minimum Alternate Tax – MAT) and deferred taxes. Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rate and tax laws. Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognised using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognised unless there is "virtual certainty" that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realised.
- (ii) Minimum Alternate Tax (MAT) credit is recognized as assets only when there is convincing evidence that the company will pay normal income tax during the specified period.

15. Net profit:

The net profit is arrived at after considering the following:

- (i) Provisions for Income Tax (including deferred tax), Fringe Benefit Tax and Wealth Tax in accordance with the statutory requirements.
- (ii) Provisions on advances / Investments.
- (iii) Adjustments to the value of investments.
- (iv) Transfer to Provisions and Contingencies.
- (V) Other usual and necessary provisions.

समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा टिप्पणियाँ

1. (i) भारतीय रिजर्व बैंक (भारि बैंक) के दिशानिर्देशों के अनुरूप उपयोग्य तथा अनुपयोग्य अग्रिमों हेतु पर्याप्त प्रावधान किया गया है।
- (ii) बैंक के वित्तीय स्थायित्व को मजबूत करने के उद्देश्य से 31.03.2009 को सकल अनुपयोग्य अग्रिमों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रावधान से अधिक रु. 48.00 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 48.00 करोड़) का अतिरिक्त विवेक सम्मत चल प्रावधान किया गया।
2. (i) अंतर शाखा समाधान के अंतर्गत प्रविष्टियों का आरंभिक मिलान 31.03.2009 तक किया गया है। शाखा समायोजन खाते में शेष के साथ तथा प्रधान कार्यालय तथा शाखाओं सहित शाखाओं की आपस में बेमेल प्रविष्टियों का समाधान कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुसार 30.09.2008 तक की अवधि की अंतर शाखा लेखा की नामे तथा जमा प्रविष्टियों के पृथक्करण तथा 31.03.2009 तक के शेष बकाया का परिणाम निवल जमा के रूप में रहा, अतः कोई प्रावधान अपेक्षित नहीं है।
- (ii) कुछ शाखाओं में जमा, अग्रिम एवं **नोस्ट्रो** खाते के संबंध में विवरणों की तैयारी/खातों के मिलान/समाधान का कार्य प्रगति पर है। उक्त क्षेत्रों में हुई पर्याप्त प्रगति के मद्देनजर प्रबंधन का अभिमत है कि बैंक के लेखे पर समाधान का प्रभाव, अगर हो तो, तात्त्विक नहीं होगा।

उपर्युक्त क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति को देखते हुए प्रबंधन का मन है कि बैंक की खातों पर समाधान का प्रभाव, यदि हो, महत्वपूर्ण नहीं होगा।

3. विवादित मामलों में विभिन्न न्यायिक निर्णयों पर विचार करने के बाद आयकर हेतु बैंक द्वारा रु. 753.18 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 451.59 करोड़) (आस्थगित कर सहित) का प्रावधान पर्याप्त माना गया।
4. (i) 31.03.1997, 31.03.2005 तथा 31.03.2007 को समाप्त हुए वर्ष में कतिपय परिसरों का पुनर्मूल्यांकन अनुमोदित मूल्यांककों की रिपोर्ट के आधार पर किया गया और क्रमशः रु. 125.99 करोड़ (वाणिज्यिक एवं आवासीय), रु. 370.08 करोड़ (वाणिज्यिक एवं आवासीय) तथा रु. 298.32 करोड़ (वाणिज्यिक) के उर्ध्वगामी संशोधन को पुनर्मूल्यन आरक्षित कोष में जमा किया गया। प्रत्येक वर्ष पुनर्मूल्यांकित परिसर पर मूल्यहास का परिकलन अवलिखित मूल्य पर किया जाएगा। पुनर्मूल्यांकन के कारण रु. 4.93 करोड़ (विगत वर्ष में रु. 5.19 करोड़) के अतिरिक्त मूल्यहास को पूंजी आरक्षितियों से अंतरित कर अनुसूची सं.14 मद (vii) में "अन्य आय" शीर्ष के अंतर्गत विविध आय में दर्शाया गया है।
- (ii) जहाँ भूखंड की लागत उपलब्ध नहीं है, ऐसे मामलों में अवक्षय भूखंड तथा भवन की संमिश्र लागत पर निर्धारित किया गया है।
- (iii) जहाँ मूल लागत उपलब्ध नहीं है वहाँ पट्टा अवधि हेतु पट्टाधारित भूमि पर प्रीमियम का परिशोधन लागत आधार पर अथवा अवलिखित मूल्य पर किया गया है।
- (iv) निम्नलिखित संपत्तियों की पंजीकरण औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी हैं :
 - क. रु. 0.86 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 14.56 करोड़) मूल्य के 39 फ्लेट वाली 2 आवासीय संपत्तियां।
 - ख. रु. 0.31 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 0.31 करोड़) की पट्टे पर ली गई 2 संपत्तियां।

NOTES TO ACCOUNT TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

1. (i) Adequate provision has been made in respect of Performing and Non-performing Advances in terms of Reserve Bank of India (RBI) guidelines.
- (ii) Prudential Floating Provision of Rs.48.00 Crores (Previous Year Rs.48.00 Crores) is held as at 31.03.2009 in respect of gross Non-performing Advances over and above the minimum provision prescribed by RBI with a view to strengthen the financial stability of the Bank.
2. (i) Under Inter-Branch reconciliation, initial matching of entries has been done upto 31.03.2009. Reconciliation of unmatched entries with the balance in Branch Adjustment account and transactions between Head Office and branches including branches inter-se is in progress. Further, in terms of RBI's circular, segregation of debit and credit entries in Inter Branch Account pertaining to the period upto 30.09.2008 and remaining outstanding as on 31.03.2009 have resulted in net credit, hence no provision is required.
- (ii) At some branches, preparation of details / balancing / reconciliation of accounts relating to Deposits, Advances, Balances with Banks and NOSTRO Accounts are in progress.

Since substantial progress has made in the above areas, the management is of the view that the impact of reconciliation, if any, on the accounts of the Bank will not be material.

3. The provision for income tax (including deferred tax) aggregating to Rs.753.18 crores (previous year Rs. 451.59 Crores) held is considered adequate after taking into consideration various judicial decisions on disputed issues.
4. (i) Certain premises were revalued on the basis of the reports of the approved valuers during the year ended on 31.03.1997, 31.03.2005 and 31.03.2007 and upward revision amounting to Rs. 125.99 Crores (commercial and residential), Rs.370.08 Crores (commercial and residential) and Rs. 298.32 Crores (commercial) respectively had been credited to Revaluation Reserve. Depreciation on Revalued premises is worked out each year on its written down value. Additional depreciation of Rs.4.93 Crores (previous year Rs.5.19 Crores) due to revaluation has been transferred from Revaluation Reserve Account and shown in Miscellaneous Income under the head "Other Income" included in Schedule No. 14 item (vii).
- (ii) Depreciation has been charged on composite cost of Land and Building, where cost of land is not available.
- (iii) Premium on leasehold land has been amortized over the period of lease, based on cost or written down value, where original cost is not available.
- (iv) For the following properties registration formalities are yet to be completed:
 - a. 2 residential properties consisting of 39 flats amounting to Rs.0.86 Crores (Previous year Rs.14.56 Crores).
 - b. 2 leasehold properties amounting to Rs. 0.31 Crores (previous year Rs.0.31 Crores).

V) अमूर्त आस्तियों सहित अन्य आस्तियों का विवरण निम्नवत है:

V) Other Assets include intangible Assets , details of which are as under.

(रु. करोड़ में) / (Rs. In Crore)

विवरण / Particulars	2008-09	2007-08
अथ शेष \ Opening Balance	12.85	0.00
वर्ष के दौरान परिवर्धन \ Additions during the year	2.73	14.26
वर्ष के दौरान परिशोधित \ Amortized during the year	3.20	1.41
इति शेष \ Closing Balance	12.38	12.85

5. (i) रु. 0.44 करोड़ (विगत वर्ष रु. 0.44 करोड़) के अंकित मूल्य के निवेशों के संबंध में बैंक को अभी स्क्रिप्स/सर्टिफिकेट प्राप्त करने हैं।
- (ii) शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी से जुड़े म्युचुअल फंड/वेंचर कैपिटल फंड की यूनिटों सहित शेयरों के सापेक्ष अग्रिम में कुल निवेश रु. 657.24 करोड़ (विगत वर्ष रु. 660.29 करोड़) रहा।
- (iii) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार रु. 228.70 करोड़ (विगत वर्ष रु. 10.14 करोड़) की राशि, जो कि “हेल्ड टू मैच्यूरिटी” श्रेणी प्रतिभूतियों की बिक्री से होने वाले लाभ की समान राशि है, को ‘पूजी प्रारक्षित खाते’ में अंतरित किया गया है।
- (iv) जैसा कि महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 3(सी)(i) में उल्लिखित है, “हेल्ड टू मैच्यूरिटी” श्रेणी के मामले में वर्ष के दौरान परिशोधित प्रतिभूति के अंकित मूल्य के ऊपर रु. 91.30 करोड़ (विगत वर्ष रु. 108.45 करोड़) की अतिरिक्त अर्जन लागत है तथा जिसे भा.रि.बैंक के निर्देशानुसार लाभ-हानि खाते के “अन्य आय” शीर्ष में विनिधान के पुनर्मूल्यन में हानि के रूप में दर्शाया गया है।
5. (i) In respect of Investments of face value of Rs.0.44 cores (Previous year Rs.0.44 Crores) the Bank is yet to receive scrips / certificates.
- (ii) Total Investments made in shares, convertible debentures and units of equity linked mutual fund / venture capital funds and also advances against shares aggregate to Rs.657.24 Crores (Previous year Rs. 660.29 Crores).
- (iii) As per RBI guidelines, an amount of Rs. 228.70 Crores (Previous Year Rs.10.14 Crores) being an amount equivalent to the profit on sale of ‘Held to Maturity’ category securities is transferred to ‘Capital Reserve Account’.
- (iv) In respect of ‘Held to Maturity’ category as stated in significant Accounting Policy No. 3 (C)(i) the excess of acquisition cost over the face value of the security amortised during the year amounts to Rs.91.30 Crores (Previous year Rs.108.45 Crores) has been netted off from interest on investments and shown under “Income from Investments” in Profit and Loss Account in terms of RBI direction.
6. बैंक ने वर्ष के दौरान मार्जिन ट्रेडिंग के लिए कोई वित्तपोषण नहीं किया है और न ही किसी आस्ति का प्रतिभूतिकरण किया है।
7. वर्ष के दौरान बैंक ने 9.28% प्रतिवर्ष की दर से 15 वर्षों की अवधि हेतु अर्थात् 2024 में परिपक्व होने वाले 10 वर्ष बाद काल आप्शन के साथ रु. 500 करोड़ के अप्रतिभूत अपर टियर II बांड, 9.23% प्रतिवर्ष की दर से 10 वर्षों की अवधि हेतु अर्थात् 2019 में परिपक्व होने वाले रु. 400 करोड़ के गौण ऋण और 9.20% प्रतिवर्ष की दर से रु. 150 करोड़ के इनोवेटिव परपीचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट (आईपीडीआई) जुटाए। (पिछले वर्ष 10% की स्थिर दर से रु. 500 करोड़ के सबोर्डिनेट टियर II बांड सीरीज VII जुटाए)
8. अग्रिमों में अंतर-बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र के कारण रु. 480.00 करोड़ (विगत वर्ष रु. 2400.00 करोड़) की राशि शामिल है।
9. भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, वर्ष के दौरान भूतपूर्व युनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लि. (यूआईबीएल) के विलयन का अंतिम समायोजन किया गया।
10. बैंक ने कोर बैंकिंग समाधान के कार्यान्वयन हेतु टीसीएस को एफएमएनएस ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म के साथ सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप में नियुक्त किया है। तदनुसार, प्रायोगिक आधार पर यथास्थिति 31.03.2009 तक देशभर की 916 शाखाओं और कार्यालयों को
6. The Bank has not made any financing for margin trading during the year and also not securitised any assets.
7. During the year, the bank has raised unsecured Upper Tier II Bond of Rs. 500 Crores @ 9.28% p.a. for a period of 15 years i.e., maturing on 2024 with Call Option after 10 years, subordinated debt of Rs.400 Crores @9.23% p.a. for a period of 10 years i.e., maturing on 2019 and Innovative Perpetual Debt Instrument (IPDI) of Rs.150 Crores @9.20%. (Previous year Subordinated Tier II Bond series VII raised to the extent of Rs.500 Crores at a fixed rate of 10% p.a.).
8. Advances include Rs.480.00 Crores (Previous year Rs. 2400.00 Crores) on account of Inter Bank Participation Certificates.
9. After obtaining approval from the Reserve Bank of India, final adjustment of amalgamation of erstwhile United Industrial Bank Ltd. (UIBL) was made during the year.
10. The Bank has appointed TCS as System Integrator for implementation of Core Banking Solution of the Bank with FMNS as operating platform. Accordingly, CBS was rolled out at 916 nos. of branches and offices across the country as on 31.03.2009. There were certain systems created

सीबीएस के तहत परिचालित कर दिया गया। कुछ प्रणालीजनित गैर-समाधानकृत प्रविष्टियाँ थी, जिनपर अलग से विचार किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर की समस्या से कुछ शाखाओं में लेनदेन की प्रक्रिया को ठीक तरह से नहीं किया जा सका। उन्हें मैन्युअल रूप से सुधारने हेतु हरसंभव प्रयास किया गया है। प्रबंधन का अभिमत है कि इसका वित्तीय विवरण पर कोई तात्त्विक प्रभाव नहीं होगा।

11. लेखा मानकों के अनुरूप अनुपालन

बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी निम्नोक्त लेखा मानकों (एएस) का अनुपालन किया है तथा ऐसे लेखा मानकों के प्रावधानों के अनुसार निम्नोक्त प्रकटीकरण किये जा रहे हैं।

11.1 लेखा मानक 5 'अवधि हेतु निवल लाभ अथवा हानि, पूर्व वर्ष की मदें तथा लेखा नीतियों में परिवर्तन'

पूर्व वर्ष से संबंधित आय और व्यय का विवरण निम्नानुसार है :

unreconciled entries which are being attended to separately. Processing of transactions could not be carried out correctly due to software bugs at some branches. Every efforts have been made to rectify them manually. The management is of the opinion that it will not have any material effect on the financial statements.

11. Compliance with Accounting Standards

The Bank has complied with the following Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the following disclosures are made in accordance with the provisions of such Accounting Standards.

11.1 Accounting Standard 5 "Net Profit or Loss for the Period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies".

Income and Expenditure relating to prior period are as under:

(राशि करोड़ में) / (Amount in Crores)

विवरण / Particulars	Amount
आय \ Income	5.27
व्यय \ Expenditure	(8.09)
निवल / Net	(2.82)

11.2 बैंक ने लेखा मानक (एएस 15) (परिवर्तित) के अनुसार कर्मचारियों के लाभ हेतु प्रावधान किया है। वेतन संशोधन को अंतिम रूप दिए जाने तक वेतन बकाया के लिए वर्ष 2008-09 हेतु रु. 122 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बैंक ने एएस 15(आर) के अंगीकरण के एएस 15 (परिवर्तित) के लेखा अंगीकरण के संबंध में ट्रांजेक्शनल देयता हेतु रु. शून्य करोड़ को समायोजित किया है (पिछले वर्ष रु. 45.11 करोड़)।

11.2 The Bank has accounted for employees benefits as per Accounting Standard 15 (AS15) (Revised). Pending Finalisation of wage revision, a provision of Rs. 122 Crores has been made during the financial year 2008-09 towards wage arrears. The Bank has adjusted Rs. Nil Crores (previous year Rs. 45.11 Crores) towards transitional liability on account of adoption of AS 15 (R).

11.3 संबंधित पक्षकारों के प्रकटीकरण - लेखा मानक (एएस) 18

11.3 Related Party Disclosures – Accounting Standard (AS) 18

संबंधित पार्टियों की सूची एवं लेनदेन

List of Related Parties and Transactions

क) संबंधित पक्षकारों के नाम, बैंक के साथ उनका संबंध और किए गए लेनदेन

a) The names of the related parties, their relationship with the bank and transaction effected.

(राशि रु. में) / (Amount in Rs.)

क्रमांक Sl.No.	नाम Name	पदनाम Designation	परिलब्धियाँ / Remuneration	
			चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1	के. आर. कामत Shri K. R. Kamath	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (2 अगस्त 2008 से) Chairman & Managing Director (w.e.f. 2 nd August 2008)	542,453	NIL
2	श्री ए. सी. महाजन Shri A. C. Mahajan	भू. पू. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Ex-Chairman & Managing Director	1,283,498	1,091,654
3	श्री ओ. एन. सिंह Shri O. N. Singh	भू. पू. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Ex-Chairman & Managing Director	91,017	833,333
4	श्री जे. पी. दूआ Shri J. P. Dua	कार्यालय निदेशक Executive Director	838,509	225,292
5	श्री के. के. अग्रवाल Shri K. K. Agarwal	कार्यालय निदेशक Executive Director	838,509	225,292
6	श्री एस. के. गोयल Shri S. K. Goel	भू.पू. कार्यालय निदेशक Ex -Executive Director	319,726	1,146,918
7	श्री प्रसाद अकोलकर Shri Prasad Akolkar	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ आल बैंक फाइनेंस लि. Managing Director and CEO of AllBank Finance Ltd.	1,596,290	1,229,639

ग्रेच्युटी एवं अवकाश नकदीकरण हेतु व्यय का निर्धारण बीमांकिक रूप से समग्र कंपनी आधार पर वार्षिक रूप से किया जाता है अतः उक्त सूचना में इस पर विचार नहीं किया गया है।

Expenses towards gratuity and leave encashment are determined actuarially on an overall company basis annually and accordingly have not been considered in the above information.

ख. संयुक्त उद्यम: युनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.। संयुक्त उद्यम कंपनी के साथ लेनदेन निम्नानुसार हैं :

b) Joint Venture: Universal Sompo General Insurance Company Limited. Transactions with joint venture company are as follows

(राशि करोड़ में) / (Amount in Crores)

विवरण \ Particulars	राशि / Amount
अर्जित आय \ Income Earned	1.90
भुगतान किया गया बीमा प्रीमियम \ Insurance Premium Paid	0.54

ग. अनुषंगी: आल बैंक फाइनेंस लि (पूर्ण स्वामित्व)

c) Subsidiary: AllBank Finance Limited (wholly owned)

घ एसोसिएट

d) Associates:

i) शारदा ग्रामीण बैंक

i) Sharda Gramin Bank

ii) लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

ii) Lucknow Kshetriya Gramin Bank

iii) त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

iii) Tribeni Kshetriya Gramin Bank

उपर्युक्त सहायक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में बैंक की शेयरधारित 35% है।

The Bank is holding 35% shares of the above Associated Regional Rural Banks.

सहायकों एवं अनुषंगियों के साथ लेनदेन का खुलासा (एस)-18 संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण के पैरा 9 को ध्यान में रखते हुए नहीं किया गया है जो राष्ट्र द्वारा नियंत्रित उद्यमों को उन अन्य संबंधित पक्षकारों के साथ उनके लेनदेन से संबंधित खुलासे करने से मुक्त करता है जो राष्ट्र द्वारा नियंत्रित हैं।

The transactions with the subsidiaries and associates have not been disclosed in view of para 9 of the (AS)-18 Related Party Disclosure, which exempts state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are also state controlled.

11.4 पट्टा प्रकटीकरण

11.4 Lease Disclosure

क) परिचालित पट्टों का लेखा एस-19 के अनुपालन में किया गया है और भावी देय किराया निम्नानुसार है :

A) Accounting of operating leases has been done in compliance to AS-19 and future rent payable is as under:

बैंक के कार्यालय/आवासीय सुविधाओं हेतु विभिन्न पट्टे परिचालन में हैं। इस संबंध में प्रकटीकरण निम्नानुसार है :

The Bank has various operating leases for office / residential facilities. Disclosures in this regard are as under:

i) निम्नलिखित प्रत्येक अवधि हेतु निरस्त न किए जा सकने वाले परिचालित पट्टों के अंतर्गत कुल न्यूनतम भावी पट्टा भुगतान :

i) The total of future minimum lease payments under non-cancellable operating leases for each of the following periods:

(रु. करोड़ में) / (Rs. in Crores)

पट्टे की बची हुई अवधि का देय किराया 31.03.2009 को

Rent payable for unexpired lease period as on 31.03.2009

मौजूदा पट्टा अवधि Existing lease period		
एक वर्ष से अनधिक Not later than one year	एक वर्ष से अधिक और पांच वर्ष से अनधिक Later than one year and not later than five years	पांच वर्ष से अधिक Later than five years
33.75	78.59	23.78

इसकी अनुषंगी के संबंध में लीज लेखा मानक प्रयोज्य नहीं हैं क्योंकि कंपनी ने 01.04.2001 के बाद से कोई लीज संस्वीकृत नहीं की है।

In respect of its subsidiary, lease accounting standard is not applicable since the Company has not sanctioned any lease after 01.04.2001.

ii) तुलन पत्र की तिथि को गैर-निरसनयोग्य सबलीज के अंतर्गत प्राप्त किए जाने हेतु कुल संभावित भावी सबलीज भुगतान: शून्य

ii) The total of future minimum sublease payments expected to be received under non-cancellable subleases at the balance sheet date: Nil

iii) इस अवधि हेतु लाभ-हानि विवरण में अभिज्ञात लीज भुगतान: रु.48.58 करोड़

iii) Lease payments recognised in the statement of profit and loss for the period: Rs.48.58 Crores.

iv) इस अवधि हेतु लाभ-हानि विवरण में अभिज्ञात सब लीज भुगतान की प्राप्ति (अथवा प्राप्य): शून्य

iv) Sub-lease payments received (or receivable) recognised in the statement of profit and loss for the period: Nil

ख) वित्तीय लीज:

वित्तीय लीज के अंतर्गत बैंक की कोई आस्ति नहीं है।

11.5. प्रति शेयर अर्जन - लेखा मानक (एस) 20 :

B) Financial Lease:

Bank is not having any assets under Financial Lease.

11.5 Earning Per Share – Accounting Standard (AS) 20:

क्रम सं.	विवरण	वर्ष 2008-09 हेतु	वर्ष 2007-08 हेतु
SI No.	Particulars	For the year 2008-09	For the year 2007-08
A	प्रति शेयर मूल और डाइल्यूटेड अर्जन Basic and Diluted Earning Per Share	Rs. 17.70	Rs. 22.25

11.6 आय पर कर हेतु लेखा - लेखा मानक (एस) 22

वर्ष के दौरान आस्थगित कर स्तर के समायोजन के रूप में रु.8.58 करोड़ (निवल) (पिछले वर्ष निवल नामे रु. 18.16 करोड़) को लाभ एवं हानि खाते में जमा लिखा गया। तुलन पत्र की तारीख को यथास्थिति आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं के मुख्य घटक तुलनपत्र की तिथि के अनुसार निम्नानुसार है :

11.6 Accounting for Taxes on Income: Accounting Standard (AS) 22

During the year, an amount of Rs. 8.58 Crores (Net) (Previous year net debit Rs.18.16 Crores) has been credited to the Profit & Loss Account by way of adjustment of deferred tax. The major components of Deferred Tax Assets/ Liabilities as on Balance Sheet date are as under:
(रु. करोड़ में) / (Rs. in Crores)

विवरण Particulars	को यथास्थिति As on 31.03.2007	समायोजन जोड़/(घटाव) Adjustment Add/(Less)	को यथास्थिति As on 31.03.2008
आस्थगित कर आस्तियाँ \ Deferred Tax Assets			
अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान \ Provision for Leave Encashment	2.61	(2.61)	Nil
बीमारी छुट्टी हेतु प्रावधान \ Provision for Sick Leave	Nil	0.66	0.65
पेंशन (पुरानी) हेतु प्रावधान \ Provision for Pension(old)	1.59	5.40	6.99
एलएफसी हेतु प्रावधान \ Provision for LFC	Nil	2.12	2.12
अन्य \ Others	0.53	0.01	0.54
कुल \ Total	4.73	5.58	10.30
आस्थगित कर देयताएँ \ Deferred Tax Liabilities			
अचल आस्तियों का मूल्यहास \ Depreciation of Fixed Assets	1.60	0.28	1.88
निवेश के रूप में धारित प्रतिभूतियों पर उपचित किंतु अदेय ब्याज Interest Accrued but not due on securities held as Investments	12.61	8.69	21.29
अन्य \ Others	0.53	0.01	0.54
कुल \ Total	14.21	8.97	23.17
आस्थगित कर देयताएँ (निवल) \ Deferred Tax Assets (Net)	9.48	3.39	12.87

11.7 'वित्तीय आस्तियों के रूप में बैंक की आस्तियों' के पर्याप्त अंश पर लेखा मानक (एस) 28 'इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स' प्रयोज्य नहीं है। प्रबंधन की राय में उक्त मानक के अनुसार 31.03.2009 को बैंक की अन्य आस्तियों में कोई इम्पेयरमेंट नहीं है और अभिज्ञान हेतु कोई महत्वपूर्ण विस्तार नहीं है।

11.7 A substantial portion of the bank's assets comprise of 'financial assets' to which Accounting Standard (AS) 28 'Impairment of Assets' is not applicable. In the opinion of the management, there is no impairment of other assets of the Bank as at 31.03.2009 to any material extent requiring recognition in terms of the said standard.

11.8 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियों' के संबंध में लेखा मानक (एस) 29 के अनुसार प्रकटीकरण :

11.8 Disclosure in terms of Accounting Standard (AS) 29 on "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets":

देयताओं हेतु प्रावधान का संचलन (इति शेष):

Movement of Provision for Liabilities (Closing Balance):
(राशि करोड़ में) / (Rs. in Crores)

विवरण / Particulars	को यथास्थिति As on 31.03.2009	को यथास्थिति As on 31.03.2008
(a) एनपीए हेतु प्रावधान / Provision toward NPA	643.43	593.30
(b) निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधान / Provision for Depreciation on Investment	430.30	322.03
(c) मानक आस्तियों हेतु प्रावधान / Provision towards Standard Assets	277.01	257.00
(d) आयकर हेतु प्रावधान / Provision towards Income Tax	740.31	442.12
(e) आस्थगित कर आस्ति / देयता / Deferred Tax Assets / Liabilities	12.87	9.48
(f) अनुषंगी लाभ कर / Fringe Benefit Tax	26.04	19.26
(g) अन्य/Others	480.81	384.39
कुल/ Total	2610.77	2027.58

12. खंडवार सूचना , 12. Segment Information (राशि करोड़ में) / (Rs. in Crores)

विवरण \ Description	को समाप्त वर्ष \ Year ended 31-03-2009 समेकित \ Consolidated (लेखापरीक्षित) \ (Audited)	को समाप्त वर्ष \ Year ended 31-03-2008 समेकित \ Consolidated (लेखापरीक्षित) \ (Audited)
PART - A Business Segment		
a) व्यवसाय खंड \ Segment Revenue		
i) ट्रेजरी \ Treasury	2482.87	2177.64
ii) कारपोरेट/थोक बैंकिंग \ Corporate/Wholesale Banking	3213.16	2320.15
iii) रिटेल बैंकिंग \ Retail Banking	2760.60	2622.76
iv) अन्य बैंकिंग व्यवसाय \ Other Banking Business	71.88	35.86
कुल \ Total	8528.51	7156.41
घटाएं: अंतर खंड राजस्व \ Less : Inter Segment Revenue	Nil	Nil
निवल बिक्री/परिचालन से आय \ Net Sales/Income from Operation	8528.51	7156.41
b) खण्ड परिणाम (लाभ) \ Segment Results (Profit)		
i) ट्रेजरी \ Treasury	431.43	227.78
ii) कारपोरेट/थोक बैंकिंग \ Corporate/Wholesale Banking	691.43	287.74
iii) रिटेल बैंकिंग \ Retail Banking	732.98	949.96
iv) अन्य बैंकिंग व्यवसाय \ Other Banking Business	67.18	33.79
कुल (परिचालन लाभ) \ Total (Operating Profit)	1923.02	1499.27
घटाएं: \ Less :		
i) ब्याज \ Interest	Nil	Nil
ii) आबंटित न किए जा सकने वाले अन्य व्यय \ Other Un-allocable Expenditure	825.38	356.92
iii) आबंटित न की जा सकने वाली अन्य आय \ Other Un-allocable income	Nil	Nil
कर पूर्व कुल लाभ \ Total Profit Before Tax	1097.64	1142.35
आयकर \ Income Taxes	307.17	148.37
निवल लाभ \ Net Profit	790.47	993.98
c) नियोजित पूंजी \ Capital Employed		
खंड आस्तियां-खंड देयताएं \ Segment Assets-Segment liabilities		
i) ट्रेजरी \ Treasury	30141.74	24035.57
ii) कारपोरेट/थोक बैंकिंग \ Corporate/Wholesale Banking	43829.84	32348.57
iii) रिटेल बैंकिंग \ Retail Banking	22566.68	25483.72
iv) अन्य बैंकिंग व्यवसाय \ Other Banking Business	181.49	164.22
vi) अनाबंटित आस्तियां \ Unallocated Assets	1109.75	1071.46
कुल नियोजित पूंजी \ Total Capital Employed	97829.50	83103.54

विवरण \ Description	को समाप्त वर्ष \ Year ended 31-03-2009 Consolidated (Audited)	को समाप्त वर्ष \ Year ended 31-03-2008 Consolidated (Audited)
खंड देयताएं \ Segment Liabilities		
i) ट्रेजरी \ Treasury	28661.11	22809.62
ii) कारपोरेट/थोक बैंकिंग \ Corporate/Wholesale Banking	41676.80	30698.61
iii) रिटेल बैंकिंग \ Retail Banking	21454.77	24210.04
iv) अन्य बैंकिंग व्यवसाय \ Other Banking Business	Nil	1.22
कुल \ Total	91792.68	77719.49
पूंजी एवं आरक्षित निधि \ Capital & Reserves	6036.82	5384.05
कुल देयताएं \ Total Liabilities	97829.50	83103.54
भाग ख . भौगोलिक खंड \ PART - B Geographic Segment		
a. राजस्व \ Revenue		
i. घरेलू \ Domestic	8500.30	7131.48
ii. अंतरराष्ट्रीय \ International	15.76	9.64
iii. कुल \ Total	8516.06	7141.12
b. आस्तियां \ Assets		
i. घरेलू \ Domestic	96690.10	82894.39
ii. अंतरराष्ट्रीय \ International	1139.40	209.15
iii. कुल \ Total	97829.50	83103.54
खंड सूचना पर टिप्पणी :	Notes to Segment Information:	
<ul style="list-style-type: none"> समेकित खंड रिपोर्टिंग में अनुषंगी कंपनी, एक बैर-बैंकिंग संस्था के व्यवसाय को अवशेष व्यवसाय के रूप में माना गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक एएस17 और उस पर भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुरूप सेगमेंट रिपोर्टिंग के प्रयोजन से बैंक के व्यवसाय को तीन खंडों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् <ul style="list-style-type: none"> ट्रेजरी परिचालन कारपोरेट/थोक बैंकिंग रिटेल बैंकिंग अन्य बैंकिंग व्यवसाय भौगोलिक खंड को (क) घरेलू और (ख) अंतरराष्ट्रीय खंड में वर्गीकृत किया गया है। सांविधिक अपेक्षाओं से अधिक एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश और गैर एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश को ट्रेजरी परिचालन में निवेश माना गया है। किसी खंड विशेष से सीधे जुड़े व्यय, आस्तियों और देयताओं को संबंधित खंड को आबंटित किया जाता है और जहां कोई मद सीधे खंड को प्रस्तावित नहीं करती हैं उन्हें प्रबंधित व्यवसाय कि अनुपात में आबंटित किया गया है 	<ul style="list-style-type: none"> The business of the subsidiary company, a non-banking entity has been considered as residual business in consolidated segment reporting. For the purpose of segment reporting in terms of AS 17 issued by the Institute of Chartered Accountants of India and RBI guidelines thereon, the business of the bank has been classified into three segments, viz. <ul style="list-style-type: none"> Treasury Operations, Corporate / Wholesale Banking Retail Banking Other Banking business Geographical segment has been classified as (a) Domestic and (b) International. Investment in SLR securities in excess of statutory requirements and investment in non-SLR securities have been considered as investment for Treasury Operations. Expenses, assets and liabilities directly attributed to particular segment are allocated to the relative segment and wherever the items are not directly attributable to specific segment the same has been allocated in proportion to business managed. 	
13 आकस्मिक देयताएँ:	13. Contingent Liabilities	
तुलन पत्र की अनुसूची 12 के क्रम संख्या (I) से (VI) में यथाउल्लिखित ऐसी देयताएँ क्रमशः न्यायालय/आर्बिट्रेशन/न्यायालय के बाहर निपटान के परिणामों, अपीलों के निपटान, मांग की गई राशि, संविदागत बाध्यताओं की शर्तों, घटनाक्रमों और संबंधित पक्षकारों द्वारा की गई मांग पर निर्भर है। आलबैंक फाइनेंस लि. की आकस्मिक देयताओं से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियां निम्नानुसार हैं	Such liabilities as mentioned at Sl. No.(I) to (VI) in schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the outcome of court / arbitration / out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvment and raising of demand by concerned parties respectively. Additional comments in respect of contingent liabilities of AllBank Finance Limited are as follows:	

- विभिन्न अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष लंबित मामलों के संबंध में विवादित आय कर जहां कंपनी को रु.23.19 करोड़(पिछले वर्ष 26.81 करोड़) की रकम प्राप्त होने की संभावना है। 31.03.2009 को यथास्थिति रु.7.80 करोड़ (पिछले वर्ष रु.6.64 करोड़) की राशि अग्रिम कर, स्रोत पर काटे गए कर और प्राप्य आयकर रिफंड के रूप में दर्शाई गई है। यह राशि करनिर्धारण और अपील के विभिन्न चरणों में समायोजन हेतु लंबित है।
- कंपनी के विरुद्ध ऋण के रूप में अभिस्वीकृत न किए गए दावे: रु.11.76 करोड़ (पिछले वर्ष रु.3.47 करोड़)
- 14. आल बैंक फाइनेंस लि. के संबंध में माननीय विशेष न्यायालय के आदेशानुसार, मे. वी.बी. देसाई द्वारा 31.05.1992 को आल बैंक फाइनेंस लि. को सौंपे गए शेयरों को बैंक के पक्ष में शेयरों में संपत्ति का पूर्ण अंतरण माना गया। तदनुसार, शेयरों की सुपुर्द की तारीख से बैंक शेयरों का सवामी बन गया है और उसके बाद उच्च शेयरों पर घोषित समस्त उपचय और अधिकारों पर इसका हक है। उपर्युक्त आदेश के परिणामस्वरूप शेयरों के अर्जन को दीर्घावधि निवेश माना गया।
- 15. पूंजीगत खाते पर निष्पादन हेतु शेष संविदा की अनुमानित राशि जिसका प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिम का निवल) रु.61.93 करोड़ (विगत वर्ष रु.95.89 करोड़) है।
- 16. अनुपयोज्य आस्तियों के अंतर्गत धारित प्रावधान के क्षेत्रवार ब्रेकअप को सकल अग्रिम से अनुमानित आधार पर घटा दिया गया है ताकि तुलन पत्र की अनुसूची 9 में यथोक्त निवल अग्रिम का शेष निकल सके।
- 17. भारत सरकार ने सीमांत और छोटे किसानों तथा अन्य किसानों को जिन्होंने प्रत्यक्ष कृषि ऋण लिया है, को ऋण माफी देने हेतु एक राहत योजना अर्थात् “कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना, 2008” अधिसूचित की है। माफ की गई राशि हेतु रु.1040.80 करोड़ का प्रारंभिक दावा भारतीय रिजर्व बैंक में दाखिल किया गया जिसमें से रु.426.73 करोड़ प्राप्त हो गए हैं। योजना के अनुसार पात्र किसानों को दी गई कृषि ऋण माफी की राशि खातों में जमा की जा चुकी है तथा ये रकम रेखापरीक्षकों द्वारा दावे के प्रमाणन के अधीन हैं।
- 18. जहाँ आवश्यक समझा गया है विगत वर्ष के आँकड़ों को पुनःसमूहित या पुनःवर्गीकृत किया गया है।
- Disputed Income Tax in respect of matters pending before various appellate authorities where the Company expects to succeed amounts to Rs. 23.19 Crores (Previous Year Rs. 26.81 Crores). As on 31.03.2009, Rs. 7.80 Crores (Previous Year Rs. 6.64 Crores) have been shown as advance income tax, tax deducted at source, and income tax refund receivable. This amount is pending adjustment at various stages of assessment and appeal.
- Claims against the Company not acknowledged as Debts : Rs. 11.76 Crores (Previous Year Rs. 3.47 Crores)
- 14. In respect of AllBank Finance Limited, as per the order of Hon'ble Special court, the delivery of shares on 13.05.1992 by M/s V. B. Desai to AllBank Finance Ltd., constituted complete transfer of property in the shares in favour of the Bank. Accordingly, the Bank became the owner of the shares from the date of delivery of the shares and was entitled to all accretions and rights declared thereafter. Pursuant to the above-mentioned order, the acquisition of the shares has been considered as long term investment.
- 15. Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (Net of Advance) Rs. 61.93 Crores (Previous Year Rs. 95.89 Crores).
- 16. Sector wise break up of provision held under non-performing advances is deducted on estimated basis from gross advances to arrive at the balance of net advances as stated in the Schedule 9 of the Balance Sheet.
- 17. The Government of India has notified Relief Scheme viz., “Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme, 2008”, for giving debt waiver to marginal and small farmers and to other farmers who have availed direct agricultural loans. Preliminary claims have been lodged with RBI for Rs. 1040.80 crores being the amount waived, out of which Rs. 426.73 crores has been received. The agricultural debt waiver given to the eligible farmers as per the Scheme has been given effect to in the accounts and amounts are subject to certification of claim by the auditors.
- 18. Figures of previous year have been regrouped or reclassified wherever considered necessary.

इलाहाबाद बैंक, इसकी अनुषंगी तथा इसके हित वाले एसोसिएट्स की समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
निदेशक मंडल
इलाहाबाद बैंक

1. हमने यथास्थिति 31 मार्च, 2009 को इलाहाबाद बैंक (बैंक), इसकी अनुषंगी और एसोसिएट्स (समूह) के संलग्न तुलनपत्र तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ एवं हानि लेखा और समेकित नकदी प्रवाह विवरणी की जांच की है जिसमें निम्नलिखित शामिल है:

- हमारे द्वारा लेखा परीक्षा किए गए बैंक के लेखापरीक्षित लेखा।
- अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित एक अनुषंगी और तीन एसोसिएट्स के लेखापरीक्षित लेखा और एक एसोसिएट कंपनी के अलेखापरीक्षित लेखा।

इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व बैंक के प्रबंधन का है और इन्हें प्रबंधन द्वारा पृथक वित्तीय विवरणों तथा इसके संघटकों से संबंधित अन्य वित्तीय सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है।

2. हमारा दायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों की अपेक्षा है कि हम इस संबंध में समुचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु लेखा परीक्षा करें कि क्या ये वित्तीय विवरण निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार किए गए हैं एवं अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। लेखा परीक्षा में परीक्षण आधार पर राशि को समर्थित करने वाले साक्ष्यों की जांच तथा वित्तीय विवरण में प्रकटीकरण शामिल है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों के मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा किए गए उल्लेखनीय प्राक्कलनों के साथ ही समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित है। हमें यह विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारे अभिमत का ठोस आधार है।

3. हमने निम्नलिखित के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है:

- एक अनुषंगी जिसके वित्तीय विवरणों में यथास्थिति 31 मार्च 2009 को रु. 44.50 करोड़ की कुल आस्तियां तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष में रु. 11.97 करोड़ का कुल राजस्व दर्शित है। इन वित्तीय विवरणों को अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित किया गया है जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है तथा जहां तक अनुषंगी के संबंध में शामिल राशि का संबंध है, हमारा अभिमत उक्त लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर पूरी तरह से आधारित है।
- एसोसिएट्स जिसमें तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक(आरबीबी) शामिल हैं, जिसके वित्तीय विवरणों में यथास्थिति 31 मार्च 2009 को रु. 4828.07 करोड़ की कुल आस्तियां तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष में रु. 308.20 करोड़ का कुल राजस्व दर्शित है। इन वित्तीय विवरणों को अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित किया गया है जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है तथा जहां तक अनुषंगी के संबंध में शामिल राशि का संबंध है, हमारा अभिमत उक्त लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर पूरी तरह से आधारित है।
- एसोसिएट्स में शामिल एक बीमा कंपनी जिसके वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं और यथास्थिति 31 मार्च 2009 को रु. 251.94 करोड़ की कुल आस्तियां तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष में रु. 17.34 करोड़ का कुल राजस्व दर्शाते हैं।

4. हम यह रिपोर्ट करते हैं कि भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 21 “समेकित वित्तीय विवरण” और लेखा मानक 23 “समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेश का लेखा” की अपेक्षाओं एवं भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार बैंक प्रबंधन द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

5. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर तथा पृथक वित्तीय विवरणों के संबंध में अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करने तथा लेखा टिप्पणियों के अधधीन अर्थात् नोट सं. 2 (i) और 2 (ii), जो अंतर शाखा खातों की बेमेल प्रविष्टियों के तुलन/समाक्कलन, उक्त नोट में यथावर्णित विभिन्न लेखाशीर्षों में बकाया प्रविष्टियों के तुलन/समाक्कलन और समाशोधन के लेखा परीक्षा रिपोर्ट को ध्यान में रखकर हमारा अभिमत है कि:

- (क) समेकित तुलन पत्र यथास्थिति 31 मार्च 2009 को समूह की समेकित स्थिति की सही एवं निष्पक्ष छवि देता है; एवं
(ख) समेकित लाभ एवं हानि लेखा उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु समूह के प्रचालनों के समेकित परिणामों की सही एवं निष्पक्ष छवि देता है।

(ग) समेकित नकदी प्रवाह विवरण-पत्र, विवरण-पत्र की अवधि हेतु समूह के नकदी प्रवाह की सही एवं निष्पक्ष छवि देता है।

कृते मे० रसूल सिंहल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(कौशल कुमार)
पार्टनर
सदस्यता सं. 011124

कृते मे० दासगुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(अशोक कुमार जैन)
पार्टनर
सदस्यता सं. 90563

कृते मे० के.एस. बोथरा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(एस.एल.सेठ)
पार्टनर
सदस्यता सं. 053261

कृते मे० वेंकट एंड रंगा
सनदी लेखाकार
(एस. मणिशेखरन)
पार्टनर
सदस्यता सं. 26400

कृते मे० आनंद रंगटा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(अरुण अग्रवाल)
पार्टनर
सदस्यता सं. 098486

कृते मे० सुदित के. पारीख एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(श्रीकांत वी. जिल्ला)
पार्टनर
सदस्यता सं. 39461

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 4 मई, 2009

Auditors' Report on the Consolidated Financial statements of Allahabad Bank, its subsidiary and its interests in associates

**To,
The Board of Directors
Allahabad Bank**

1. We have examined the attached Consolidated Balance Sheet of Allahabad Bank (the Bank), its subsidiary and associates (the Group) as at 31st March 2009 and the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date in which are incorporated:
 - i. Audited accounts of the Bank audited by us.
 - ii. Audited accounts of one subsidiary, three associates audited by other auditors and unaudited accounts of one associate company.

These financial statements are the responsibility of the Bank's management and have been prepared by the management on the basis of separate financial statements and other financial information regarding components. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. We conducted our audit in accordance with generally accepted auditing standards in India. These Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are prepared, in all material respects, in accordance with an identified financial reporting framework and are free of material misstatements. An audit includes, examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
3. We did not audit the financial statements of:
 - i. One subsidiary, whose financial statements reflect total assets of Rs. 44.50 Crore as at 31st March 2009 and total revenues of Rs. 11.97 Crore for the year ended on that date. These financial statements have been audited by other auditor whose report has been furnished to us, and our opinion, insofar as it relates to the amounts included in respect of the subsidiary, is based solely on the report of the said auditor.
 - ii. Associates that included three Regional Rural Banks (RRBs) whose financial statements reflect total assets of Rs. 4828.07 Crore as at 31st March 2009 and total revenues of Rs. 308.20 Crore for the year ended on that date. These financial statements have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion, insofar as it relates to the amounts included in respect of these associates, is based solely on the report of the said auditors.
 - iii. Associates include one insurance company, whose financial statements are unaudited and reflect total assets of Rs. 251.94 Crore as at 31st March 2009 and total revenues of Rs. 17.34 Crore for the year ended on that date.
4. We report that the consolidated financial statements have been prepared by the Bank's management in accordance with the requirements of Accounting Standard 21 "Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 23 "Accounting for investment in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the requirements of the Reserve Bank of India.
5. Based on our audit and consideration of reports of other auditors on separate financial statements and also subject to Notes on Accounts i.e. Note No. 2(i) & 2(ii) regarding balancing / reconciliation of unmatched entries in Inter Branch Accounts, balancing / reconciliation and clearance of outstanding entries in various head of accounts as stated in the said notes, we are of the opinion that:
 - i. The Consolidated Balance Sheet gives a true and fair view of the consolidated state of affairs of the Group as at 31st March 2009;
 - ii. The Consolidated Profit and Loss Account gives a true and fair view of the consolidated results of operations of the Group for the year ended on that date; and
 - iii. The Consolidated Cash Flow Statement gives a true and fair view of cash flows of the Group for the period covered by the statement.

For **M/s. Rasool Singhal & Co.**
Chartered Accountants
(Kaushal Kumar)
Partner
Membership No. 011124

For **M/s. Venkat & Rangaa**
Chartered Accountants
(S. Manisekaran)
Partner
Membership No. 26400

For **M/s. Dass Gupta & Associates**
Chartered Accountants
(Ashok Kr. Jain)
Partner
Membership No. 90563

For **M/s. Anand Rungta & Co.**
Chartered Accountants
(Arun Agarwal)
Partner
Membership No. 098486

For **M/s. K. S. Bothra & Co.**
Chartered Accountants
(S. L. Seth)
Partner
Membership No. 053261

For **M/s. Sudit K Parekh & Co.,**
Chartered Accountants
(Srikant V. Jilla)
Partner
Membership No. 39461

Place: Kolkata
Date: May 4, 2009

ऑलबैंक फाइनेन्स लि. के निदेशकों की रिपोर्ट

सदस्यगण,

निदेशकगण एतद्वारा 31 मार्च, 2009 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी के लेखापरीक्षित लेखे सहित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

वित्तीय परिणाम

वित्तीय परिणाम निम्नानुसार हैं :

	31.03.2009 रु.	31.03.2008 रु.
मूल्यहास के बाद लाभ	10,62,36,573	4,92,48,106
कर पूर्व निवल लाभ	10,61,21,706	4,92,48,106
कर हेतु प्रावधान	1,19,51,000	97,00,000
कर पश्चात निवल लाभ	9,41,70,706	3,95,48,106

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने पिछले वर्ष में अर्जित रु. 395.48 लाख के निवल लाभ के सापेक्ष रु. 941.70 लाख का निवल लाभ अर्जित किया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अनर्जक आस्तियों हेतु रु. 7.44 लाख के प्रावधान, जिसकी अब आवश्यकता नहीं है, को प्रत्यावर्तित कर दिया गया है। जबकि वर्ष के दौरान रु. 8.31 लाख का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। वर्ष के दौरान निवेश के मूल्य में रु. 13.47 लाख के अल्पहास हेतु प्रावधान किया गया।

लाभांश

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष हेतु निदेशकों ने किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की।

ट्रेजरी परिचालन

अनुकूल बाजार परिदृश्य का लाभ उठाते हुए नियमित अंतराल पर मुनाफा वसूल की गई। इसके अतिरिक्त दीर्घकालिक म्यूचुअल फंड यूनिटों में निवेश का समुचित रूप से मोचन कर डबल इंडेक्शन का लाभ उठाया। निवेश संविभाग में विविधता लाने के उद्देश्य से ऑलबैंक फाइनेंस लि. ने उच्च आय वाले कारपोरेट बांड और करमुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर बांड में निवेश किया है। रु. 5.00 करोड़ की मीयादी जमा दीर्घावधि निवेश हेतु इलाहाबाद बैंक में रखी गई है।

मर्चेन्ट बैंकिंग

कंपनी ने वर्ष के दौरान सफलतापूर्वक चार आईपीओ संपन्न किए और अन्य गतिविधियों के माध्यम से शुल्क आधारित आय भी अर्जित की। कुल अर्जित आय रु. 134.58 लाख रही (पिछले वर्ष रु. 109.25 लाख)।

म्यूचुअल फंड योजनाओं का वितरण

कंपनी ने म्यूचुअल फंड यूनिटों के वितरण के माध्यम से ब्रोकरेज आय अर्जित की, हालाँकि राजस्व का पर्याप्त अंश इलाहाबाद बैंक के ट्रेजरी परिचालन के माध्यम से प्राप्त हुआ।

DIRECTORS' REPORT OF AIBANK FINANCE LTD.

To the Members,

The Directors hereby present the Annual Report together with the Audited Accounts of the Company for the financial year ended 31st March, 2009.

FINANCIAL RESULTS

Financial results are summarized as under:

	31.03.2009 Rs.	31.03.2008 Rs.
Profit after depreciation	10,62,36,573	4,92,48,106
Net Profit before Tax	10,61,21,706	4,92,48,106
Provision for Tax	1,19,51,000	97,00,000
Net Profit after Tax	9,41,70,706	3,95,48,106

During the year under review, the Company has earned a net profit of Rs. 941.70 lakh as against net profit of Rs. 395.48 lakh earned during the previous year.

During the year under review, provision for Non-Performing Assets no longer required has been written back to the tune of Rs. 7.44 lakh while additional provision for NPA to the tune of Rs. 8.31 lakh was made during the year. The provision diminution in the value of Investment amounting to Rs. 13.47 lakh was made during the year.

DIVIDEND

The Directors do not recommend any dividend for the year ended 31st March 2009.

TREASURY OPERATIONS

Profit booking was resorted to at regular intervals taking advantage of favourable market scenario. Moreover, long term investments in Mutual Fund Units were duly redeemed thereby availing benefit of double indexation. In order to diversify the investment portfolio, AIBank Finance Ltd. made investments in high yielding Corporate Bonds and tax free Infrastructure Bonds. A term-deposit of Rs. 5 Crore was kept with Allahabad Bank with long term perspective.

MERCHANT BANKING

The Company successfully concluded four IPOs during the year and also earned fee based income through other activities. The total income earned was Rs. 134.58 Lakh (previous year Rs. 109.25 Lakh).

DISTRIBUTION OF MF SCHEMES

The Company earned brokerage income through distribution of Mutual Fund Units, even though substantial portion of revenue is through treasury operations of Allahabad Bank.

सेबी दिशानिर्देशों का अनुपालन

सेबी द्वारा मर्चेन्ट बैंकरों के लिए जारी विभिन्न निदेशों/दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।

कार्मिक

कंपनी का कोई भी कर्मचारी कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक पारिश्रमिक आहरित नहीं कर रहा है अतएव, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) और उसके साथ पठित नियमों के तहत विवरण संलग्न नहीं किया जा रहा है।

कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटीकरण) नियम, 1988 ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकीय अवशोषण एवं विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं बहिर्गमन

इस शीर्ष के अंतर्गत कंपनी को कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी हेतु प्रयोज्य विवेकपूर्ण मानदंड

कंपनी अब एमबीएफसी नहीं रहा। तथापि, पुराने बकाया ऋण खातों के संबंध में आय अभिज्ञान, लेखा मानकों, आस्ति वर्गीकरण, अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान, पूंजी पर्याप्तता और ऐसे अन्य मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों/निदेशों का कंपनी द्वारा पालन किया जा रहा है।

निदेशकगण

श्री ए.सी. महाजन द्वारा केनरा बैंक का प्रभार ग्रहण करने के परिणामस्वरूप श्री के.आर. कामत ने 02 अगस्त, 2008 से ऑलबैंक फाइनेंस का प्रभार ग्रहण किया। बोर्ड ने श्री ए.सी. महाजन द्वारा उनके कार्यकाल में प्रदान की गई सेवाओं के लिए उनकी सराहना की।

कंपनी अधिनियम, 1956 धारा 274(1)(जी) के अंतर्गत वर्ष के दौरान कंपनी के किसी निदेशक को किसी अन्य कंपनी का निदेशक बनने या बने रहने हेतु अयोग्य नहीं पाया गया है।

निदेशकों के दायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2ए) के अंतर्गत आपके निदेशक पुष्टि करते हैं कि वार्षिक लेखों की तैयारी, आर्थिक विचलन संबंधी समुचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों का पालन करना, चयनित ऐसी लेखा नीतियों का चयन एवं इन्हें सुसंगत रूप में लागू करना एवं निर्णय लेना व इस बात का आकलन करना कि वे युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आपकी कंपनी की सही एवं निष्पक्ष झलक एवं इस अवधि के दौरान आपकी कंपनी के लाभ की स्थिति प्रस्तुत कर सकें। धोखाधड़ी एवं अन्य आस्तियों का पता करने, रोकने एवं आपकी कंपनी की आस्तियों को सुरक्षित करने हेतु कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेख के रखरखाव हेतु समुचित एवं पर्याप्त देख-रेख करना और सतत प्रतिष्ठान आधार पर वार्षिक लेखा तैयार करना।

COMPLIANCE OF SEBI GUIDELINES

Various guidelines/ directives issued by SEBI for the Merchant Bankers are being complied with.

PERSONNEL

No employee of the Company is drawing remuneration in excess of the limits prescribed by the Companies Act. Therefore, the statement under section 217(2A) of the Companies Act, 1956, read with the rules framed thereunder, is not being annexed.

COMPANIES (DISCLOSURE OF PARTICULARS IN THE REPORT OF BOARD OF DIRECTORS) RULES, 1988 CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGOINGS

The Company has nothing to report under this head.

PRUDENTIAL NORMS APPLICABLE TO NON-BANKING FINANCE COMPANIES

The Company is now no more an NBFC. However, Various guidelines/directives issued by Reserve Bank of India on prudential norms for income recognition, Accounting Standards, Asset Classification, provisioning for bad and doubtful debts, Capital Adequacy and so on as applicable in respect of old outstanding Loan Accounts are adhered to .

DIRECTORS

Consequent upon Shri A.C.Mahajan taking over as Chairman and Managing Director of Canara Bank, Sri K.R. Kamath took charge of AllBank Finance Ltd. as its Chairman w.e.f. 2nd August 2008. The Board placed on record the services rendered by Shri A.C.Mahajan during his tenure as Chairman of the Company.

No Director of the Company has been disqualified during the year for becoming Director or continuing as Director of another Company, U/s. 274 (1)(g) of the Companies Act. 1956.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

As required Under Section 217 (2AA) of the Companies Act, 1956, your Directors confirm having followed, in the preparation of the Annual Accounts, the applicable accounting standards, with proper explanation relating to material departures, selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of your Company at the end of the financial year and of the profit of your Company for that year; taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956, for safeguarding the assets of your Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities; and prepared the Annual Accounts on a going concern basis.

लेखापरीक्षा समिति

कंपनी की लेखापरीक्षा समिति में श्री के.के. अग्रवाल कार्यपालक निदेशक इलाहाबाद बैंक, श्री डी.पी. खुल्लर, निदेशक और श्री ए.बी. भट्टाचार्य, महाप्रबंधक, इलाहाबाद बैंक और कंपनी के निदेशक शामिल हैं। वर्ष के दौरान तीन बैठकें आयोजित की गईं और लेखापरीक्षा समिति ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 292ए के अनुसार गतिविधियों को कार्यरूप दिया।

लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2008-09 हेतु मैसर्स डि. के. दे सरकार एंड कं. सनदी लेखाकार को लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन का उत्तर

अपनी लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षकों द्वारा कोई विनिर्दिष्ट टिप्पणी नहीं की गई।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा आरंभ की जानी है।

आभार

निदेशक मंडल कंपनी के स्टोक होल्डरों, बैंकों एवं स्टाफ सदस्यों, जिन्होंने कंपनी के प्रति उत्साहजनक प्रतिबद्धता दिखाई, से मिले समर्थन एवं सहायता की हार्दिक सराहना करता है।

निदेशक मंडल के लिए एवं की ओर से।

(प्रसाद अकोलकर)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(के. आर. कामत)
अध्यक्ष

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee of the Company comprised of Shri K.K.Agarwal Executive Director Allahabad Bank, Shri D. P. Khullar, Director and Shri A. B. Bhattacharjee General Manager, Allahabad Bank and Director of the Company. Three meetings were held during the year and Audit Committee dealt with activities as per Section 292A of the Companies Act, 1956.

AUDITORS

M/s. D. K. De Sarkar & Co. Chartered Accountants, were appointed Auditors for the year 2008-2009 U/s. 619(2) of the Companies Act, 1956 by the Office of the Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.

MANAGEMENT'S REPLY TO THE AUDITORS' REPORT

The Auditors made no specific qualification during the course of their audit.

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

The Comptroller and Auditor General of India are yet to commence audit.

ACKNOWLEDGEMENTS

The Board of Directors places on record its deep appreciation for the help and support received from the Company's stakeholders, bankers and the members of staff for their devotion and commitment towards the growth of the Company.

For and on behalf of the Board of Directors.

(Prasad Akolkar)
Managing Director & CEO

(K. R. Kamath)
Chairman

स्थान: कोलकाता
दिनांक : 02.05.2009

Place: Kolkata
Date : 02.05.2009

ऑलबैंक फाइनेन्स लिमिटेड
AllBank Finance Limited

31 मार्च, 2009 को तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2009

(रु.)(Rs.)

	अनुसूची Schedule	31.03.2009 31.03.2009	31.03.2008 31.03.2008
I निधियों का स्रोत / SOURCES OF FUNDS			
1 शेयरधारकों की निधियां / Shareholders' Funds			
(a) पूंजी / Capital	A	150,000,000	150,000,000
(b) आरक्षितियां एवं अधिशेष / Reserves & Surplus	B	224,398,149	130,227,443
कुल / Total		374,398,149	280,227,443
II निधियों का निवेश / APPLICATION OF FUNDS			
1 स्थिर आस्तियां / Fixed Assets			
सकल ब्लॉक / Gross Block	C	51,714,268	51,717,238
घटाएं : मूल्यहास / Less : Depreciation		21,290,778	21,211,203
		30,423,490	30,506,035
घटाएं : लीज समायोजन खाता Less : Lease Adjustments A/c		13,272,403	13,272,403
निवल ब्लॉक / Net Block		17,151,087	17,233,632
2 निवेश / Investment	D	268,577,078	221,099,993
3 चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम Current Assets, Loans & Advances			
विविध देनदार / Sundry Debtors	E	7,591,738	10,135,738
नकद एवं बैंक शेष / Cash and Bank Balances	F	52,646,574	6,844,966
अन्य चालू आस्तियां / Other Current Assets	G	17,288,178	11,353,856
ऋण एवं अग्रिम / Loans & Advances	H	81,724,087	69,552,202
		159,250,577	97,886,762
घटाएं : चालू देयताएं एवं प्रावधान Less : Current Liabilities & Provisions			
चालू देयताएं / Current Liabilities	I	1,509,104	1,779,579
प्रावधान / Provisions	J	69,071,489	54,213,365
		70,580,593	55,992,944
निवल चालू आस्तियां / Net Current Assets		88,669,984	41,893,818
कुल / Total		374,398,149	280,227,443
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां Significant Accounting Policies	P		
लेखा टिप्पणियां / Notes on Accounts	Q		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ तुलनपत्र का अभिन्न अंग हैं

The Schedules referred to above form an integral part of Balance Sheet.

यह तुलन-पत्र सम तिथि की हमारी रिपोर्ट में संदर्भित है

This is the Balance Sheet referred to in our report of even date

कृते डे एंड बोस

For De & Bose

सनदी लेखाकार

Chartered Accountants

के. आर. कामत / K. R. Kamath

अध्यक्ष / Chairman

ए. बी. भट्टाचार्य / A. B. Bhattacharjee

निदेशक / Director

सुब्रत डे / Subrata De

पार्टनर / Partner

सदस्यता सं. / Membership No. 54962

स्थान : कोलकाता / Place : Kolkata

दिनांक / Dated : 02.05.2009

बोर्ड के लिए एवं की ओर से

For and on behalf of the Board

प्रसाद अकोलकर / Prasad Akolkar

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ / Managing Director & CEO

ए. आर. नागप्पन / A. R. Nagappan

निदेशक / Director

एस. के. चक्रवर्ती / S. K. Chakraborty

निदेशक / Director

डी. पी. खुल्लर / D. P. Khullar

निदेशक / Director

ऑलबैंक फाइनेन्स लिमिटेड
AllBank Finance Limited

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा
Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2009

	अनुसूची Schedule	31.03.2009 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2009 (रु.)(Rs.)	31.03.2008 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2008 (रु.)(Rs.)
आय / INCOME			
मर्चेन्ट बैंकिंग आय / Merchant Banking Income		13,533,290	10,925,000
म्यूचुअल फंड वितरण ब्रोकरेज / MF Distribution Brokerage		15,279,872	22,262,516
प्राप्त ब्याज / Interest Received	K	2,743,704	-
प्रावधान आवश्यक नहीं Provision No Longer Required	L	21,892,672	5,150,166
अन्य आय / Other Income	M	66,287,599	18,629,078
		119,737,137	56,966,760
व्यय / EXPENDITURE			
कार्मिकों पर व्यय / Personnel Expenses	N	3,412,793	3,003,808
प्रशासनिक एवं अन्य व्यय / Administration & Other Expenses	O	10,087,771	4,584,574
अवक्षय/Depreciation	C	114,867	130,272
पूर्व अवधि मदें/Prior Period Items		-	-
		13,615,431	7,718,654
कर पूर्व लाभ / Profit Before Tax		106,121,706	49,248,106
कराधान हेतु प्रावधान / Provision for Taxation			
चालू कर / Current Tax		11,900,000	9,700,000
अनुषंगी लाभ कर / Fringe Benefit Tax		51,000	—
कर पश्चात लाभ / Profit After Tax		94,170,706	39,548,106
अग्रानीत शेष / Balance Brought Forward		129,167,190	89,619,084
अग्रेनीत शेष / Balance Carried Forward		223,337,896	129,167,190
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां / Significant Accounting Policies	P		
लेखा टिप्पणियां / Notes on Accounts	Q		

आय प्रति शेयर (अंकित मूल्य प्रति रु. 100)

Earnings per Share [Face value Rs.100 each]

मूल एवं डाइल्यूटेड आय प्रति शेयर (अनुसूची जी के नोट 5 का संदर्भ लें)

Basic and Diluted Earnings per Share [Refer to Note 5 on Schedule G]

62.78

26.37

यह लाभ-हानि लेखा सम तिथि की हमारी रिपोर्ट में संदर्भित है।

The Schedules referred to above form an integral part of Profit and Loss Account.

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ लाभ-हानि लेखा का अभिन्न अंग है।

This is the Profit and Loss Account referred to in our report of even date

बोर्ड के लिए एवं की ओर से
For and on behalf of the Board

कृते डे एंड बोस

For De & Bose

सनदी लेखाकार

Chartered Accountants

के. आर. कामत / K. R. Kamath

अध्यक्ष / Chairman

प्रसाद अकोलकर / Prasad Akolkar

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ / Managing Director & CEO

एस. के. चक्रवर्ती / S. K. Chakraborty

निदेशक / Director

सुब्रत डे / Subrata De

पार्टनर / Partner

ए. बी. भट्टाचार्य / A. B. Bhattacharjee

निदेशक / Director

ए. आर. नागप्पन / A. R. Nagappan

निदेशक / Director

डी. पी. खुल्लर / D. P. Khullar

निदेशक / Director

सदस्यता सं. / Membership No. 54962

स्थान : कोलकाता / Place : Kolkata

दिनांक / Dated : 02.05.2009

ऑलबैंक फाइनेंस लिमिटेड
AllBank Finance Limited

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण
Cash Flow Statement for the year ended 31 st March, 2009

	2008-09 रु. / Rs.	2007-08 रु. / Rs.
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
A CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
कर पूर्व निवल लाभ Net Profit before Tax	106,121,706	49,248,106
समायोजन / Adjusted for :		
मूल्यहास / Depreciation	114,867	130,272
ब्याज आय / Interest Income	(2,743,704)	-
लाभांश आय-म्युचुअल फंड Dividend Income - Mutual Fund	(16,172,775)	(7,085,685)
लाभांश आय-शेयर / Dividend Income - Shares	(1,419,096)	(2,217,101)
एनपीए हेतु प्रावधान अपेक्षित नहीं Provision for NPA no longer required	(744,332)	(3,273,406)
व्यय हेतु प्रावधान अपेक्षित नहीं Provision for Expenses no longer required	(5,636)	(1,876,760)
निवेश में अल्पहास हेतु प्रावधान अपेक्षित नहीं Provision for Diminution in Investment no longer required	(21,142,704)	-
पूर्व अवधि की आय / Prior Period Income	(38,384,239)	(546,426)
एनपीए और संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान Provision for NPA and Doubtful debts	3,373,541	-
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण / Bad Debt written off	122,327	-
निवेश हेतु प्रावधान / Provision for Investment	868	-
ओटीएस पर हानि / Loss on OTS	19,000	592,650
निवेश की बिक्री पर लाभ / Profit on sale of Investments	(7,903,713)	(8,630,764)
निवेश के मूल्य में अल्पहास / Diminution in value of Investments	1,346,233	47,465
निवेश की बिक्री पर हानि / Loss on sale of Investments	1,765,018	-
स्थिर आस्तियों की बिक्री पर हानि/बट्टे खाते डाली गई स्थिर आस्तियां Loss on sale of Fixed Assets/Assets written off	22,708	(81,751,637)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ Operating Profit before Working Capital Changes	24,370,069	26,674,865
समायोजन / Adjusted for :		
ट्रेड और अन्य प्राप्त राशियाँ / Trade and Other Receivables	(915,245)	4,577,040
ऋण एवं अग्रिम / Loans and Advances	(650,542)	120,475
ट्रेड एवं अन्य देय राशियाँ / Trade and Other Payables	2,460,637	894,850
परिचालन से अर्जित नकदी / Cash generated from Operations	25,264,919	32,233,335
भुगतान किया गया कर / Tax paid	11,643,670	14,424,957
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी / Net Cash from Operating Activities	13,621,249	17,808,378

ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह

B CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES

स्थिर आस्तियों की खरीद / Purchase of Fixed Assets	(58,030)	73,500
स्थिर आस्तियों की बिक्री से प्राप्त आगम		
Proceeds from Sale of Fixed Assets	3,000	-
म्यूचुअल फंड में निवेश / Investments in Mutual Fund	(125,500,000)	(196,000,000)
निवेश की बिक्री से प्राप्त आगम		
Proceeds from Sale of Investments	240,975,171	102,096,164
बैंक की सावधि जमा में निवेश		
Investment to Fixed Deposit with Bank	(50,000,000)	-
एनसीडी में निवेश / Investment in NCD	(50,000,000)	-
कर मुक्त बॉन्ड में निवेश / Investment in Tax Free Bond	(50,000,000)	-
ब्याज आय / Interest Income	249,627	-
लाभांश आय- शेयर / Dividend Income - Shares	1,419,096	2,217,101
लाभांश आय- म्यूचुअल फंड / Dividend Income - Mutual Funds	15,091,495	7,085,685
निवेश गतिविधियों में (प्रयुक्त) निवल नकदी		
Net Cash (used in) Investing Activities	(17,819,641)	(84,527,550)

ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह

C CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES

वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी

Net Cash from Financing Activities

नकदी और नकदी समतुल्य में निवल(कमी)/वृद्धि

Net (Decrease) / Increase in Cash and Cash Equivalents (4,198,392) (66,719,172)

नकदी और नकदी समतुल्य (अथ शेष)

Cash and Cash Equivalents (Opening Balance) 6,844,966 73,564,138

नकदी और नकदी समतुल्य (इति शेष)

Cash and Cash Equivalents (Closing Balance) (Note - 1) 2,646,574 6,844,966

नोट: / Note :

1. नकदी और नकदी समतुल्य में निम्न शामिल है:

Cash and Cash Equivalents comprise :

हाथ में नकदी / Cash in hand 1,028 7,813

अनुसूचित बैंकों में बैंक शेष / Bank Balance with Schedule Banks :

चालू खाते में / in Current Account 2,645,546 6,837,153

2,646,574 6,844,966

यह सम तिथि की हमारी रिपोर्ट से संदर्भित नकदी प्रवाह विवरण है

This is the Cash Flow Statement referred to in our report of even date.

बोर्ड के लिए एवं की ओर से / For and on behalf of the Board

कृते मे. डे एंड बोस
For De & Bose

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

सुब्रत डे / Subrata De
पार्टनर / Partner

सदस्यता सं. / Membership No. 54962

के. आर. कामत / K. R. Kamath
अध्यक्ष / Chairman

एस. के. चक्रवर्ती / S. K. Chakraborty
निदेशक / Director

ए. आर. नागप्पन / A. R. Nagappan
निदेशक / Director

प्रसाद अकोलकर / Prasad Akolkar
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ / Managing Director & CEO

ए. बी. भट्टाचार्य / A. B. Bhattacharjee
निदेशक / Director

डी. पी. खुल्लर / D. P. Khullar
निदेशक / Director

स्थान : कोलकाता / Place : Kolkata

दिनांक / Dated : 02.05.2009

लेखा के भाग के रूप में अनुसूची
Schedules Forming Part of Accounts

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.
AllBank Finance Ltd.

अनुसूची 'ए' - पूँजी SCHEDULE 'A' – CAPITAL	31.03.2009 (रु.)(Rs.)	31.03.2008 (रु.)(Rs.)
शेयर पूँजी */ SHARE CAPITAL *		
प्राधिकृत / Authorised		
100/- रु. प्रत्येक के 15,00,000 साधारण शेयर 15,00,000 Ordinary Shares of Rs.100/- each	150,000,000	150,000,000
निर्गमित, अभिदत्त एवं संदत्त 100/- रु. प्रत्येक के 15,00,000 साधारण शेयर Issued, Subscribed and Paid Up 15,00,000 Ordinary Shares of Rs.100/- each	150,000,000 150,000,000	150,000,000 150,000,000

* समस्त शेयर इलाहाबाद बैंक एवं इसके नामितियों के पास हैं / All the shares are held by Allahabad Bank and its Nominees.

अनुसूची 'बी' - आरक्षितियां एवं अधिशेष SCHEDULE 'B' – RESERVES AND SURPLUS	31.03.2009 (रु.)(Rs.)	31.03.2008 (रु.)(Rs.)
आरक्षितियां एवं अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS		
सामान्य आरक्षितियां / General Reserve	1,060,253	1,060,253
लाभ एवं हानि Profit & Loss Account	223,337,896 224,398,149	129,167,190 130,227,443

लेखा के भाग के रूप में अनुसूची

Schedules Forming Part of the Accounts

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.
AIIBank Finance Ltd.

**अनुसूची 'सी' - स्थिर आस्तियां
Schedule 'C' - Fixed Assets**

सकल ब्लॉक / Gross Block				मूल्यहास / Depreciation			निवल ब्लॉक / Net Block		
विवरण Particulars	01.04.2008 को As at 01.04.2008	परिवर्धन Additions	समायोजन Adjustments	31 मार्च 09 को As at 31 Mar 09	31.03.2008 को As at 31.03.2008	अवधि For the Period	समायोजन Adjustments	लीज समायोजन Lease Adjustment	31.03.2009 को As at 31.03.2009
क									
A									
लीज के अतिरिक्त अन्य आस्तियां ASSETS OTHER THAN ON LEASE									
फर्नीचर एवं फिक्स्चर Furniture & Fixtures	530,705			530,705	336,127	27,108	363,235	167,470	194,578
कार्यालय उपकरण Office Equipments	1,819,498	58,030	61,000	1,816,528	1,387,545	87,759	35,292	376,516	431,953
	2,350,203	58,030	61,000	2,347,233	1,723,672	114,867	35,292	-	543,986
	626,531								
ख.									
B.									
लीज पर प्रदत्त आस्तियां ASSETS GIVEN ON LEASE									
प्लांट एवं मशीनरी Plant & Machinery	30,346,679			30,346,679	15,415,532		15,415,532	12,688,367	2,242,780
फर्नीचर एवं फिक्स्चर Furniture & Fixtures	609,308			609,308	574,310		574,310	34,998	34,998
कार्यालय उपकरण Office Equipments	17,295,894			17,295,894	2,501,593		2,501,593	532,383	14,261,918
मोटर वाहन Motor Vehicles	1,115,154			1,115,154	996,096		996,096	51,653	67,405
	49,367,035	-	-	49,367,035	19,487,531	-	-	13,272,403	16,607,101
	16,607,101								
कुल (क+ख) TOTAL (A+B)	51,717,238	58,030	61,000	51,714,268	21,211,203	114,867	35,292	13,272,403	17,151,087
	17,233,632								
पूर्व वर्ष Previous Year	84,278,836	73,500	32,635,098	51,717,238	48,849,368	130,272	27,768,437	13,272,403	17,233,632

लेखा के भाग के रूप में अनुसूची
Schedules Forming Part of the Accounts

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.
AllBank Finance Ltd.

अनुसूची "डी" निवेश SCHEDULE "D" INVESTMENT	मात्रा Q U A N T I T Y		बही मूल्य B O O K V A L U E		बाज़ार मूल्य M A R K E T V A L U E	
	को यथास्थिति 31.03.2009	को यथास्थिति 31.03.2008	को यथास्थिति 31.03.2009	को यथास्थिति 31.03.2008	को यथास्थिति 31.03.2009 दर	मूल्य
	As at	As at	As at	As at	As at 31.03.2009	
	31.03.2009	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2008	Rate	Value
			रु. (Rs.)	रु. (Rs.)	रु. (Rs.)	रु. (Rs.)
1. एबीएन एमरो म्युचुअल फंड मनी प्लस इन्स्टीच्यूशनल प्लान ओपन एंडेड - डेब्ट ABN Amro MF	-	1,000,000	-	10,000,000	-	-
Money Plus Institutional plan Open Ended - Debt						
2. बिड़ला सनलाइफ म्युचुअल फंड तिमाही अंतराल - सीरीज़ 3 क्लोज़ एंडेड - डेब्ट Birla Sunlife MF	-	1,000,000	-	10,000,000	-	-
QTLY Interval -Series 3 Close Ended - Debt						
3. बिड़ला सनलाइफ म्युचुअल फंड आवधिक आय - एमटी-एस2 क्लोज़ एंडेड - डेब्ट Birla Sunlife MF	-	1,000,000	-	10,000,000	-	-
Interval income - instlds MT- S2 Close Ended - Debt						
4. बिड़ला सनलाइफ म्युचुअल फंड दैनिक लाभांश ओपन एंडेड - डेब्ट Birla Sunlife MF	-	511,824	-	5,000,000	-	-
Short Term Fund Open Ended - Debt						
5. बिड़ला सनलाइफ म्युचुअल फंड फिक्स्ड मैच्यूरिटी प्लान क्लोज़ एंडेड - डेब्ट Birla Sunlife MF	-	1,000,000	-	10,000,000	-	-
Fixed Maturity Plan Close Ended - Debt						
6. बिड़ला सनलाइफ लिक्विड प्लस दैनिक लाभांश ओपन एंडेड Birla sunlife Liquid Plus- Daily Dividend	2,539,120.224	-	25,408,468		10.0068	25,408,468
Open ended						
7. फ्रैंकलिन टेम्प्लेटन इंडिया म्युचुअल फंड लांग टर्म इन्स्टीच्यूशनल फंड ओपन एंडेड - डेब्ट Franklin Templetan India MF	-	960,227	-	10,000,000		
Long Term Institutional Fund Open Ended - Debt						

लेखा के भाग के रूप में अनुसूची
Schedules Forming Part of the Accounts

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.
AllBank Finance Ltd.

अनुसूची "डी" निवेश SCHEDULE "D" INVESTMENT	मात्रा Q U A N T I T Y		बही मूल्य B O O K V A L U E		बाज़ार मूल्य M A R K E T V A L U E	
	को यथास्थिति 31.03.2009 As at 31.03.2009	को यथास्थिति 31.03.2008 As at 31.03.2008	को यथास्थिति 31.03.2009 As at 31.03.2009 रु. (Rs.)	को यथास्थिति 31.03.2008 As at 31.03.2008 रु. (Rs.)	को यथास्थिति 31.03.2009 दर As at 31.03.2009 Rate रु. (Rs.)	मूल्य Value रु. (Rs.)
8. एचडीएफसी म्युचुअल फंड कैश मैनेजमेंट सेविंग्स प्लान क्लोज़ एंडेड - डेब्ट HDFC MF Cash Management Saving Plan Close Ended - Debt		1,508,553		15,000,000	-	
9. एचडीएफसी इंकम फंड विकास कोष ओपन एंडेड - डेब्ट HDFC Income Fund Growth Fund Open Ended - Debt	2,424,771.465	-	48,653,767	-	20.0653	48,653,767
10. एचडीएफसी फ्लोटिंग रेट-एसटी प्लान ओपन एंडेड - डेब्ट HDFC Floating Rate - ST Plan Open Ended - Debt	1,504,418.866	-	15,165,896	-	10.0809	15,165,896
11. कोटक म्युचुअल फंड तिमाही अंतराल - सीरीज़ 1 क्लोज़ एंडेड - डेब्ट Kotak MF QRTLY interval -Series 1 Close Ended - Debt		1,000,000	-	10,000,000	-	-
12. एसबीआई म्युचुअल फंड एसडीएफएस-90 दिन क्लोज़ एंडेड - डेब्ट SBI MF SDFS - 90 days Close Ended - Debt	-	200,000	-	20,000,000	-	-
13. प्रुडेंसियल आईसीआईसीआई म्युचुअल फंड अर्ध-वार्षिक अंतराल निधि क्लोज़ एंडेड - डेब्ट Prudential ICICI MF Half Yearly Interval Fund Close Ended - Debt			1,500,000	-15,000,000		
14. प्रुडेंसियल आईसीआईसीआई म्युचुअल फंड फिक्स्ड मैच्यूरिटी प्लान ओपन एंडेड - डेब्ट Prudential ICICI MF Flexible Income Plan Open Ended	3,405,392.344	-	36,006,916	-	10.5735	36,006,916

लेखा के भाग के रूप में अनुसूची

Schedules Forming Part of the Accounts

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.

AllBank Finance Ltd.

अनुसूची "डी" निवेश SCHEDULE "D" INVESTMENT	मात्रा Q U A N T I T Y		बही मूल्य B O O K V A L U E		बाज़ार मूल्य M A R K E T V A L U E	
	को यथास्थिति 31.03.2009	को यथास्थिति 31.03.2008	को यथास्थिति 31.03.2009	को यथास्थिति 31.03.2008	को यथास्थिति 31.03.2009 दर	मूल्य 31.03.2009
	As at	As at	As at	As at	As at 31.03.2009	
	31.03.2009	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2008	Rate	Value
			रु. (Rs.)	रु. (Rs.)	रु. (Rs.)	रु. (Rs.)
15. रिलायंस म्युचुअल फंड अल्पावधि निधि ओपन एंडेड - डेब्ट Reliance MF Short Term Fund Open Ended - Debt	-	945,635	-	10,000,000		
16. रिलायंस म्युचुअल फंड लिक्विड प्लस फंड ओपन एंडेड - डेब्ट Reliance MF Liquid Plus Fund Open Ended - Debt	-	10,426	-	10,000,000	-	-
17. सुन्दरम परिवार म्युचुअल फंड फिक्स्ड इनकम इंटरवल फंड क्लोज़ एंडेड - डेब्ट Sundaram Paribas MF Fixed Income Interval Fund Close Ended - Debt	-	500,000	-	5,000,000	-	-
18. युटीआई म्युचुअल फंड तिमाही एफएमपी II क्लोज़ एंडेड - डेब्ट UTI MF Quarterly Fmp II Close Ended - Debt	-	100,000	-	10,000,000	-	-
19. युटीआई म्युचुअल फंड लिक्विड प्लस फंड ओपन एंडेड - डेब्ट UTI MF Liquid Plus Fund Open Ended - Debt	-	4,938	-	6,000,000	-	-
कुल चालू निवेश Total Current Investment			125,235,047	156,000,000		125,235,047
अनुद्धरित (इक्विटी) LONG TERM INVESTMENT UN-QUOTED (EQUITY)						
1. स्वाइका वनस्पति प्रोडक्ट्स लि. रु. 10/- प्रत्येक के साधारण शेयर, पूर्ण संदत्त SwaiKa Vanaspati Products Ltd Ordinary shares of Rs.10/- each, fully paid	-	172,500	-	1,725,000	-	-

लेखा के भाग के रूप में अनुसूची
Schedules Forming Part of the Accounts

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.
AllBank Finance Ltd.

अनुसूची "डी" निवेश SCHEDULE "D" INVESTMENT	मात्रा Q U A N T I T Y		बही मूल्य B O O K V A L U E		बाज़ार मूल्य M A R K E T V A L U E	
	को यथास्थिति 31.03.2009 As at 31.03.2009	को यथास्थिति 31.03.2008 As at 31.03.2008	को यथास्थिति 31.03.2009 As at 31.03.2009 रु. (Rs.)	को यथास्थिति 31.03.2008 As at 31.03.2008 रु. (Rs.)	को यथास्थिति 31.03.2009 दर As at 31.03.2009 Rate रु. (Rs.)	मूल्य Value रु. (Rs.)
2. विक्रम प्रोजेक्ट्स लि. रु. 10/- प्रत्येक के साधारण शेयर, पूर्ण संदत्त (प्रत्येक का प्रीमियम रु.25/-) Vikram Projects Ltd Ordinary shares of Rs.10/- each, fully paid (Premium of Rs.25/- each)	85,500	85,500	2,992,500	2,992,500	-	1
3. स्वाद इंडस्ट्रीज लि. रु. 10/- प्रत्येक के साधारण शेयर, पूर्ण संदत्त Swad Industries Ltd Ordinary shares of Rs.10/- each, fully paid	-	94,800	-	948,000	-	-
4. हरप्रताप स्टील लि. रु. 10/- प्रत्येक के साधारण शेयर, पूर्ण संदत्त Harpatap Steel Ltd Ordinary shares of Rs.10/- each, fully paid	380,923	380,923	3,809,230	3,809,230	-	1
5. मौलिक फाइनेंस एंड रिसॉर्ट लि. रु. 10/- प्रत्येक के साधारण शेयर, पूर्ण संदत्त Moulik Finance & Resorts Ltd Ordinary shares of Rs.10/- each, fully paid	119,700	119,700	1,197,000	1,197,000	-	1
6. रितेश पॉलिमर्स लि. रु. 10/- प्रत्येक के साधारण शेयर, पूर्ण संदत्त (प्रत्येक का प्रीमियम रु.5/-) Ritesh Polymers Ltd Ordinary shares of Rs.10/- each, fully paid (Premium of Rs.5/- each)	58,300	58,300	874,500	874,500	-	1
7. कलिंग सीमेंट्स लि. रु. 10/- प्रत्येक के साधारण शेयर, पूर्ण संदत्त Kalinga Cements Ltd Ordinary shares of Rs.10/- each, fully paid	150,000	150,000	1,500,000	1,500,000	-	1
8. जुआरी एग्रो केमिकल्स लि. रु. 10/- प्रत्येक के साधारण शेयर, पूर्ण संदत्त Zuari Agro Chemicals Limited Ordinary Shares of Rs.10/- each, fully paid	25	25	250	250	-	1
9. दीवान सुगर्स लि. रु. 10/- प्रत्येक के साधारण शेयर, पूर्ण संदत्त Dewan Sugars Limited Ordinary shares of Rs.10/- each, fully paid	650,000	650,000	6,500,000	6,500,000	-	1
10. दिव्या केम रु. 30.76 प्रत्येक के 50 शेयर Divya Chem 50 shares of Rs. 30.76 each	50	50	1,538	1,538	-	1

लेखा के भाग के रूप में अनुसूची
Schedules Forming Part of the Accounts

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.
AllBank Finance Ltd.

अनुसूची "डी" निवेश SCHEDULE "D" INVESTMENT	मात्रा Q U A N T I T Y		बही मूल्य B O O K V A L U E		बाज़ार मूल्य M A R K E T V A L U E	
	को यथास्थिति 31.03.2009	को यथास्थिति 31.03.2008	को यथास्थिति 31.03.2009	को यथास्थिति 31.03.2008	को यथास्थिति 31.03.2009 दर	मूल्य
	As at 31.03.2009	As at 31.03.2008	As at 31.03.2009	As at 31.03.2008	As at 31.03.2009 Rate	Value
			रु. (Rs.)	रु. (Rs.)	रु. (Rs.)	रु. (Rs.)
11. निर्मल मेटल रु. 85.19 प्रत्येक के 10000 शेयर Nirmal Metal 10000 Shares of Rs. 85.19 each	10,000	10,000	851,900	851,900	-	1
12. रदन टेप्स रु. 20.11 प्रत्येक के 3600 शेयर Radan Tapes 3600 Shares of Rs. 20.11 each	-	3,600	-	72,396	-	-
13. न्यू सेंचूरी लीजिंग रु. 23.66 प्रत्येक के 106000 शेयर New Century Leasing 106000 shares of Rs. 23.66 each	106,000	106,000	2,507,960	2,507,960	-	1
14. न्यू एरा अर्बन रु. 18.93 प्रत्येक के 40000 शेयर New Era Urban 40000 Shares of Rs. 18.93 each	40,000	40,000	757,200	757,200	-	1
15. रीजेंट केमिकल्स रु. 28.40 प्रत्येक के 28000 शेयर Regent Chemicals 28000 Shares of Rs. 28.40 each	28,000	28,000	795,200	795,200	-	1
16. गुजरात फिलामेंट्स रु. 40.70 प्रत्येक के 25000 शेयर Gujrat Filaments 25000 Shares of Rs. 40.70 each	25,000	25,000	1,017,500	1,017,500	-	1
17. सोलर बिजीफॉर्म्स रु. 33.13 प्रत्येक के 126200 शेयर Solar Busiforms 126200 Shares of Rs. 33.13 each	126,200	126,200	4,181,006	4,181,006	-	1
18. निवास स्पिनिंग्स लिमि. (बोनस) 1400 शेयर Niwas Spinnings Ltd. 1400 Shares (Bonus)	1,400	1,400	-	-	-	1

म्युचुअल फंड यूनिट / MUTUAL FUND UNITS

1. एबीएन एमरो म्युचुअल फंड फिक्स्ड मैच्यूरिटी प्लान क्लोज़ एंडेड - डेब्ट ABN Amro MF Fixed Maturity Plan Close Ended - Debt	-	250,000	-	2,500,000	-	-
2. एबीएन एमरो म्युचुअल फंड डुअल एडवांटेज फंड ABN Amro MF Dual Advantage Fund Close Ended - Debt+Equity	-	250,000	-	2,500,000	-	-

लेखा के भाग के रूप में अनुसूची
Schedules Forming Part of the Accounts

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.
AllBank Finance Ltd.

अनुसूची "डी" निवेश SCHEDULE "D" INVESTMENT	मात्रा Q U A N T I T Y		बही मूल्य B O O K V A L U E		बाज़ार मूल्य M A R K E T V A L U E	
	को यथास्थिति 31.03.2009	को यथास्थिति 31.03.2008	को यथास्थिति 31.03.2009	को यथास्थिति 31.03.2008	को यथास्थिति 31.03.2009 दर	मूल्य
	As at 31.03.2009	As at 31.03.2008	As at 31.03.2009	As at 31.03.2008	As at 31.03.2009 Rate	Value
			रु. (Rs.)	रु. (Rs.)	रु. (Rs.)	रु. (Rs.)
3. एबीएन एमरो म्युचुअल फंड फिक्स्ड टर्म प्लान - सीरिज 10 प्लान ई क्लोज़ एंडेड - डेब्ट ABN Amro MF	-	1,000,000	-	10,000,000	-	-
Fixed Term Plan - Series 10 plan E Close Ended - Debt						
4. बिड़ला सनलाइफ म्युचुअल फंड एफटीपी इंस्ट सीरिज एएन क्लोज़ एंडेड - डेब्ट Birla Sunlife MF	1,000,000	1,000,000	10,000,000	10,000,000	11.0223	11,022,300
FTP Inst Series AN - Growth Close Ended - Debt						
5. केनबैंक म्युचुअल फंड फिक्स्ड मैच्यूरिटी प्लान क्लोज़ एंडेड - डेब्ट Canbank MF	-	250,000	-	2,500,000	-	-
Fixed Maturity Plan Close Ended - Debt						
6. डीबीएस चोला म्युचुअल फंड फिक्स्ड मैच्यूरिटी प्लान क्लोज़ एंडेड - डेब्ट DBS Chola MF	-	3,754,604	-	37,500,000	-	-
Fixed Maturity Plan Close Ended - Debt						
7. फ्रैंकलिन टेम्प्लेटन इंडिया म्युचुअल फंड फिक्स्ड मैच्यूरिटी प्लान क्लोज़ एंडेड - डेब्ट Franklin Templetan India MF	1,000,000	1,000,000	10,000,000	10,000,000	11.0638	11,063,800
Fixed Maturity Plan Close Ended - Debt						
8. कोटक म्युचुअल फंड फिक्स्ड मैच्यूरिटी प्लान क्लोज़ एंडेड - डेब्ट Kotak MF	1,500,000	1,500,000	15,000,000	15,000,000	10.9521	16,428,150
Fixed Maturity Plan Close Ended - Debt						
9. सुन्दरम परिबास म्युचुअल फंड एफटीपी स्कीम ई इंस्टिट्यूशनल क्लोज़ एंडेड - डेब्ट Sundaram Paribas MF	500,000	500,000	5,000,000	5,000,000	11.008	5,504,000
FTP Scheme E Institutional Close Ended - Debt						
उप-योग / Sub-Total			66,985,784	124,731,180		44,018,265

लेखा के भाग के रूप में अनुसूची
Schedules Forming Part of the Accounts

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.
AllBank Finance Ltd.

अनुसूची "डी" निवेश SCHEDULE "D" INVESTMENT	मात्रा Q U A N T I T Y		बही मूल्य B O O K V A L U E		बाज़ार मूल्य M A R K E T V A L U E	
	को यथास्थिति 31.03.2009	को यथास्थिति 31.03.2008	को यथास्थिति 31.03.2009	को यथास्थिति 31.03.2008	को यथास्थिति 31.03.2009 दर	मूल्य
	As at 31.03.2009	As at 31.03.2008	As at 31.03.2009	As at 31.03.2008	As at 31.03.2009 Rate	Value
			रु. (Rs.)	रु. (Rs.)	रु. (Rs.)	रु. (Rs.)
लम्बी अवधि का निवेश						
उद्धरित						
LONG TERM INVESTMENT						
QUOTED						
1. बीसीएल फाइनेंशियल सर्विसेज लि.						
रु. 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर, पूर्ण संदत्त						
BCL Financial Services Ltd	6,400	6,400	64,000	64,000	-	1
Equity Shares of Rs.10/- each, fully paid						
2. मालविका स्टील लि.						
रु. 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर, आंशिक रूप से संदत्त						
(प्रत्येक का प्रीमियम रु. 30/-)						
Malvika Steels Ltd	48,600	48,600	1,944,000	1,944,000	-	1
Equity Shares of Rs.10/- each, partly paid (Premium of Rs.30/- each)						
3. एक्साइड इंडस्ट्रीज लि.						
रु. 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर, पूर्ण संदत्त						
प्रत्येक का प्रीमियम रु. 90/- अब रु.1/-						
प्रति शेयर के रूप में विभक्त						
(मूल शेयरों की सं. 560)						
Exide Industries Limited	11,200	11,200	56,000	56,000	41.60	465,920
Equity Shares of Rs.10/- each, Fully paid at Premium of Rs.90/- each now sub divided Rupee 1 per share. (Base Share 560 Nos.)						
4. एसीसी लि.						
रु. 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर						
ACC Ltd	20	20	1,100	1,100	574.40	11,488
Equity Shares of Rs.10/- each						
5. एसीसी लि.						
रु. 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर						
ACC Ltd.	6,000	6,000	3,151,860	3,151,860	574.40	3,446,400
Equity Shares of Rs. 10/- each						
6. टाटा टी						
रु. 567.90 प्रत्येक के 229 इक्विटी शेयर						
शेष रु. शून्य पर						
Tata Tea	9,000	9,000	130,049	130,049	584.55	5,260,950
229 Equity Shares at cost of Rs. 567.90 each Rest at nil						

लेखा के भाग के रूप में अनुसूची
Schedules Forming Part of the Accounts

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.
AllBank Finance Ltd.

अनुसूची "डी" निवेश SCHEDULE "D" INVESTMENT	मात्रा Q U A N T I T Y		बही मूल्य B O O K V A L U E		बाज़ार मूल्य M A R K E T V A L U E	
	को यथास्थिति 31.03.2009	को यथास्थिति 31.03.2008	को यथास्थिति 31.03.2009	को यथास्थिति 31.03.2008	को यथास्थिति 31.03.2009 दर	मूल्य
	As at 31.03.2009	As at 31.03.2008	As at 31.03.2009	As at 31.03.2008	As at 31.03.2009 Rate	Value
			रु. (Rs.)	रु. (Rs.)	रु. (Rs.)	रु. (Rs.)
7. नाहर स्पिनिंग लि. रु. 5/- के इक्विटी शेयर Nahar Spinings Ltd. Equity Shares of Rs. 5/-	70	70	29,815	29,815	23.20	1,624
8. नाहर कैपिटल लि. रु. 5/- के इक्विटी शेयर Nahar Capital Ltd. Equity Shares of Rs.5/-	70	70			19.75	1,383
9. कैस्ट्रोल इंडिया लि. रु. 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर Castrol India Ltd. Equity Shares of Rs.10/- each	-	75,100		21,091,080		
10. टाटा कैपिटल लि. रु. 1,00,000/- प्रत्येक के एन सी डी Tata Capital Ltd. NCDs of Rs.1,00,000/-each	500	-	50,000,000	-	-	Not Quoted
11. इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेन्स कं. लि. रु. 1,00,000/- प्रत्येक के कर मुक्त बांड India Infrastructure Finance Co.Ltd. Tax Free Bonds of Rs.1,00,000/-each	500	-	50,000,000	-	-	Not Quoted
उप-योग / SUB TOTAL			105,376,824	26,467,904		9,187,767
कुल लम्बी अवधि का निवेश Total Long Term Investment			172,362,608	151,199,084		53,206,032

अनुसूची "डी" निवेश SCHEDULE "D" INVESTMENT	बही मूल्य / B O O K V A L U E	
	को यथास्थिति / As at 31.03.2009	को यथास्थिति / As at 31.03.2008
	रु. / (Rs.)	रु. / (Rs.)
चालू निवेश अनुद्धरित / Current Investment Un-Quoted	125,235,047	156,000,000
घटाएं निवेश में ह्रास हेतु प्रावधान / Less Provision for Diminution in Investment	-	31,740
उप योग / Sub Total	125,235,047	155,968,260
दीर्घावधि निवेश अनुद्धरित / Long Term Investment Un-Quoted	66,985,784	124,731,180
घटाएं निवेश में ह्रास हेतु प्रावधान / Less Provision for Diminution in Investment	26,985,771	64,492,782
उप योग / Sub Total	40,000,013	60,238,398
दीर्घावधि निवेश उद्धरित / Long Term Investment Quoted	105,376,824	26,467,904
घटाएं निवेश में ह्रास हेतु प्रावधान Less Provision for Diminution in Investment	2,034,806	21,574,569
उप योग / Sub Total	103,342,018	4,893,335
पूर्ण योग / Grand Total	268,577,078	221,099,993

लेखा के भाग के रूप में अनुसूची
Schedules Forming Part of the Accounts

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.
AllBank Finance Ltd.

अनुसूची 'ई' - विविध देनदार
SCHEDULE 'E' - SUNDRY DEBTORS

यथास्थिति / As on
31.03.2009
रु. / Rs.

यथास्थिति / As on
31.03.2008
रु. / Rs.

विविध देनदार / SUNDRY DEBTORS

1. विविध देनदार / Sundry Debtors

a) छह माह से अधिक अवधि से बकाया ऋण

Debts outstanding for a period exceeding six months

अप्रतिभूत एवं अच्छे माने गए

Unsecured & considered good

428,842

428,842

संदिग्ध माने गए

Considered doubtful

7,162,896

6,206,896

b) अन्य ऋण / Other Debts

-

3,500,000

7,591,738

10,135,738

अनुसूची 'एफ' - नकदी एवं बैंक शेष

SCHEDULE 'F' - CASH AND BANK BALANCES

रोकड़ शेष / Cash in Hand

1,028

7,813

अनुसूचित बैंको के पास शेष

Balances with Scheduled banks

चालू खाते में / In Current Account

2,645,546

6,837,153

मीयादी जमा खाते में / In Fixed Deposits Accounts

50,000,000

-

52,646,574

6,844,966

अनुसूची 'जी' - अन्य चालू आस्तियां

SCHEDULE 'G' - OTHER CURRENT ASSETS

किराए पर स्टाक / Stock-On-Hire

13,995,076

14,115,076

घटाएं : अतिदेय वित्तीय प्रभार

Less : Overdue Finance charges

2,777,968

11,217,108

2,808,720

11,306,356

निवेश पर उपचित ब्याज / Interest accrued on Investment

686,095

मीयादी जमा पर उपचित ब्याज / Interest accrued on Fixed Deposit

1,807,982

प्राप्य ब्रोकरेज / Brokerage Receivable

3,529,493

अन्य / Others

47,500

47,500

17,288,178

11,353,856

लेखा के भाग के रूप में अनुसूची
Schedules Forming Part of the Accounts

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.
AllBank Finance Ltd.

अनुसूची 'एच' - ऋण एवं अग्रिम
SCHEDULE 'H' - LOANS AND ADVANCES

यथास्थिति
31.03.2009
रु. / Rs.

यथास्थिति
31.03.2008
रु. / Rs.

ऋण एवं अग्रिम

LOANS AND ADVANCES

नकद अथवा पण्य में अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य

हेतु वसूले जाने वाले अग्रिम

Advance recoverable in cash or in kind or
for value to be received

664,720

23,166

अंतर-कारपोरेट जमा एवं अंतर-कारपोरेट जमा पर प्रोदमूत ब्याज
Inter-corporate Deposit & interest Accrued
on Inter-corporate Deposit

200,000

205,000

अग्रिम आयकर, स्रोत पर काटा गया कर

Advance Income Tax, Tax Deducted at Source

77,794,344

66,318,986

अग्रिम अनुषंगी लाभ कर / Advance Fringe Benefit Tax

90,633

39,648

ब्याज कर वापसी प्राप्तियाँ / Interest Tax Refund Receivable

101,372

101,372

पूंजीगत माल हेतु प्रदत्त अग्रिम / Advance Paid for Capital Goods

1,600,000

1,600,000

अधिकारियों को ऋण एवं ऋणों पर उपचित ब्याज

Loan to Officers and Interest Accrued on Loans

1,273,018

1,264,030

81,724,087

69,552,202

अनुसूची 'आई' - चालू देयताएं

SCHEDULE 'I' - CURRENT LIABILITIES

चालू देयताएं / CURRENT LIABILITIES

1. विविध लेनदार (व्यय एवं अन्य)

Sundry Creditors (Expenses & Others)

1,312,273

1,582,748

2. प्रतिभूति जमा / Security Deposit

196,831

196,831

1,509,104

1,779,579

अनुसूची 'जे' - प्रावधान

SCHEDULE 'J' - PROVISIONS

प्रावधान / PROVISIONS

सेवा निवृत्ति लाभ \ Retirement Benefits -

छुट्टी नकदीकरण \ Leave Encashment

201,102

303,180

ग्रेच्युटी \ Gratuity

867,569

742,185

एमडी एवं सीईओ को देय प्रोत्साहन

Incentive Payable to MD & CEO

332,402

77,793

अनुषंगी लाभ कर \ Fringe Benefit Tax

51,000

-

आय कर \ Income Tax

31,253,862

32,705,935

19,353,862

20,477,020

अनर्जक आस्तियों तथा अशोध्य

एवं संदिग्ध ऋणों

NON PERFORMING ASSETS

and BAD & DOUBTFUL DEBTS

36,365,554

33,736,345

69,071,489

54,213,365

लेखा के भाग के रूप में अनुसूची
Schedules Forming Part of the Accounts

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.
AllBank Finance Ltd.

अनुसूची 'के' - प्राप्त ब्याज SCHEDULE 'K' - INTEREST RECEIVED	समाप्त वर्ष / Year ended 31.03.2009 रु. / Rs.	समाप्त वर्ष / Year ended 31.03.2008 रु. / Rs.
ब्याज आय / INTEREST INCOME		
मीयादी जमा पर ब्याज (सकल) Interest on Fixed Deposit (Gross)	1,862,670	-
[टीडीएस-54,688 (गत वर्ष-शून्य)] [TDS - 54,688 (Pre. Yr. - Nil)]		
निवेश पर ब्याज / Interest on Investment	881,034	-
	2,743,704	-
अनुसूची 'एल' - अब प्रावधान की आवश्यकता नहीं SCHEDULE 'L' - PROVISION NO LONGER REQUIRED		
अनर्जक आस्तियों हेतु प्रावधान Provision for Non Performing Assets	744,332	3,273,406
खर्च हेतु प्रावधान / Provision for Expenses	5,636	1,876,760
निवेश में ह्रास हेतु प्रावधान Provision for diminution in Investment	21,142,704	-
	21,892,672	5,150,166
अनुसूची 'एम' - अन्य आय SCHEDULE 'M' : OTHER INCOME		
अन्य आय / OTHER INCOME		
लाभांश आय-शेयर / Dividend Income - Shares	1,419,096	2,217,101
लाभांश आय-म्युचुअल फंड यूनिट (व्यापार निवेश) Dividend Income - Mutual Fund Units (Trade Investments)	16,172,775	7,085,685
निवेश की बिक्री पर लाभ / Profit on Sale of Investment	7,903,713	8,630,764
विविध आय / Miscellaneous Income	719,659	149,102
पूर्ववर्ती अवधि की मद / Prior Period Item	40,072,356	546,426
	66,287,599	18,629,078
अनुसूची 'एन' - कार्मिकों पर व्यय SCHEDULE 'N' - PERSONNAL EXPENSES		
कार्मिक लागत / PERSONNEL COST		
वेतन / Salaries	2,501,756	2,429,496
भविष्य निधि अंशदान एवं प्रशासनिक प्रभार Provident Fund Contribution and Admn. Charges	178,959	178,109
चिकित्सा व्यय / Medical Expenses	72,614	62,059
एमडी एवं सीईओ को देय प्रोत्साहन / Incentive to MD & CEO	332,402	77,793
अन्य / Others	327,062	256,351
	3,412,793	3,003,808

लेखा के भाग के रूप में अनुसूची
Schedules Forming Part of the Accounts

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.
AllBank Finance Ltd.

अनुसूची 'ओ' - प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	समाप्त वर्ष / Year ended 31.03.2009 रु. / Rs.	समाप्त वर्ष / Year ended 31.03.2008 रु. / Rs.
SCHEDULE 'O' : ADMINISTRATION AND OTHER EXPENSES		
प्रशासनिक एवं अन्य व्यय / ADMINISTRATION AND OTHER EXPENSES		
यात्रा एवं वाहन / Travelling and Conveyance	300,290	334,443
प्रकाश एवं विद्युत / Light and Electricity	326,217	66,401
पुस्तकें एवं पत्रिकाएं / Books and Periodicals	47,558	51,446
मुद्रण एवं लेखन सामग्री / Printing and Stationery	88,531	92,776
व्यवसाय संवर्धन व्यय / Business Promotion Expenses	-	12,716
डाक खर्च एवं टेलीफोन / Postage and Telephone	156,206	147,042
कर्मचारी प्रशिक्षण / Staff Training	-	18,800
मरम्मत एवं अनुरक्षण / Repair and Maintenance		
- संयंत्र एवं मशीनरी / - Plant and Machinery	37,264	68,417
- अन्य / Others	364,541	303,317
मर्चेंट बैंकिंग खर्च / Merchant Banking Expenses	776,944	1,045,340
बीमा प्रभार / Insurance Charges	5,374	6,385
विज्ञापन एवं प्रचार / Advertisement and Publicity	16,188	36,636
अभिदान एवं सदस्यता शुल्क / Subscription and Membership Fee	446,071	152,212
निदेशकों की बैठक का शुल्क / Directors Sitting Fees	12,500	23,500
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक / Auditors Remuneration		
- लेखापरीक्षा शुल्क / Audit Fee	22,060	22,472
- कर लेखापरीक्षा शुल्क / Tax Audit Fee	7,721	7,866
- लेखापरीक्षकों की यात्रा एवं अन्य / Auditors Travelling and Others	65,972	41,052
आंतरिक लेखापरीक्षा शुल्क / Internal Audit Fees	22,060	38,297
व्यवसाय एवं परामर्श शुल्क / Profession & Consultancy Fee	48,495	52,515
विधिक व्यय / Legal Expenses	145,878	364,746
निदेशकों की यात्रा / Directors Travelling	328,127	359,268
[एमडी के यात्रा व्यय रु. 136,623 सहित (गतवर्ष-137,195)]		
[includes MD's travel Rs.-136,623 (Pre.Yr. -137,195)]		
बैंक प्रभार / Bank Charges	8,284	20,665
विविध व्यय / Miscellaneous Expenses	27,741	69,274
बोर्ड बैठक व्यय / Board Meeting Expenses	98,576	208,474
कार्यालय खर्च / Office Expenses	80,678	44,398
निवेश की बिक्री पर हानि Loss on sale of Investment	1,765,018	47,465
पट्टेधारित आस्तियों का अपलेखन Leased Assets Written Off	-	286,514
स्थायी आस्तियों के निपटान पर हानि / Loss on disposal of Fixed Assets	22,708	-
अनुषंगी लाभकर Fringe Benefit Tax		45,327
म्युचुअल फंड के मूल्य में ह्रास/Diminution in value of Mutual Fund	1,346,233	
निवेश में ह्रास हेतु प्रावधान Provision for diminution in Investment	868	
ओटीएस पर हानि/ Loss on OTS	19,000	592650
दर एवं कर/ Rates and Taxes	4,800	24,160
एनपीए हेतु प्रावधान / Provision for NPA	2,561,604	-
संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान / Provision for Doubtful Debts	811,937	-
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण / Bad and Doubtful Debts	122,327	-
	10,087,771	4,584,574

अनुसूची 'पी' महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

(क) वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण स्वीकार्य लेखा मानकों और कम्पनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधानों के अनुसार तैयार किए जाते हैं और परंपरागत लागत परिपाटियों पर आधारित हैं। लेखा नीतियां जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, अनुकूल हैं और समान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हैं। देय और प्राप्य सीमा तक माने गए सभी व्यय और आय का लेखा, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, उपचित आधार पर किया गया है।

(ख) प्राक्कलन का प्रयोग

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु ऐसे प्रबंधन की आवश्यकता होती है जो ऐसे अनुमान और प्राक्कलन करते हैं जो रिपोर्ट की गई आस्तियों और देयताओं की रकम को प्रभावित करते हैं और तुलन पत्र की तारीख को आकस्मिक देयताओं तथा आस्तियों और वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई आय और व्यय की राशि से संबंधित प्रकटीकरण हैं।

आकस्मिकताओं को तब दर्ज किया जाता है जब इस बात की संभावना हो कि देयता उपगत होगी और उस राशि का समुचित प्राक्कलन किया जा सकता है। जिस वर्ष परिणाम ज्ञात/मूर्त होते हैं उस वर्ष वास्तविक परिणामों और प्राक्कलनों के अंतर को अभिज्ञात किया जाता है।

(ग) राजस्व अभिज्ञान

(i) पट्टा वित्तपोषण:

1.4.2001 को या इसके पश्चात प्रारंभ लेखा अवधि के दौरान समस्त पट्टे की अस्तियों के संबंध में प्रभाव में आई लीज पर लेखा मानक 19 (एएस-19) लागू है। चूंकि कंपनी ने 1.4.2001 को अथवा इसके पश्चात कोई लीज संस्वीकृत नहीं की अतः एएस-19 कंपनी पर प्रयोज्य नहीं है।

लीज करार के अनुसार लीज किराए देय तिथि पर विचार किये जाते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित विवेकसम्मत मानदंडों के अंतर्गत जहाँ लीड आस्तियां अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) में वर्गीकृत हो वहाँ लीज किराए पर विचार नहीं किया गया।

तथापि कंपनी अब श्रेणी-1 मर्चेन्ट बैंकर के रूप में पंजीकृत हो गई है तथा चूंकि कंपनी अब कोई एचपी एवं लीजिंग कारोबार नहीं कर रही है। अतएव गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में अपने को अपंजीकृत करा लिया है।

(ii) ब्याज आय का अभिज्ञान बकाया राशि तथा प्रयोज्य दर के आधार पर वसूली योग्य मानी जाने वाली रकम की सीमा तक समय अनुपात आधार पर किया जाता है।

(iii) लाभश आय को तब अभिज्ञात किया जाता है जब इसकी प्राप्ति का अधिकार स्थापित हो जाता है।

(घ) अचल आस्तियां

कंपनी द्वारा स्थापना पर किए गए व्यय सहित अचल आस्तियों का पूंजीकरण लागत पर होता है।

(ड०) पट्टे पर ली गई आस्तियां

क्रय की गई एवं पट्टे पर दी गई आस्तियों का पूंजीकरण स्थापना लागत एवं स्थापना व्यय पर किया गया है।

Schedule 'P' Significant Accounting Policies :

(a) Basis of preparation of Financial Statements

The financial statements are prepared in accordance with applicable accounting standards and relevant provisions of the Companies act, 1956 and are based on the historical cost conventions. Accounting policies unless specifically stated to be otherwise, are consistent and are in consonance with generally accepted accounting principles. All expenses and income to the extent considered payable and receivable, unless stated otherwise, have been accounted for on accrual basis.

(b) Use of Estimates

The preparation of financial statements require management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets and liabilities and disclosures relating to contingent liabilities and assets as at the Balance Sheet date and the reported amounts of income and expenses during the year.

Contingencies are recorded when it is probable that a liability will be incurred and the amounts can reasonably be estimated. Differences between the actual results and estimates are recognized in the year in which the results are known / materialized.

(c) Revenue Recognition

(i) Lease Finance

The Accounting Standard 19 (AS-19) on Leases came into effect in respect of all assets leased during accounting periods commencing on or after 1.4.2001. Since the Company has not sanctioned any lease on or after 1.4.2001, the AS-19 is not applicable to the Company.

Lease Rentals are considered on the due dates in terms of lease agreements.

Lease Rentals are not considered where Leased Assets have been classified as Non- Performing Assets (NPA) under the Prudential Norms announced by Reserve Bank of India.

However, the Company has now Registered it self as a Category I Merchant Banker and has de-registered it self as NBFC since the Company is not doing any HP and Leasing business.

(ii) Interest income is recognized on a time proportion basis depending upon the amount outstanding and the rate applicable and to the extent considered realizable.

(iii) Income on account of dividend is recognized when the right to receive is established.

(d) Fixed Assets

Fixed Assets are capitalized at cost inclusive of installation expenses as incurred by the Company.

(e) Leased Assets

Assets purchased and given on lease are capitalized on installation at cost and installation expenses.

(च) मूल्यहास

- (i) लीज पर दी गई आस्तियों के अलावा अन्य आस्तियां :
कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर सीधी रेखा प्रणाली पर मूल्यहास का प्रावधान किया जाता है।
- (ii) पट्टे पर दी गई आस्तियां :
भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी 'एकाउंटिंग फॉर लीजिंग' पर गाइडेंस नोट के अनुसार लीज पर दी गई आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान किया जाता है। गाइडेंस नोट द्वारा निर्धारण के अनुसार पट्टा समकरण लेखा एवं पट्टा समायोजन खाते का निर्माण किया गया है।
कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर सीधी रेखा प्रणाली पर समस्त आस्तियों (पट्टे पर दी गई उन आस्तियों को मिलाकर जिन्हें अनुपयोज्य राशि के रूप में वर्गीकृत किया गया है) पर सीधी रेखा प्रणाली पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है।

(छ) निवेश

दीर्घ अवधि के निवेश का लागत पर मूल्य निर्धारण किया जाता है। वर्ष की समाप्ति पर निवेश के मूल्य में हास हेतु प्रावधान ऐसे निवेश के मूल्य में कमी होने पर किया जाता है।
वर्तमान निवेश का मूल्यांकन न्यूनतर लागत एवं बाजार मूल्य पर किया जाता है।
जहां निवेश सूचीबद्ध कर लिया हो परंतु बाजार कोटेशन उपलब्ध न हो ऐसे मामले में निवेश का मूल्य रु. 1 प्रति कंपनी लिया जाएगा।

विशेष न्यायालय (प्रतिभूति लेन-देन संबंधी अपराधों का विचारण) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय, मुम्बई के आदेश के अनुसरण में मे. वी.बी. देसाई खाता के निपटान से अर्जित शेयरों के मामले में इस प्रकार अर्जित शेयरों की लागत को ऐसे निर्णय से पूर्व मे. वी.बी. देसाई से बकाया निवल राशि पर लिया गया है। इस निवेश को दीर्घकालिक निवेश माना गया है।

विभिन्न म्युचुअल उत्पादों जिनमें योजनावधि एक वर्ष से अधिक है, में निवेश को दीर्घकालीन निवेश माना गया है।

(ज) विवेकपूर्ण मानदंड

यद्यपि कंपनी किराया-खरीद एवं लीजिंग व्यवसाय नहीं करती, फिर भी जहां-कहीं प्रयोज्य हो आय अभिज्ञान, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान हेतु गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों हेतु विवेकपूर्ण मानदंड के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

(झ) विविध देनदार :

देय/प्राप्य राशि लेकिन जिसे लीज, किराया खरीद, तृतीय पक्ष आदि के कारण वर्ष की समाप्ति पर अभी प्राप्त होना है, को विविध देनदार खाते में नामे डालते हुए संबंधित आय/आस्ति खातों में जमा करना है।

(ञ) अनुपयोज्य आस्तियों हेतु प्रावधान :

किराया खरीद, लीज आदि से 12 माह से अधिक किस्तें देय होने के मामले में और अंतर कारपोरेट जमा से 6 माहों से अधिक अवधि हेतु ब्याज देय रहता है तो आस्ति अनुपयोज्य मानी जाएगी और खातों में कोई आय नहीं मानी जाएगी।

(f) Depreciation

- (i) Assets other than given on Lease :

Depreciation is provided under Straight Line Method at the rates and in the manner as per Schedule XIV of the Companies Act, 1956.

- (ii) Assets given on Lease :

Depreciation on Leased Assets is provided as per the Guidance Note on 'Accounting for Leases' issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Lease Equalisation Account and Lease Adjustment Account have been created as prescribed by the Guidance Note.

Depreciation on all the fixed assets (including Leased Assets classified as Non Performing Assets) has been provided on straight line method at the rates prescribed in Schedule XIV of the Companies Act, 1956.

(g) Investment

Long Term Investments are valued at cost. Provision for diminution in value of investment is made for decrease in value of such investments as at the end of the year.

Current Investments are valued at the lower of cost and market value.

In cases where Investments are listed but market quotations are not available, the value of the investment has been taken at Re. 1/- per Company.

In the case of shares acquired in settlement of M/s V B Desai A/c pursuant to the Order of The Special Court, Mumbai, constituted under The Special Courts (Trial of Offences relating to Transactions in Securities) Act, 1992, the cost of acquisition of the Shares so acquired have been taken at the net amount due from M/s V B Desai, prior to such ruling. This investment has been considered as Long Term Investment.

Investments made in various Mutual Funds where duration of scheme exceeds one year have been considered as Long Term Investment.

(h) Prudential Norms

Although the Company is not doing Hire Purchase and Leasing business yet the Directions issued by the Reserve Bank of India regarding prudential norms for Non-Banking Financial Companies for income recognition, asset classification and provisions have been followed, wherever found applicable.

(i) Sundry Debtors

Amount due/ receivable but yet to receive at the end of the year on account of Lease, Hire Purchase, third parties etc. are debited to Sundry Debtors Account and credit to respective income/ assets account.

(j) Provision for Non Performing Assets

In case of Installments due for more than 12 months from Hire Purchase, Lease, etc and in case of interest remained due for more than 6 months from Inter Corporate Deposit, the assets is treated as Non Performing Assets and no income is considered in the accounts.

लाभ एवं हानि खाते के नामे डालकर अनुपयोज्य आस्तियों हेतु प्रावधान किया जाता है।

(ट) अपरिपक्व वित्त प्रभार :

प्राप्य कुल राशि और उस उद्देश्य हेतु निवेशित राशि के अंतर की रकम अपरिपक्व वित्त प्रभार में जमा की जाएगी। देय और/अथवा वसूली गई राशि आय मानी जाएगी। आस्ति के अनुपयोज्य आस्ति हो जाने की तिथि से संविदा की समाप्ति तक प्राप्य आय देयों के अंतिम समझौते की तिथि तक प्राप्य राशि यथावत रहेगी।

(ठ) लीज समायोजन खाता और लीज समकरण खाता :

लीज आस्तियों के मामले में प्रधान वसूली तथा खाते में प्रभारित मूल्य ह्रास के अंतर को लीज समकरण खाते के नामे डालते हुए लीज समायोजन खाते में अंतरित किया जायेगा। कुल लीज समायोजन खाता लीज आय के मूल्य को कम करता है। आस्ति के अनुपयोज्य आस्ति में परिवर्तित होने अथवा लीज की समाप्ति की तिथि तक लीज समायोजन खाता सृजित किया जाता है।

(ड) आस्तियों का अनर्जक होना

किसी आस्ति को तब अनर्जक माना जाता है जब उस आस्ति को रखने की लागत वसूली योग्य मूल से अधिक हो जाती है। जिस वर्ष आस्ति को अनर्जक के रूप में अभिनिर्धारित किया जाता है उस वर्ष अनर्जक हानि को लाभ एवं हानि लेखा से प्रभारित किया जाता है। पूर्व लेखा वर्ष अवधि में अभिज्ञात अनर्जक हानि को प्रत्यावर्तित किया जाता है यदि अनुमानित वसूली योग्य राशि में परिवर्तन हो गया है।

(ढ) कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा के वर्ष में उपचित होते हैं। निर्धारित अंशदान योजनाओं यथा भविष्य निधि में अंशदान का अभिज्ञान अंशदान देने पर किया जाता है।

परिभाषित लाभ योजना जैसे ग्रेज्युटी और अवकाश नकदीकरण के अंतर्गत दीर्घ कालिक कर्मचारी लाभ बीमांकिक तकनीक का प्रयोग करके देय राशि के वर्तमान मूल्य पर वर्ष की समाप्ति पर निर्धारित किया जाता है।

(ण) आय पर कर

वर्तमान और आस्थगित कर दोनों हेतु कर का प्रावधान किया जाता है। चालू कर का प्रावधान प्रयोज्य कर दरों और कर कानूनों का प्रयोग करते हुए कर योग्य आय पर किया जाता है। समय में अंतर के कारण उत्पन्न आस्थगित कर आस्तिया और देयताएं, जिन्हें परवर्ती अवधि में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, का अभिज्ञान अधिनियमित कर दरों और कर कानूनों का प्रयोग करते हुए किया जाता है। आस्थगित कर को तब तक अभिज्ञात नहीं किया जाता जब तक भावी वर्षों में इसके प्रत्यावर्तन के संबंध में पर्याप्त आश्वासन न हो।

(त) प्रावधान, आकस्मिकताएं और आकस्मिक आस्तियां

मापन में पर्याप्त रूप से किए गए प्राक्कलन वाले प्रावधानों को तब अभिज्ञात किया जाता है जब पिछली किसी घटना के लिए वर्तमान में देयता बनती हो और इस बात की संभावना हो कि संसाधनों का बहिर्गमन होगा तथा देयता की राशि के संबंध में एक विश्वस्नीय अनुमान लगाया जा सकता है। आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में न तो अभिज्ञात किया जाता है और न ही प्रकट किया जाता है। आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधान नहीं किया जाता और उन्हें टिप्पणियों के रूप में प्रकट किया जाता है।

Provision for a Non-Performing Asset is made by debiting Profit & Loss Account.

(k) Unmatured Finance charges

The difference amount between total amount receivable and amount invested for that purpose is credited to Unmatured Finance charges. Amount due and/ or realized is treated as income. Amount receivable from the date of Assets becoming Non Performing Assets upto the date of expiry of the contract will remain as it is till the date of final settlement of the dues.

(l) Lease Adjustment Account and Lease Equalisation Account

The difference between principal recovery in case of lease assets and depreciation charged in the accounts is transferred to lease adjustment Account by debiting Lease Equalisation Account. Total of Lease Equalisation Account reduces the value of lease income. Lease Adjustment Account is created upto the date of assets becoming Non Performing Assets or termination of lease.

(m) Impairment of Assets

An asset is treated as impaired when the carrying cost of assets exceeds its recoverable value. An impairment loss is charged to profit and loss account in the year in which an asset is identified as impaired. The impairment loss recognized in prior accounting periods is reversed if there has been a change in the estimate of recoverable amount.

(n) Employee Benefits

Employee benefits accrued in the year services are rendered by the employees.

Contribution to defined contribution schemes such as Provident fund is recognized as and when incurred.

Long term employee benefits under defined benefits scheme such as gratuity and leave encashment are determined at close of the year at present value of the amount payable using accrual techniques.

(o) Taxes on Income

Provision for tax is made for both current and deferred tax. Current Tax is provided on the taxable income using the applicable tax rates and tax laws. Deferred tax assets and liabilities arising on account of timing difference which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using tax rates and tax laws which have been enacted or substantively enacted. Deferred tax are not recognized unless there is sufficient assurance with respect to the reversal of the same in the future years.

(p) Provisions , Contingencies and Contingent Assets

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that there will be an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Contingent Assets are neither recognized nor disclosed in the financial statement . Contingent Liabilities are not provided for and are disclosed by way of notes.

अनुसूची 'क्यू' : लेखों पर टिप्पणियां

Schedule 'Q' – Notes on Accounts :

1. आकस्मिक देयताएं जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है : / Contingent liabilities not provided for :

(क) विभिन्न अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष लंबित मामलों, जहां कंपनी सफलता की अपेक्षा करती है, के संबंध में विवादित आयकर एवं ब्याज कर देयताएं।

(a) Disputed Income Tax liability in respect of matters pending before various Appellate authorities where the Company expects to succeed. (रु. लाख में) (Rs. in lacs)

मूल्यांकन वर्ष Assessment Year	31.03.2009 आयकर Income-Tax	31.03.2008 आयकर Income-Tax
1997-98	-	17.69
1998-99	-	444.59
2002-03	344.18	373.85
2003-04	554.69	554.69
2004-05	1,252.16	1,252.16
2005-06	38.06	38.06
2006-07	29.99	-
कुल / Total	2,219.08	2,681.04

(ख) कंपनी के विरुद्ध ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए दावे:
रु. 1,175.76 लाख (पूर्व वर्ष रु. 346.54 लाख)

(b) Claims against the Company not acknowledged as Debts : Rs.1,175.76 lakh. (Previous Year Rs.346.54 lakh)

(ग) कंपनी के किसी कर्मचारी द्वारा वेतन संशोधन हेतु दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है। तथापि उसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि प्रबंधन का मत है कि उसका पक्ष मजबूत है। हालांकि रकम भी नगण्य है।

(c) A writ Petition has been filed by some employees of the Company in Delhi High Court for Salary revision. However, the same has not been provided for as the management feels that it has a good case. Moreover, the amount remains un-quantified.

(घ) कंपनी ने अगस्त 2008 में आस्ट्रल कोक एंड प्रोजेक्ट्स लि. के आईपीओ इश्यू हेतु लीड मैनेजर का कार्य किया। उक्त कंपनी के एक निकट प्रतिस्पर्धी ने कंपनी और इसके प्रमोटर्स के विरुद्ध सिविल न्यायालय में एक वाद दाखिल कर दिया तथा मर्चेंट बैंकर, स्वतंत्र निदेशक और लेखापरीक्षकों तथा सालिसिटर्स को पार्टी बना दिया। इस संबंध में आल बैंक फाइनेन्स के विरुद्ध कोई विशेष क्षतिपूर्ति अथवा रकम नहीं बनती है।

(d) The Company had acted as lead manager of Austral Coke & Projects Limited IPO issue in August,2008. A close competitor of the said company filed civil suits against the company and its promoters and also made Merchant Bankers , Independent directors, Auditors and Solicitors as party to the suit. There is no quantification of any compensation or amount against ALLBank Finance Ltd.

2. माननीय विशेष न्यायालय के आदेशानुसार मे.वी.बी. देसाई द्वारा 13.05.1992 को ऑल बैंक फाइनेन्स लि. को सौंपे गए शेयरों को कंपनी के पक्ष में शेयरों में संपत्ति का पूर्ण अंतरण माना गया। तदनुसार, शेयरों की सुपुर्दगी की तारीख से कंपनी शेयरों की स्वामी बन गई है और उसके बाद उन शेयरों पर घोषित समस्त उपचय और अधिकारों पर इसका हक है। उपर्युक्त आदेश के परिणामस्वरूप शेयरों के अर्जन को दीर्घावधि निवेश माना गया।

2. As per the order of the Hon'ble Special Court, the delivery of shares on 13.05.1992, by M/s V B Desai to AllBank Finance Ltd., constituted complete transfer of property in the shares in favour of the Company. Accordingly, the Company became the owner of the shares from the date of delivery of the shares and was entitled to all accretions and rights declared thereafter. Pursuant to the abovementioned order, the acquisition of the shares has been considered as Long Term Investment.

3. अग्रिम आयकर, स्रोत पर कर कटौती तथा प्राप्य आयकर वापसी यथास्थिति 31.03.2009 को 779.86 लाख (31.03.2008 को रु. 664.60 लाख) रही। यह राशि मूल्यांकन एवं अपीलों के विभिन्न स्तरों पर समायोजन हेतु लंबित है।

3. Advance income tax, tax deducted at source ,income tax refund receivable and Advance fringe benefit tax amounted to Rs. 779.86 lakhs as on 31.03.2009(Rs. 664.60 lakhs as on 31.03.2008) are pending adjustment at various stages of assessments and appeals.

लेखा के भाग के रूप में अनुसूची
Schedules Forming Part of the Accounts

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.
AllBank Finance Ltd.

4. “अन्य आय” के अंतर्गत पिछली अवधि की मदों का विवरण / Details of Prior Period Items under “Other Income”

	(रु. में) (In Rs.)
ब्रोकरेज आय Brokerage Income	829,812
रिटन बैंक निवेश हेतु प्रावधान / Provision for Investment Written Back	38,353,487
रिटन बैंक एनपीए हेतु प्रावधान / Provision for NPA Written Back	30,752
म्युचुअल फंड निवेश पर लाभांश / Dividend on Mutual Fund Investment	1,135,821
शेयरों की बिक्री पर लाभ / Profit on Sale of Share	(-) 277,516
कुल / Total	40,072,356

5.

	2008-09	2007-08
कर पश्चात लाभ (न्यूमेरेटर के रूप में प्रयुक्त) / Profit after Tax (used as Numerator)	94,170,706	34,548,106
वर्ष के आरंभ में इक्विटी शेयरों की संख्या		
Number of Equity Share at the beginning of the year	1,500,000	1,500,000
वर्ष के अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या / Number of Equity Share at the end of the year	1,500,000	1,500,000
वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (डिनामिनेटर के रूप में प्रयुक्त)		
Weighted average number of Equity Shares outstanding during the year		
(used as denominator)	1,500,000	1,500,000
इक्विटी शेयरों का सामान्य मूल्य / Nominal value of Equity Share – Rs.	100	100
प्रतिशेयर मूल और डाइल्यूटेड अर्जन / Basic and diluted earnings per Share – Rs.	62.78	26.37

6. चूंकि कंपनी की व्यवसाय गतिविधि एक प्रमुख व्यवसाय खंड अर्थात् पूंजी बाजार और संबद्ध गतिविधियों के अंतर्गत आती हैं और ये भौगोलिक खंड के अंतर्गत हैं अतः भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक (एएस -17) “खंड रिपोर्टिंग” में अपेक्षित खंड रिपोर्ट को प्रकटीकरण प्रयोज्य नहीं है।

6. As the company’s business activity falls within a single primary business segment viz. dealing in Capital Markets and allied activities and in a single geographical segment, the disclosure requirements of Accounting Standard (AS – 17) “ Segment Reporting “ issued by The Institute of Chartered Accountants of India are not applicable.

7. प्रबंध निदेशक की परिलब्धियां / Managing Director’s Remuneration

	(रु. में) (In Rs.)	
	2008-09	2007-08
वेतन / Salary	600,000	600,000
मकान किराया / House Rent	240,000	240,000
भविष्य निधि में अंशदान / Contribution to Provident Fund	72,000	72,000
प्रोत्साहन / Incentive	332,402	77,793
अन्य लाभ / Other Benefits	323,042	211,000
ग्रेच्युटी हेतु प्रावधान / Provision for Gratuity	28,846	28,846
कुल / Total	1,596,290	1,229,639

लेखा के भाग के रूप में अनुसूची
Schedules Forming Part of the Accounts

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.
AllBank Finance Ltd.

8. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 22 “आय पर कर हेतु लेखा” के अनुसार कंपनी ने आस्थगित कर का हिसाब रखा है। कंपनी की एनपीए और संदिग्ध आस्तियों पर प्रावधान से उत्पन्न बड़ी मात्रा में आस्थगित कर आस्तियां हैं। तथापि विवेकपूर्ण ढंग से आस्थगित कर देयताओं की सीमा तक ही आस्थगित कर आस्तियों को अभिज्ञात किया गया है और इस प्रकार इसका खातों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं का विवरण इस प्रकार है:

8. In accordance with Accounting Standard 22 - “Accounting for Taxes on Income” issued by The Institute of Chartered Accountants of India, the Company has accounted for deferred tax. The Company has significant amount of deferred tax assets arising out of provisions made on NPA and doubtful debts. However as a matter of prudence, deferred tax assets have been recognized to the extent of deferred tax liability and as such there is no impact of the same in these accounts. The component of deferred tax assets and liabilities are as follows :

	31.03.2008 को यथास्थिति / As on 31.03.2008	वर्ष हेतु ऋण (प्रभार) / (Charge) Credit for the year	31.03.2009 को यथास्थिति As on 31.03.2009
मूल्यहास के कारण आस्थगित कर देयता			
Deferred Tax Liability on account of depreciation	5,336,120	32,610	5,368,730
एनपीए और अशोध्य ऋणों पर प्रावधान के कारण आस्थगित कर आस्तियां			
Deferred Tax Assets on account of provision on NPA and doubtful debts	5,336,120	32,610	5,368,730
आस्थगित कर आस्ति/देयताएँ (निवल)			
Deferred Tax Assets / Liabilities (Net)	-	-	-

9. माल और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता से उपलब्ध सूचना के अनुसार किए गए अभिनिर्धारण में माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत परिभाषित कोई मेक्रो और लघु उद्यम नहीं हैं।

9. To the extent identified from the information available from suppliers of goods and services, there are no macro and small enterprises being a supplier as defined under Micro, Small and Medium enterprises Development Act, 2006.

10. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक (एएस-28) “इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स” के अनुसार कोई अनर्जक हानि नहीं है।

10. There is no impairment loss in terms of the Accounting Standard (AS 28) – “ Impairment of Assets” issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

11. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक (एएस-18) “संबंधित पार्टी प्रकटीकरण” के अनुसार संबंधित पार्टी प्रकटीकरण निम्नानुसार है।

11. Related Party disclosures as required in terms of Accounting standard (AS 18) – “ Related Party Disclosures” issued by the Institute of Chartered Accountants of India are as under :

होलिंग कंपनी- इलाहाबाद बैंक / Holding Company – Allahabad Bank

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक- श्री प्रसाद अकोलकर, प्रबंधक निदेशक एवं सीईओ

Key Management Personnels - Mr. Prasad Akolkar , Managing Director & CEO

	Holding Company		Key Management Personnel	
	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08
स्थिर जमा पर ब्याज / Interest on Fixed Deposit	1,862,670	-		
प्रबंधन संविदाएं / Management Contracts	898,687	828,783		
सेवा प्राप्ति / Receiving of Services	259,881	-		
परिलब्धियां / Remuneration			1,596,290	1,229,639
मियादी जमा / Term Deposit	50,000,000	-		
चालू जमा / Current Deposit	2,645,546	6,837,153		
ऋणी / Debtors	428,842	428,842		

लेखा के भाग के रूप में अनुसूची
Schedules Forming Part of the Accounts

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.
AllBank Finance Ltd.

उपर्युक्त संबंधित पार्टी की सूचना उस सीमा तक ही प्रकट की गई है जितना उपलब्ध सूचना के आधार पर प्रबंधन द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है।

The above related party information is disclosed to the extent such parties have been identified by the management on the basis of information available.

यह लेखापरीक्षकों पर निर्भर है

This is relied upon by the auditors.

12. विगत वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक समझा गया है पुनर्व्यवस्थित और पुनर्समूहित किया गया है जिससे वर्तमान वर्ष के सदृश्य आंकड़ों से तुलना की जा सके।

12. Previous year's figures have been rearranged / regrouped wherever necessary, to make those comparable with the corresponding figures for the current year.

अनुसूची ए से क्यू के हस्ताक्षरकर्ता

Signatories to the Schedules A to Q

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के द्वारा
कृते डे एंड बोस
सनदी लेखाकार
Vide our Report of even date
For De & Bose
Chartered Accountants

के. आर. कामत
K. R. Kamath
अध्यक्ष
Chairman

प्रसाद अकोलकर
Prasad Akolkar
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
Managing Director & CEO

सुब्रत डे
Subrata De
पार्टनर
Partner
सदस्यता सं. / Membership No. 54962

एस. के. चक्रवर्ती
S. K. Chakraborty
निदेशक
Director

ए. बी. भट्टाचार्य
A. B. Bhattacharjee
निदेशक
Director

ए. आर. नागप्पन
A. R. Nagappan
निदेशक
Director

डी. पी. खुल्लर
D. P. Khullar
निदेशक
Director

स्थान : कोलकाता / Place : Kolkata
दिनांक / Dated : 02.05.2009

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग IV के अनुसार सूचना
Information Pursuant to Part IV of Schedule VI of Companies Act, 1956.

तुलनपत्र सार एवं कंपनी की सामान्य व्यवसाय रूपरेखा
BALANCE SHEET ABSTRACT AND COMPANY'S GENERAL BUSINESS PROFILE

कंपनी का नाम / Name of the Company : ऑलबैंक फाइनेन्स लिमिटेड / ALLBANK FINANCE LTD

I. पंजीकरण ब्योरा / Registration Details

पंजीकरण सं. / Registration No. U67120WB1951PTC020023 राज्यकूट / State Code : 21

तुलन पत्र तिथि / Balance Sheet Date 31.03.2009

II. वर्ष के दौरान अभिवृद्ध पूंजी (रु. हजार में) / Capital Raised during the year (Amount in Thousand)

पब्लिक इश्यू / Public Issue :	शून्य / Nil	राइट इश्यू / Right Issue	शून्य / Nil
बोनस शेयर / Bonus Share :	शून्य / Nil	प्राइवेट आबंटन / Private Placement	शून्य / Nil

III. निधियों के संग्रहण एवं विनियोजन की स्थिति (रु. हजार में)

Position of Mobilisation and Deployment of Funds (Amount in Rs. Thousand)

कुल देयताएं / Total Liabilities	: 444,979	कुल आस्तियां / Total Assets	: 444,979
---------------------------------	-----------	-----------------------------	-----------

निधियों का स्रोत / Source of Funds :

प्रदत्त पूंजी / Paid-up Capital (Rs.)	: 150,000	आरक्षितियां एवं अधिशेष / Reserves & Surplus	: 224,398
प्रतिभूत ऋण / Secured Loans (Rs.)	: शून्य / Nil	अप्रतिभूत ऋण / Unsecured Loans	: शून्य / Nil

निधियों का प्रयोग / Application of Funds :

निवल अचल आस्तियां / Net Fixed Assets (Rs.)	: 17,151	निवेश / Investments	: 268,577
निवल चालू आस्तियां / Net Current Assets (Rs.)	: 88,670	विविध व्यय / Misc. Expenditure	: शून्य / Nil
संचयी हानियां / Accumulated Losses (Rs.)	: शून्य / Nil		

IV. कंपनी का कार्य निष्पादन (रु. हजार में) / Performance of the Company (Amount in Rs. Thousand)

टर्न ओवर / Turn Over (Rs.)	: 119,737	कुल व्यय / Total Expenditure (Rs.)	: 13,615
कर से पूर्व लाभ/(हानि) Profit/(Loss) Before Tax :	: (+) 106,122		
कर के बाद लाभ/(हानि) Profit/(Loss) After Tax :	: (+) 94,171	लाभांश / Dividend Rate %	: शून्य / Nil
प्रति शेयर आय (रु. में) Earning Per Share (in Rs.)	: 62.78		

V. कंपनी के तीन मुख्य उत्पादों/सेवाओं के सामान्य नाम (मौद्रिक शब्द के अनुसार)

Generic Name of Three Principal Products/Services of Company (as per monetary terms)

कंपनी सेबी में श्रेणी-I मर्चेन्ट बैंकर के रूप में पंजीकृत है / The Company is registered with the SEBI as a Class I Merchant Banker.

बोर्ड के लिए एवं की ओर से
For and on behalf of the Board

के. आर. कामत / K. R. Kamath
अध्यक्ष / Chairman

प्रसाद अकोलकर Prasad Akolkar
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ / Managing Director & CEO

एस. के. चक्रवर्ती / S. K. Chakraborty
निदेशक / Director

ए. बी. भट्टाचार्य / A. B. Bhattacharjee
निदेशक / Director

ए. आर. नागप्पन / A. R. Nagappan
निदेशक / Director

डी. पी. खुल्लर / D.P.Khullar
निदेशक / Director

स्थान : कोलकाता / Place : Kolkata
दिनांक / Dated : 02.05.2009

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में
सदस्यगण,
आलबैंक फाइनेन्स लिमिटेड,

- हमने 31 मार्च, 2009 को यथास्थिति ऑलबैंक फाइनेन्स लिमिटेड के तुलन पत्र, और उसके साथ संलग्न उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण की भी लेखापरीक्षा की है। जिन पर हमने रिपोर्ट के सदर्थ में हस्ताक्षर किए हैं। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की है। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत व्यक्त करना है।
- हमने अपनी लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षा मानदंडों के अनुसार की है। उन मानकों की अपेक्षा है कि हम इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण अयथार्थ विवरण से मुक्त है। लेखापरीक्षा में परीक्षण आधार पर, राशि को प्रकट करने वाले साक्ष्यों की जाँच तथा वित्तीय विवरण में प्रकटीकरण की जाँच करना शामिल है। लेखापरीक्षा में, प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों सहित समग्र वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी सम्मिलित है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे अभिमत का ठोस आधार है।
- कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उपधारा (4क) के अनुसार, भारत के केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003, कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) (संशोधन) आदेश, 2004 के द्वारा यथासंशोधित, में यथापेक्षित तथा कंपनी की बहियों और अभिलेखों की ऐसी जाँच, जिसे हमने उपयुक्त समझा है, के आधार पर और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार हम उक्त आदेश के अनुच्छेद 4 एवं 5 में उल्लिखित विषयों पर एक विवरण अनुबंध "क" के रूप में इसके साथ संलग्न करते हैं।
- कंपनी ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड से अंडरराइटर और मर्चेन्ट बैंकर हेतु 25.07.2008 से तीन वर्षों के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र को नवीकृत किया है जिसे अपेक्षित शुल्क देकर पुनः नवीकृत कराया जा सकता है। इससे पूर्व कंपनी 11.05.2005 तक भारतीय रिजर्व बैंक में गैर बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में पंजीकृत थी। हालांकि गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों के अंतर्गत गतिविधियाँ बंद कर दी गई थीं किंतु पिछली गतिविधियों से संबंधित कुछ खाते अभी भी चल रहे हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2000" द्वारा की गई अपेक्षा के अनुसार कोई रिपोर्ट नहीं बनाई गई क्योंकि कंपनी 25.07.2005 से मर्चेन्ट बैंकिंग कंपनी बन गई है।
- (i) निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 24.11.2006 को पारित संकल्प के अनुसार कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान दिल्ली के क्रिया-कलाप को बंद कर समस्त आस्तियाँ एवं देयताएँ कोलकाता मुख्य शाखा को अंतरित कर दी। प्रक्रियागत औपचारिकताओं को अभी पूरा किया जाना है।
(ii) डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग, इलाहाबाद बैंक - आईएन 300853 दिनांक 01.04.2009 के अनुसार 31.03.2009 को आलबैंक फाइनेन्स लि. कंपनी के रिकार्ड में से निम्नलिखित शेयरों को होल्ड कर रहा है :

AUDITORS' REPORT

TO THE MEMBERS

AllBank Finance Limited.

- We have audited the attached Balance Sheet of **AllBank Finance Limited** as at 31 st March , 2009 , the related Profit and Loss Account and Cash Flow Statement for the year ended on that date annexed thereto, which we have signed under reference to this report. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
- We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
- As required by the Companies (Auditors' Report) Order, 2003, as amended by the Companies (Auditor's Report) Order, 2004 , issued by the Central Government of India in terms of sub-section (4A) of Section 227 of the Companies Act, 1956 and on the basis of such checks of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us, we enclose in the Annexure a statement on the matters specified in paragraphs 4 and 5 of the said order.
- The Company has got renewed certificate of registration for Underwriter and Merchant Banker from Securities and Exchange Board of India effective from 25.07.2008 for three years subject to renewal against payment of required fees. Earlier to this, the Company was registered with Reserve Bank of India as Non Banking Finance Company upto 11.05.2005. Though the activities under Non Banking Finance Companies had been discontinued, but some accounts of past activities are still continuing.
- As required by " Non Banking Financial Companies Auditors Report (Reserve Bank) Directions, 2000", issued by the Reserve Bank of India , no report is made as the Company became Merchant Banking Company with effect from 25.07.2005.
- i) As per Resolution passed by Board of Directors on 24.11.2006, the Company has discontinued the activities of Delhi Branch in the financial year 2007-08 by transferring all Assets and Liabilities to the Kolkata Office. The procedural formalities are yet to complete.
ii) As per Depository Participant Statement of Holdings, Allahabad Bank – IN 300853 dated 01.04.2009, the AllBank Finance Limited is holding on 31.03.2009 the following shares out of records of the Company.

टाटा मोटर्स ईक्यू 3408

हमें मौखिक रूप से दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार ये शेयर ऋण के बदले प्रतिभूति जमा के रूप में इलाहाबाद बैंक से संबंधित हैं जिन्हें वास्तव में इसके पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक नॉमिनीज लि. के माध्यम से इस कंपनी को अंतरित किया गया क्योंकि इलाहाबाद बैंक इन शेयरों को रखने हेतु प्राधिकृत नहीं है।

इस परिस्थिति में उपर्युक्त शेयरों के अंतरण हेतु समुचित नामावली वाला एक अलग डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट खाता खोला जाना चाहिए।

iii) सहज रूप से अपनाई जा रही परिपाटी के अनुसार अनुपयोज्य आस्तियों और अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण हेतु अनुसूची -जे में किए गए रु. 36,365,554/- के प्रावधान में अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान स्वरूप रु. 6,938.176/- को अनुसूची-ई के अंतर्गत विविध देनदार से घटाने के बजाय अनुसूची -जे में शामिल किया गया है।

7. उपर्युक्त रिपोर्ट के पैराग्राफ 3, 4, 5 और 6 'क' एवं 'ख' में संदर्भित अनुबंधों में हमारी टिप्पणी के अलावा

क) हमने वे सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

ख) हमारी राय में, जहाँ तक बहियों की हमारी जाँच से पता चलता है, कंपनी द्वारा विधि की अपेक्षा के अनुरूप समुचित लेखा बहियाँ रखी गई हैं।

ग) इस रिपोर्ट में समाहित तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखे एवं नकदी प्रवाह विवरण कंपनी की लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

घ) हमारी राय में इस रिपोर्ट के संबंध में तुलन पत्र, लाभहानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में संदर्भित लेखा मानकों के अनुसार हैं, केवल लेखा मानक एएस-15 (कर्मचारी लाभ) को छोड़कर जहाँ ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण जैसी परिभाषित लाभार्थ योजनाएँ हैं जिनके अंतर्गत दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों का निर्धारण बीमांकिक पद्धति के स्थान पर उपचय पद्धति का प्रयोग करके किया जाता है।

ङ) निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों तथा बोर्ड के रिकार्ड के अनुसार, हम सूचित करते हैं कि 31 मार्च, 2009 को यथास्थिति कोई भी निर्देशक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1)(जी) के अंतर्गत नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं है।

च) हमारी राय में तथा हमारी अधिकतम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कथित लेखे तथा उनकी टिप्पणियाँ जो संलग्न हैं कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा निर्धारित रूप में जानकारी प्रदान करती हैं, सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करती हैं:

(क) तुलन-पत्र के मामले में, 31 मार्च 2009 को कंपनी की स्थिति।

(ख) लाभ-हानि के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी का लाभ।

(ज) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह

सुब्रत डे
पार्टनर

सदस्यता सं. 54962
कृते डे एंड बोस
सनदी लेखाकार

स्थान: कोलकाता

दिनांक : 02.05.2009

Tata Motors EQ 3,408

As verbally explained to us, these shares belong to Allahabad Bank as their Security Deposit against loans which virtually transferred to this Company through its erstwhile predecessor Allahabad Bank Nominees Ltd. as Allahabad Bank is not authorized to hold these shares.

Under this situation, a separate Depository Participant Account with proper nomenclature should be opened to transfer the above shares.

iii) As per practice consistently followed, Provision for Non Performing Assets and Bad & Doubtful Debts under Schedule - J Rs. 36,365,554 /- includes Rs.6,938,176/- towards Provision for Bad & Doubtful Debts instead of deducting this amount from Sundry Debtors under Schedule - E.

7. Further to our comments in paragraphs 3,4 ,5 and 6 above, we report that :

a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books;

c) The Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account;

d) In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement dealt with by these report comply with the accounting standards referred to in sub-section (3C) of section 211 of the Companies Act, 1956 *except in case of Accounting Standard AS - 15 (Employee Benefits) where long term employee benefits under defined benefit schemes such as gratuity and leave encashment are determined using accrual method in place of actuarial method;*

e) On the basis of written representations received from the Directors and taken on record by the Board of Directors, we report that none of the directors is disqualified as on March 31, 2009 from being appointed as a director in terms of clause (g) of sub-section (1) of section 274 of the Companies Act, 1956;

f) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements together with notes thereon and attached thereto give in the prescribed manner the information required by the Companies Act, 1956, and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India :

i) in the case of the Balance sheet, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2009;

ii) in the case of Profit and Loss Account, of the profit for the year ended on that date ; and ,

iii) in the case of the Cash Flow Statement , of the cash flows for the year ended on that date.

Subrata De
Partner.

Membership No. 54962
For & on behalf of
DE & BOSE
Chartered Accountants

Date: 02.05.2009

Place : Kolkata

**समतिथि की हमारी रिपोर्ट के पैरा 3 में
संदर्भित अनुबंध**

सं. आलबैंक फाइनेन्स लिमिटेड

1. (क) कंपनी ने मात्रात्मक विवरण एवं अचल आस्तियों की स्थिति सहित पूरा ब्योरा दिखाने के लिए समुचित रिकार्ड का रखरखाव किया है।
(ख) यह स्पष्ट किया गया है कि वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा समस्त आस्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है, परन्तु सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम प्रचलित है जो हमारे विचार में कंपनी के आकार एवं इसकी आस्तियों के स्वरूप को देखते हुए तर्कसंगत है। बहियों के अभिलेख और भातिक इन्वेंटरी के बीच कोई विसंगति नहीं पाई गई।
(ग) हमारी राय में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी किसी अचल सम्पत्ति के बड़े भाग का निपटान नहीं किया है।
2. कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार सामानों की सूची की आवश्यकता नहीं है।
3. (क) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल किसी कंपनी प्रतिष्ठान या पार्टी को/से न कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण दिया है न ही उनसे लिया है।
(ख) ऐसे मामलों में जहाँ कंपनी ने किराया खरीद अथवा पट्टा करार के अंतर्गत अग्रिम दिया है, ब्याज दर एवं अन्य शर्तें एवं अनुबंध, प्रथम दृष्टया कंपनी के हित के प्रतिकूल नहीं हैं।
(ग) मूल राशि एवं ब्याज के भुगतान की वसूली कंपनी द्वारा की जाती है। चूक के मामलों में अनुपयोज्य आस्तियों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप कंपनी द्वारा पर्याप्त प्रावधान किया गया है।
(घ) ऐसे मामलों में जहाँ अतिदेय राशि रुपये एक लाख से अधिक है, कंपनी द्वारा मूल एवं ब्याज की वसूली हेतु पर्याप्त कदम उठाए गए हैं।
4. हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के आकार तथा इसके व्यवसाय के स्वरूप के अनुसार पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली हैं। इसके अतिरिक्त बहियों और कंपनी के अभिलेखों की जांच तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमने न तो आंतरिक नियंत्रण में बड़ी खामियों को सुधारने में लगातार विफल रहने का कोई मामला पाया है और न ही हमें इसकी सूचना दी गई है।
5. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है जिसे कंपनी अधिनियम की धारा 301 के अनुसार रजिस्टर में अभिलिखित करने की आवश्यकता हो।
6. कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 58ए, 58एए अथवा अन्य संगत उपबंध और उसके अंतर्गत बनाए गए

**Annexure referred to in paragraph 3 of our
report of even date**

Re: AllBank Finance Limited

1. a. The Company has maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situations of its fixed assets.
b. It has been explained that all the assets have not been physically verified by the management during the year, but there is a regular program of verification which, in our opinion, is reasonable having regard to the size of the Company and nature of its assets. No material discrepancies between the book records and the physical inventory have been noticed.
c. In our opinion and according to the information and explanations given to us, any substantial part of the fixed assets has not been disposed off by the Company during the year.
2. The nature of business of the Company does not warrant holding of inventory.
3. a. The Company has not granted or taken any loans, secured or unsecured, to / from companies, firms or other parties covered in the register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956 .
b. In cases where the Company has made advances under Hire Purchase , Lease Agreement or Inter Corporate Deposit, the rate of interest and other terms and conditions are, prima facie, not prejudicial to the interests of the Company.
c. Payments of the principal amount and interest are being recovered by the Company. In cases of default, adequate provisions have been made by the Company, in accordance with norms laid down by the Reserve Bank of India, in the matter of Non Performing Assets.
d. In cases where the overdue amount is more than Rupees one lakh, reasonable steps have been taken by the Company for the recovery of the principal and interest.
4. In our opinion and according to the information and explanations given to us, there are an adequate internal control system commensurate with the size of the Company and the nature of its business. Further, on the basis of our examination of the books and the records of the Company and according to the information and explanations given to us, we have neither come across nor have been informed of any continuing failure to correct major weaknesses in the aforesaid internal control system.
5. According to the information and explanations given to us, the Company has not entered into transactions which require to be recorded in a register in pursuance of Section 301 of the Companies Act.
6. The Company has not accepted any deposit from the public under Sections 58A , 58AA or any other relevant provision

नियमों के अंतर्गत आम जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

7. हमारी राय में कंपनी के आकार तथा व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार कंपनी के पास सनदी लेखाकारों की बाहरी फर्म से लेखा परीक्षा कराने की एक आंतरिक प्रणाली है।
8. केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(घ) के अंतर्गत कंपनी को लागत रिकार्ड एवं लेखा रखने हेतु निर्धारित नहीं किया है।
9. (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांच किए गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार कंपनी भविष्य निधि, आय कर, सेवा कर, उप कर तथा अन्य तात्त्विक सांविधिक देय सहित अविवादित सांविधिक देय को समुचित प्राधिकारियों को जमा करने के मामले में नियमित है।
(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांच किए गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार 31 मार्च 2009 को यथास्थिति देय सांविधिक बकाया का विवरण निम्नानुसार है जो विवाद के कारण जमा नहीं किए गए।

of the Companies Act, 1956 and the rules framed thereunder.

7. In our opinion, the Company has an internal audit system by an outside firm of Chartered Accountants which is commensurate with its size and nature of business.
8. The Central Government has not prescribed maintenance of cost records and accounts under Section 209(1)(d) of the Companies Act, 1956, to the Company.
- 9 a. According to the information and explanations given to us and the records of the Company examined by us, in our opinion, the Company is regular in depositing the undisputed statutory dues including provident fund, income tax, service tax, cess and other material statutory dues as applicable with the appropriate authorities.
b. According to the information and explanations given to us and the records of the Company examined by us, the details of statutory dues as on 31st March, 2009 have not been deposited on account of dispute as under :

संविधि का नाम Name of the Statute	देय राशि का स्वरूप Nature of the Dues	किस मंच पर विवाद लंबित है Forum where the dispute is pending	राशि (रु. लाख में) Amount (Rs. in lacs)
आयकर अधिनियम, 1961 Income Tax Act, 1961	आय कर निर्धारण वर्ष 2002-03 Income Tax A.Y. 2002-03	आई.टी.ए.टी. कोलकाता बेंच I.T.A.T. Kolkata Bench	334.18
आयकर अधिनियम, 1961 Income Tax Act, 1961	आय कर निर्धारण वर्ष 2003-04 Income Tax A.Y. 2003-04	आई.टी.ए.टी. कोलकाता बेंच I.T.A.T. Kolkata Bench	554.69
आयकर अधिनियम, 1961 Income Tax Act, 1961	आय कर निर्धारण वर्ष 2004-05 Income Tax A.Y. 2004-05	आयकर आयुक्त (अपील) Commissioner of Income Tax (Appeals)	1,252.16
आयकर अधिनियम, 1961 Income Tax Act, 1961	आय कर निर्धारण वर्ष 2005-06 Income Tax A.Y. 2005-06	आयकर आयुक्त (अपील) Commissioner of Income Tax (Appeals)	38.06
आयकर अधिनियम, 1961 Income Tax Act, 1961	आय कर निर्धारण वर्ष 2006-07 Income Tax A.Y. 2006-07	आयकर आयुक्त (अपील) Commissioner of Income Tax (Appeals)	29.99

10. कंपनी का 31 मार्च 2009 को कोई संचयी घाटा नहीं है और उस तिथि को समाप्त वित्त वर्ष में उससे तत्काल पूर्व के वर्ष में कोई नकद घाटा नहीं उठाया है
10. The Company has no accumulated losses as at 31st March, 2009 and it has not incurred any cash losses in the financial year ended on that date and in the immediately preceding financial year.
11. हमारे द्वारा कंपनी के अभिलेखों की जांच तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों या डिबेंचरधारकों के पास कंपनी का कोई बकाया नहीं है।
11. According to the records of the Company examined by us and the information and explanation given to us, the Company has no dues towards financial institutions, banks and debenture holders.
12. ऐसे मामलों में जहाँ किराया खरीद एवं पट्टा करार के अंतर्गत अग्रिम दिए गए हैं, कंपनी ने पर्याप्त अभिलेख एवं दस्तावेज का रखरखाव किया है।
12. The Company has maintained adequate records and documents where advances have been made under hire purchase and leases agreements.

13. कंपनी पर चिटफंड या निधि/म्युचुअल बेंफिट फंड/सोसाइटी पर प्रयोज्य विशेष संविधि के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।
14. कंपनी शेयर, प्रतिभूति, डिबेंचर एवं अन्य निवेशों की डीलिंग अथवा ट्रेडिंग नहीं करती है। कंपनी ने शेयर निर्गम की अंडरराइटिंग तथा विगत वर्षों में विशेष अदालत मुम्बई के निर्देशों के अंतर्गत एक दावे का निपटारा करने पर शेयर अधिगृहीत किया है। कंपनी ने ऐसे लेनदेनों का समुचित रिकार्ड रखा है तथा कंपनी ने अपने नाम से शेयर रखा है।
15. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी अन्य के द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है। अतएव, कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2003 के खंड-4 (xv) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।
16. अभिलेखों के अनुसार, कंपनी ने लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल वर्ष में कोई मीयादी ऋण नहीं किया है। अतएव, कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2003 के खंड-4 (xvi) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।
17. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर और कंपनी के तुलन पत्र की समग्र जांच करने पर हमारी राय है कि अल्पकालिक आधार पर ऐसी कोई निधियां नहीं उगाही गई है जिनका प्रयोग दीर्घकालिक निवेश हेतु किया गया है।
18. कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956, की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल पार्टियों और कंपनियों को वर्ष के दौरान अधिमानी शेयरों का आबंटन नहीं किया है।
19. कंपनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है। तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2003 के खंड 4(xix) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।
20. कंपनी ने वर्ष के दौरान पब्लिक इश्यू के जरिए धन की उगाही नहीं की है।
21. भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखापरीक्षा परिपाटियों के अनुसार हमारे द्वारा कंपनी के अभिलेखों और बहियों की जांच के दौरान और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान न तो कंपनी में या कंपनी द्वारा किसी प्रकार की धोखाधड़ी किए जाने की घटना हमारे सामने आई, न इसकी जानकारी मिली, न ऐसी कोई रिपोर्ट की गई है और न ही प्रबंधन द्वारा हमें ऐसी किसी घटना की सूचना दी गई है।
13. The provisions of any special statute applicable to chit fund or a nidhi / mutual benefit fund / societies are not applicable to the Company.
14. The Company is not dealing or trading in shares , securities, debentures and other investments. The Company has acquired shares on account of underwriting share issue and also in settlement of a claim under directions of The Special Court, Mumbai in the previous years. The Company has maintained proper records of such transactions and the shares are held by the Company in its own name.
15. According to the information and explanations given to us, the Company has not given any guarantee for loans taken by others, from banks or financial institutions and therefore the provisions of Clause 4 (xv) of the Companies (Auditor's Report) Order,2003 are not applicable to the Company.
- 16 As per records, the Company has not taken any term loan during the year covered under audit and therefore the provisions of Clause 4 (xvi) of the Companies (Auditor's Report) Order,2003 are not applicable to the Company.
17. Based on the information and explanations given to us and on an overall examination of the balance sheet of the company, in our opinion, there are no funds raised on a short term basis which have been used for long term investment.
18. The Company has not made any preferential allotment of shares to parties and companies covered in the register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956 during the year.
19. The Company has not issued any debentures . Accordingly, the provisions of Clause 4 (xix) of the Companies (Auditor's Report) Order,2003 are not applicable to the Company.
20. The company has not raised any money by public issue during the year.
21. During the course of our examination of books and records of the Company, carried out in accordance with generally accepted auditing practices in India and according to the information and explanations given to us, we have neither come across any incidence of fraud on or by the Company, noticed or reported during the year, nor have we been informed of any such case by the management.

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 02.05.2009

सुब्रत डे
पार्टनर
सदस्यता सं. 54962
कृते डे एंड बोस
सनदी लेखाकार

Date: 02.05.2009
Place : Kolkata

Subrata De
Partner.
Membership No. 54962
For & on behalf of
DE & BOSE
Chartered Accountants

**सूचीबद्धता करार के खंड 49V के
अनुसरण में प्रमाणपत्र**

सेवा में,
निदेशक मंडल,
इलाहाबाद बैंक

यह प्रमाणित किया जाता है कि-

(क) हमने वर्ष 2008-2009 हेतु वित्तीय विवरणों और नकदी विवरणों की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार :

i) इन विवरणों में कोई महत्वपूर्ण असत्य कथन नहीं है अथवा कोई महत्वपूर्ण तथ्य छूटा नहीं है अथवा कोई भ्रामक कथन समाविष्ट नहीं है।

ii) ये विवरण बैंक के मामलों की सत्य और उचित छवि प्रस्तुत करते हैं तथा मौजूदा लेखा मानकों, प्रयोज्य विधियों और विनियमनों के अनुसार हैं।

(ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक ने कोई भी ऐसा लेनदेन नहीं किया है जो कपटपूर्ण, अवैध अथवा बैंक की आचार संहिता के विरुद्ध हो।

(ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और इसे बनाए रखने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं और यह कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का मूल्यांकन किया है और ऐसे आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा और परिचालन की उन विसंगतियों को, जो हमारी जानकारी में हैं और इन विसंगतियों के परिशोधन हेतु हमने जो कदम उठाए हैं, उसे लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रकट किया है।

(घ) हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को यह दर्शाया है कि-

(i) वर्ष 2008-09 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं है।

(ii) वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

(iii) धोखाधड़ी की विशेष घटनाएं जिनकी हमें जानकारी हुई और जिसमें प्रबंधन या किसी कर्मचारी की संलिप्तता, यदि कोई है, जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है।

(ए. बी. भट्टाचार्य)
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

(के. आर. कामत)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

CERTIFICATE PURSUANT TO CLAUSE 49V
OF THE LISTING AGREEMENT

To
The Board of Directors
Allahabad Bank

This is to certify that

- (a) We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year 2008-2009 and that to the best of our knowledge and belief:
 - i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading.
 - ii) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- (b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- (c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to the financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls of which we are aware and the steps we have taken to rectify the deficiencies.
- (d) We have indicated to the auditors and the Audit Committee
 - (i) that no significant changes in internal control over financial reporting has been made during the year 2008-2009;
 - (ii) that no significant changes in accounting policies has taken place during the year;
 - (iii) the instances of Significant fraud which we become aware and the involvement therein, if any of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

(A. B. Bhattacharjee)
General Manager (F &A)

(K. R. Kamath)
Chairman & Managing Director

इलाहाबाद बैंक

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड

कोलकाता : 700 001

फार्म 'बी'

परोक्षी फार्म

(शेयरधारक सदस्य द्वारा भरा एवं हस्ताक्षर किया जाना है)

पंजीकृत फोलियो सं एएलबी
(यदि डिमैटीरियलाइज नहीं है)	
डी.पी.आई.डी सं.
ग्राहक आई.डी सं.
(यदि डिमैटीरियलाइज है)	

मैं/हम राज्य के जिले में स्थित
..... का/के निवासी इलाहाबाद बैंक का/के शेयर/शेयरों के धारक होने के नाते एतद्वारा राज्य के
जिले में स्थित का/के निवासी श्री/श्रीमती को अथवा उसकी अनुपस्थिति में
..... राज्य के जिले में स्थित का/के निवासी श्री/श्रीमती

का सोमवार 15 जून 2009 को 10.30 बजे पूर्वश्री ऑडिटोरियम, ईस्टर्न ज़ोनल कल्चरल सेन्टर, भारतीयम कल्चरल मल्टीप्लेक्स, आईबी-201, सेक्टर III सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता – 700 106 में सम्पन्न होने वाली इलाहाबाद बैंक के शेयरधारकों की सप्तम वार्षिक सामान्य बैठक में और उसके किसी स्थगन के उपरान्त आयोजित बैठक में मेरे/हमारी ओर से मतदान करने के लिये अपना मुख्तारी (प्रॉक्सी) नियुक्त करता हूँ/करते हैं।

इस पर 2009 के दिन हस्ताक्षर किये।

कृपया 1 रुपए
का रसीदी
टिकट चिपकाएं

.....
मुख्तारी (प्रॉक्सी) के हस्ताक्षर

प्रथम/एकल धारक के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

मुख्तारी (प्रॉक्सी) फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुतीकरण हेतु अनुदेश

- मुख्तारी लिखत तभी वैध होगा जब
क) व्यक्तिगत शेयरधारक सदस्य के मामले में वह लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके/उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
ख) संयुक्त धारकों के मामले में प्रथम नामित शेयरधारक सदस्य द्वारा या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके/उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
ग) किसी कंपनी निकाय के मामले में वह उसके अधिकारी द्वारा अथवा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
- जिस मुख्तारी लिखत पर शेयरधारक अंगूठा निशान, अंकित करता है तो वह तभी वैध होगा जब वह जज, मजिस्ट्रेट या आश्वासनों का रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या इलाहाबाद बैंक के अधिकारी द्वारा सत्यापित हो।
- मुख्तारी के साथ
क) मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत उस पर हस्ताक्षर किए गए या
ख) नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार की प्रति सप्तम वार्षिक आम बैठक की तारीख से चार दिन पहले अर्थात् बुधवार, 10 जून 2009 को कार्य समय के दौरान या उससे पहले इलाहाबाद बैंक, शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय में जमा की जानी चाहिए।
- यदि संबद्ध मुख्तारनामा इलाहाबाद बैंक अथवा शेयर अंतरण एजेंट के पास पहले ही पंजीकृत किया जा चुका है तो मुख्तारनामे की पंजीकरण संख्या और ऐसे पंजीकरण की तारीख का उल्लेख किया जाए।
- कोई भी मुख्तारी तब तक वैध नहीं होगी जब तक वह विधिवत स्टाम्पित न हो।
- बैंक में जमा की गई मुख्तारी लिखत अंतिम तथा अप्रतिसंहरणीय होगी।
- यदि मुख्तारी लिखत वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के लिए हो तो एक से अधिक फार्म निष्पादित न किए जाएं।
- जिस शेयरधारक ने मुख्तारी लिखत निष्पादित की है वह उस असाधारण सामान्य बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा जिससे वह लिखत संबंधित हो।
- इलाहाबाद बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को विधिवत प्राधिकृत या मुख्तारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
- कोई भी मुख्तारी (प्रॉक्सी) तब तक वैध नहीं होगी जब तक फार्म - 'बी' पर न हो।

ALLAHABAD BANK
H.O: 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001

Form "B"
Form of Proxy
(To be filled in and signed by the shareholder member)

Regd. Folio No.. ALB_____

(If not dematerialised)

DPID No. _____

Client ID No. _____

(If dematerialized)

I/We _____ resident of _____ in
the district of _____ in the state of _____
_____ being a share holder(s) of Allahabad Bank,, hereby appoint Shri/Smt. _____
_____ resident of _____ in the district of _____
_____ or failing him/her. Shri/Smt _____
_____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____
_____ as my /our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Seventh Annual General
Meeting of the Shareholders of the Allahabad Bank to be held on Monday, the 15th June. 2009 at 10.30 a.m. Purbashree
Auditorium at Eastern Zonal Cultural Center, Bharatiyam Cultural Multiplex, IB-201, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700106,
and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2009

Please affix
One Rupee
Revenue
Stamp

.....
Signature of the Proxy

Signature of the First/Sole Holder

Name
Address

Instructions for signing and lodging the Proxy form

1. The instrument of proxy to be valid
 - (a) in case of an individual shareholder, shall be signed by him/her attorney duly authorized in writing.
 - (b) In case a joint holder, shall be signed by the shareholder whose names appeared first in the Register of Members or by his/her attorney duly authorized in writing.
 - (c) In case of body corporate, shall be signed by its officer duly authorised in this behalf and executed under its common seal, if any or otherwise signed by its attorney duly authorized in writing.
2. An instrument of proxy in which the thumb impression of the shareholder is affixed, will be valid provided it is attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of assurance or any other Government Gazetted Officer or an Officer of Allahabad Bank.
3. The Proxy together with
 - (a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
 - (b) a copy of that power of Attorney or Authority , certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office, Allahabad Bank, not later than **FOUR** days before the date of Seventh Annual General Meeting, i.e. on or before the close business hours on 10th June, Wednesday, 2009.
4. In case of relevant power of attorney is already registered with Allahabad Bank or its Share Transfer Agent , the registration number of power of attorney and date of such registration may be mentioned.
No proxy shall be valid unless it is duly stamped and signed.
5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
7. In case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
8. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
9. No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Allahabad Bank.
10. No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form "B".

इलाहाबाद बैंक

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड
कोलकाता-700 001

Allahabad Bank

Head Office: 2, N. S. Road
Kolkata 700 001

सप्तम वार्षिक सामान्य बैठक हेतु उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र
दिनांक : 15.6.2009
स्थान : ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर
भारतीयम कल्चरल मल्टीप्लेक्स
आईबी-201, सेक्टर III, सॉल्ट लेक सिटी
कोलकाता 700 106

ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS FOR SEVENTH ANNUAL GENERAL MEETING

Date : 15.06.2009
Place : Eastern Zonal Cultural Centre
Bharatiyam Cultural Multiplex
IB-201, Sector III, Salt Lake City
Kolkata 700 106

उपस्थिति पर्ची

(प्रवेश के समय जमा करने हेतु)

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of entry)

नाम स्पष्ट अक्षरों में /NAME IN BLOCK LETTERS सदस्य Member / प्रॉक्सी Proxy / प्राधिकृत प्रतिनिधि Authorised Representative	फोलियो/ग्राहक आईडी सं. FOLIO/CLIENT ID NO.	शेयरों की संख्या No. of Shares

शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
Signature of Shareholders/Proxy/Representative present

✂ ----- ✂

प्रवेश पत्र ENTRY PASS

नाम स्पष्ट अक्षरों में /NAME IN BLOCK LETTERS सदस्य Member / प्रॉक्सी Proxy / प्राधिकृत प्रतिनिधि Authorised Representative	फोलियो/ग्राहक आईडी सं. FOLIO/CLIENT ID NO.	शेयरों की संख्या No. of Shares

बैठक हाल में प्रवेश के लिए शेयरधारकों/प्रॉक्सियों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इस उपस्थिति पत्रक - सह - प्रवेश पत्र को विधिवत हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करें। प्रवेश पत्र वाला भाग शेयरधारकों/प्रॉक्सियों/प्रतिनिधियों को लौटा दिया जाएगा जिसे उन्हें बैठक समाप्त होने तक अपने पास रखना चाहिए। फिर भी प्रवेश, यदि आवश्यक समझा गया तो आगे सत्यापन/जाँच के अधीन होगा। किसी भी हालत में, बैठक हाल में प्रवेश के लिए उपस्थिति पत्रक की कोई दूसरी प्रति जारी नहीं की जाएगी।
टिप्पणी : बैठक के दौरान उपहार/उपहार कूपन नहीं बांटे जाएंगे।

कृपया संलग्न वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति साथ ले कर आएं।

Shareholders/Proxy/Representatives are requested to produce this Attendance-slip-cum Entry Pass signed, for admission to meeting hall. The Entry pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy/Representative, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission may, however, be subject to further verifications/checks as may be deemed necessary. Under no circumstances, will any duplicate Attendance –slip-cum Entry Pass be issued at the entrance to the meeting hall.

Note : No gifts/gift coupons will be distributed at the meeting .
Please bring your copy of the enclosed Annual Report.